वार्षिक रिपोर्ट

1981-82

भारत सरकार
शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय
शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग
नई दिल्ली
1982

विषय-सूची

शिक्षा विभाग

संस्कृति-विभाग

शिक्षा विभाग

प्रस्तावना

नीति तथा दृष्टिकोण

वर्ष 1981-82 के दौरान सरकार के शैक्षिक प्रयासों को सार्थक दिशा प्रदान करने और नीतियों तथा दृष्टिकोणों को कार्यरूप देने के लिए प्रयास जारी रहे। जिन महत्वपूर्ण उद्देश्यों और कार्यों की दिशा में ये प्रयत्न किए गए उनमें अन्य बातों के साथ-साथ औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यापक प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धि; 15 से 35 आयु-वर्ग में निरक्षरता उन्मूलन; राज्यों और संघीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार; उच्च शिक्षा में कोटि सुधार के लिए कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना; तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अवस्थापना का निर्माण; देश के युवकों को अपना समग्र व्यक्तित्व विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करने के वास्ते नई योजनाएं प्रारम्भ करना शामिल हैं।

राज्यों और संघीय क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन 2 जून 1981 को आयोजित किया गया। सम्मेलन में शैक्षिक विकास परिप्रेक्ष्य और छठी योजना के प्रारूप में सम्मिलित कार्यक्रमों के कार्यान्वियन पर विशेष रूप से चर्चा की गई, इस योजना को उस वर्ष के प्रारम्भ में राष्ट्रीय विकास परिषद का अनुमोदन प्राप्त हो गया था। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ, छठी योजना में प्राथमिक स्तर पर और अगली योजना में मिडिल-स्तर पर जोर देते हुए औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से दस वर्ष की अवधि में व्यापक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने की योजना का समर्थन किया गया। इसमें स्कूल शिक्षा की 10+2 पद्धति को अपनाने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की मांग की गई और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा यथा-शीघ्र करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

आयोजना तथा मानीटरिंग

वर्ष 1981-82 के लिए शिक्षा के विकास हेतु कुल 422.33 करोड़ रुपये की राशि (केन्द्रीय क्षेत्र में 107.11 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र में 315.22 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई, जो देश की कुल योजना का 2.4 प्रतिशत है। वर्ष 1982-83 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 138 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के शैक्षिक विकास के लिए मंत्रालय का अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना हेतु विभाज्य परिव्यय के 12.4 प्रतिशत और जन-जातीय उप-योजना क्षेत्रों के लिए 6.1 प्रतिशत के प्रावधान का प्रस्ताव है।

प्रारम्भिक शिक्षा

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक अनिवार्य अंग के रूप में प्रारम्भिक शिक्षा के व्यापीकरण को छठी योजना में काफी अच्छी प्राथमिकता दी गई है और 905 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय अथवा संपूर्ण शिक्षा के लिए 2524 करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय का 36 प्रतिशत आवंटित किया गया है। आलोच्य वर्ष के दौरान प्रारम्भिक शिक्षा के व्यापीकरण पर अधिक जोर देकर इसे चलाया गया ताकि इसे सभी पहलुओं की दृष्टि से संचालित किया जा सके। केन्द्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई जिसके अन्य सदस्य थे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान के निदेशक, सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग, तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 9 राज्यों के शिक्षा सचिव। मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्कूल, को सदस्य

सचिव नियुक्त किया गया। समिति की पहली बैठक 6 जुलाई 1981 को हुई और इसकी सिफारिशों पर शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 9 राज्यों में एक-एक राज्य प्रारम्भिक शिक्षा कार्य-दल गठित किया गया है। इस अवधि के दौरान 6 राज्य कार्य दलों की पहली बैठकें हुई। वास्तविक लक्ष्यों के सन्दर्भ में प्रत्येक राज्य में पेश आई कठिनाइयों और वर्तमान शिक्षा की समीक्षा इन बैठकों में की गई और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में निर्णय किया गया। राज्य कार्य-दलों में शिक्षा मंत्रालय, योजना आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् और राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान का प्रतिनिधित्व है।

गैर औपचारिक शिक्षा

प्राइमरी और मिडिल स्तरों पर गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करने के लिए, विशेष रूप से शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में केन्द्र स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किया गया। प्रारम्भिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 9 राज्यों में से 8 राज्यों को 3.44 करोड़ रुपये की राशि दी गई है इस कार्यक्रम के लिए अभी तक राज्यों को दी गई कुल राशि 6.05 करोड़ रुपये है। 1981-82 तक 8 राज्यों में 51712 केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं जिन में कुल बच्चों की संख्या 11.50 लाख है। अभी तक प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार वर्तमान योजना अवधि के अन्त तक केन्द्रों की संख्या 128905 हो जायेगी, जिनमें कुल 34.8 लाख बच्चे होंगे। विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों में, जिनमें शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े राज्य भी शामिल हैं, गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों की वर्ष 1982-83 के लिए वार्षिक योजना चर्चाओं के दौरान विशेष समीक्षा की गई और राज्यों से यह आग्रह किया गया है कि वे गैर औपचारिक पद्धति के अन्तर्गत अधिक बच्चों को शामिल करें और इसे संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक पूरक सहायक माध्यम के रूप में विकसित करें। स्वीडन की सहायता से, सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों को गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए शिक्षण/अध्ययन सामग्री तथा पुस्तकें और गाइडें तैयार करने के वास्ते केन्द्रीय समान सहायता के रूप में 3200 मीट्रिक टन कागज दिया गया है। केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत सभी योजनाओं में मुख्य जोर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों और लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने पर दिया गया है।

शिशु शिक्षा

छठी योजना के अन्तर्गत शिशु शिक्षा का एक साधारण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है जिससे कि व्यापीकरण के कार्यक्रम को व्यापक बनाया जा सके। सार्थक ढंग से ग्रामीण, क्षेत्रों में मुख्यतः राज्य क्षेत्र में प्रारम्भ करने के लिए परिकल्पित शिशु शिक्षा केन्द्र पूर्व स्कूलों के रूप में होंगे और प्रारम्भिक स्कूलों के घटकों के रूप में स्थापित किये जायेंगे। एक करोड़ रुपये के केन्द्रीय क्षेत्र परिव्यय के साथ ऐसे शिशु शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए शैक्षिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना को अन्तिम रूप दिया गया और इस वर्ष के दौरान लागू किया गया। इसके अतिरिक्त यूनिसेफ सहायता से 1981-83 अवधि के दौरान 11 राज्यों/संघीय क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए एक शिशु शिक्षा परियोजना प्रारम्भ की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य पूर्व स्कूल के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नई क्षमता का विकास करना और अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों का विस्तार और मॉडल पूर्व स्कूल केन्द्रों का विकास करना है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

प्रस्तावित 'इनसेट' प्रारम्भ करने के संबंध में यह निर्णय किया गया है कि शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए शैक्षिक सामग्री तथा फिल्में तैयार करने का दायित्व संभाल लिया जाए। इस प्रयोजन के लिए, छः इनसेट राज्यों में उत्पाद केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं और शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र को सुदृढ़ बनाया जा रहा है ताकि नमूने का उत्पादन और प्रशिक्षण सुविधाएं

शुरू की जा सकें। दिसम्बर 1980 में राष्ट्रीय कार्यशाला में विकसित शैक्षिक प्रसारण के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाओं को औपचारिक रूप से अपनाने के लिए राज्यों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा

राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिशों के आधार पर स्कूली पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से मूल्यांकन करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह समीक्षा विकेन्द्रीकृत आधार पर शुरू की जा रही है। कक्षा I से कक्षा XII तक की सभी स्कूली पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा की जाएगी। तथापि, प्रारम्भ में यह मूल्यांकन इतिहास तथा भाषा संबंधी पाठ्यपुस्तकों तक सीमित रहेगा। ऐसा मूल्यांकन करने के लिए रा० शै० अ० प्र० प० द्वारा विकसित पद्धतियां तथा मार्गदर्शी रूपरेखाएं सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम

युवा पीढ़ी में जनसंख्या संबंधी समस्याओं की पर्याप्त जानकारी पैदा करने तथा इस संबंध में राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को समझाने के उद्देश्य से अप्रैल 1980 में शुरू किया गया जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जा रहा है। औपचारिक स्कूल प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर आवश्यक पाठ्यचर्या का विकास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को शेष राज्यों और संघीय क्षेत्रों में भी शुरू करने का निर्णय किया गया है।

उच्च शिक्षा

पिछले दशक के दौरान नामांकन में वृद्धि की प्राप्त स्थिरता को 1980-81 के दौरान बनाए रखा गया। 1980-81 में कुल नामांकन में 3.9% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि 1971-80 दशक के दौरान हुई 4% की औसतन वार्षिक वृद्धि दर के अन्दर ही रही। 1981-82 के दौरान चार नए विश्वविद्यालय खोले गए। वि० अ० आयोग ने छठी योजना के दौरान विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को विकास सहायता प्रदान करने के लिए अपनी मार्गदर्शी रूपरेखाओं को अन्तिम रूप दिया। इनमें, विश्वविद्यालयों में पहले से ही उपलब्ध सुविधाओं और उनके अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षा को विकास के साथ जोड़ने, पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन और नए तथा उभरते हुए क्षेत्रों में पाठ्यक्रम लागू करने के कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया जाएगा। कालेजों को पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा उपस्कर के लिए बुनियादी सहायता के लिए कालेजों की पात्रता निर्धारित करने के मानदण्डों में संशोधन किया गया है। कालेजों की शैक्षणिक व्यवहार्यता पर विशेष जोर दिया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में तथा ऐसे स्थानों पर स्थित कालेजों को विशेष सहायता दी जाएगी, जहां कोई कालेज नहीं है, चाहे वे पात्रता के मानदण्डों को पूरा करते हों अथवा नहीं। उच्च अध्ययन केन्द्र जैसे कोटि सुधार कार्यक्रमों, चुने हुए विभागों को विशेष सहायता; कालेजों में विज्ञान तथा मानविकी के शिक्षण में सुधार के कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है और उन्हें सुदृढ़ बनाया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मौलिक स्वरूप बहाल करने के उद्देश्य से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में सन् 1981 में व्यापक संशोधन किया गया।

प्रौढ़ शिक्षा

छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भिक शिक्षा के एक घटक के रूप में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम समीक्षा समिति तथा उच्च अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट के संबंध में निर्णय होने तक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को 1979-80 स्तर पर बनाए रखा गया। कार्यक्रम पर विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से अमल जारी रहा, जो भारत सरकार की सहायता से अथवा उसके बगैर 92045 केन्द्र चला रही हैं। दस श्रमिक विद्यापीठों ने अपना कामकाज जारी रखा। कलकत्ता, कानपुर तथा मद्रास स्थित विद्यापीठों को चालू किया जा रहा है और सूरत तथा फरीदाबाद के लिए नए श्रमिक विद्यापीठों की मंजूरी दी गई है। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने, यूनिसेफ

2—920Edu/81

की सहायता से मातृ शिक्षा तथा शिशु देखभाल से संबंधित; स्त्रियों और लड़कियों के लिए; एक गैर-औपचारिक शिक्षा परियोजना प्रारम्भ की है।

तकनीकी शिक्षा

आलोच्य वर्ष के दौरान भा० प्रौ० संस्थानों ने अपनी-अपनी अवस्थापना का विस्तार किया और नए परिष्कृत अनुसंधान उपस्कर प्राप्त करने, नए अन्तर विषयक-कार्यक्रमों को शुरू करने, अनुसंधान तथा परामर्श सेवाएं प्रोत्साहित करने तथा सतत शिक्षा के क्षेत्र में गतिविधियों को तेज करने में काफी प्रगति की। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों ने अपनी विकास योजनाओं, विशेष रूप से उनके कार्यकलापों को सुदृढ़ करने तथा उपस्कर के आधुनिकीकरण के संदर्भ में योजनाओं को लागू करने में काफी प्रगति की। तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, एन० आई एफ० एफ० टी०, एन० आई० टी० आई० ई०, आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल और अखिल भारतीय प्रबंध संस्थान समेत अन्य केन्द्रीय संस्थानों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योग दिया और पर्याप्त व कारगर ढंग से अपनी भूमिका निभाई। चुने हुए इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटेक्निकों को अपनी-अपनी निर्धारित प्रयोगशालाओं का विकास करने में प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता योजना से काफी सहायता प्राप्त हुई। सामुदायिक पालिटेक्निक योजना ने इन तकनीकी संस्थाओं और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योग दिया।

छठी पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक नई योजनाएं भी तैयार की गई। इनमें, कमियों वाले क्षेत्रों में कमियों को दूर करने से संबंधित योजनाएं, देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अवस्थापना का निर्माण, विद्यमान इंजीनियरी कालेजों तथा प्रौद्योगिकी संस्थाओं में प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण, उच्च तकनीशियन कार्यक्रम प्रारंभ करना; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं जैसी सुविकसित संस्थाओं, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों व अन्य इंजीनियरी कालेजों और प्रौद्योगिकी संस्थाओं ने एक कड़ी के विकास के लिए आन्तरिक सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थागत विकास को प्रोत्साहन, तकनीकी संस्थाओं तथा सोसायटी के बीच परस्पर-क्रिया को प्रोत्साहन; राष्ट्रीय जन-शक्ति सूचना पद्धति तथा कुछेक अन्यों की स्थापना शामिल है। संस्थागत कड़ी और उन्नत तकनीशियन कार्यक्रम की योजनाओं को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है और कमियों को दूर करने, उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सुविधाओं का सृजन तथा इंजीनियरी प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए तीन प्रमुख योजनाओं को भी वर्ष के अन्त तक कार्यान्वित किया जाएगा।

भाषाएं

अहिन्दी भाषी राज्यों के स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्तियों के लिए वित्तीय सहायता; हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए सहायता; मैट्रिक के बाद के स्तर पर हिन्दी अध्ययन के वास्ते इन राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियां; स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता ताकि वे हिन्दी शिक्षण कक्षाएं आयोजित कर सकें; हिन्दी शिक्षण, इसके अध्यापन के विज्ञान के संबंध में अनुसंधान और विभिन्न संगठनों को हिन्दी पुस्तकें प्रदान करके इन राज्यों में हिन्दी शिक्षण की सुविधाएं जारी रखी गई।

विद्यमान, सात उर्दू सुलेखन केन्द्रों के अतिरिक्त जिनमें बंगलौर और भोपाल स्थित केन्द्र भी शामिल हैं, छः नए केन्द्र खोलने का निर्णय किया गया है जो इलाहाबाद, नागपुर, मद्रास, पटियाला जयपुर और लखनऊ में स्थित होंगे। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के तत्वावधान में छः केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ कार्य कर रहे हैं जिनमें 2000 छात्र परम्परागत अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं। सरकार द्वारा जिन अन्य श्रेण्य भाषाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है उनमें जहां तक उनके सांस्कृतिक पहलू का संबंध है, अरबी और फारसी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन भाषाओं के प्रचार तथा विकास के उद्देश्य से, 150 से अधिक संस्थाओं (मदरसों)

तथा अन्य परम्परागत किस्म की अरबी और फारसी की संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है।

यूनेस्को

यूनेस्को से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का नवम्बर, 1981 में पुनर्गठन, किया गया, तथा इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया ताकि इसमें अन्य कार्यों के साथ-साथ, राष्ट्रीय सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भाग लिए जाने को प्रेरित किया जा सके, यूनेस्को कार्यक्रमों को तैयार करने तथा कार्यान्वित करने में अन्य संस्थाओं तथा व्यक्तियों को शामिल किया जा सके जिससे कि आवश्यक सभी बौद्धिक, वैज्ञानिक, कलात्मक अथवा प्रशासनिक सहायता प्राप्त की जा सके। आयोग की सदस्यता इस समय पांच उप आयोगों, अर्थात् शिक्षा, प्रकृति-विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी, संस्कृति तथा संचार में दो प्रकार की है, अर्थात् व्यक्तिगत तथा संस्थागत। (1) भारत में प्रकाशन के लिए एक परिपूर्ण प्रलेखन तथा संदर्भ केन्द्र के साथ आयोग के पुस्तकालय का पुनर्गठन, ; (2) बैठकों तथा सम्मेलनों व प्रदर्शनियों का आयोजन और (3) आर्थिक सहायता/परिदान द्वारा यूनेस्को कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों में लगी हुई स्वैच्छिक एजेंसियों को सुदृढ़ बनाने के लिए एक नई योजना तैयार की गई है। 10 से 19 नवम्बर, 1981 तक जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन की 38वीं बैठक में शिक्षा तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त शिष्ट मंडल ने भाग लिया। भारत ने 7 से 11 दिसम्बर, 1981 तक नई दिल्ली में हुई शान्ति, पारस्परिक सूझबूझ तथा मानव अधिकारों के सम्मान के लिए युवकों की शिक्षा में महिलाओं की भूमिका विषय पर विशेषज्ञों की एक अन्तर्राष्ट्रीय बैठक के आयोजन में भी यूनेस्को से सहयोग किया। इस बैठक का उद्घाटन प्रधान मंत्री द्वारा किया गया।

पुस्तक प्रोन्नति

मंत्रालय द्वारा पुस्तक प्रोन्नति के लिए उठाए गए कदम, सस्ते मूल्यों पर अच्छे साहित्य के प्रकाशन, लेखकों को प्रोत्साहन देना तथा पढ़ने की आदत को लोकप्रिय बनाने से संबंधित हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, विशेष पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन तथा पुस्तक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने और पुस्तकों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेने के अलावा हर दो वर्ष में एक बार विश्व पुस्तक मेले का आयोजन भी करता है। इस वर्ष की एक विशिष्ट घटना, 5 से 15 फरवरी, 1982 तक नई दिल्ली में आयोजित पांचवा विश्व पुस्तक मेला था। 1980 में शुरू की गई, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पठन सामग्री के प्रकाशन की योजना ने इस वर्ष के दौरान और आगे प्रगति की। उदार आयात नीति को जारी रखा गया तथा खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों और भाषाओं के अध्ययन के लिए रिकार्डों को आयात करने की अनुमति दी गई। कापीराइट बोर्ड का 1 अप्रैल, 1981 को पुनर्गठन किया गया, तथा कापीराइट कार्यालय ने 4779 कृतियां पंजीकृत कीं।

युवक सेवाएं

भारत में युवा संबंधी कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और उन्हें ऐसे कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों में भाग लेने के अवसर प्रदान करने की नितान्त जरूरत को ध्यान में रखते हुए लागू किया जा रहा है, जिससे कि उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके तथा वे कार्यात्मक दृष्टि से कुशल, आर्थिक रूप से उत्पादक और सामाजिक दृष्टि से उपयोगी बन सकें। राष्ट्रीय सेवा योजना लगभग सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है जिसमें 3400 कालेजों के लगभग 5 लाख छात्र शामिल हैं। इस वर्ष इस योजना में "परिस्थिति-विकास के लिए युवक" नामक एक नया आयाम इस दृष्टि से जोड़ दिया गया है ताकि छात्रों को मानव जाति के सामने पेश आने वाली पर्यावरण सम्बंधी समस्याओं की किस्म तथा उद्देश्यों के बारे में तथा पारिस्थितिक सन्तुलन को पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक उपायों की, जानकारी दी जा सके। नई दिल्ली में 14–16 नवम्बर, 1981 तक एक प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें देश के विभिन्न

भागों के 1500 गैर छात्र युवकों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम अपनी किस्म का पहला कार्यक्रम था तथा इसमें नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यकलापों को प्रस्तुत किया गया। देश के विभिन्न भागों के युवकों के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए, "शिक्षा तथा संस्कृति सम्बंधी प्रदर्शनियां" नामक एक नई योजना 1982-83 में लागू करने के लिए तैयार की गई है। इस योजना में शिक्षा तथा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और अन्य राष्ट्रीय तथा/अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रदर्शनियों के आयोजन की परिकल्पना की गई है।

शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूद

केन्द्रीय सरकार के शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद के वर्तमान कार्यक्रम के दो प्रमुख उद्देश्य हैं—शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद संबंधी चल रहे अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना तथा साथ ही खेलों में व्यापक आधार पर सामूहिक रूप से भाग लेना व इस क्षेत्र में देश के परम्परागत और देशी कार्यकलापों का विकास करना। शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों को तैयार करते समय एक ओर तो उत्कृष्टता तथा बेहतरीन प्रदर्शन की दृष्टि से प्रतियोगी खेलों के पूरक स्वरूप का और दूसरी ओर बड़े पैमाने पर शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद के कार्यक्रमों को व्यापक बनाने का ध्यान रखा गया है।

एशियाई खेल

नवें एशियाई खेलों की मेजबानी करने के लिए भारतीय ओलम्पिक संघ को वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता देने के भारत के निर्णय के अनुसरण में एशियाई खेल, 1982 में शामिल करने के लिए चुने गए 21 खेलों के लिए नए स्टेडियमों के निर्माण तथा विद्यमान स्टेडियमों के नवीकरण पर नजर रखने तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एशियाई खेलों के आयोजन के लिए प्रबन्ध करने हेतु सरकार तथा भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा स्थापित विशेष आयोजन समिति द्वारा इस वर्ष के दौरान अनुवर्ती कार्रवाई की गई। इसके साथ-साथ एशियाई खेल, 1982 में भाग लेने के लिए भारतीय टीमों तथा प्रतियोगियों को तैयार करने के लिए, संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों और राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के परामर्श से कार्रवाई की गई।

छात्रवृत्तियां

छात्रवृत्तियों के क्षेत्र में मंत्रालय ने दो बातों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करना जारी रखा। ये दो बातें हैं— कि ये छात्रवृत्तियां होनहार छात्रों को, उनकी आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अपने अध्ययन को जारी रखने के योग्य बनाएंगी और ऐसी सहायता से कमजोर वर्गों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को सहायता प्रदान करके, शैक्षिक अवसरों में और अधिक समानता आएगी।

निष्कर्ष

यह वर्ष एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के प्रयत्नों को एक वास्तविक और सार्थक दिशा प्रदान करने के लिए तेजी से कार्यकलाप किए गए हैं।

अध्याय 1

संगठनात्मक संरचना

वर्तमान शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय में इस समय दो विभाग हैं, अर्थात् शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग। दोनों विभाग राज्य-मंत्री के अधीन हैं। काम-काज को निपटाने में उनकी सहायता करने के वास्ते एक उप-मंत्री हैं।

मंत्रालय के सचिवालय की प्रमुख एक सचिव हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की एक वरिष्ठ सदस्या हैं। मंत्रालय में एक अपर सचिव का पद और दो शिक्षा सलाहकार के पद हैं, जो सचिव के साथ काम करते हैं। मंत्रालय, ब्यूरो, प्रभागों और डेस्कों, अनुभागों तथा यूनिटों में विभाजित हैं। प्रत्येक ब्यूरो का प्रभारी एक संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार है जिसकी सहायता के लिए उप सचिव/उप शिक्षा सलाहकार हैं और वे एक-एक प्रभाग के प्रभारी हैं। दोनों विभागों के अधिकारी एक समान संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं। दोनों विभागों का गठन रिपोर्ट के साथ नत्थी प्रशासनिक चार्ट में दर्शाया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति विभाग के अन्तर्गत एक सम्बद्ध कार्यालय है। इसके अध्यक्ष महा-निदेशक हैं जो अपर सचिव के प्रति और उनके माध्यम से सचिव के प्रति जिम्मेदार हैं।

सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय स्वायत संगठन

अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए मंत्रालय के दो सम्बद्ध कार्यालय हैं, अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो संस्कृति विभाग के अंग हैं और इसने पिछले कई वर्षों के दौरान अनेक अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों का सृजन किया है। उच्च शिक्षा के स्तरों में समन्वय और निर्धारण के लिए संसद ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने के वास्ते एक विधान अधि-नियमित किया है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दायित्वों को निभाने के लिए अनेक संगठन स्थापित किए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण एक संगठन है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् जो देश भर में स्कूली शिक्षा के गुणात्मक पहलुओं को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण संगठन हैं : राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली; भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, केन्द्रीय स्कूल संगठन, नई दिल्ली; केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली; केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा; केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर; केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद; राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली; राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली; लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पांच भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर; 15 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज; 3 प्रबन्ध संस्थान, 4 तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय खान स्कूल, धनबाद; आयोजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई; और राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रोद्योगिकी संस्थान, रांची हैं। यद्यपि वैज्ञानिक अनुसंधान को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत विशिष्ट अनुसंधान प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों में प्रोत्साहित किया जाता है तथापि सामाजिक विज्ञान और इतिहास के अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है।

संविधान के 42वें संशोधन के अनुसार, शिक्षा, संघ सूची की कुछ प्रविष्टियों को छोड़कर, समवर्ती सूची का विषय बन गयी है। शैक्षिक विकास के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार को और अधिक ठोस भूमिका प्रदान करने की आवश्यकता और खासकर संविधान के निदेशात्मक सिद्धांतों में निहित लक्ष्यों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के लक्ष्यों की प्राप्ति से कुछ ऐसे बुनियादी तथ्य थे जिनके कारण इस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानान्तरित किया गया। इस प्रकार जो अधिकार पहले केवल राज्य सरकारों को प्राप्त थे अब संघीय और राज्य सरकारों द्वारा समवर्ती रूप से उनका उपयोग किया जा रहा है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तनों और सुधारों को लागू करने के लिए केन्द्र के वास्ते एक नई सम्भावना पैदा हो गई है। तथापि, शिक्षा मंत्रालय का यह निश्चित मत है कि राज्य सरकारों को शैक्षिक विकास के प्रति अपने दायित्व को निभाने का कार्य जारी रखना चाहिए और कानून के जरिए ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे राज्यों के विकासात्मक दायित्वों में कमी आए अथवा उन्हें समाप्त कर दिया जाए। फिर भी, केन्द्र द्वारा शिक्षा के स्तरों को बनाए रखने और उनमें समन्वय सुनिश्चित करने, शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने, उच्च-स्तरीय राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास को प्रोत्साहित करने, राष्ट्रीय नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने और अत्यधिक अन्तर के मामलों में सुधार लागू करने जैसे राष्ट्रीय महत्व के मामलों में हस्तक्षेप न्यायोचित होगा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह मंत्रालय मेडिकल और कृषि शिक्षा को छोड़कर देश में शिक्षा के सभी पहलुओं के विकास के लिए आवश्यक और आधारभूत कार्यों को पूरा कर रहा है। इनमें, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के स्तरों को बनाए रखना, उच्च शिक्षा, प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, हिन्दी, भारतीय भाषाओं और भारतीय श्रेण्य भाषाओं से संबंधित अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, खेल-कूद, स्काउटिंग तथा गाइडिंग कार्यक्रम, योग व शारीरिक स्वस्थता के अन्य कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना; पढ़ने की आदतों को प्रोत्साहित करना और हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं, विशेष रूप से विश्व-विद्यालय-स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन; शैक्षिक अवसरों की समानता को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति कार्यक्रम संचालित करना, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में विदेशों के साथ कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करने की व्यवस्था करना, कापीराइट अधिनियम, केन्द्रीय स्कूल संगठन, केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का प्रशासन शामिल है।

सामाजिक कल्याण पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले मंत्रालय के कुछ अन्य कार्य-कलाप हैं—(1) स्कूलों में बच्चों के दाखिले में सुधार और उन्हें स्कूलों में बनाए रखने में मदद देने के वास्ते, प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम; (2) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य न केवल साक्षरता दक्षताएं प्रदान करना है बल्कि जो काम-काज और रहन-सहन में आत्मनिर्भरता के विकास के लिए सीखने वालों की आवश्यकताओं से भी संबंधित है; (3) छात्र युवाओं के लिए कार्यक्रम, जैसे कि राष्ट्रीय सेवा योजना, विशेष शिविर कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा कर्मी योजना और योजना मंच; (4) गैर-छात्र युवाओं के लिए कार्यक्रम, जैसे कि नेहरू युवक केन्द्र, युवा नेताओं का प्रशिक्षण और साहसपूर्ण कार्यक्रमों के प्रोत्साहन के लिए सहायता; (5) अभावग्रस्त अध्यापकों और/अथवा उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सन 1962 में स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान।

× × ×

अध्याय 2

स्कूल शिक्षा

स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित मुख्य कार्यक्रम शामिल हैं :—

(i) सर्व-सुलभ, निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा;

(ii) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण ;

(iii) कोटि सुधार ;

(iv) भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह के संदर्भ में शैक्षिक प्रोद्योगिकी में कार्यक्रमों का निर्धारण ;

(v) जनसंख्या—शिक्षा कार्यक्रम को लागू करना ; और

(vi) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के माध्यम से चलाए जा रहे कार्यक्रम ।

अन्य कार्यक्रम, केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों तथा भारत में आए तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों के लिए स्कूल संबंधी सुविधाओं; महिला शिक्षा; राष्ट्रीय पुरस्कारों के माध्यम से स्कूल—अध्यापकों का सम्मान—अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे अध्यापकों का कल्याण; बाल भवन केन्द्रों के माध्यम से बच्चों के लिए पाठ्येतर कार्यकलापों की व्यवस्था; रक्षा कार्मिकों के बच्चों को शैक्षिक रियायतें; और स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना

प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के अवधि कार्यक्रम को आलोच्य वर्ष के दौरान और अधिक तेजी से चलाया गया। शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक अनिवार्य घटक के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए छठी योजना में योजनागत परिव्यय 905 करोड़ रुपये रखा गया है (अथवा शिक्षा के लिए 2524 करोड़ रुपये के कुल योजना-गत परिव्यय का 36% राज्य क्षेत्र में 851 करोड़ रु० तथा केन्द्रीय क्षेत्र में 54 करोड़ रु० ।

नियोजित विकास के वर्षों के दौरान नामांकन में काफी प्रगति हुई है । प्रारम्भिक शिक्षा पद्धति की मुख्य कमी प्राथमिक स्तर (कक्षा V) और मिडिल स्तर (कक्षा VIII) के अन्त में शिक्षा छोड़ देने वालों की अधिक दरों से संबंधित है । छठी योजना के दौरान प्रणाली संबंधी कमियों को दूर करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं और निम्नलिखित क्षेत्रों में दो तरफा कार्रवाई आरम्भ की गई है :

(i) कक्षा I— VIII में 180 लाख बच्चों का अतिरिक्त नामांकन प्राप्त करना, और

(ii) बीच में अध्ययन छोड़ने वालों की दरों में भारी कमी लाना ।

सर्वसुलभ शिक्षा के कार्यक्रम को चलाने के लिए आलोच्य अवधि के दौरान कई प्रशासनिक उपाय किए गए । केन्द्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में प्रारम्भिक शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है जिसके सदस्य निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (रा० शै० अ० त० प्र० परि०), निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान (रा० शै० अ० प्र० सं०), सलाहकार (शिक्षा),

योजना आयोग और शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों के शिक्षा सचिव हैं तथा मंत्रालय में संयुक्त सचिव (स्कूल) सदस्य-सचिव के रूप में हैं। समिति की पहली बैठक 6 जुलाई, 1981 को हुई और इसकी सिफारिश पर शैक्षिक रूप से पिछड़े सभी राज्यों में प्रारम्भिक शिक्षा के संबंध में राज्य कार्य दल बनाए गए। दिसम्बर, 1981 तक छः राज्य कार्य दलों की पहली बैठकें हुईं। इन बैठकों में वर्तमान स्थिति और छठी योजना के वास्तविक लक्ष्यों के संदर्भ में राज्य के सामने आने वाली समस्याओं और कठिनाईयों की समीक्षा की गई और उन पर काबू पाने के लिए आवश्यक उपायों तथा आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं में आवश्यक संशोधनों और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशेष उपायों के संबंध में निर्णय किया गया। शिक्षा मंत्रालय, योजना आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् और राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान को प्रत्येक राज्य कार्यदल में प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

निःशुल्क शिक्षा

अनुच्छेद 45 में दिए गए संवैधानिक निदेश के अनसरण में, उत्तर प्रदेश में मिडिल स्तर पर लड़कों को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में सभी स्कूलों, सरकारी, स्थानीय निकायों और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक स्तर (कक्षा I से V) तथा मिडल स्तर (कक्षा VI से VIII) तक शिक्षा निःशुल्क है। 30, सितम्बर, 1980 तक उड़ीसा में भी मिडिल स्तर पर लड़कों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी।

अनिवार्य शिक्षा अधिनियम

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए 16 राज्यों, अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कानून विधमान हैं। संघ-शासित क्षेत्रों में से ऐसे कानून अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़ और दिल्ली में लागू हैं। हिमाचल प्रदेश में, इस अधिनियम के अन्तर्गत संपूर्ण प्रारम्भिक स्तर (कक्षा I से VIII) को शामिल किया गया है।

दाखिले के लक्ष्य

छठी योजना के आधार वर्ष, अर्थात् 1979-80 में प्राथमिक स्तर पर दाखिले की संख्या 709.50 लाख अथवा 6—11 आयु-वर्ग की जनसंख्या की 83.6 थी; मिडिल स्तर पर यह संख्या 194.83 लाख अथवा 11--14 आयु वर्ग की जनसंख्या की 40.2% थी। छठी योजना के दौरान अतिरिक्त नामांकन का लक्ष्य 6—14 आयु वर्ग जनसंख्या में 180 लाख है—प्राथमिक स्तर पर 117 लाख और मिडिल स्तर पर 63 लाख। यदि यह लक्ष्य प्राप्त हो गया तो 1984-85 के अन्त तक प्राथमिक तथा मिडल स्तरों पर यह नामांकन क्रमशः 95 प्रतिशत और 50 प्रतिशत हो जाएगा। 1981 की जनगणना आंकड़ों से पता चलता है कि दाखिल किए जाने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या अनुमानित आंकड़ों से कही अधिक होगी। तथापि, प्राथमिक स्तर पर पर्याप्त प्रगति हुई है और छठी योजना में प्राथमिक स्तर पर नामांकन को सुधारने पर जोर दिया गया है और अगली योजना में मिडिल स्तर पर जोर दिया जाएगा। निम्नलिखित सारणी से प्रारम्भिक स्तर की स्थिति और नामांकन लक्ष्य का पता चलता है :—

	1950-51	1979-80	लक्ष्य 1984-85
1		2	3
आयु-वर्ग 6—11			
नामांकन : कक्षा—I से V . .	191.55	709.50	826.50
आयु-वर्ग जनसंख्या की प्रतिशतता के रूप में			
नामांकन . . .	42.6	83.6	95

	1	2	3
आयुवर्ग 11–14 नामांकन :			
कक्षा V से VIII . . .	31.20	194.83	257.82
आयुवर्ग जनसंख्या की प्रतिशतता के रूप में			
नामांकन . . .	12.7	40.2	50
आयुवर्ग 6—14 नामांकन :			
कक्षा I से VIII . . .	222.75	904.33	1084.33
आयुवर्ग जनसंख्या की प्रतिशतता के रूप में			
नामांकन . . .	32.4	67.2	77

दाखिले की नीति

गैर दाखिल बच्चों की अधिकतमसंख्या, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, कृषि श्रमिकों तथा झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों सहित कमजोर वर्गों की है। गैर-दाखिल बच्चों में दो तिहाई लड़कियां हैं। गैर-दाखिल बच्चों का 80 प्रतिशत से अधिक भाग शक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। अतः शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का कार्यक्रम लक्ष्य वर्गोन्मुख है। उठाए गए विशेष कदम निम्नलिखित हैं:

(i) पिछड़े राज्यों और प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के पिछड़े और कम साक्षरता वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना।

(ii) प्रत्येक राज्य में विभिन्न लक्ष्य वर्गों के आकार का पता लगाना और प्रारम्भिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत जनजातीय उप-योजना तथा अनु० जातियों के लिए विशेष संघटक योजना दोनों ही के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वास्ते निवेशों की मात्रा निर्धारित करना।

(iii) कमजोर वर्गों के बच्चों के लाभ के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और लेखन सामग्री की व्यवस्था, वर्दियों की निःशुल्क सप्लाई, विशेष रूप से लड़कियों के लिए उपस्थिति छात्रवृत्तियों और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जैसे प्रेरणादायक कार्यक्रमों का अन्य स्कूलों तक विस्तार करना।

स्कूल छोड़कर चले जाने वालों की दरों में कमी

प्रारम्भिक स्तर पर स्कूल छोड़ कर चले जाने वालों की समस्या ने नामांकन में वृद्धि के महत्व को कम कर दिया है। स्कूल छोड़ कर चले जाने वालों की दरों में कमी लाने के लिए राज्यों को विस्तृत उपायों के सुझाव दिए गए हैं। इसमें, कक्षा VIII तक "कोई फेल नहीं" सहित ग्रेड रहित स्कूल पद्धति, एकल अध्यापक प्राथमिक स्कूल को द्वि अध्यापक स्कूलों में परिवर्तन करना, कमजोर वर्गों वाली सभी बस्तियों में स्कूली सुविधाओं की व्यवस्था, प्राथमिक स्कूलों के सहायक के रूप में ग्रामीण क्षत्रों में प्रारम्भिक शिशु (पूर्व-स्कूल) शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, लड़कियों की शिक्षा की प्रोन्नति, पाठ्येत्तर सुधार परियोजनाएं, भौतिक सुविधाओं में सुधार, अध्यापकों की दक्षता में सुधार, समुदाय का सहयोग प्राप्त करना और इन सबके अतिरिक्त उन बच्चों के लिए, एक वृहत अनौपचारिक अंशकालीन शिक्षा कार्यक्रम, जो सामाजिर्थिक कारणों से औपचारिक स्कूलों में दाखिला नहीं हो सकते हैं।

प्रारम्भिक आयु-वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक अंशकालीन शिक्षा

लगभग सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने अपना अध्ययन प्रारम्भ न करने वालों और बीच में ही अध्ययन छोड़ देने वाले बच्चों सहित स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक अंशकालीन शिक्षा कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। एक केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये का योजनागत परिव्यय निर्धारित

किया गया है, शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। अब तक 1981-82 के दौरान (15 जनवरी, 1982 तक) 3.44 करोड़ सहित बराबरी के अनुपात के आधार पर इस कार्यक्रम के लिए राज्यों को 6.05 करोड़ रु० की कुल राशि दी गई है। इस योजना में से सभी राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा की प्रयोगात्मक और अभिनव-परिवर्तन परियोजनाओं के लिए सभी शैक्षिक संस्थाओं को, तथा राज्य सरकार की पद्धति पर अनौपारिक केन्द्र चलाने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्वैच्छिक एजेंसियों को तथा सरकारी व निजी शिक्षा संस्थाओं को भी अनुदान दिए जाते हैं।

केन्द्रीय सहायता से शैक्षिक रूप से पिछड़े आठ राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा ने गति पकड़ ली है। आलोच्य वर्ष के दौरान, आठ राज्यों में 51,712 केन्द्र कार्य कर रहे थे जिनमें 11.50 लाख बच्चे दाखिल थे। अब तक प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, चालू योजना अवधि के अंत तक केन्द्रों की संख्या 1,28,905 हो जाने की आशा है जिनमें इन आठ राज्यों के कुल 34.80 लाख बच्चे शामिल होंगे।

अनौपचारिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय कागज सहायता

केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत जिसमें 28 करोड़ रु० का योजनागत परिव्यय है, पुस्तकें, गाइडें तथा अन्य शिक्षण अध्ययन सामग्री के निर्माण के लिए सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को कागज के रूप में वस्तु सहायता दी जा रही है। योजनागत परिव्यय में संसार के किसी भी देश से आयात किए गए कागज का मूल्य और उस पर लगने वाला आयात कर तथा उन्हें सम्भालने जैसी मदों का खर्च भी शामिल है। यह स्वीडन द्वारा 7.5 करोड़ स्वीडिश कोनर्स अथवा 14 करोड़ रुपये की नकद सहायता से सम्भव हो पाया है। 20 जनवरी 1980 को हस्ताक्षरित एक भारत-स्वीडन समझौते के अनुसार 5 वर्षों की अवधि, अर्थात 1979-84 में 20,000 मीट्रिक टन कागज आयात किया जाना है। 1979-81 की आवश्यकताओं के लिए 3,200 मीट्रिक टन कागज राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात किया गया और इसे फरवरी 1982 तक बन्दरगाहों से राज्यों के भण्डारों तक पहुंचाया गया। वर्ष 1981-82 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 4,000 मीट्रिक टन कागज आयात करने के लिए भी कार्रवाई आरम्भ की गई ताकि माल वित्तीय वर्ष के अन्त तक जहाजों में लाद दिया जाएगा।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के लिए अनुदान

प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बना कर शीघ्र बाल शिक्षा का एक सन्तुलित कार्यक्रम छठी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। कार्यक्रम में, वंचित वर्गों के 3-6 आयु-वर्ग के बच्चों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों के सहायक के रूप में परिकल्पित पूर्व स्कूलों का उद्देश्य स्कूल न जाने वाली लड़कियों को स्कूल में दाखिल करना है ताकि इस प्रकार गैर-दाखिल और बीच में ही अध्ययन छोड़ देने के कारणों में से एक कारण दूर हो जाएगा। यद्यपि एक करोड़ रुपये के योजनागत परिव्यय के साथ एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना, के अन्तर्गत छठी योजना के दौरान राज्यों को पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रमों को एक सार्थक ढंग से कार्यान्वित करने की सिफारिश की गई है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त शिशु शिक्षा कार्यक्रम के कुछ निवेश के लिए यूनिसेफ से भी सहायता प्राप्त होगी जिनके बारे में ब्यौरे आगे दिए गए हैं।

यूनिसेफ की सहायता से प्राथमिक पाठ्यचर्या सुधार परियोजनाएं

प्रारम्भिक शिक्षा की कोटि में सुधार के लिए मुख्य रूप से राज्य क्षेत्र में बल दिया गया है। केन्द्र द्वारा की गई पहल से, स्कूली पाठ्यचर्या में सुधार करने के लिए कुछ नई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इस प्रकार की परियोजनाओं के अन्तर्गत ऐसे प्रासंगिक, रुचिकर और उपयोगी पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए विकेन्द्रित आधार पर प्रयास किए जा रहे हैं जो व्यापक राष्ट्रीय ढांचे के अन्दर देश के भिन्न-भिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी। इन कार्यक्रमों के लिए यूनिसेफ द्वारा सहायता दी जा रही है और इन्हें राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

1981-1983 अवधि के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में यूनिसेफ सहायता के लिए एक मास्टर (वृहद) योजना तैयार की गई थी, जिसमें पहले से चल रही परियोजनाओं को जारी रखा जाएगा और कुछ नई परियोजनाएं भी आरम्भ की जाएंगी । ये परियोजनाएं हैं : (1) पोषण/स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरण स्वच्छता (औपचारिक/चालू), (2) प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या का नवीकरण (औपचारिक/चालू), (3) सामुदायिक शिक्षा में विकासात्मक कार्यकलाप और सहयोग (गैर–औपचारिक चालू), (4) प्राथमिक शिक्षा के प्रति व्यापक पहुंच, (गैर-औपचारिक/नई परियोजना), (5) शिशु शिक्षा (गैर-औपचारिक/नई परियोजना)। ये सभी परियोजनाएं कार्यान्वियन अथवा प्रयोगात्मक स्तर पर हैं। इनके लिए केन्द्र स्तर पर कार्यान्वियन एजेंसी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण प्रशिषद् हैं और राज्य स्तर पर कार्यान्वियन एजेंसी राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद/राज्य शिक्षा संस्थान हैं।

पोषण/स्वास्थ्य शिक्षा तथा पर्यावरण स्वच्छता

प्रायोगिक परियोजना के रूप में सन् 1975 में बड़ौदा, कलकत्ता, कोयम्बटूर, जबलपुर और लुधियाना में स्थित पांच क्षेत्रीय केन्द्रों में आरम्भ की गई परियोजना का, जो 1981-82 के दौरान प्रयोगात्मक चरण में थी, 14 अतिरिक्त राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विस्तार किया जा रहा है । उन राज्यों में से जिन्हें इस परियोजना में भाग के लिए आमन्त्रित किया गया था, दस राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने जनवरी, 1982 तक सहमति प्राप्त हो गयी थी । ये राज्य हैं : आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश । शेष राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से सहमति की प्रतीक्षा थी। विभिन्न क्षेत्रों की उद्देश्यपरक परिस्थितियों के अनुसार प्राथमिक स्तर के लिए पोषण, स्वास्थ्य तथा सफाई संबंधी आदतों के संबंध में पाठ्यचर्या सामग्री तैयार कर ली गई है और तैयार भी की जा रही है। परियोजना में, सामग्री का परीक्षण, तथा ऐसी पाठ्यचर्या को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए अध्यापकों, शिक्षक प्रशिक्षकों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण शामिल है।

प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण

इस परियोजना को प्रत्येक राज्य के 30 प्राथमिक स्कूलों के हिसाब से 15 राज्यों में सन् 1975 से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण नामक इस परियोजना का उद्देश्य औपचारिक प्राथमिक पाठ्यचर्या को बच्चों की जीवन पद्धतियों और इन स्कूलों वाले क्षेत्रों में विद्यमान सामाजार्थिक अवसरों के अनुसार गुणात्मक समायोजन करना है। मास्टर योजना की अवधि के दौरान, इस परियोजना को वर्तमान 15 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 100 और स्कूलों में शुरू किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, इस परियोजना का अन्य 15 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रयोगात्मक आधार पर विस्तार किया जा रहा है । इस योजना का उद्देश्य किसी राज्य में जितनी भी भिन्नताएं है उनके अनुसार प्रतिनिधिक प्रयोगात्मक क्षेत्रों का पता लगाने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण करना, नवीन विकेन्द्रीकृत पाठ्यचर्या और शिक्षण सामग्री का विकास करना और अध्यापकों, शिक्षक–प्रशिक्षकों तथा प्रशासकों को प्रशिक्षित करना शामिल है । विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में तैयार की गई विकेन्द्रीकृत पाठ्यचर्या का, औपचारिक पद्धति के अन्तर्गत प्राप्त की जाने वाली ग्रेडवार न्यूनतम दक्षता दर्शाते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विकसित न्यूनतम अध्ययन सातत्यक के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना है।

परियोजना की उपयोगिता के संबंध में आशा की कुछ किरण पहले ही नजर आ गई है । परियोजना स्कूलों में नामांकन और स्थिति में वृद्धि हुई है ; उदाहरणार्थ राजस्थान और मिजोरम में । परीक्षणों के माध्यम से प्राप्त प्रामाणिक परिणामों के आधार पर, थोड़े से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने, जैसे कि महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडु और उड़ीसा ने परियोजना स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूलों में पाठ्यचर्या अथवा पाठ्य-विवरण अथवा न्यूनतम अध्ययन सातत्यक लागू करने का निर्णय ले लिया है।

सामुदायिक शिक्षा तथा सहभागिता में विकासात्मक कार्यकलाप

प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण परियोजना के साथ-साथ कार्यान्वित, सामुदायिक शिक्षा में विकासात्मक कार्यकलाप और सहभागिता को सन् 1976 में आरम्भ

किया गया था । वर्ष 1980 तक 15 राज्यों में प्रयोगात्मक चरण चल रहा था, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य दो केन्द्र चला रहा था । परियोजना का उद्देश्य, विभिन्न लक्षित वर्गों विशेष रूप से स्कूल से बाहर के बच्चों और प्रौढ़ों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का विकास करना है । चालू मास्टर योजना अवधि के दौरान, समुदायिक केन्द्रों की संख्या 102 तक बढ़ाई जा रही है । इसके अन्तर्गत मुख्य जोर शैक्षिक कार्यकलापों में परियोजना क्षेत्रों के सभी लोगों को शामिल करने पर है।

प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच

प्राथमिक शिक्षा तक व्यापक पहुंच नामक परियोजना पाठ्यचर्या को स्कूल न जाने वाले बच्चों की आवश्यकताओं और जीवन परिस्थितियों के अनुसार विकेन्द्रीकृत करने के उद्देश्य से 31 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में से 29 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में आरम्भ की गई है। इस परियोजना के अधीन, प्रारम्भिक शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के एक अनिवार्य अंग के रूप में अभ्यास शिक्षण जैसी प्रशिक्षण सह-उत्पादन प्रणाली को लागू करके प्रासंगिकता–आधारित अध्यापन सामग्री तैयार की जा रही है। इस प्रकार जो सामग्री तैयार होगी उसे परिष्कृत करने के पश्चात, गैर-औपचारिक शिक्षण केन्द्रों में उपयोग में लाया जाएगा । यह परियोजना, राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा संस्थानों/राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों और जिला व खंड स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं तथा सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से क्षेत्रस्तरीय शिक्षण केन्द्रों को केन्द्र में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् से जोड़ती हुई संसाधन केन्द्रों की एक कड़ी के रूप में कार्यान्वित की जा रही है । इस अवधि के दौरान, इस परियोजना पर किए गए काम में अध्ययन प्रसंग तैयार करने और उनके छानबीन संबंधी प्रणाली विज्ञान में प्रशिक्षण, अनस्थापन पाठ्यक्रम शामिल हैं। इस अवधि के दौरान, 1068 टीम सदस्यों, शिक्षक-प्रशिक्षकों और सेवारत शिक्षकों को शामिल किया गया । इसके अतिरिक्त, 800 शिक्षा अधिकारियों और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों के 334 प्रिंसिपलों को आयोजना, प्रबंध तथा प्रशासनिक पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया । अन्य कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं — 11 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यचर्या में प्रशिक्षण-सह-उत्पादन प्रणाली लागू करना तथा 1600 अध्ययन प्रसंगों का विकास करना शामिल है, जिनमें से 300 पर प्रकाशन के लिए कार्रवाई और जांच की गई ।

शिशु शिक्षा

वर्तमान मास्टर योजना अवधि के दौरान यूनिसेफ की सहायता से शिशु शिक्षा परियोजना में दो घटक शामिल हैं, अर्थात् राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली में बाल माध्यम प्रयोगशाला की पिछली परियोजना के अन्तर्गत कार्यकलापों को जारी रखना और 11 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रयोगात्मक शिशु शिक्षा परियोजना आरम्भ करना । पहले भाग के अन्तर्गत पूर्व-स्कूल आयु-वर्ग के बच्चों के लिए खेल सामग्री, चित्र पुस्तकें और रेखाचित्र तथा आकाशवाणी और दृश्य-श्रव्य सामग्री तैयार की जाती है । दूसरे भाग का उद्देश्य है : पूर्व-स्कूल प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नई क्षमता का विकास करना, अनुसंधान तथा विकासशील कार्यकलापों का विस्तार, और माडल पूर्व-स्कूल केन्द्रों का विकास ।

इस अवधि के दौरान सी० आर० यू० के कार्यकलापों में शामिल था : 4 राज्यों में कम लागत की खेल सामग्री और खेलों का सर्वेक्षण, 2 राज्यों में खेल सामग्री की शिक्षक संहिताओं का प्रकाशन, रंग और फॉर्म के संबंध में 10 पुस्तकों का विकास, दो फॉर्म पुस्तकों का मुद्रण, बच्चों के खेलों के संबंध में एक पुस्तक, संख्या संबंधी निपुणता तथा स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान की अच्छी बातों का प्रसार करने के लिए तैयार किए दो बोर्ड खेल तथा वस्तुओं की पांच श्रेणियों वाले 40 ताशों का एक सेट । इसके अतिरिक्त, श्रव्य कार्यक्रमों के 38 प्रोटोटाईप, 10 हिन्दी में तथा उड़िया, बंगला, कन्नड और पंजाबी में सात-सात तैयार किए गए, श्रव्य कार्यक्रमों के प्रशिक्षकों और निर्माताओं के लिए एक सेमिनार आयोजित किया गया तथा "वाटर प्ले" और "लिटिल फिंगर्स" के संबंध में दो स्लाईड-एवं-टेप कार्यक्रम तैयार किए गए । 11 राज्यों में

से, जिन्हें इस प्रयोगात्मक परियोजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, पांच राज्यों अर्थात् बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान से जनवरी 1982 तक सहमति प्राप्त हो गई थी । शेष राज्यों से सहमति की प्रतीक्षा थी ।

विकलांगों को समेकित शिक्षा

अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष 1981 के परिणामस्वरूप विकलांग बच्चों को शैक्षिक पद्धति के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता के संबंध में नई जागरूकता उत्पन्न हुई है । अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष 1981 के संबंध में राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर गठित, विकलांग बच्चों की शिक्षा से संबंधित कार्यदल ने जनवरी, 1981 के आरंभ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें छठी योजना के दौरान कार्रवाई कार्यक्रम का सुझाव दिया गया है। इसकी मुख्य सिफारिश सामान्य बच्चों के लिए नियमित स्कूलों में विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना के विस्तार तथा गहन कार्यान्वियन से संबंधित है। इस रिपोर्ट के अनुसरण में यह निर्णय किया गया है कि समाज कल्याण मंत्रालय से स्थानान्तरित होने पर शिक्षा मंत्रालय को 1982-83 के आरम्भ से योजना को कार्यान्वित करना चाहिए । यह केन्द्र प्रायोजित योजना राज्य शिक्षा विभागों के जरिए कार्यान्वित की जाती है जो सामान्य बच्चों के लिए नियमित स्कूलों में शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। यह निर्णय किया गया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् को नियमित स्कूलों में समेकित कक्षाओं के लिए शिक्षक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए नई दिल्ली में अपने मुख्यालय और अपने प्रत्येक क्षेत्रीय शिक्षा कालेज में विशेष सैल स्थापित करने चाहिए ।

स्कूल शिक्षा की 10+2 पद्धति

स्कूली शिक्षा की नई प्रणाली को 15 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों ने पहले ही अपना लिया है । हरियाणा सरकार ने शैक्षिक सत्र 1982-83 से पद्धति को लागू करने का निर्णय किया है । मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 1982-83 से एक चरणबद्ध तरीके से इस नई पद्धति को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है। मेघालय राज्य स्कूली पाठ्यचर्या को संशोधित करने के लिए कार्रवाई कर रहा है और कुछ प्रशासनिक तथा कानूनी समस्याएं दूर हो जाने पर नई पद्धति को शीघ्र ही लागू करेगा । वर्ष 1983 से चरणों में नई पाठ्यचर्या लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयारी कर रही है। संघ शासित क्षेत्र मिजोरम के सभी प्राथमिक स्कूल शैक्षिक सत्र 1982 से नई पाठ्यचर्या अपना लेंगे । हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान राज्यों ने भी इस नई पद्धति को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है, परन्तु उन्हें इसे अपनाने की तारीख अभी निर्धारित करनी है। 2 जून, 1981 को हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया है कि उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जिन्होंने यह नई पद्धति नहीं अपनाई है, अविलम्ब इस पद्धति को अपना लेना चाहिए ।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा दिल्ली, गोआ, दमन और दीव व पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्रों ने अभी तक स्कूली शिक्षा की 10+2 पद्धति के +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ किए हैं। 2 जून, 1981 को नई दिल्ली में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने नोट किया कि थोड़े से ही राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों ने +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरम्भ किए हैं। +2 स्तर पर शिक्षा के व्यावसायीकरण के अभाव में, नई पद्धति का अपनाया जाना, शिक्षा में वांछित सुधार लाने में प्रभावी नहीं होगा । अतः, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को +2 स्तर पर शीघ्रता से व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने चाहिएं । सर्वेक्षणों के आयोजन, पाठ्यक्रम तैयार करने, पाठ्यक्रम आरंभ करने, संस्थाएं खोलने आदि के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाएगा ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ:—केन्द्रीय क्षेत्र में चल रहे शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम ने वर्ष 1982 में "इन्सैट" के अन्तर्गत उपलब्ध की जाने वाली सुविधाओं के संदर्भ में

काफी महत्व प्राप्त कर लिया है। यह कार्यक्रम, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् में एक शैक्षिक प्रौद्योगिक केन्द्र द्वारा तथा राज्यों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी सैलों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अब तक त्रिपुरा राज्य को छोड़कर 21 राज्यों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। इस वर्ष दस शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। शेष प्रकोष्ठ अब राज्य सरकारों की सहायता से काम कर रहे हैं।

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए आयोजित किए गए हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन प्रसारण कार्यक्रमों के लिए वार्तालेखकों के प्रशिक्षण के लिए कई कार्यशालाए शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठों द्वारा आयोजित की गई हैं। प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों के छात्रों के लिए दूरदर्शन पाठ दूरदर्शन पर दिखाए गए हैं। केवल महाराष्ट्र राज्य में ही लगभग 4,00,000 छात्र इन कार्यक्रमों का लाभ उठा रहे हैं। यूनिसेफ द्वारा असम तथा तमिलनाडु राज्यों के प्राथमिक/मिडिल स्कूलों में क्रमशः 2500 रेडियो सेट तथा 4,208 ट्रान्सिमटर सप्लाई किए गए हैं। तमिलनाडु तथा मणिपुर में राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों के निर्माण के लिए वीडियो सुविधाएं तथा ध्वनि स्टुडियो स्थापित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

"**इन्सैट**": 1982 के आरम्भ में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह की उपलब्धता से प्रसारण संबंधी सुविधाओं का जबरदस्त विस्तार होगा, जिसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए देश के सभी भागों तक पहुँचना तकनीकी रूप से सम्भव हो सकेगा। तथापि, आरम्भ में "इन्सैट" सुविधाओं का उपयोग छः राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार गुजरात, महाराष्ट्र उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इस संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण की जिम्मेदारी लेने का निर्णय किया है। इस उद्देश्य के लिए, चरणबद्ध तरीके से छः राज्यों में निर्माण केन्द्र स्थापित करने तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र को केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। निर्माण केन्द्र, शिक्षा के सभी स्तरों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे तथा शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रमुख प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखेंगे।

भारत सरकार "इन्सैट" परियोजना को बहुत अधिक महत्व देती है क्योंकि इन सुविधाओं का उपयोग आर्थिक तथा सामाजिक विकास में एक सहायता के रूप में किया जाएगा और इससे बहुत बड़ी जनसंख्या, विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लोगों को लाभ पहुंचेगा। छठी योजना की अवधि के लिए 11.59 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

"इन्सैट" परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए यू० एन० डी० पी० प्रामाण कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता मांगी गई है। परियोजना के लिए 20 लाख अमरीकी डालर की सहायता यू० एन० डी० पी० के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने देश में स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए अनेक अनुसंधान, विकास, विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यकलाप आरम्भ किए। इन कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई है :—

प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना

इस संबंध में मुख्य प्रयत्न कार्यप्रणाली तैयार करने की दिशा में किए गए हैं, जिससे प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के संवैधानिक निदेश को प्राप्त करने में कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने में मदद मिल सकती है।

प्राथमिक शिक्षा के लिए व्यापक पहुंच, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यचर्या नवीकरण, सामुदायिक शिक्षा तथा गैर-औपचारिक शिक्षा की चल रही परियोजनाओं को और

अधिक सुदृढ़ किया गया और पिछले अनुभव के आधार पर और अधिक कारगर बनाया गया । स्कूल से बाहर के बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत, एक व माध्यम पैकेज, शिक्षण सामग्री के लेखकों और मूल्यांकों के लिए मार्गदर्शी रूप-रेखाओं और जन-जातीय बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री तैयार की गई है। क्षेत्रीय एककों तथा क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों द्वारा चलाए जा रहे अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का स्थिति अध्ययन चल रहा है ।

पर्यावरण संबंधी शिक्षा :—पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए परिषद् के विभिन्न घटकों द्वारा पाठ विषयक व अन्य पूरक पठन सामग्री तैयार की गई हैं । वातावरण के जरिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए स्कूल अध्यापकों और शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया ।

राष्ट्रीय एकता :—देश के विभिन्न स्थानों पर छात्रों और अध्यापकों के लिए कई राष्ट्रीय एकता शिविर तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए । बाल भवन, नई दिल्ली में एक अन्तर्राज्यीय छात्र अध्यापक शिविर आयोजित किया गया ।

महिला शिक्षा :—शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन के संबंध में एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है । भारत में महिला शिक्षा के संबंध में एक सूचना गाइड भी तैयार की जा रही है । बालिकाओं की शिक्षा के लिए उपचारी कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय प्रतिभा-खोज योजना :—लगभग 84,000 छात्रों ने इस वर्ष राष्ट्रीय प्रतिभा-खोज परीक्षा दी । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्रों के लिए 50 अतिरिक्त छात्रवृत्तियां प्रारंभ की गई हैं । इस प्रकार छात्रवृत्तियों की कुल संख्या बढ़कर 550 हो गई है ।

विज्ञान प्रदर्शनी :—बच्चों के लिए ग्यारहवीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी 18 से 25 नवम्बर, 1981 तक बंगलौर में आयोजित की गई । 22 राज्यों, संघ शासित तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लगभग 200 पुरस्कार प्राप्त प्रदर्श प्रदर्शित किए गए और इसमें 400 से अधिक छात्रों तथा अध्यापकों ने भाग लिया ।

शिक्षा का व्यावसायीकरण तथा एस० यू० पी० डब्ल्यू०

शिक्षा के व्यावसायीकरण तथा सामाजिक उपयोगी उत्पादक कार्य (एस० यू० पी० डब्ल्यू०) से संबंधित कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के प्रयास जारी हैं तथा कुछ राज्यों को इस संबंध में सहायता प्रदान की गई ।

खिलौना निर्माण प्रतियोगिता :—पूर्व स्कूल तथा प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के लिए बेकार सामग्री से खिलौने बनाने की राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई ।

शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन :—मार्गदर्शन में अनुस्थापन तथा परामर्श इस कार्यक्रम का प्रमुख अंग है जिसके लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् मार्गदर्शन प्रयोगशाला की उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया गया । परिषद् ने शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन में एक-वर्षीय डिप्लोमा जारी रखा ।

परीक्षा सुधार :—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए कार्यकलापों में, अध्ययन राज्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर अध्ययन जांच तथा विस्तार कार्यक्रम वैचारित साहित्य तथा नमूना मूल्यांकन सामग्री का विकास तथा विभिन्न एजेंसियों और संस्थाओं के लिए परामर्शी सेवाओं की व्यवस्था शामिल है ।

अध्यापन साधन सामग्री तथा किटें :— परिषद् ने कम कीमत की अध्यापन सामग्री, विज्ञान किटें, उपस्कर तथा विज्ञान प्रदर्शनियों के लिए वस्तुओं को तैयार करने के अपने प्रयासों को और अधिक तेज किया । इलेक्ट्रानिक किटों का भी विकास किया जा रहा है ।

अध्यापक शिक्षा :—अध्यापक शिक्षा की कोटि को प्रोन्नत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (रा० अ० शि० परि०) द्वारा विकसित पाठ्यचर्या प्रणाली को अपनाने को प्रोत्साहित करने के सतत रूप से प्रयास किये गए । अध्यापक शिक्षा विभाग ने गढ़वाल तथा कुमाऊं विश्वविद्यालयों में बी० एड० पाठ्यचर्या में संशोधन के लिए कार्यशालाएं आयोजित कीं ।

तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय में तथा गुजरात और उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा स्तर पर गहन अध्यापक शिक्षा विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ।

तमिलनाडु में प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यचर्या का विकास किया गया है । विशेषकर जनजातीय संस्कृति तथा इसकी शैक्षिक समस्याओं को समझने पर विशेष बल देते हुए इसका उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय के लिए विकास किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर अध्यापक प्रशिक्षार्थियों के लिए कई पाठ्यपुस्तकों का विकास किया जा रहा है ।

पत्रिकाएं :—"दि प्राईमरी टीचर", "प्राईमरी शिक्षक," "इंडियन एजुकेशनल रिव्यू", "दि जर्नल आफ इन्डियन एजुकेशन" और "स्कूल साईंस" नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन जारी रहा और इनकी कोटि में सुधार किया गया ।

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज (क्षे० शि० का०) :—अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर स्थित चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में अध्यापक शिक्षा के लिए नए-नए कार्यक्रमों पर कार्य करना जारी रखा । सामुदायिक शिक्षा में प्रशिक्षण तथा एस० यू० पी० डब्ल्यू० का आयोजन, इन पाठ्यक्रमों की मुख्य विशेषता है । अजमेर, भोपाल तथा भुवनेश्वर क्षेत्रीय कालेजों में चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम उनकी वैचारिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए पुनः शुरू किए गए हैं ।

क्षेत्रीय एकक :—परिषद् के क्षेत्रीय एककों ने रा० शै० अनु० तथा प्र० परि० तथा राज्य शिक्षा विभागों के बीच सक्रिय तथा उपयोगी सम्पर्क बनाए रखा तथा राज्यों में उनके कार्यान्वियन के संबंध में परिषद् के कार्यक्रमों के लिए पृष्ठ-भूमि संबंधी सहायता प्रदान की ।

स्कूल पाठ्य पुस्तकों को समीक्षा

राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में निर्धारित/सिफारिश की गई स्कूली पाठ्यपुस्तकों की तुरन्त समीक्षा करने का निर्णय किया गया है । शुरू में, इतिहास तथा भाषाओं की पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन किया जाएगा । अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों की इसी प्रकार की समीक्षा अगले चरण में की जाएगी । कार्यक्रम को समयबद्ध आधार पर शुरू किया जा रहा है और जहां भी आवश्यक होगा, 1982-83 के शैक्षणिक सत्र में संशोधित पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करने का प्रयास है ।

इसमें सम्मिलित कार्य की विशालता को देखते हुए, कार्यक्रम को विकेन्द्रीकृत आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है । राष्ट्रीय शैक्षिक अध्ययन तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा साधन तथा मार्गदर्शी रूप रेखाएं तैयार की गई हैं जिनके आधार पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के द्वारा मूल्यांकन कार्य शुरू किया गया है । इन साधनों तथा मार्गदर्शी रूपरेखाओं की जांच इस प्रयोजन के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा

की गई थीं तथा सितम्बर, 1981 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा आयोजित कार्यशाला में इसे अन्तिम रूप दिया गया था । 18 राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया और मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विस्तृत रूप में स्पष्ट किया गया । साधनों तथा मार्गदर्शी रूपरेखाओं को अनुमोदित किया गया और राज्य सरकारों को भेजा गया ।

जून, 1981 में हुए राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय किया गया कि समीक्षा को समयबद्ध आधार पर किया जाना चाहिए ताकि 1982-83 के शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पूर्व पाठ्य-पुस्तकों में आवश्यक शुद्धियां की जा सकें और यह भी निर्णय किया कि इस बात की समुचित सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए कि भविष्य में पाठ्य-पुस्तकों को निर्धारित करते समय ऐसी समीक्षा की जा सके । राष्ट्रीय एकता परिषद् की शिक्षा समिति ने भी कार्यक्रम के महत्व पर बल दिया है ।

शिक्षा सचिव तथा शिक्षा मंत्री ने भी इस कार्यक्रम के महत्व पर बल देते हुए तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि इसे प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए, राज्य सरकारों को पत्र लिखे हैं ।

इस प्रयोजन हेतु तथा मूल्यांकन कार्य करने के लिए एजेन्सियों का निर्धारण करने के वास्ते राज्य सरकारों को पुनरीक्षण समितियां स्थापित करने की सलाह दी गई है। पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्य सरकारों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा दादरा एवं नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र के अतिरिक्त सभी राज्य सरकारों ने स्कूली पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए पुनरीक्षण समितियां गठित की हैं । चण्डीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप तथा अरुणाचल प्रदेश के संघ शासित क्षेत्र अपने पड़ोसी राज्यों की पाठ्यपुस्तकों को अपना रहे हैं और इस प्रकार अलग पुनरीक्षण समिति स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है ।

राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यांकन हेतु एक राष्ट्रीय संचालन समिति गठित की है, जो अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्टों की जांच करेगी तथा इस कार्यक्रम में उनकी सहायता करेगी ।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

आलोच्य वर्ष के दौरान बोर्ड ने 10+2 योजना के अन्तर्गत चार वार्षिक तथा चार पूरक परीक्षाएं आयोजित कीं । दिल्ली तथा अखिल भारतीय योजनाओं के अन्तर्गत माध्यमिक तथा सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाएं मार्च/अप्रैल, 1981 में आयोजित की गई ।

पाठ्यचर्या विकास तथा पुनःसंरचना :—पाठ्यचर्या विकास तथा नवीकरण कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में, माध्यमिक तथा सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट स्तरों पर प्रचलित पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रमों का बोर्ड की पाठ्यक्रमों समिति में 1985 तक की परीक्षाओं के लिए पुनरीक्षण किया है । इन परीक्षाओं के लिए पाठ्यचर्याओं तथा पाठ्यक्रमों को समय पर प्रकाशित किया गया तथा स्कूलों को भेज दिया गया ।

माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्तरों पर अध्ययनों की विद्यमान योजनाओं की व्यापक जांच करने तथा 1980 की परीक्षाओं के संबंध में समुचित उपाय सुझाने के लिए बोर्ड में पाठ्यचर्या विशेषज्ञों तथा शिक्षाविदों का एक विशेष कार्यदल गठित किया। कार्यदल ने गणित तथा विज्ञान में केवल एक स्तरीय पाठ्यक्रम का सुझाव दिया है जो सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होना चाहिए । होनहार छात्रों के लिए इसने अतिरिक्त माडयलों की सिफारिश की । कार्यदल ने सामाजिक उपयोग उत्पादक कार्य (एस० यू० पी० डब्ल्यू०) के महत्वों को भी दोहराया लेकिन नियमित स्कूल घंटों के दौरान कम पीरियडों के साथ ।

नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम : 10+2 पद्धति लागू होने से बोर्ड ने +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की है । इसका उद्देश्य छात्रों को ऐसी अनिवार्य तकनीकी तथा उद्यमशील निपुणताओं से सुसज्जित करना है जिससे उन्हें अपने कार्य-क्षेत्र तथा आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल सके ।

कृषि, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य तथा प्रबंध, गृह विज्ञान आदि से संबंधित पाठ्यक्रमों की अध्ययन योजना में व्यवस्था की गई जिसे छात्र या तो स्वतंत्र रूप से अथवा अन्य शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के साथ चुन सकते हैं । छात्रों के हितों तथा योग्यताओं तथा साथ ही देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है । इस वर्ष बोर्ड ने दो और नए पाठ्यक्रम, अर्थात् (i) हैल्थ केयर तथा ब्यूटी कल्चर तथा (ii) आप्टीकल टेकनिशियन पाठ्यक्रम भी शामिल किए हैं ।

नई पाठ्यपुस्तकें : वर्ष 1981-82 के शैक्षणिक सत्र से बोर्ड ने कक्षा IX के लिए अंग्रेजी पाठ्यक्रम 'क' तथा अंग्रेजी पाठ्यक्रम 'ख' के लिए नई पाठ्य-पुस्तकें लागू की हैं । बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम 'क' की पुस्तकें सी० आई० एम० एफ० एल०, हैदराबाद के सहयोग से तैयार की है जबकि पाठ्यक्रम 'ख' की पुस्तकें रा० शै० अनु० तथा प्रशि० परि० के सहयोग से तैयार की गई । वर्ष 1983 की कक्षा X के पाठ्यक्रम 'क' की पाठ्यपुस्तकों को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रेस को भेज दिया गया है ।

नमूना प्रश्न पत्र तथा अंक देने की योजनाएं :

बोर्ड ने माध्यमिक तथा सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाओं के लिए नमूना प्रश्न पत्रों तथा अंक देने की योजनाओं से संबंधित तीन प्रकाशन निकाले हैं । अंक देने की योजना उन प्रश्नों पर आधारित है जो पिछले तीन वर्षों में बोर्ड की परीक्षाओं में आए थे ।

नवीन योजनाएं : विज्ञान तथा गणित शिक्षा सुधार कार्यक्रमों में के० मा० शि० बो० तथा ब्रिटिश परिषद् का सहयोग :

बोर्ड ने ब्रिटिश परिषद् के सहयोग से विज्ञान तथा गणित में दो-दो के हिसाब से चार कार्यशालाएं आयोजित की । यू० के० में प्रशिक्षित वरिष्ठ भारतीय अध्यापकों ने देश के विभिन्न भागों के अपने साथियों को सीखने के लिए अवसर प्रदान करने में अपने अंग्रेजी अध्यापकों के साथ मिलकर कार्य किया । दूसरे शब्दों में, बोर्ड पाठ्यचर्या से संबंधित इन दोनों क्षेत्रों में नवीन पद्धति तथा नव परिवर्तनों का अध्ययन किया गया ।

पहली विज्ञान शिक्षा कार्यशाला 24 अगस्त से 2 सितम्बर, 1981 तक केन्द्रीय परमाणु ऊर्जा स्कूल, नरौरा, उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई । भौतिक, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान में सीनियर माध्यमिक कक्षाओं के कुल मिलाकर 43 अध्यापकों ने इस 10 दिन की कार्यशाला में भाग लिया । तीन विशेषज्ञों ने, भारतीय संसाधन व्यक्तियों के सहयोग से, जिन्हें यू० के० में प्रशिक्षित किया गया था, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की । दूसरी कार्यशाला, बसन्त अरुणडाले सीनियर माध्यमिक स्कूल, कलाक्षेत्र, मद्रास में आयोजित की गई । इस दस दिन की कार्यशाला में भौतिकी के 17 विज्ञान अध्यापकों ने भाग लिया । प्रत्येक कार्यशाला की समाप्ति पर एक रिपोर्ट भी तैयार की गई थी और भाग लेने वालों के बीच वितरित की गई ।

पांच-पांच दिन की अवधि की दो 'कामेट' गणित कार्यशालाएं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, रानीपुर, उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त से 4 सितम्बर, 1981 तक तथा टी०वी०एस० लक्ष्मी उच्चतर माध्यमिक स्कूल, मदुरै में 7 से 11 सितम्बर, 1981 तक आयोजित की गई रानीपुर, कार्यशाला में 32 प्रिंसिपलों तथा गणित के सीनियर स्कूल अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया जबकि मदुरै कार्यशाला में भाग लेने वालों की संख्या 30 थी दो ब्रिटिश विशेषज्ञ भी इन कार्यशालाओं से सम्बद्ध थे ।

खुला स्कूल : एक नया कार्य : पहली खुला स्कूल परीक्षा 1983 में आयोजित की जाएगी। सारे देश से कुल 1500 छात्रों को पंजीकृत किया गया है। नामांकित छात्रों में से लगभग 50 प्रतिशत छात्र ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों से हैं। खुली स्कूल प्रणाली में निचले स्तर के कर्मचारियों तथा इस नवीन योजना का वस्तुतः लाभप्रद करने वालों के साथ संपर्क स्थापित करने में बहु–माध्यम दृष्टिकोण का पूरा उपयोग किया गया है।

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन की स्थापना सन् 1960 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 21, के अंतर्गत 1961 में पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। इस प्रशासन का उद्देश्य भारत में तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों की शिक्षा के लिए संस्थाओं का संचालन, उनका प्रबन्ध तथा उनकी सहायता करना है। प्रशासन के कार्य का प्रबंध एक शासी निकाय द्वारा किया जाता है।

प्रशासन, डलहौजी, दार्जिलिंग, मसूरी और शिमला में आवासीय स्कूल और बिलाकुप्पे, कोलेगल, खरापत्थर, निरिक, चौकुर, चनगिरि, ढोलंजी, बूम गोंधा, गांव, मियाओं, गुरुपुरा, कालिम्पोंग, कुमिग्राम, मैनपत, मुंडगोड, सानोडा, तेनसिंह गांव और तेजु में दिन के स्कूल चला रहा है। तिब्बतियों के आठ संगठनों द्वारा संचालित संस्थाओं को प्रशासन द्वारा सहायक अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की गई।

प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अथवा सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों की कुल संख्या 11,340 थी जिनमें से 1,692 छात्रावास में रहते थे और 9,648 भारत में पैदा हुए तिब्बती बच्चे हैं, जिन्हें शासी निकाय द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार भोजन तथा आवास के रूप में 115/– रु० प्रतिमास की अदायगी के आधार पर छात्रावास में दाखिल किया गया है। आवासीय स्कूलों में आवास तथा भोजन के अतिरिक्त, उन अनाथ बच्चों को जो भारत में शरणार्थी के रूप में आए थे, दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं और चिकित्सा संबंधी सुविधाएं भी निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। दिवा-स्कूलों में अध्ययन कर रहे बच्चों सहित सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन, पाठ्य-पुस्तकें और लेखन-सामग्री भी निःशुल्क प्रदान की जाती है। प्रशासन में 450 कर्मचारी हैं। जिनमें 350 अध्यापक शामिल हैं।

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल, एक समान माध्यम, पाठ्यचर्या और पाठ्य-पुस्तकों द्वारा शिक्षा प्रदान करते हैं। कक्षा IX इससे ऊपर की कक्षाओं वाले स्कूल केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं और छात्रों को अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल परीक्षा तथा अखिल भारतीय सीनियर स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। कक्षा VII तक वही पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-पुस्तकें हैं जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई हैं। अंग्रेजी के अलावा, छात्रों को हिन्दी तथा तिब्बती भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 1981 में आयोजित माध्यमिक स्कूल परीक्षा में तिब्बती स्कूलों के परिणाम 81.7 प्रतिशत तथा अखिल भारतीय सीनियर स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा के परिणाम 73.7 प्रतिशत रहे।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

रक्षा कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों को देशभर में एक समान पाठ्यचर्या और माध्यम वाले माध्यमिक स्कूलों के विस्तार को प्रोत्साहित करने और एक समान शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 1962 में केन्द्रीय स्कूलों की योजना को अनुमोदित किया गया था। इस प्रकार इस योजना के कार्यान्वयन के पहले चरण के रूप में शैक्षिक वर्ष 1963-64 में 20 रेजीमेंटल स्कूलों को नियंत्रण में ले लिया गया और उन्हें "सैन्ट्रल स्कूल" अथवा केन्द्रीय विद्यालय का नाम दिया गया।

तब से अब तक इन केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और 1981-82 के दौरान इनकी संख्या 366 थी । 30 अप्रैल, 1981 तक इनमें दाखिल कुल छात्रों की संख्या 2,51,848 थी । सभी केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापन और गैर-अध्यापन कर्मचारियों की कुल संख्या 15,478 थी ।

इस समय केन्द्रीय विद्यालय संगठन को अहमदाबाद, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, दिल्ली, गोहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मद्रास और पटना स्थित 11 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है । प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय, उपयुक्त प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ एक सहायक आयुक्त के नियंत्रण में होता है । कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक आयुक्त को शैक्षणिक कार्यों में सहायता करने के लिए एक शिक्षा अधिकारी भी तैनात किया जाता है । शीघ्र ही एक नया क्षेत्र (12वां) खुलने वाला है ।

विभिन्न शैक्षणिक मामलों में संगठन को सलाह देने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन की शासी निकाय की उप-समिति के रूप में एक शैक्षणिक सलाहकार समिति गठित की गई है ।

केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 से XII तक के लिए पाठ्य-पुस्तकें निर्धारित करने के वास्ते शासी निकाय द्वारा एक विशिष्ट नीति अनुमोदित की गई है ।

संगठन, केन्द्रीय विद्यालयों के सभी वर्गों के अध्यापन और पर्यवेक्षण कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करके उनकी व्यावसायिक योग्यता में सुधार करने की दिशा में ठोस रूप से प्रयास करता रहा है । सभी वर्गों के अध्यापकों के लिए सेवाकालीन शिक्षा पाठ्यक्रम देशभर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए । मुख्यालय द्वारा उत्तर-स्नातक अध्यापकों और प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा प्राथमिक अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रमों का आयोजन संबंधित सहायक आयुक्तों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में किया गया । ये कार्य-कलाप के० मा० शि० बो० तथा रा० शै० अनु० तथा प्रशिक्षण परिषद् के सहयोग से किए गए ।

वर्ष 1981-82 के सत्र के दौरान, 450 स्नातकोत्तर अध्यापकों, 648 प्रशि-क्षित स्नातक अध्यापकों तथा 1,400 प्राथमिक अध्यापकों को अपने-अपने विषयों में अध्यापन की अद्यतन तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया । नए नियुक्त किए गए 35 प्रिंसिपलों ने दिल्ली में आयोजित अनुस्थापन कार्यक्रम में भाग लिया ।

केन्द्रीय विद्यालय आदर्श संस्थाओं के रूप में उभरने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं । इस लक्ष्य की दिशा में अनेक शैक्षिक सुधार किए गए हैं, जिनमें शैक्षिक तकनीकों में सुधार से लेकर मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार शामिल है । जहां तक शिक्षण तकनीकों का संबंध है, जिन कार्यक्रमों, पद्धतियों और दृष्टिकोणों को लागू किया गया तथा तेज किया गया वे हैं (i) परियोजना पद्धति, (ii) पर्यावरण शिक्षा, (iii) दृश्य-श्रव्य कार्यक्रम, (iv) सतत मूल्यांकन, (v) सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य और (vi) नैतिक और सामाजिक मूल्य ।

केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा शैक्षणिक कार्यकलापों के अंतर्गत किए गए उत्कृष्ट कार्य हैं :—आजीविका मार्गदर्शन कार्यक्रम, ग्रामीण/सामुदायिक विकास परियोजना, सम्बद्ध स्कूल परियोजना तथा राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम ।

वर्ष 1981-82 से केन्द्रीय विद्यालयों में प्रयोगात्मक आधार पर योग विषय शुरू किया गया है । इसे एक अलग विषय के रूप में सभी सेक्शनों तथा कक्षाओं में स्कूल समय के दौरान पढ़ाया जाता है ।

खेलों तथा खेलकूद कार्यक्रमों, एन०सी०सी०, स्काउटिंग तथा गाइडिंग, पर्वता-रोहण तथा भ्रमण व अन्य इसी प्रकार के कार्यक्रमों के समुचित आयोजन और मूल्यांकन

के लिए संगठन मुख्यालय में एक केन्द्रीय एकक स्थापित करने का निर्णय किया गया है ।

क्षेत्रीय कार्यालयों में निरीक्षण तन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में तीन शिक्षा अधिकारियों (विज्ञान, भाषा तथा मानविकी प्रत्येक के लिए एक एक) तथा एक पुस्तकालयाध्यक्ष-एवं-प्रलेखन विद् तथा आवश्यक अन्य पूरक स्टाफ नियुक्त करने का निर्णय किया गया है । इसी प्रकार संगठन के मुख्यालय को भी समुचित रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है ।

विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों के शीघ्र निरीक्षण को सुकर बनाने की दृष्टि से, चालू सत्र के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को वाहन संबंधी सुविधाएं प्रदान की गई हैं ।

बाल भवन

बाल भवन सोसायटी एक स्वायत्त संगठन है जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत सन् 1956 में पंजीकृत किया गया था और यह पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है । यह, बच्चों को सृजनात्मक मनोरंजनात्मक भौतिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा के अवसर प्रदान करना है जिसमें उनमें ऐसी भावना पैदा होती है जिससे इन्हें वैज्ञानिक प्रवृत्ति के साथ एक आधुनिक भारतीय व्यक्तित्व का विकास करने में मदद मिले ।

वर्ष के दौरान विकलांग बच्चों को भी बाल भवन के कार्यकलापों में शामिल करने के लिए विशेष बल दिया गया । चित्रकला, कोलाज, मृतिका, प्रतिरूपन, हस्तशिल्प, संगीत, विज्ञान कार्यकलाप तथा संग्रहालय तकनीकों जैसे व्यापक क्षेत्र के कार्यकलापों के माध्यम से विकलांग तथा सामान्य बच्चों के बीच सूझबूझ समझने तथा एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक एकता शिविर आयोजित किए गए । देहरादून के नेत्रहीनों के लिए छः दिन का एक शिविर भी आयोजित किया गया । दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों का तथा झुग्गी झोंपड़ियों वाले इलाकों के आर्थिक रूप से पिछड़े तथा असुविधा प्राप्त बच्चों के लिए विद्यमान 13 केन्द्रों की संख्या में सात और बाल केन्द्रों को जोड़ने का प्रस्ताव है ।

5 जुलाई, 1981 को बाल भवन ने अपने 25वें वर्ष में प्रवेश किया । संस्था के संस्थापक पंडित जवाहर लाल नेहरू की स्मृति में गुलाब के पौधे लगाए गए तथा सांस्कृतिक समारोह किए गए । रजत जयंती कार्यकलापों के एक भाग के रूप में विभिन्न बाल केन्द्रों की छः राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव है ।

रा० शै० अनु० तथा प्रशि० परि० के सहयोग से, बाल भवन ने अक्तूबर, 1981 में एक राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया जिसमें 16 राज्यों के बच्चों ने भाग लिया । रंगमंच उत्सव, सृजनात्मक मेला, समूहगान, विज्ञान कार्यकलाप, खेल, समारोह, बच्चों के कार्यों की प्रदर्शनियां, सैर-सपाटा तथा "सृजनात्मकता के माध्यम से एकता" पर एक परिसंवाद शिविर की मुख्य बातें थीं ।

रा० शै० अनु० तथा प्र० परि० के सहयोग से त्रिवेन्द्रम में मई, 1981 में एक सप्ताह के लिए बाल भवनों के अध्यापकों तथा अनुदेशकों के लिए एक एकता शिविर भी आयोजित किया गया । इसमें 11 राज्यों के बाल भवनों के 50 अध्यापकों तथा अनुदेशकों ने भाग लिया ।

5 से 16 नवम्बर, 1981 तक आयोजित राष्ट्रीय बाल असेम्बली से सात राज्यों तथा छः जिलों के बाल भवनों के बच्चों को विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से

समीप आने तथा एक दूसरे को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। बुल्गारिया के तीन अध्यापकों सहित नौ बच्चों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने भी अपने रंगीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा मानवजातीय प्रदर्शनों द्वारा इसमें भाग लिया।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण तथा संसाधन केन्द्र अधिकाधिक संख्या में अध्यापकों तथा प्रौढ़ों की सेवा कर रहा है। वर्ष के दौरान 1200 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए 25 से अधिक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। देश के विभिन्न बाल भवनों को विशेष विशेषज्ञ तथा प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके बाल भवन, नई दिल्ली, संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है।

वर्ष के दौरान लगभग 7000 बाल सदस्यों की संख्या से संस्था की सदस्यता अधिकतम तक पहुंच गई है।

महिलाओं तथा लड़कियों की शिक्षा

शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में लड़कियों के शैक्षिक पिछड़ेपन का सर्वेक्षण शुरू किया गया। इस परियोजना के लिए यूनिसेफ द्वारा सहायता दी जा रही है। लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारण निर्धारित करने के लिए कुछ क्षेत्रों में मामले का गहराई से अध्ययन करने का भी प्रस्ताव है। रा० शै० अनु० तथा प्र० परि० पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं की स्थिति की दृष्टि से उनकी संवीक्षा करने का कार्य जारी रखा। 14 वर्ष से ऊपर के आयु-वर्ग के लिए हिन्दी और उर्दू में एक पूरक रीडर का विकास किया गया जिसमें भारत की महिला लेखकों द्वारा लघु-कहानियां दी गई।

नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा

शिक्षा के मूल्य अनुस्थापन के प्रति बढ़ती हुई चिन्ता के सन्दर्भ में, रा० शै० अनु० तथा प्र० परि० ने कई कार्यक्रमों को शुरू किया। भारतीय राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में नैतिक शिक्षा की विद्यमान स्थिति के अध्ययन को पूरा कर लिया है। मार्च, 1981 में हुए शिक्षा में सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक महत्वों पर एक सेमिनार के लिए रा० शै० अनु० तथा प्र० परिषद ने वित्तीय सहायता प्रदान की। परिषद् द्वारा शिमला में नैतिक शिक्षा पर एक उच्च स्तरीय सेमिनार आयोजित किया गया। नैतिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या का एक मसौदा तैयार करने पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला बंगलौर में आयोजित की गई। स्कूल के विभिन्न स्तरों पर नैतिक शिक्षा की पाठ्यचर्या के विकास के लिए बुनियादी मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार की गई थीं। नैतिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर चर्चा की गई और दिल्ली में हुई एक कार्यदल की बैठक में अंतिम रूप दिया गया।

जनसंख्या शिक्षा

भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 1980 से एक राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को जनसंख्या संबंधी समस्याओं की पर्याप्त जानकारी देना और इस संबंध में राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने में मदद देने के वास्ते जनसंख्या शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करना है। इसे क्रमिक ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। पहले चरण में इसे नौ राज्यों तथा एक संघीय शासित क्षेत्र में शुरू किया गया है। दूसरे चरण में, जो 1 अप्रैल, 1981 से शुरू हुआ, 7 और राज्य (आन्ध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया।

जून, 1981 में हुए राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प पारित किया गया कि इस कार्यक्रम को शेष सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भी कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अपने प्रस्ताव तैयार करने तथा उन्हें अपनी योजनाओं में शामिल करने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय संचालन समिति की दूसरी बैठक जुलाई, 1981 में हुई थी। यह निर्णय किया गया है कि इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालयों तथा स्कूल न जाने वाले बच्चों तथा 15 वर्ष से कम आयु के युवकों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए।

पहले चरण में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की जांच करने के लिए अगस्त, 1981 में प्रगति परियोजना समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। शिक्षा मंत्रालय, रा० शै० अनु० तथा प्र० परि० तथा यू० एन० एफ० पी० ए० के प्रतिनिधियों की एक त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक भी अगस्त, 1981 में हुई। यू० एन० एफ० पी० ए० ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया तथा सहायता के अपने हिस्से को बढ़ाने का निर्णय किया है।

वर्ष 1981-82 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन 150 लाख रु० का है। यद्यपि इस परियोजना के लिए कुल आबंटित राशि 4.26 करोड़ रु० है, तथापि, योजना आयोग, सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है।

ब्रिटिश तकनीकी सहयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण छात्रवृत्तियां

'कामेट' परियोजना के अन्तर्गत, यू० के० में गणित में अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक वर्ष 23 अधिछात्रवृत्तियां उपलब्ध होती हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा 4 राज्यों से चुने गए अध्यापकों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए पहले ही यू० के० भेजा जा चुका है। विज्ञान शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत, अब तक 10 छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं। वर्ष 1981-82 के लिए ब्रिटिश परिषद पांच अतिरिक्त छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है। इस परियोजना को एक अखिल भारतीय परियोजना में बदल दिया गया है और बिहार, उड़ीसा तथा दिल्ली से 15 विज्ञान अध्यापकों को यू० के० प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए भेजा जा चुका है। 'इनमेट' के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण हेतु ब्रिटिश परिषद ने दस अतिरिक्त छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं अंतिम अनुमोदन के लिए ब्रिटिश परिषद को नामों के एक पैनल की सिफारिश की गई है।

अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

वर्ष 1981 के लिए अभी तक 88 अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें से 53 प्राथमिक स्कूल अध्यापक तथा 35 माध्यमिक स्कूल अध्यापक हैं। पुरस्कारों की कुल संख्या 116 है। कुछ और राज्यों से सिफारिशें प्राप्त हुई हैं और उन्हें शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

केन्द्रीय विद्यालयों तथा आवासीय स्कूलों में एन. सी. सी. जूनियर डिवीजन की टुकड़ियां

इस मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एन० सी० सी० जूनियर डिवीजन की टुकड़ियों के अनुरक्षण पर 40 : 60 के अनुपात में व्यय वहन करना जारी रखा। इस प्रयोजन हेतु महानिदेशालय, एन० सी० सी० को 3.50 लाख रुपये की राशि मुक्त की गई है।

रक्षा कार्मिक को शैक्षिक रियायतें

मंत्रालय ने, 1962 के भारत-चीन युद्ध और 1965 तथा 1971 के भारत-पाक युद्धों में मारे गए अथवा स्थायी रूप से विकलांग हुए रक्षा कार्मिकों और अर्ध-सैनिकों के बच्चों को शिक्षा संबंधी रियायतें प्रदान करने की योजना जारी रखी। वर्ष 1980-81 में इस प्रकार की रियायतें 32 छात्रों को प्राप्त हुईं।

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की स्थापना धर्मार्थ निधि अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत 1962 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को सहायता प्रदान करना है। इस प्रतिष्ठान के प्रबंध तथा प्रशासन के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक सामान्य समिति गठित की गई है। राज्य/संघ क्षेत्रीय स्तरों पर इसी प्रकार के कार्य के लिए कार्य समितियां नियुक्त की गई हैं।

प्रतिष्ठान की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए 5 करोड़ रुपय की राशि की एक निधि तैयार करने का निर्णय लिया गया था ताकि कोष से प्राप्त होने वाले ब्याज में से अध्यापक कल्याण योजनाओं के लिए लगातार सहायता प्रदान की जा सके। प्रतिष्ठान की निधि से शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया तदर्थ अनुदान तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दिया गया वार्षिक अंशदान और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा इकट्ठा किए गए धन का 20 प्रतिशत शेष 80 प्रतिशत वे अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अध्यापकों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता के लिए रख लेते हैं। राज्य कार्य समितियों द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 सितम्बर को, जिसे सारे देश में अध्यापक दिवस के रूप में मनाया जाता है, धन इकट्ठा करने के लिए एक अभियान चलाया जाता है।

पिछले वर्षों की तरह, अध्यापक दिवस 5 सितम्बर, 1981 को स्वैच्छिक रूप से चन्दा इकट्ठा किया गया।

अध्याय

3

उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान

उच्च शिक्षा के स्तरों को बनाए रखना और उनका निर्धारण करना संघीय सूची का विषय है और इसका विशेष दायित्व केन्द्रीय सरकार का है। यह उत्तरदायित्व मुख्य रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से निभाया जाता है जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत की गई थी। इस समय सात विश्वविद्यालय संसद के अधिनियमों के अधीन कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार ने विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान संबंधी प्रयासों की प्रोन्नति तथा समन्वय के लिए एजेंसियों की स्थापना की है। इस समय ऐसी तीन राष्ट्रीय एजेंसियां हैं यथा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्। केन्द्रीय सरकार, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में विशेषकर भारत और अन्य देशों के बीच शैक्षिक सहयोग से संबंधित अनेक योजनाएं भी कार्यान्वित करती आ रही है।

उच्च शिक्षा संबंधी केन्द्रीय विधान

1981-82 के दौरान संसद ने दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से संबंधित अधिनियमों में संशोधन पारित किए थे। ये थे :

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1981

विश्वविद्यालय के मौलिक स्वरूप को बनाए रखने की दृष्टि से 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में व्यापक संशोधन किया गया। लम्बे नाम और अधिनियम की प्रस्तावना तथा शब्द 'विश्वविद्यालय' की परिभाषा के विस्तारण संबंधी संशोधनों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अर्थ एक ऐसी शैक्षिक संस्था से है जिसकी स्थापना भारत के मुसलमानों ने अपनी इच्छा से मूल रूप में मोहम्डन एंग्लो-ओरियंटल कालेज के नाम से की थी और जिसे बाद में एक विश्वविद्यालय के रूप में निगमित किया गया। विश्वविद्यालय के धर्मनिर्पेक्ष और राष्ट्रीय स्वरूप को सुनिश्चित करने के लिए संशोधित अधिनियम में प्रावधानों को बनाए रखा गया है। तथापि, इसमें यह व्यवस्था है कि विश्वविद्यालय विशेष रूप से मुसलमानों की शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए कदम उठा सकता है। अधिनियम में विश्वविद्यालय के सर्वोच्च शासन के अधिकार इसकी परिषद को जिसका गठन व्यापक बना दिया गया है, पुनः दे देने की भी व्यवस्था है। कुलाधिपति और सम-कुलाधिपति का चुनाव परिषद द्वारा किया जाएगा और परिषद द्वारा नामों के पेनल की सिफारिश की जाएगी जिसमें से कुलपति की नियुक्ति की जानी है। अवैतनिक खजांची के पद को पुनः बनाया गया है। संशोधित विधान में विभिन्न प्रकार के विचार वाले व्यक्तियों/संगठनों के साथ काफी लम्बे विचार-विमर्श के बाद और इन चर्चाओं के दौरान आम सहमति के आधारों पर प्रावधानों की व्यवस्था की गई।

दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम

संसद ने दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम से संबंधित एक संशोधन पारित किया है जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय देश के बाहर की संस्थाओं को सम्बद्ध कर सकेगा। यह संशोधन महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मित्र देशों को भारत में एक प्रमुख केन्द्रीय विश्वविद्यालय के साथ, अपनी संस्थाओं को औपचारिक रूप से सम्बद्ध करके, शैक्षिक संबंध स्थापित करने का अवसर मिलेगा।

5—920Edu/81

क. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

छठी योजना (1980–85) में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए 280 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई है। विश्वविद्यालय विभागों में इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों के लिए 27.5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था की गई है। 1980–81 के दौरान आयोग ने छठी योजना के दौरान विश्वविद्यालयों तथा कालेजों द्वारा प्रस्तावों को तैयार करने के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाओं को अंतिम रूप दे दिया था। 280 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से आयोग ने विशेष कार्यक्रमों और अनुसंधान के लिए 84 करोड़ रुपये, विश्वविद्यालयों के विकास के लिए 112 करोड़ रुपये, कालेजों के विकास के लिए 70 करोड़ रुपये और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं में विशिष्ट योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए 14 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

छठी योजना के दौरान आयोग के विद्यमान कार्यक्रमों, जिनका उद्देश्य विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षण तथा अनुसंधान कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाना और शैक्षिक स्तरों को बनाए रखना तथा उनमें सुधार करना है, को जारी रखने के अलावा आयोग का प्रस्ताव पाठ्यक्रमों को अधिक संगत बनाने के लिए उनका पुनर्गठन करने, स्नातकों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए अल्पकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा उभरते क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम शुरू करने, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, जन संचार और संग्रहालय-विज्ञान में अध्ययनों का विकास करने, विश्वविद्यालयों में आयोजना सैलों, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय महत्व की अनुसंधान परियोजनाओं को सुदृढ़ बनाने, शिक्षण साधनों के निर्माण के लिये चुने हुए केन्द्रों का विकास करने, समेकित शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए विश्वविद्यालय कालेज अन्योन्यक्रिया की प्रोन्नति, आदि जैसे कार्यक्रमों पर अधिक बल देने का है।

उच्च शिक्षा की प्रवृत्तियां तथा संवर्धन

विश्वविद्यालय तथा कालेजों के दाखिला जो 1979-80 में 26.5 लाख था 1980-81 में बढ़कर 27.5 लाख तक पहुंच गया। वृद्धि की प्रतिशतता 1979-80 में 1.2 से बढ़कर 3.9 हो गई। तथापि, यह 1970-71 से 1979-80 के दशक में हुई 4 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से कम थी।

1980-81 के दौरान, कला संकाय में दाखिला कुल दाखिले का 40.5 प्रतिशत रहा जबकि विज्ञान तथा वाणिज्य संकायों में यह प्रत्येक में लगभग 20 प्रतिशत रहा। 1979-80 की तुलना में विभिन्न संकायों में दाखिले में केवल नाममात्र की वृद्धि हुई। 1979-80 की तुलना में विधि संकाय में दाखिले में कुछ कमी आई।

1980-81 के दौरान, प्रथम डिग्री स्तर पर दाखिला 24 लाख, स्नातकोत्तर स्तर पर 2.7 लाख, अनुसंधान स्तर पर 0.30 लाख और डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट स्तरों पर 0.48 लाख रहा। 1979-80 की तुलना में दाखिले में मुख्य रूप से वृद्धि केवल प्रथम डिग्री स्तर पर ही हुई।

1981-82 के दौरान चार नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ये हैं: भुवनेश्वर (उड़ीसा) में जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, थंजावुर (तमिलनाडु) में तमिल विश्वविद्यालय, अनन्तपुर (आन्ध्र प्रदेश) में श्री कृष्ण देवार्य विश्वविद्यालय, और मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) में विद्या सागर विश्वविद्यालय। इसके अतिरिक्त 1981-82 के दौरान, आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत दो संस्थाओं को समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों के रूप में अधिसूचित किया गया। ये हैं—आगरा स्थित दयाल बाग शैक्षिक संस्थान, और आन्ध्र प्रदेश में प्रशान्ति निलयम स्थित श्री सत्य साई उच्च अधिगम संस्थान।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए कार्यक्रम

उच्च शिक्षा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित छात्रों का दाखिला पहले की तरह ही दाखिले में उनके लिए आरक्षित प्रतिशतता से बहुत कम रहा। अनुसूचित जातियों के छात्रों का दाखिला कुल दाखिले का लगभग 7.5 प्रतिशत था, जबकि अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का दाखिला केवल लगभग 1.6 प्रतिशत था।

जुलाई, 1981 में, आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों से यह अनुरोध किया कि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता का यथासंभव शीघ्र से शीघ्र पूरा उपयोग कर लें और यह कि इस प्रयोजन के लिए आरक्षण की प्रतिशतता पूरा होने तक अंकों में रियायत देकर ऐसे सभी छात्रों को दाखिला दे दें।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लेक्चररों की प्रतिशतता क्रमश: केवल 1.5 और 0.59 रही और गैर-शिक्षण पदों के मामले में यह क्रमश: 11.51 तथा 2.04 रही। विश्वविद्यालय तथा कालेजों को यह सलाह दी गई है कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को, शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के मामले में उनके लिए आरक्षित पदों पर, भर्ती करने के लिए सभी संभव प्रयास करें।

सभी विश्वविद्यालयों से, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए विभिन्न उपायों के कार्यान्वियन की प्रगति पर नजर रखने के लिए विशेष सैल स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। अब तक 48 विश्वविद्यालयों ने इस प्रकार के सैल स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त आयोग ने विश्वविद्यालयों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों में 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का अनुरोध किया है। आयोग द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदान की जाने वाली सभी प्रकार की शिक्षावृत्तियों का 10 प्रतिशत उनके लिए आरक्षित किया गया है; 50 जूनियर शिक्षावृत्तियां, 20 पोस्ट-डाक्टोल शिक्षावृत्तियां तथा 20 अनुसंधान एसोसिएटशिप विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए शुरू की गई हैं। सीमांत पहाड़ी क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए 25 स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां शुरू की गई है। जनजातीय क्षेत्रों में स्थित तथा जनजातीय छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे लगभग 100 कालेजों को छठी योजना के दौरान विशेष सहायता देने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए अलग से 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

शारीरिक रूप से विकलांग छात्र

विकलांग व्यक्तियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित वर्ष 1981 के दौरान आयोग ने शारीरिक रूप से विकलांग पात्र छात्रों को प्रत्येक वर्ष 10 अनुसंधान एसोसिएटशिप और 20 पोस्ट-डाक्ट्रोल शिक्षावृत्तियां देने की एक योजना शुरू की। विश्वविद्यालयों में उन्हें आवंटित जूनियर शिक्षावृत्तियों का 1 प्रतिशत और प्रत्येक वर्ष कम से कम एक शिक्षावृत्ति, शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग का, शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को पढ़ाने के लिए लोगों को प्रशिक्षण देने हेतु चुने हुए विश्वविद्यालयों में बी० एड० की डिग्री से संबंधित विशेष पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

महिलाओं में उच्च शिक्षा का विकास

आयोग ने, महिलाओं में उच्च शिक्षा के विकास को प्राथमिकता देना जारी रखा। 1980-81 के दौरान महिला छात्रों की संख्या 7.5 लाख थी जो कुल दाखिले का 27.2 प्रतिशत था। स्नातकोत्तर स्तर पर महिला छात्रों की प्रतिशतता उच्चतम

थी। 1970-71 में महिलाओं के दाखिले की प्रतिशतता कुल दाखिले का केवल 22.1 प्रतिशत थी, तब से उनके दाखिले की प्रतिशतता बढ़ रही है।

छठी योजना के दौरान विकास के लिए कालेजों को सहायता प्रदान करने के वास्ते निर्धारित मार्गदर्शी रूपरेखाओं में पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कालेजों सहित महिला कालेजों पर विशेष जोर दिया गया है और सहायता प्राप्त करने के लिए छात्र दाखिले के मानक को अन्य कालेजों की तुलना में महिला कालेजों में 100 तक कम कर दिया गया है।

आयोग ने यूनेस्को के सहयोग से शान्ति, आपसी सूझबूझ और मानव अधिकारों के प्रति सम्मान के लिए युवाओं की शिक्षा में महिलाओं की भूमिका पर दिसम्बर, 1981 में, विशेषज्ञों की एक बैठक का आयोजन किया।

1981-82 के दौरान कार्यकलाप

आयोग द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम मोटे तौर पर चार प्रमुख वर्गों के अन्तर्गत आते हैं। ये हैं :—

(i) कोटि सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम;

(ii) अनुसंधान के लिए सहायता;

(iii) विश्वविद्यालयों का विकास; और

(iv) कालेजों का विकास।

1981-82 के दौरान इन चार प्रमुख क्षेत्रों में किए गए कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :—

(i) कोटि सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम

उच्च अध्ययन केन्द्र : आयोग ने मानविकी सामाजिक विज्ञानों, विज्ञान, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में 28 उच्च अध्ययन केन्द्रों और विशेष सहायता के 48 विभागों को सहायता प्रदान करना जारी रखा। आयोग ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से 15 वर्षों से सहायता प्राप्त कर रहे, विज्ञान में 12 उच्च अध्ययन केन्द्रों का मूल्यांकन करने का निर्णय किया है।

सी० ओ० एस० आई० पी०/यू० एल० पी० : कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 196 कालेजों की सहायता की गई जिनमें से 98 कालेजों ने 5 वर्षों की अवधि के दौरान अपना पहला और दूसरा चरण पूरा कर लिया है। 1981-82 के दौरान छः कालेजों को सहायता के लिए अनुमोदित किया गया। विज्ञान में विश्वविद्यालय नेतृत्व परियोजनाओं के अन्तर्गत अब तक 40 विश्वविद्यालय विभागों की सहायता की गई है।

सी० ओ० एच० एस० आई० पी०/यू० एल० पी० : मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में विश्वविद्यालय नेतृत्व परियोजनाओं के अन्तर्गत 148 कालेजों और 15 विश्वविद्यालय विभागों की सहायता की जा रही है। 1981-82 के दौरान, कालेज मानविकी और सामाजिक विज्ञान सुधार परियोजना की योजना के अन्तर्गत 20 नए कालेजों को चुना गया है।

विश्वविद्यालय सेवा तथा उपकरण केन्द्र : 1981–82 के दौरान, दो नए विश्वविद्यालय सेवा तथा उपकरण केन्द्र अनुमोदित किए गए। इससे, इस प्रकार के केन्द्रों की कुल संख्या 55 हो गई है। इन केन्द्रों की कार्य पद्धति का मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकन समिति गठित की गई है। आयोग द्वारा दो क्षेत्रीय उपकरण केन्द्रों की भी सहायता की जा रही है। इनमें से एक केन्द्र बंगलौर में तथा दूसरा बम्बई में स्थित है। ये क्षेत्रीय केन्द्र, विश्वविद्यालय केन्द्रों के स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं।

संगणक केन्द्र : 29 विश्वविद्यालयों ने संगणकों की स्थापना की है। आयोग तथा इलैक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किए गए जनशक्ति संबंधी अध्ययन के आधार पर छठी योजना के दौरान संगणक जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए चरणबद्ध रूप में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 19 विश्वविद्यालयों को चुना गया है।

वन्य जीवन अध्ययन : पंजाब विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों के लिए वन्य-जीवन अध्ययन सम्बन्धी 6 महीने का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहायता दी गई। ए० वी० सी० कालेज, मयूरम को एम० एस० सी० स्तर पर वन्य जीवन, जीव विज्ञान में एक पाठ्यक्रम चलाने के लिए सहायता दी गई।

पत्राचार पाठ्यक्रम : पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए कलकत्ता तथा पटना विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। इससे, देश के लगभग प्रत्येक राज्य में पत्राचार पाठ्यक्रमों की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। पत्राचार पाठ्यक्रमों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए, नई मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार की गई हैं जिनमें छात्रों को पाठ तथा पठन सामग्री शीघ्र भेजने पर जोर दिया गया है, आवश्यक रूप से डिग्री प्राप्त किए बिना सफलतापूर्वक अध्ययन पूरा कर लेने पर प्रमाण-पत्र प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है। छठी योजना के दौरान पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए सहायता की मात्रा को एक लाख रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है।

पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन : आयोग ने, कुछ समय पहले स्थानीय तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के संगत क्षेत्रीय/व्यावहारिक कार्य से संबंधित एक तीसरे विषय का समाकलन करके विद्यमान परंपरागत पाठ्यक्रमों की पुनः संरचना करने का एक कार्यक्रम शुरू किया था। इस समय, इस योजना में 31 कालेज तथा एक विश्वविद्यालय भाग ले रहा है। आयोग ने, इस कार्यक्रम के लिए सहायता को और दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है।

अन्य कार्यक्रम : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दो विज्ञान शिक्षा केन्द्रों को सहायता प्रदान और परीक्षा सुधार एककों के लिए विश्वविद्यालयों का चयन करना जारी रखा। आयोग, प्रौढ़ शिक्षा, विस्तार तथा सतत शिक्षा कार्यक्रमों से संबंधित विद्यमान मार्गदर्शी रूपरेखाओं की समीक्षा कर रहा है।

सेमिनार, संगोष्ठियां, ग्रीष्म संस्थान : 1981–82 के दौरान, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में 110 तथा विज्ञानों में 65 सेमिनारों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों तथा अल्प-अवधि संस्थानों को स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त 90 सम्मेलनों की मेजबानी करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को वित्तीय सहायता दी गई।

द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम : विभिन्न विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत, 36 शिक्षक विदेशों में गये तथा 37 विदेशी अध्येता भारत आए। भारत के और जर्मन जनवादी गणतन्त्र, जर्मन संघीय गणतंत्र तथा हंगरी के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच चुने हुए क्षेत्रों में द्विपक्षीय शैक्षिक संबंध स्थापित किए गए। फ्रांस, हंगरी और भारत प्रत्येक में एक-एक संयुक्त सेमिनार आयोजित किया गया जिनमें भारत के तथा सम्बद्ध देशों के अध्येताओं ने भाग लिया। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत न केवल फ्रांस और जर्मनी के बल्कि कुछ अन्य यूरोपीय देशों के भाषा शिक्षकों की सेवाएं प्राप्त की गई। 12 शिक्षकों को जर्मन संघीय गणतंत्र में, 21 को फ्रांस में और 13 को सोवियत रूस में अनुसंधान के लिए शिक्षावृत्तियां प्रदान की गईं। भारत-अमरीका शिक्षावृत्ति कार्यक्रमों के अन्तर्गत 18 अध्येताओं को अमरीका में ग्राह्य शिक्षावृत्तियों के लिए संस्तुत किया गया। राष्ट्रमण्डलीय अकादमिक स्टाफ शिक्षावृत्ति तथा छात्रवृत्ति के अन्तर्गत, 11 शिक्षकों को शिक्षावृत्तियां तथा 4 को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। 9 शिक्षकों को

अन्तर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। दो उच्च अधिकार प्राप्त शिष्टमण्डलों ने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्रमशः जर्मन संघीय गणतंत्र और आस्ट्रेलिया की यात्रा की।

(ii) अनुसंधान सहायता :

प्रमुख परियोजनाएं : 1981–82 के दौरान 222 लाख रुपये की लागत की विज्ञान में 210 और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में 60 प्रमुख परियोजनाएं स्वीकार की गईं। विभागीय अनुसंधान सहायता संबंधी योजनाओं के अन्तर्गत 30 विज्ञान विभागों की सहायता की जा रही है तथा एक और विभाग का निर्धारण किया गया है।

छात्रवृत्तियां तथा शिक्षावृत्तियां : आयोग ने, पोस्ट-डाक्ट्रोल शिक्षावृत्ति, अनुसंधान शिक्षावृत्ति, राष्ट्रीय एसोसिएटशिप, राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति, राष्ट्रीय लेक्चर्स तथा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में शिक्षावृत्ति संबंधी योजना का कार्यान्वयन जारी रखा। इस योजना के अन्तर्गत 1981–82 के लिए चयनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(iii) विश्वविद्यालयों का विकास : आयोग ने छठी योजना के दौरान पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा उपस्कर के लिए विकास योजनाओं के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों को सहायता के अपने अंश को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करना स्वीकार कर लिया है। इसके अतिरिक्त, शिक्षण तथा तकनीकी स्टाफ के लिए सहायता के अलावा, शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के वास्ते विश्वविद्यालयों को 100 प्रतिशत की सहायता उपलब्ध होगी।

छठी योजना के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी विकासात्मक प्रस्तावों का निरीक्षण समितियों द्वारा मूल्यांकन किए जाने तक, आयोग ने विश्वविद्यालयों के तात्कालिक प्रस्तावों को, संबंधित कुलपतियों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर संस्वीकृत करने का निर्णय किया है। तदनुसार, अधिकांश विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ विचार-विमर्श किया गया और तात्कालिक योजनाओं की स्वीकृति भेजी जा रही है। 1981–82 के दौरान, उपस्कर खरीदने के लिए बुनियादी अनुदानों के रूप में भुगतान के लिए 296.5 लाख रुपये के अनुदान स्वीकृत किए गए हैं। 1980–81 के दौरान पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खरीद के लिए ऐसे ही अनुदान संस्वीकृत किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 1981–82 के दौरान, आयोग ने जल संसाधन अध्ययन, औद्योगिक इंजीनियरी, वेल्डिंग अनुसंधान, संगणक विज्ञानों, खान मशीनीकरण आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में विशिष्ट पाठ्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी है।

(iv) कालेजों का विकास : छठी योजना के दौरान कालेजों को उनके विकास के लिए सहायता प्रदान करने मे संबंधित मार्गदर्शी रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया गया और उन्हें विश्वविद्यालयों को भेजा गया। इन मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार, कालेजों को पुस्तकों-पत्रिकाओं और उपस्कर के लिए बुनियादी सहायता प्रदान की जाएगी। एम० फिल० पाठ्यक्रम के लिए शिक्षक शिक्षावृत्तियों तथा भारत में शैक्षिक सम्मेलनों में शिक्षकों द्वारा भाग लेने के मामलों में 100 प्रतिशत के आधार पर सहायता की जाएगी। विकास सहायता हेतु कालेजों की पात्रता का निर्धारण करने के मानदण्डों में संशोधन किया गया है जिसके अन्तर्गत कालेजों की शैक्षिक व्यवहार्यता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पात्रता की शर्तें पूरी न कर पाने वाले कालेजों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों तथा उन जिलों में स्थित कालेजों की सहायता करना है जहां कोई उपयुक्त कालेज नहीं है। आयोग द्वारा स्वायत्त कालेजों को उपलब्ध सहायता को 5 वर्षों की अवधि के लिए एक लाख रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर दो लाख रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है। इस समय 19 स्वायत्त कालेज हैं, इनमें से एक बिहार में, 16 तमिलनाडु में तथा दो आन्ध्र प्रदेश में हैं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कार्यपद्धति की जांच करने के लिए समिति

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कार्यपद्धति की जांच करने के लिए वि० अनु० आयोग की अध्यक्षा, डा० (श्रीमती) माधुरी आर० शाह की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है। समिति के अन्य सदस्य हैं—डा० जी० राम रेड्डी, कुलपति, उस्मानियां विश्वविद्यालय, हैदराबाद; प्रो० रईस अहमद, भौतिकी के प्रोफेसर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय; प्रो० (श्रीमती) असीमा चटर्जी, रसायन की प्रोफेसर, कलकत्ता विश्वविद्यालय; और डा० रमेश मोहन, निदेशक, केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव, श्री आर० के० छाबड़ा इस समिति के सचिव होंगे।

यह समिति निम्नलिखित बातों की जांच करेगी:

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालय उनके अधिनियमों में निर्धारित उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं;

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुशासन की सामान्य स्थिति, परिसरों में समय-समय पर होने वाले उपद्रवों के कारण, तथा उन्हें दूर करने के लिए उपचारी कार्रवाई;

(ग) छात्रों, शिक्षकों तथा प्रशासनिक स्टाफ की शिकायतों को दूर करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में तंत्र की पर्याप्तता तथा इन विश्वविद्यालयों में सामूहिक जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय;

(घ) विश्वविद्यालय के कामों में राजनीतिक दलों के भाग लेने की सीमा निर्धारित करने के लिए राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करने की वांछनीयता; और

(ङ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के प्रभावी रूप से कार्य करने और उनके परिसरों में अध्ययन तथा विद्वता के अनुरूप वातावरण का विकास करने के लिए आवश्यक सुधार संबंधी उपाय।

समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है।

ख. केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

1981–82 के दौरान, कुल दाखिला 14,630 रहा जिनमें से 571 विदेशों के छात्र हैं। परिसर में कुछ खेदजनक घटनाओं की वजह से विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम में प्रारंभ में बाधा पहुंची और विश्वविद्यालय मई के कुछ भाग, जून और जुलाई में बन्द रहा। विश्वविद्यालय के अगस्त में पुनः खुलने पर पाठ्य-विवरणों को पूरा करने और शैक्षिक वर्ष को बचाने के लिए गहन प्रयास किए गए। सभी संकायों में अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की गई। विश्वविद्यालय के पुनः खुलने के चार महीनों के अन्दर शेष पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया गया। परीक्षाएं हुईं और बहुत कम समय में ही परिणाम घोषित कर दिए गए। 1980–81 का सत्र 15 नवम्बर, 1981 को समाप्त हुआ और अगले सत्र के लिए दाखिला शुरू कर दिया गया। वर्ष के दौरान पी० एच० डी० की 102 और डी० एस० सी० की 2 उपाधियां प्रदान की गईं।

उपद्रवों के बावजूद, विभिन्न संकायों, विभागों तथा संस्थाओं की प्रगति बनी रही। विश्वविद्यालय ने अनेक सेमिनारों तथा सम्मेलनों का आयोजन किया और इसके अनेक शिक्षकों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

भारतीय स्टेट बैंक की सहायता से ग्राम अर्थशास्त्र में एक पीठ खोली गई है।

नेत्र विज्ञान संस्थान ने राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ के सहयोग से नेत्रहीनों के पुनर्वास पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।

ग्रामीण लोगों को शामिल करने के लिए तैयार किया गया चिकित्सा शिक्षा पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू किया गया। स्नातकोत्तर छात्रों को अनुसंधान संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए नेत्र असंक्राम्य विज्ञान का एक खण्ड स्थापित किया गया। एक मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया है।

सतत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र में शहर के पिछड़े इलाकों और आस-पास के गांवों में 60 शैक्षिक केन्द्रों का आयोजन किया। केन्द्र द्वारा आयोजित नेतृत्व योजना के अन्तर्गत लगभग 1,400 व्यक्तियों को नामांकित किया गया। महिलाओं के लिए विशेष केन्द्र खोले गए हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना को पुनः शुरू किया गया और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों को नामांकित किया गया। नैनीताल जिले में एक विशेष शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न पारिस्थितिक विकास परियोजनाओं में 100 छात्रों ने भाग लिया। 1981–82 के दौरान, विश्वविद्यालय के छात्रों ने विभिन्न खेलकूद कार्य-कलापों में व्यापक रूप से भाग लिया।

एक आवासीय विश्वविद्यालय होने के बावजूद छात्रों के लिए छात्रावासों तथा शिक्षकों और अन्य स्टाफ के लिए परिसर में रिहायशी मकानों की बहुत कमी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 500 छात्रों के लिए एक अतिरिक्त छात्रावास के निर्माण की संस्वीकृति दे दी है। 145 छात्रों के लिए छात्रावास, एक वार्डन के रिहायशी मकान, पशु गृह तथा क्षेत्र इन्सेक्ट्री भवन, कुछ हालों में स्वच्छता ब्लाकों, चिकित्सा स्टाफ के लिए कुछ रिहायशी मकानों, शव परीक्षा संबंधी कार्यक्रम के लिए 10 बिस्तरों के एक वार्ड और एक शल्योपचार थियेटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। महिला कालेज के लिए एक प्रयोगशाला तथा एक व्याख्यान थिएटर, पश्चिम एशियाई अध्ययन केन्द्र के भवन, चिकित्सा कालेज के शिक्षकों के लिए मकानों तथा कुछ अन्य विभागीय भवनों के निर्माण का कार्य चल रहा है। प्रशासनिक ब्लाक का निर्माण शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है। रासायनिक इंजीनियरी विभाग के भवन तथा विद्युत इंजीनियरी विभाग के विस्तार भवन और इंजीनियरी संकाय में और अधिक कक्षा कमरों का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

1981-82 के दौरान, विश्वविद्यालय विभागों तथा कालेजों द्वारा प्रदान किए जाने वाले नियमित पाठ्यक्रमों में 83,453 छात्रों को दाखिल किया गया। इसके अतिरिक्त, गैर-कालेज छात्रों के रूप में 6,671 छात्रों का नामांकन किया गया जबकि बाह्य सेल ने प्राइवेट छात्रों के रूप में लगभग 17,292 छात्रों का पंजीकरण किया और पत्राचार पाठ्यक्रम विद्यालय में 6,751 छात्रों ने दाखिला लिया। इस प्रकार, आलोच्य वर्ष के दौरान यह विश्वविद्यालय कुल 1,14,167 छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा कर रहा है। विश्वविद्यालय में पी० एच० डी० कार्यक्रमों के लिए 2,156 और एम० फिल० के लिए 806 छात्रों ने दाखिला लिया।

1981 के दौरान, विश्वविद्यालय में कुल स्टाफ की संख्या 631 थी जिसमें 117 प्रोफेसर, 278 रीडर, 219 लेक्चरर तथा 17 अनुसंधान सहयोगी थे।

1981-82 के दौरान विश्वविद्यालय ने दक्षिण परिसर में मनोविज्ञान में एम० ए० पाठ्यक्रम तथा बी० ई० (टेक०) के लिए अंश-कालीन पाठ्यक्रम के अलावा उर्दू में उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम, संस्कृत में सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम, बलगारियाई भाषा में उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा रूमानियाई भाषा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया। पाली भाषा तथा साहित्य में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को, एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम तथा एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम दो अलग पाठ्यक्रमों में बांट दिया गया। इसी प्रकार, चीनी भाषा में विद्यमान 2-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम को एक-वर्षीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम तथा एक-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में विभाजित किया गया। मौलाना आजाद मैडिकल कालेज को दन्त सर्जरी में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की

अनुमति दी गई। छः कालेजों को नए बी० ए० (ग्रानर्स) तथा बी० ए० (पास) पाठ्यक्रमों को शुरू करने की अनुमति दी गई।

विश्वविद्यालय ने निजी व्यक्तियों तथा संगठनों द्वारा अनुदत्त नए पदक, शिक्षा-वृत्तियां तथा छात्रवृत्तियां शुरू कीं।

वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय ने भारत तथा अन्य देशों के प्रख्यात विद्वानों के अनेक व्याख्यानों का आयोजन किया। विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षकों को, उनके अपने-अपने विषयों में, व्यावसायिक संगठनों ने सम्मानित किया। विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसरों को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अधिसदस्यों (फैलो) के रूप में चुना गया। बल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान के निदेशक, प्रो० ए० एस० पेंटल को लंदन की रायल सोसायटी के अधिसदस्य (फैलो) के रूप में चुना गया। वह पहले भारतीय चिकित्सा विज्ञानी हैं, जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है।

विश्वविद्यालय ने, परिसर में खेल सुविधाएं प्रदान करने और एशियाई खेलों के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय की भूमि का उपयोग करने की अनुमति देने से संबंधित एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद

1980-81 के दौरान, विश्वविद्यालय ने एम० ए०, एम एस सी० तथा पी एच० डी० पाठ्यक्रमों में 279 नए दाखिले किए। वर्ष के दौरान कुल दाखिला 548 था। अपने पाठ्यक्रम पूरा कर लेने वाले 176 छात्रों ने अपनी उपाधियां प्राप्त कीं। पहली बार चार छात्रों ने पी एच० डी० की उपाधि के लिए अपने शोध प्रबंध प्रस्तुत किए। इनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय में शिक्षकों की संख्या 104 थी जिसमें 20 प्रोफेसर, 39 रीडर, तथा 45 लेक्चरर थे। विश्वविद्यालय तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों के शिक्षकों के बीच सहयोगी अनुसंधान कार्य के फलस्वरूप ख्यातिप्राप्त भारतीय तथा विदेशी पत्रिकाओं में अनेक शोध प्रबंध प्रकाशित हुए। विश्वविद्यालय संकाय द्वारा 41 अनुसंधान परियोजनाओं पर अमल किया जा रहा है।

प्रो० ए० एन० राधाकृष्णन को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा वर्ष 1981 के लिए बी० सी० गुहा स्मारक व्याख्यान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें हरि ओम ट्रस्ट द्वारा संस्थापित जगदीश चन्द्र बोस पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। प्रो० जी० एस० अग्रवाल को राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की सदस्यता तथा अमरीकन फिजीकल सोसायटी की फैलोशिप से सम्मानित किया गया। प्रो० डी० बाल सुब्रामणियम को 1980-81 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय विज्ञान अकादमी के एक अधिसदस्य के रूप में चुना गया।

जीवन विज्ञान विद्यालय ने अक्तूबर, 1981 में 'उर्वरता का नियमन' विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। हिन्दी विभाग ने प्रेम चन्द पर एक सेमिनार का भी आयोजन किया।

विश्वविद्यालय के परिसर में विकास कार्य संतोषजनक रूप में चलता रहा। गत वर्ष शिक्षकों के लिए निर्मित 58 क्वार्टरों के अलावा इस वर्ष शिक्षकों के लिए 8 यूनिटों के एक होस्टल ब्लाक का निर्माण और उन्हें आवंटित किया गया है। इसी आकार के दो और ब्लाक तैयार होने ही वाले हैं। एक व्याख्यान हाल काम्पलैक्स का निर्माण पूरा किया गया और उसका उपयोग किया जाने लगा। प्राप्त किए गए नए लिक्यूड हेडलम प्लांट को स्थापित करने के लिए केन्द्रीय उपकरण प्रयोगशाला का विस्तार किया जा रहा है। एक अतिथि-गृह तथा कुलपति के निवास-गृह का निर्माण कार्य पूरा ही होने वाला है। मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विद्यालय के आवास के लिए मुख्य शहर में कक्षाओं के 14 कमरों का एक भवन पूरा हो गया है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

वर्ष 1980-81 के दौरान विश्वविद्यालय में कुल दाखिला 3,596 रहा। जिसमें से 260 छात्र उत्तर स्नातक अध्ययन केन्द्र, इम्फाल में दाखिल किए गए। एम० फिल० तथा पी० एच० डी के लिए कुल 1,152 छात्रों का पंजीकरण किया गया। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कुल संख्या 313 थी जिसमें से 59 प्रोफेसर, 100 सहयोगी प्रोफेसर तथा 139 सहायक प्रोफेसर थे। 10 अतिथि/अवैतनिक प्रोफेसर तथा 5 अंशकालीन शिक्षक थे। डा० वाई० न्युडम्मा ने जून, 1981 में कुलपति का पद संभाल लिया।

1981-82 के दौरान, विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित लगभग 135 अनुसंधान परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर थीं। लगभग 25 अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा किया गया। संकाय के सदस्यों की लगभग 30 पुस्तकें और भारतीय तथा विदेशी पत्रिकाओं में 150 से अधिक अनुसंधान शोध निबंध तथा लेख प्रकाशित हुए।

भारत तथा विदेशों के चालीस विख्यात विद्वानों को व्याख्यान देने और सेमिनारों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। चार विद्वानों को एक से लेकर छः महीने तक की अवधि के लिए विजिटिंग कार्यों की पेशकश की गई। संकाय के 48 सदस्यों को भारत तथा अन्य देशों में स्थित संस्थाओं के निमंत्रण, शिक्षावृत्तियां अथवा विजिटिंग कार्य स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की गई। संकाय के 75 सदस्यों ने भारत तथा अन्य देशों में हुए सेमिनारों/सम्मेलनों में भाग लिया।

वर्ष के दौरान, 1,325 छात्रों ने अपने-अपने पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए। इनमें से 36 ने पी एच० डी० की, 132 ने एम० फिल०/एम० जी० एच०/एम० पी० एस० की तथा 441 ने एम० ए०/एम० एस० सी० की डिग्रियां प्राप्त कीं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला के 539 केडेटों और आर्मी केडेट कालेज, देहरादून के 169 केडेटों ने बी० ए०/बी० एस० सी की डिग्री प्राप्त की। 40 छात्रों के डाक्टोरल शोध प्रबंधों और 95 छात्रों के एम० फिल० शोध प्रबंधों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

दाखिल 50 प्रतिशत से अधिक पूर्णकालिक छात्रों/अध्येताओं ने विश्वविद्यालय/बाहरी एजेंसियों से शिक्षावृत्तियों/छात्रवृत्तियों अथवा निःशुल्कता के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त की। अनेक छात्रों ने छात्र सहायता कोष अथवा कुलपति की विवेकाधीन निधि से अनुदान/ऋण प्राप्त किए।

पुस्तकालय भण्डार में 10,800 से अधिक पुस्तकें जोड़ी गई। अब केन्द्रीय पुस्तकालय में कुल 2,63,963 पुस्तकें हैं।

विश्वविद्यालय ने सहपाठ्यचर्या कार्यकलापों से संबंधित समृद्ध और विविध कार्यक्रमों को विकसित करने का प्रयास जारी रखा। विश्वविद्यालय में लगभग 30 खेलकूद तथा सांस्कृतिक क्लब चल रहे हैं जिनमें छात्र अपनी प्रतिभा तथा अभिरुचि के अनुसार कार्यकलापों में भाग लेते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संकाय के लिए 36 क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया जबकि केन्द्रीय पुस्तकालय भवन, 60 स्टाफ क्वार्टरों और केन्द्रीय विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

विश्वविद्यालय की विभिन्न संस्थाओं और संकायों में 1980-81 के दौरान कुल नामांकन 15,038 था। इनमें से 1,834 प्रौद्योगिकी संस्थान में, 513 चिकित्सा विज्ञान संस्थान में और 585 कृषि विज्ञान संस्थान में दाखिल थे। अब छात्रों को लगभग 1,000 छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां उपलब्ध हैं। 20 प्रतिशत पुरुष और 25 प्रतिशत महिला छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 7,000 से अधिक छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती है।

अपनी कार्यावधि पूरी करने पर डा० हरि नारायण ने 14 मई, 1981 को कुलपति का कार्यभार त्याग दिया। उनके उत्तराधिकारी प्रो० इकबाल नारायण ने 19 अक्तूबर, 1981 को कार्यभार संभाल लिया।

वर्ष 1980-81 के दौरान, विश्वविद्यालय में शिक्षण स्टाफ की कुल संख्या 1,389 थी। धातु-विज्ञान इंजीनियरी विभाग के प्रो० टी० आर० अनन्तरमन ने प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक के रूप में, और कृषि विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो० महातिम सिंह ने कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक के रूप में वर्ष के दौरान कार्यभार संभाल लिया।

चिकित्सा विज्ञान संस्थान में कुछ हिंसक घटनाओं के फलस्वरूप, विश्वविद्यालय को 1 अप्रैल, 1981 को बन्द करना पड़ा। ग्रीष्म अवकाश के पश्चात् यह 23 जून, 1981 को दोबारा खुला। प्रौद्योगिकी संस्थान और चिकित्सा विज्ञान संस्थान और कुछ अन्य संकायों में भी 1981 की परीक्षाएं समयानुसार आयोजित की गईं। तथापि कला, समाज विज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य और विधि संकायों की परीक्षाएं समय से पीछे हैं। इन परीक्षाओं के आयोजन तथा परिणाम घोषित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। 1981-82 सत्र के लिए कुछ संकायों के प्रवेश समय पर पूरे किए गए। विधि तथा शिक्षा संकायों और शेष संकायों के अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पूरे कर लिए गए हैं। उत्तर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए मार्च-अप्रैल, 1982 में प्रवेश किए जाने की संभावना है।

वर्ष 1980-81 के दौरान, कृषि विज्ञान संस्थान में तीन नए विभाग बनाए गए। ये हैं—विस्तार शिक्षा, पशु पालन तथा डेरी, और फार्म इंजीनियरी। आयुर्वेद के उत्तर-स्नातक केन्द्र का नाम आयुर्वेद का विश्व स्वास्थ्य संगठन केन्द्र रखा गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने धातु-विज्ञान और वनस्पति विज्ञान विभागों का दर्जा बढ़ाकर उच्च अध्ययन केन्द्र के रूप में कर दिया गया है।

आलोच्य वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने दो प्रमुख सम्मेलन आयोजित किए। प्रथम, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ का 68वां सत्र था जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री ने किया। विश्व भर के विभिन्न विषयों और संस्थाओं के 4,000 से अधिक वैज्ञानिकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया जिसकी विश्वविद्यालय ने अपने इतिहास में चौथी बार मेजबानी की। दूसरा प्रमुख सम्मेलन अक्तूबर, 1981 में हुआ। पांचवां विश्व संस्कृत सम्मेलन था जिसमें लगभग 170 विदेशी प्रतिनिधियों और लगभग 1,000 भारतीय विद्वानों ने भाग लिया।

वर्ष 1981 के दौरान, विश्वविद्यालय ने दो विशेष दीक्षांत समारोह आयोजित किए जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस तथा विश्व संस्कृत सम्मेलन के समय पर ही हुए। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अवसर पर आयोजित विशेष दीक्षांत समारोह में, प्रो० अब्दुस सलाम, प्रो० हरगोविन्द खुराना, प्रो० टी० कास्परसन, प्रो० देवेन्द्र पाल, डा० एम० एस० स्वामिनाथन तथा प्रो० एम० जी० के० मेनन को डी० एस० सी० (होनोरिस कौसा) की डिग्रियां प्रदान की गईं।

अक्तूबर, 1981 को हुए पांचवें विश्व संस्कृत सम्मेलन के अवसर पर आयोजित विशेष दीक्षांत समारोह में प्रो० जीन फिलियोजाट, प्रो० जान घोंडा, प्रो० पाल थीमे, प्रो० रामचन्द्र नारायण दान्डेकर, पंडित रघुनाथ शर्मा, पंडित चारुदेव शास्त्री सुरभि, पंडित लक्ष्मणजू और पंडित रामाजी उपाध्याय को विश्वविद्यालय की डाक्टर आफ लेटर्स (होनोरिस कौसा) की डिग्री प्रदान की गई। चिकित्सा विज्ञान संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह में प्रो० अजीत कुमार बासु और डा० सी० गोपालन को डी० एस० सी० (होनोरिस कौसा) की डिग्री प्रदान की गई।

दिसम्बर, 1981 तक विश्वविद्यालय ने विशिष्ट विषयों से संबंधित विभिन्न विभागों के तत्वावधान के अन्तर्गत 12 सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए।

प्रौद्योगिकी संस्थान के पुस्तकालय भवन का निर्माण कार्य शुरू तथा पूरा किया गया। 2 करोड़ रुपये की लागत से अधिक के छात्रावासों सहित कुछ विभागों के भवनों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। तथा सिविल इंजीनियरी विभाग के भवन और प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सामाजिक विज्ञान संकाय के लिए 250 सीटों वाले नए छात्रावास के निर्माण के लिए मंजूरी प्राप्त हो गई है।

भारत कला भवन ने, जिसमें लगभग एक लाख कलात्मक वस्तुएं हैं, और जिसमें लघु चित्रकलाओं का एक विशाल संग्रह है, अपनी चित्रकला वीथी का पुनर्गठन किया तथा अपने संग्रहों के संबंध में 3 सूचीपत्र प्रकाशित किए। भवन के सांस्कृतिक कार्य-कलापों का विस्तार किया जा रहा है ताकि इसे एक सजीव सामुदायिक केन्द्र बनाया जा सके। भवन द्वारा संग्रहालय विज्ञान में प्रदान किए जाने वाले उच्च डिप्लोमा पाठ्य-क्रम के स्थान पर संग्रहालय विज्ञान में एम० ए० पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।

विश्वविद्यालय ने नेत्रहीन छात्रों के लाभ के लिए पुस्तकालय को टेप रिकार्डर और अन्य उपकरण प्रदान किए हैं। विश्वविद्यालय ने छात्रों, मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए सुन्दर बगिया में प्राथमिक स्कूल की कल्याण सुविधा जारी रखी।

आवासीय विश्वविद्यालय होने के कारण, परिसर में सामूहिक कार्यकलापों को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाता है। इन कार्यकलापों के एक भाग के रूप में विश्व-विद्यालय ने इलेक्ट्रानिक्स, बढ़ईगिरी और फोटोग्राफी, पर्वतारोहण एकक में एक शौक केन्द्र और एक फ्लाइंग प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किया है। विश्वविद्यालय का खेल बोर्ड वर्ष के दौरान सक्रिय रहा। विश्वविद्यालय की टीमों ने कई अखिल भारतीय टूर्नामेंटों तथा एथलेटिक प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग

इस विश्वविद्यालय की स्थापना सन् 1973 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की बौद्धिक अकादमिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के लिए की गई थी। इस समय, शिलांग स्थित इसके मुख्य केम्पस के अतिरिक्त नागालैंड और मिजोरम में दो और केम्पस हैं। शिलांग स्थित मुख्य केम्पस में 16 शिक्षण विभाग और 2 केन्द्र है। इनमें से 3 शिक्षण विभाग 1981-82 में शुरू किए गए। नागालैंड तथा मिजोरम स्थित प्रत्येक केम्पस में तीन-तीन शिक्षण विभाग हैं।

1981-82 के दौरान शिक्षण विभागों में कुल दाखिला 920 रहा जिसमें से 125 अनुसंधान के छात्र हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय में 43 सम्बद्ध कालेज और दो संघटक कालेज हैं। इन संघटक कालेजों में से एक कालेज नागालैंड में है जिसमें कृषि विज्ञान में पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है और दूसरा संघटक कालेज मिजोरम में है जिसमें कलाओं तथा विज्ञान के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं।

विश्वविद्यालय, शिक्षण सेमिनारों तथा अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से सभी विभागों में अन्तर-विषयक दृष्टिकोण का विकास करने के सतत प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों में, उत्तर-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना सम्मिलित है। इस समय चल रहे 16 अनुसंधान कार्यक्रमों में से 10 का प्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र से सम्बन्ध है।

वर्ष 1981-82 में विश्वविद्यालय पर काफी दबाव रहा। कुछ छात्रों ने अपना आन्दोलन जारी रखा। 1980 के अन्त में डा० ए० के० धन द्वारा त्यागपत्र देने के बाद से सम-कुलपति डा० एस० सी० बनवार कुलपति के रूप में कार्य करते रहे। डा० एस० सी० बनवार की, अक्तूबर, 1981 में अज्ञात हमलावरों की गोली लगने से मृत्यु हो गई। नवम्बर, 1981 के शुरू में डा० बी० डी० शर्मा ने नियमित कुलपति के रूप में कार्य भार संभाला।

इन समस्याओं के बावजूद भी, विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं निर्धारित समय पर हुई। मई, 1981 में एक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया जिसमें पहली बार, 11 छात्रों को पी० एच० डी० की तथा 7 छात्रों को एम० फिल० की उपाधियां प्रदान की गईं।

विश्वविद्यालय ने चुने हुए विषयों में क्षेत्रीय सेमेस्टर, एकोफारेस्ट्री परियोजना, ग्राम विकास परियोजना आदि जैसे अनेक नए शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। स्नातकोत्तर उत्तर पर शिक्षण तथा अनुसंधान में निष्पादन के सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कालेज शिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं सहित विश्वविद्यालय विभागों तथा सम्बद्ध कालेजों के बीच संकाय के विनिमय संबंधी नियमित कार्यक्रमों के जरिए अवर-स्नातक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। इस क्षेत्र में ज्ञान और अनुसंधान का विकास करने और इस क्षेत्र के पर्वतीय लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने से संबंधित विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है।

पर्याप्त संरचनात्मक सुविधाओं, विशेषकर भवनों, के अभाव में विश्वविद्यालय की प्रगति में बाधा पहुंची। इस स्थिति से निपटने के लिए छात्रों के लिए छात्रावासों तथा स्टाफ के लिए मकानों का निर्माण करने के लिए एक त्वरित कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

विश्व-भारती, शांति निकेतन

आलोच्य वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय में कुल 3,167 छात्र थे। शिक्षकों की कुल संख्या 452 थी जिसमें से 29 प्रोफेसर और 73 रीडर थे।

विश्व-भारती ने 1981 में अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे किए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों ने सेमिनारों का आयोजन किया। इन समारोहों के एक भाग के रूप में 12-13 दिसम्बर, 1981 को 'शांति निकेतन की कला परंपरा' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसका प्रधान मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया।

विश्वविद्यालय ने विशेष व्याख्यानों, सेमिनारों तथा सम्मेलनों का आयोजन किया जिनमें भारत तथा अन्य देशों के विख्यात शिक्षाविदों और विद्वानों ने भाग लिया। पल्ली संगठन विभाग के ग्रामीण पुस्तकालय ने राज्य सामाजिक शिक्षा निदेशालय और राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के सहयोग से पहले की तरह पुस्कतलाय सेवाएं प्रदान कीं। विश्वविद्यालय के ग्रंथ विभाग (प्रकाशन विभाग) ने विभिन्न पुस्तक प्रदर्शनियों में भाग लिया।

जाकिर हुसैन कालेज, दिल्ली

सरकार ने दिल्ली कालेज प्रबन्ध और अनुरक्षण का दायित्व संभालने के लिए सन् 1973 में डा० जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास की स्थापना की थी। स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन का इस कालेज से गहरा संबंध था। इसका उद्देश्य इस कालेज का डा० जाकिर हुसैन के एक स्मारक के रूप में विकास करना है। न्यास द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम कालेज को इसके वर्तमान स्थान से हटाकर नए स्थान पर ले जाना है जहां उसका और विकास करना संभव हो सके। कालेज के भवनों के निर्माण के लिए योजनाओं तथा प्राक्कलनों को अंतिम रूप दे दिया गया है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इसका निर्माण करना स्वीकार कर लिया है और मार्च-अप्रैल, 1982 में निर्माण कार्य के शुरू हो जाने की आशा है।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ

भारतीय विश्वविद्यालय संघ देश के विश्वविद्यालयों का एक स्वैच्छिक संघीय निकाय है। विश्वविद्यालयों की सामान्य समस्याओं पर चर्चा करने तथा उनके समाधान के लिए एक मंच के रूप में इसकी उपयोगी भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार इसके अनुरक्षण व्यय को वहन करने के लिए प्रतिवर्ष सांकेतिक अनुदान संस्वीकृत करती रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने विश्वविद्यालयों के सामान्य हितों व क्षेत्रों में

अनुसंधान कार्यकलापों को शुरू तथा कार्यान्वित करने के लिए मूल अनुसंधान संसाधन (कोर रिसर्च रिसोर्स) के रूप में इसके कार्यालय में एक लघु सेल को वित्त पोषित करना स्वीकार कर लिया है। पांचवीं योजना के दौरान, अनुसंधान सेल ने परीक्षा सुधार और शिक्षा की अर्थ व्यवस्था के क्षेत्रों में अध्ययन शुरू किए थे। विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या में सम्मिलित 16 प्रमुख विषयों में प्रश्न बैंक तैयार तथा प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों को प्रश्न बैंकों, नई मूल्यांकन प्रणालियों आदि से अवगत कराने के लिए शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रश्न बैंकों, ग्रेडिंग प्रणाली, आन्तरिक मूल्यांकन, सेमेस्टर पद्धति, विश्वविद्यालय वित्त, इकाई लागत आदि के विभिन्न पहलुओं पर अनेक विनिबंध तथा लेख भी प्रकाशित किए गए।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

इस संस्थान की स्थापना सन् 1965 में एक स्वायत्त व आवासीय संस्था के रूप में की गई थी ताकि प्रतिभावान विद्वानों को, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों और नैसर्गिक विज्ञानों के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान की जा सकें। संस्थान के कार्यक्रमों और कार्यकलापों का पुनर्गठन तथा पुनर्व्यवस्था करने के संबंध में अप्रैल, 1980 में लिए गए एक निर्णय के अनुसरण में सरकार ने, सितम्बर, 1980 में पुनर्गठन संबंधी विवरण तैयार करने के लिए श्री कृष्ण कृपलानी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति ने अप्रैल, 1981 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । रिपोर्ट की जांच कर ली गई और संस्थान की पुनर्गठन योजना अनुमोदन के अंतिम चरण में है। आशा है कि संस्थान 1982-83 में अपने शैक्षिक कार्यक्रम शुरू कर देगा ।

उच्च अध्ययन की अखिल भारतीय संस्थाएं

सरकार, विश्वविद्यालय पद्धति से हटकर उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले कुछ स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत उन संस्थाओं को सहायता दी जाती है जो शिक्षा की सामान्य और प्रचलित पद्धति से हटकर शिक्षा प्रदान कर रही हैं और नए-नए प्रयोगों में कार्यरत हैं। इस समय इस योजना के अन्तर्गत चार संस्थाएं सहायता प्राप्त कर रही हैं, ये हैं—श्री अरविंद अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी। तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे; लोक भारती, सनोसरा तथा कन्या गरुकुल महाविद्यालय, देहरादून।

पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़

1966 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बाद पंजाब विश्वविद्यालय को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक अन्तर्राज्यीय निगमित निकाय के रूप में घोषित किया गया था। इस समय विश्वविद्यालय का अनुरक्षण व्यय पंजाब सरकार और चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र द्वारा 40 : 60 के अनुपात में वहन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय का विकासात्मक खर्च काफी सीमा तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्वीकृत अनुदानों से पूरा किया जाता है। ऐसे अनुदानों के आनुपातिक अंश को तथा उन विकासात्मक कार्यक्रमों पर खर्च को, जिनके लिए आयोग अनुदान नहीं देता है, विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार से इसे मिले वार्षिक ऋण में से पूरा करता है। 1981-82 के दौरान, इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय ने विश्वविद्यालय को 20 लाख रुपये का ऋण दिया।

राष्ट्रीय प्रोफेसरशिप योजना

राष्ट्रीय प्रोफेसरशिप योजना सन् 1949 में विख्यात शिक्षाविदों तथा विद्वानों को, उनके अपने-अपने क्षेत्रों में ज्ञान के प्रति उनके योगदान को मान्यता देने के लिए सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी । इसकी स्थापना से लेकर अब तक इस योजना के अन्तर्गत 9 राष्ट्रीय प्रोफेसरों को नियुक्त किया गया है। 1965 से कोई नियुक्ति नहीं की गई और इस कारण इस समय कोई राष्ट्रीय प्रोफेसर जीवित नहीं है।

इस योजना को पुन: सक्रिय बनाने से संबंधित प्रस्तावों पर कुछ समय से विचार किया जा रहा है। अब यह निर्णय किया गया है कि राष्ट्रीय प्रोफेसरों के रूप में दो

विख्यात विद्वानों की नियुक्ति करके इस योजना को पुनः शुरू किया जाए। विद्वानों के चयन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रोफेसरों को 3000/- रुपये का मासिक वेतन दिया जाएगा।

ग. विशिष्ट अनुसंधान संगठन

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना सन् 1969 में देश में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को प्रोत्साहित तथा समन्वित करने के लिए की गई थी। परिषद द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों को आलोच्य वर्ष के दौरान जारी रखा गया।

1981-82 के दौरान, अक्तूबर, 1981 तक, परिषद् ने 49 नई अनुसंधान परियोजनाओं का अनुमोदन किया। इसी अवधि के दौरान परिषद द्वारा पहले मंजूर की गई 37 अनुसंधान परियोजनाओं के पूरा होने से संबंधित रिपोर्टें इससे प्राप्त हुई। सितम्बर, 1981 तक परिषद ने विभिन्न शिक्षावृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत 75 नई शिक्षावृत्तियां मंजूर कीं और पहले प्रदान की गई 29 शिक्षावृत्तियों के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त कीं। चिकित्सा समाज विज्ञान चिकित्सा विज्ञान/स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में तथा सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान कर रहे शारीरिक रूप से विकलांग अध्येताओं के लिए डाक्टोल शिक्षावृत्तियों के वास्ते दो नए प्रकार की शिक्षावृत्तियां शुरू की गई है। परिषद ने 8 भारतीय अध्येताओं के आंकड़े एकत्र करके अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विदेश जाने में भी सहायता की।

1981-82 के दौरान, विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर को सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों को सहायक अनुदान की योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया। उड़ीसा स्थित एक अनुसंधान संस्थान को भी इसी प्रकार के अनुदानों के लिए अनुमोदित किया गया है। ऐसी सहायता के लिए नए संस्थानों का अनुमोदन करने के लिए परिषद ने यह निर्णय लिया है कि उन छात्रों को वरीयता दी जानी चाहिए जहां कोई भी सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान नहीं है। इस समय, परिषद द्वारा जिन अनुसंधान संस्थानों की सहायता की जा रही है उनकी कुल संख्या 18 है।

परिषद की प्रलेखन सेवा ने सामाजिक विज्ञान अनुसंधान अध्येताओं को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना जारी रखा। भारत-भर के लगभग 6,000 अध्येताओं ने पुस्तकालय सुविधाओं का उपयोग किया। 150 पी० एच० डी० शोध निबंधों सहित 800 नए प्रकाशनों तथा 70 अनुसंधान परियोजना रिपोर्टों का अधिग्रहण किया गया। 1500 पत्रिकाएं तथा 160 (नियतकालिक) पत्रिकाएं जोड़ी गई। पूर्वव्यापी सूचीकरण परियोजना के अन्तर्गत राजनीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र की 23 भारतीय पत्रिकाओं के संबंध में कार्य चल रहा है तथा 26 पत्रिकाओं की इंडियन एजूकेशन इंडाइसेंस 1947-1970 प्रकाशित की गई। भारतीय विश्वविद्यालयों के 250 पी० एच० डी० छात्रों को प्रलेखन केन्द्र में उपलब्ध अनुसंधान सामग्री का उपयोग करने के लिए अध्ययन अनुदान संस्वीकृत किए गए। 8 संगठनों को उनके पुस्तकालय/अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई।

आंकड़ा अभिलेखागार ने भा० सा० वि० अनु० परिषद द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं से एकत्र आंकड़ों के 13 सेटों का अधिग्रहण किया। 17 विषयों में लगभग 7,500 सामाजिक विज्ञानियों के एक रजिस्टर की पांडुलिपि प्रेस में हैं। परिषद द्वारा 8 नए प्रकाशन निकाले गए हैं। अक्तूबर, 1981 तक विभिन्न विषयों में पत्रिकाओं के 7 खण्ड प्रकाशित किए गए हैं और आशा है कि मार्च, 1982 से पहले 7 और खण्ड प्रकाशित हो जाएंगे।

परिषद ने, भारत के बाहर सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग के अपने कार्यक्रमों को जारी रखा। नीदरलैंड की सहायता से एक सहयोग करार किया

गया जिसके अन्तर्गत 12 भारतीय तथा 4 डच परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 5–6 दिसम्बर, 1981 को नई दिल्ली में सामाजिक विज्ञानों में सहयोग के लिए भारत सोवियत संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन किया गया और उसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर एक सेमिनार हुआ। परिषद ने 4–6 जनवरी, 1982 को "एन्डोजीनियस ग्रुप्स इन वर्ल्ड परस्पेक्टिव: इम्पेरेटिवस आफ एन्डोजीनियस डेवलपमेंट" विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय परिसम्वाद की मेजवानी की जिसमें अनेक विदेशी तथा भारतीय विद्वानों ने भाग लिया। भारत-फ्रांस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत फ्रांस के प्रोफेसर रेमंड जेमोस ने दो महीने के लिए भारत की तथा 4 भारतीय विद्वानों ने फ्रांस की यात्रा की। इसके अतिरिक्त 3 भारतीय अध्येताओं को पोस्ट-डाक्ट्रोल शिक्षावृत्तियों पर फ्रांस में कार्य करने के लिए मनोनीत किया गया है। भारतीय विद्वानों ने चेकोस्लोवाकिया तथा हंगरी का भी उन देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत, दौरा किया।

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्

सरकार ने 1977 के शुरू में, देश में दर्शनशास्त्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित तथा समन्वित करने के लिए एक प्रमुख संस्था के रूप में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया था। तथापि, परिषद काफी समय तक कार्य शुरू नहीं कर सकी। जुलाई, 1981 में परिषद को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया गया तदनुसार परिषद का पुनर्गठन किया गया और प्रोफेसर डी० पी० चट्टोपाध्याय को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। परिषद के सदस्यों में सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत 12 विख्यात दार्शनिक शामिल हैं। परिषद का नई दिल्ली में एक छोटा मुख्यालय संगठन होगा। परिषद का लखनऊ में एक कैम्पस स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भवन भेंट किया है। लखनऊ केन्द्र में एक अच्छा पुस्तकालय, एक संग्रहालय और दर्शन से संबंधित विषयों पर एक प्रदर्शनी की व्यवस्था होगी। परिषद द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित अन्य कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों में शिक्षावृत्तियां तथा छात्रवृत्तियां प्रदान करना, अनुसंधान परियोजनाओं का वित्त पोषण, सम्मेलनों, सेमिनारों आदि की सहायता करना तथा विभिन्न संगठनों के सहयोग से भारतीय दर्शन पर 10 खंडों का एक अध्ययन तैयार करना शामिल है।

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान की स्थापना मुख्य रूप से देश में शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासनिक सेवाओं के सुधार के लिए की गई थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह संस्थान, केन्द्र तथा राज्यों के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों, कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों का आयोजन करता है अनुसंधान तथा अध्ययन आयोजित करता है, अनुरोध किए जाने पर परामर्शसेवाएं प्रदान करता है, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करता है और शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में सूचना के एक निकासी गृह के रूप में कार्य करता है।

संस्थान ने निम्नलिखित का आयोजन किया :—(i) हरियाणा के लिए शैक्षिक मानदण्डों पर एक कार्यशाला (2-4 अप्रैल 1981); (ii) जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए एक अनुस्थापन सेमिनार (6-11 अप्रैल 1681); (iii) जम्मू और कश्मीर के जिला तथा तहसील शैक्षिक आयोजना अधिकारियों के लिए द्वितीय प्रशिक्षण सेमिनार (13-25 अप्रैल 1981); और (iv) दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक अनुस्थापन कार्यक्रम (20–25 अप्रैल 1981); (v) हरियाणा के कालेज प्रिंसिपलों के लिए शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन में नई दिल्ली में एक अनुस्थापन कार्यक्रम (25 मई-6 जून 1981); (vi) वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन में एक

अनुस्थापन कार्यक्रम नई दिल्ली (25 मई–12 जून, 1981); (vii) जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रमुख पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (22-27 जून, 1981); (viii) अमरीका के सामाजिक अध्ययनों के पर्यवेक्षकों और पाठ्यचर्या परामर्शदाताओं के लिए भारतीय इतिहास और संस्कृति में एक कार्यशाला (30 जून-16 जुलाई 1981), (ix) वरिष्ठ स्कूल प्रशासकों के लिए शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन में एक अनुस्थापन कार्यक्रम (3-21 अगस्त 1981); (x) मुद्रेतर निवेशों पर बल देते हुए शैक्षिक विकास के लिए संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग पर एक राष्ट्रीय सेमिनार (22-25 सितम्बर, 1981); (xi) परमाणु शिक्षा ऊर्जा सोसायटी, बम्बई के सहयोग से परमाणु ऊर्जा स्कूलों के प्रिंसिपलों, वाइस-प्रिंसिपलों आदि के लिए स्कूल प्रबंध पर एक कार्यशाला बम्बई (2–7 नवम्बर, 1981); (xii) कालेज प्रिंसिपलों के लिए शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन में पहला अनुस्थापन कार्यक्रम (2–21 नवम्बर, 1981) (xiii) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के सहयोग से जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए क्षेत्र उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम (23 नवम्बर–5 दिसम्बर, 1981); (xiv) महिला कालेजों के प्रिंसिपलों के लिए शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन अनुस्थापन कार्यक्रम (30 नवम्बर–19 दिसम्बर, 1981); और (xv) दीर्घ-कालीन शैक्षिक आयोजना पर राष्ट्रीय सेमिनार (21–23 दिसम्बर, 1981)।

इसके अलावा, संस्थान का आगामी महीनों में निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन करने का प्रस्ताव है: (1) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन के प्रिंसिपलों तथा रेक्टरों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम (31 दिसम्बर, 1981 से 9 जनवरी, 1982 तक); (2) शिक्षा सचिवों/जन शिक्षा निदेशकों के लिए जनसंख्या शिक्षा में अनुस्थापन कार्यक्रम (7–8 जनवरी, 1982); (3) (एशिया तथा पैसिफिक में शिक्षा के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, बैंकाक के सहयोग से) दीर्घकालीन शैक्षिक आयोजना में क्षेत्रीय कार्यशाला (12–25 जनवरी 1982); (4) (प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के सहयोग से) जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम—नया पाठ्यक्रम (18–23 जनवरी, 1982); (5) राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमुख कार्मिकों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम (27–30 जनवरी, 1982); (6) प्रौढ़ शिक्षा पर प्रमुख कार्मिकों (शिक्षा सचिवों/जन शिक्षा निदेशकों, आदि) का राष्ट्रीय सम्मेलन (1–4 फरवरी, 1982); (7) पांडिचेरी के स्कूलों के अध्यक्षों तथा निरीक्षण अधिकारियों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम, पांडिचेरी (8–13 फरवरी, 1982); (8) शैक्षिक आयोजना तथा प्रबंध में नए-नए शैक्षिक प्रयोगों का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र का अन्तर-राज्य दौरा (8–13 फरवरी, 1982); (9) कालेज प्रिंसिपलों के लिए तृतीय अनुस्थापन कार्यक्रम (8–27 फरवरी, 1982); (10) हरियाणा के उप-मण्डलीय तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए कार्मिक प्रबंध में अनुस्थापन पाठ्यक्रम (फरवरी, 1982 के अंतिम सप्ताह में); (11) जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए जनसंख्या शिक्षा पर अनुस्थापन कार्यक्रम (मार्च, 1982); (12) केन्या सरकार के अधिकारियों के लिए ई० पी० एम० में एक सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (मार्च, 1982); और (13) भारतीय वायु सेना अधिकारियों (शिक्षा) के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम (मार्च, 1982)।

वर्ष के दौरान संस्थान ने अनेक अनुसंधान अध्ययनों पर काम पहले ही शुरू कर दिया है, इनके नाम हैं, जनजातीय बच्चों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से स्थापित आश्रम स्कूलों का गहन अध्ययन, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण देना, हरियाणा के गुड़गांव जिले में शिक्षा की लागत का अध्ययन और राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान में जनसंख्या शिक्षा संबंधी कार्यकलापों आदि का अध्ययन। आशा है कि वर्ष के दौरान अनेक अन्य अनुसंधान अध्ययन भी शुरू किए जाएंगे।

घ. द्विपक्षीय/विदेशी सहयोग कार्यक्रम

शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान, नई दिल्ली

संस्थान के शिक्षावृत्ति कार्यक्रमों के अन्तर्गत मानविकी में अनुसंधान अथवा भारतीय भाषाओं का अध्ययन करने के लिए 1981–82 के दौरान दस फैलो/भाषा प्रशिक्षणार्थी भारत आए। विजिटिंग लेक्चररशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत एक भारतीय अध्येता कनाडा गया। संस्थान को भारत सरकार की सहायता प्रदान करने से संबंधित करार का, 23 सितम्बर, 1981 को और तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण किया गया। इस करार के अन्तर्गत, संस्थान अब ज्ञान की उन्नति को प्रोत्साहित और बढ़ावा देने तथा एक-दूसरे देशों के अध्येताओं और छात्रों के बीच सूझबूझ के दोहरे उद्देश्यों के साथ काम करेगा।

भारत-रूस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम

1981–82 के दौरान, रूसी भाषा तथा साहित्य के अध्यापन के लिए पचास रूसी शिक्षकों को विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में नियुक्त किया गया।

भारतीय अध्ययनों का अमरीकी संस्थान, नई दिल्ली

इस संस्थान की स्थापना सन् 1962 में अमरीका के पूर्व-डाक्टोरल/डाक्टोरल/उत्तर-डाक्टोरल अध्येताओं द्वारा भारत में मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। 1981–82 के दौरान, संस्थान ने भारतीय विषयों पर विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के लिए 130 शिक्षावृत्तियां प्रदान की।

भारत में संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान

1981–82 के दौरान, प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों के अन्तर्गत डाक्टोरल/उत्तर-डाक्टोरल अनुसंधान के लिए तथा भारतीय विश्वविद्यालयों में अतिथि प्रोफेसरों के रूप में कार्य करने के लिए 46 अमरीकी अध्येता/छात्र भारत आए। इसी प्रकार, यू० एस० ई० एफ० आई० और पूर्व-पश्चिम केन्द्र, हवाई के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत, अमरीका के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में अध्यापन, अनुसंधान अथवा सेमिनारों और कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए 92 भारतीय अध्येता अमरीका गए।

बर्कले व्यावसायिक अध्ययन कार्यक्रम

चिकित्सा, विधि, इंजीनियरी, वस्त्र-उद्योग, वास्तुकला, कृषि तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अध्ययन/इन्टरनशिप के लिए नौ अमरीकी छात्र भारत आए।

अमरीकी विश्वविद्यालयों/कालेजों के अल्प-कालिक ग्रुप शैक्षिक कार्यक्रम

भारत में शिक्षा जीवन तथा संस्कृति के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए छः ग्रुप भारत आए जिनमें अमरीका के प्रोफेसर, शिक्षक, शैक्षिक प्रशासक सहित 76 शिक्षाविद् शामिल थे। ये ग्रुप कार्यक्रम भारतीय विश्वविद्यालयों के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं।

अनुसंधान के लिए भारत आने वाले विदेशी अध्येता

1981–82 के दौरान, अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, संघीय जर्मन गणराज्य, जर्मन जनवादी गणराज्य, हालैंड तथा इटली के 57 विदेशी अध्येता डाक्टोरल अथवा पोस्ट-डाक्टोरल अनुसंधान के लिए, अपने-आप अथवा अपने-अपने विश्वविद्यालयों से अनुदान लेकर भारत आए।

ङ. अन्य कार्यकलाप

विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों के वेतनमानों का संशोधन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार ने 1 जनवरी, 1973 से विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन करना स्वीकार

कर लिया था। संशोधित वेतनमानों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त-पोषित अन्य संस्थाओं में लागू कर दिया गया। इन वेतनमानों को अपनाने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को, संशोधित वेतनमान देने में, 1 जनवरी, 1973 से 31 मार्च, 1979 तक की अवधि के लिए, अतिरिक्त खर्च के 80 प्रतिशत तक की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध की गई। केरल को छोड़कर सभी राज्यों ने संशोधित वेतनमानों को स्वीकार तथा लागू कर दिया है। जम्म तथा काश्मीर और कर्नाटक ने संशोधित वेतनमानों को केवल विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए ही लागू किया है। 31 मार्च, 1981 तक, इस योजना को अपनाने वाले राज्यों को कुल 54 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। तथापि, कुछ राज्यों के अवशेष दावों का अभी निपटान किया जाना है। अतः इस योजना के लिए केन्द्रीय बजट में व्यवस्था जारी रखी गई है।

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों/निदेशकों के वेतनमानों को भी साथ-ही-साथ संशोधित कर दिया गया। तथापि, स्टाफ के इन वर्गों के लिए संस्वीकृत संशोधित वेतनमानों को प्रोफेसरों, रीडरों तथा लेक्चररों के लिए संस्वीकृत वेतनमानों से कम रखा गया। पुस्तकालयाध्यक्ष तथा शारीरिक शिक्षा निदेशक यह मांग कर रहे हैं कि उनके वेतनमानों को पहले की तरह ही प्रोफेसरों, रीडरों तथा लेक्चररों के वेतनमानों के समकक्ष किया जाना चाहिए। सरकार ने मामले की समीक्षा की और सिद्धान्त रूप में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा निदेशकों/अनुदेशकों के वेतनमानों को बढ़ाना तथा उन्हें शिक्षकों के वेतनमानों के समकक्ष करना स्वीकार कर लिया है। बढ़ाए गए वेतनमानों को, राज्य सरकारों के परामर्श से, 1 अप्रैल, 1980 से संस्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए विशेष सैल

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कल्याण संबंधी समिति की 42वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसरण में जनवरी, 1977 में इस मंत्रालय में एक विशेष सैल स्थापित किया गया था। इस सैल का प्रमुख काम यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों से सम्बंधित छात्रों के विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में दाखिले तथा इन वर्गों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा लिये गए निर्णयों को स्वीकार तथा लागू किया जाए। यह सैल, इन वर्गों के व्यक्तियों से, उनके साथ भेदभाव अथवा अन्याय किए जाने के खिलाफ प्राप्त विशिष्ट शिकायतों को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुरोध भी करता है।

1981 के दौरान, सेल ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकारों से विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में दाखिले के लिए आरक्षण आदेशों को पूर्णतः लागू करने के प्रश्न पर बातचीत जारी रखी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में स्थापित इसी प्रकार के एक सैल द्वारा, इन वर्गों को प्रदान की गई सुविधाओं के संबंध में सूचना पर निरंतर नजर रखी जाती है और इस सैल से निकट सम्पर्क बनाए रखा जाता है। वर्ष के दौरान सेल ने विभिन्न व्यक्तियों से 54 अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त की। इनमें से अधिकांश शिकायतें राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में थीं। अतः उन्हें दूर करने के लिए उचित कार्रवाई करने के वास्ते राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ मामला उठाया गया। यह सैल, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में आवश्यक विभिन्न विश्वविद्यालयों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में आंकड़े एकत्र करने के लिए एक प्रमुख केन्द्र के रूप में भी कार्य करता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की 55वीं रिपोर्ट में की गई अधिकांश सिफारिशों को लागू किया जा चुका है और कुछ शेष सिफारिशों पर अंतिम रूप से विचार किया जा रहा है।

तकनीकी शिक्षा

देश की तकनीकी शिक्षा पद्धति का लक्ष्य अर्थव्यवस्था की प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं को अल्पकालिक आधार पर ही नहीं बल्कि दीर्घकालिक आधार पर भी पूरा करना है। अतः तकनीकी शिक्षा के विकास को आर्थिक आयोजना में, उच्च प्राथमिकता का क्षेत्र माना जाता है। राष्ट्र की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी शिक्षा की प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कुछ विशिष्ट पहलुओं पर विशेष बल दिया जाता है। छठी योजना अवधि में निम्नलिखित पर विशेष जोर दिया जाएगा (क) समेकन, (ख) विद्यमान सुविधाओं का अधिकतम उपयोग, (ग) उन क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार जहां इनकी कमी है, (घ) देश के विकास के लिए अनिवार्य प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में अवस्थापना का निर्माण, (ङ) शिक्षा की कोटि और स्तर में सुधार और (च) देश की समाजार्थिक प्रगति के लिए एक साधन के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विकसित और प्रयुक्त करने के राष्ट्रीय प्रयास में सहयोग।

इस दृष्टिकोण में यह सुनिश्चित करना है कि पूर्ववर्ती योजनाओं में शुरू किए गए विकास कार्यक्रमों को पूरा किया जाए और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम चुनौतियों का सामना करने के लिए, जहां आवश्यक हो, नई-नई योजनाएं शुरू की जाएं। वर्ष 1981–82 के दौरान या तो पहले से चले आ रहे कार्यक्रमों अथवा नई योजनाओं के रूप में निम्नलिखित योजनाएं/कार्यकलाप, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, शुरू किए गए।

कोटि सुधार कार्यक्रम

भारत में तकनीकी शिक्षा पद्धति की कोटि और स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से कोटि सुधार कार्यक्रम 1970–71 में शुरू किया गया था। इस योजना ने तकनीकी संस्थाओं में संकाय विकास और पाठ्यचर्या विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। कोटि सुधार कार्यक्रम में निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं :—

संकाय विकास जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) दो वर्षीय एम० टेक० कार्यक्रम;

(ii) तीन वर्षीय डाक्टोरल कार्यक्रम;

(iii) कोटि सुधार कार्यक्रम केन्द्रों में अल्पकालिक पाठ्यक्रम;

(iv) उद्योगों में अल्पकालिक प्रशिक्षण;

(v) भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी के माध्यम से ग्रीष्म संस्थान कार्यक्रम; और

(vi) पाठ्यचर्या विकास जिसमें शैक्षिक सामग्री और पाठ्यपुस्तकों का निर्माण और प्रयोगशाला विकास शामिल है।

एम० टेक० और डाक्टोरल कार्यक्रम पांच प्रौद्योगिकीय संस्थानों, रुड़की विश्वविद्यालय और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। अल्पकालिक पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित कार्यक्रम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, रुड़की विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों और इलाहाबाद पोलिटैक्निक, इलाहाबाद जैसे विभिन्न चुने हुए केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित

किया जाता है। उद्योगों में अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित किया जाता है। इंजीनियरी कालेजों और पोलिटैक्निकों के अध्यापकों के लिए ग्रीष्म और शरद स्कूल तथा अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का आयोजन भी भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी के माध्यम से किया जाता है।

1981–82 में पिछले वर्षों से प्रशिक्षण पाते आ रहे व्यक्तियों के अलावा 95 नए अध्यापकों को एम० टेक० और 110 अध्यापकों को पी० एच० डी० का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य था। ग्रीष्म स्कूल कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1500 अध्यापकों के लाभान्वित होने की आशा है पाठ्यचर्या विकास कार्यक्रम कोटि सुधार केन्द्रों में 14 दलों द्वारा आयोजित किए गए । उद्योगों में अल्पकालीन प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1400 डिग्री डिप्लोमाधारी अध्यापकों को उद्योग सम्बन्धी प्रशिक्षण दिए जाने की आशा है।

सीधी केन्द्रीय सहायता योजना

वर्ष 1976–77 में आरम्भ की गई इस योजना के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा की कोटि और स्तरों में सुधार के लिये संगत और आवश्यक, निर्धारित प्रयोगशालाओं के विकास के लिए चुनिन्दा इंजीनियरी कालेजों और पोलिटैक्निकों को विशेष सीधी केन्द्रीय सहायता 1981–82 में जारी रही। सहायता के लिये योजना के अन्तर्गत डिग्री और डिप्लोमा दोनों स्तरों की तकनीकी संस्थाओं और उचित क्षेत्रों का पता लगाने के लिये स्थापित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समितियों ने इस योजना के अधीन सहायता प्रदान करने हेतु 14 इंजीनियरी कालेजों और 20 पोलिटैक्निकों को चुना। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कुल खर्च 104.50 लाख रुपये था।

सामुदायिक पोलिटैक्निक

1978–79 में आरम्भ की गई इस योजना के अन्तर्गत 35 पोलिटैक्निकों को सामुदायिक पोलिटैक्निकों के रूप में विकसित करने के लिये चुना गया था। इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करने के अतिरिक्त ये पोलिटैक्निक पर्यावरण के अनुसार कार्य करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण को बढ़ावा देने के लिये मुख्य केन्द्र के रूप में भी कार्य करते हैं। यह योजना वर्ष 1981–82 में भी जारी रही और सामुदायिक पोलिटैक्निक के रूप में एक और पोलिटैक्निक को विकसित करने की स्वीकृत दी गई। वर्ष 1981–82 में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विभिन्न सामुदायिक पोलिटैक्निकों को अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार आवश्यक अनुदान दिये गये।

उच्च स्तरीय तकनीशियन पाठ्यक्रम

आलोच्य वर्ष के दौरान उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रमों के लिये एक नई योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सिफारिशों के अनुसार उत्तरी-दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में क्रमश: औजार इंजीनियरी वातानुकूलन और प्रशीतन तथा औजार इंजीनियरी में उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम लागू करने के लिये स्वीकृत दी गई है। इस प्रयोजन के लिये इन तीनों संस्थानों को 38.25 लाख रुपये के अनुदान दिए गए।

संस्था तंत्र

आन्तरिक तकनीकी सहायता कार्यक्रम के माध्यम से संस्थाओं के विकास के लिए एक नई योजना आलोच्य वर्ष के दौरान आरम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत सुविकसित संस्थाओं और अन्य इंजीनियरी कालेजों के बीच एक संस्था तंत्र विकसित करने का विचार है। इस वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के बीच यह संस्था तंत्र विकसित करने का कार्य शुरू किया गया। विकास के प्रथम चरण में यह योजना निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान देगी :

(क) प्रयोगशाला विकास;

(ख) संकाय विनिमय;

(ग) संकाय विकास; और

(घ) अनुसंधान सहयोग

संबंधित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की सहायता और उनके घनिष्ठ सहयोग से 15 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों ने इस योजना के अधीन विकास के लिये 25 प्रयोगशालाओं को निर्धारित किया। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर कुल व्यय 125 लाख रुपये था जिसमें से 62.5 लाख रुपये की राशि इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रावधान में से दी जाएगी।

अन्य नई योजनाएं

हमारी तकनीकी शिक्षा पद्धति में जहां आज भी कुछ कमियां हैं वहां शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाओं का विकास अत्याधिक महत्वपूर्ण है। देश के विकास के लिये महत्वपूर्ण नए-नए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अवस्थापना का सृजन और इसके साथ-साथ पहले से उपलब्ध अवस्थापना में प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इन राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में पहले से शामिल तीन मुख्य योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया और आलोच्य अवधि के दौरान उन पर कार्यवाही शुरू की गई। सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यवहार को प्रोत्साहन देने के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल तकनीकी संस्थाओं और सोसायटी के बीच परस्पर क्रिया से संबंधित दूसरी योजना को भी अन्तिम रूप दिया गया और आलोच्य वर्ष के दौरान उस पर कार्यवाही शुरू की गई। इसके साथ-साथ छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल तकनीकी शिक्षा संबंधी निम्नलिखित योजनाओं पर भी आरम्भिक कार्य किया गया :

(i) राष्ट्रीय जनशक्ति सूचना प्रणाली;

(ii) इंजीनियरी की स्नातक डिग्री और उत्तर-स्नातक उद्योगोन्मुख डिग्री प्राप्त करने के लिये पोलिटैक्निक डिप्लोमाधारी अध्यापकों के लिये कोटि सुधार कार्यक्रम;

(iii) अनुश्रवण और मूल्यांकन; और

(iv) प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के अन्तर्गत नई-नई योजनाएं।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कानपुर, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास स्थित प्रशिक्षुता व्यावहारिक प्रशिक्षण संबंधी चार बोर्डों के माध्यम से जारी रहा। दिसम्बर, 1981 की स्थिति के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 11,297 थी जिनमें से 4,133 इंजीनियरी स्नातक और 7,164 डिप्लोमाधारी थे। राज्य/संबंधित उद्योगों के सहयोग से अधिनियम के अन्तर्गत दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रीय स्नातक प्रशिक्षुता बोर्डों द्वारा विशेष अल्पकालिक कार्यक्रम आयोजित किये गये ताकि प्रशिक्षणार्थियों में पर्यवेक्षण प्रबन्ध, संगठन संरचना, लागत कारगरता आदि की भावना पैदा की जा सके।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

इंजीनियरी और प्रयुक्त विज्ञान में शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रमुख केन्द्रों के रूप में कार्य करने तथा उत्तर-स्नातक अध्ययन और अनुसंधान के लिये पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिये खड़गपुर, बम्बई, मद्रास, कानपुर और दिल्ली में पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किये गये। इन संस्थानों ने विकसित हो जाने पर कोटि सुधार कार्यक्रमों, पाठ्यचर्या आयोजन, संकाय विकास, अन्तर-विषयक अनुसंधान, अन्तर-संस्था सहयोग और परामर्श सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये अपने-अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर लिया है।

ये संस्थान इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी स्नातक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। वे भौतिकी, रसायन और गणित के पांच वर्षीय समेकित मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम विभिन्न विशेषज्ञताओं में दो वर्षीय एम० टेक० डिग्री पाठ्यक्रम और चुनिन्दा क्षेत्रों में एक वर्षीय उत्तर-स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त ये संस्थान इंजीनियरी, विज्ञान, मानविकी और समाज विज्ञान

की विभिन्न शाखाओं में पीएच० डी० कार्यक्रम भी प्रदान करते हैं। प्रत्येक संस्थान में निर्धारित विशेषज्ञता क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान के उच्च केन्द्र भी हैं।

1981–82 के दौरान पांचों संस्थानों में दाखिल और सफल हुए छात्रों की संख्या इस प्रकार रही :

नामांकन

भा० प्रौ० सं०	अवर-स्नातक	उत्तर-स्नातक	अनुसंधान	कुल	उत्तीर्ण
खड़गपुर . . .	1706	878	355	2939	639
बम्बई . . .	1269	597	289	2155	572
मद्रास . . .	1231	578	663	2472	581
कानपुर . . .	1159	495	297	1951	458
दिल्ली . . .	1189	710	713	2612	481
	6554	3258	2317	12129	2731

वर्ष 1981–82 के दौरान इन संस्थाओं ने अपनी अवस्थापन सुविधाओं का विस्तार किया और नये-नये परिष्कृत अनुसंधान उपस्कर प्राप्त करने, नए-नए अन्तर विषयक शैक्षिक कार्यक्रम आरम्भ करने और अनुसंधान और परामर्श सेवाएं प्रदान करने में पर्याप्त प्रगति की। इन संस्थाओं ने देश भर के छात्रों, कार्यरत इंजीनियरों, प्रौद्योगिकी-विदों और वैज्ञानिकों के लाभार्थ अनेक अल्पकालिक, दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के आयोजन द्वारा सतत शिक्षा के क्षेत्रों में भी अपने कार्यकलापों को तेज किया।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

दूसरी और तीसरी योजना अवधियों के दौरान प्रत्येक प्रमुख राज्य में एक-एक करके 14 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की स्थापना की गई थी ताकि उत्तरवर्ती योजना अवधियों [के दौरान] प्रशिक्षित कार्मिकों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देश सक्षम हो सके। सिल्चर (असम) स्थित 15वें कालेज ने नवम्बर, 1977 में छात्रों का प्रथम बैच दाखिल किया। जबकि इन सभी कालेजों में सिविल, मैकेनिकल और विद्युत् इंजीनियरी में प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है कुछ कालेजों में रसायन इंजीनियरी, धातु-कर्म इलैक्ट्रोनिकी और वास्तु-कला पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी है इनमें से 13 कालेजों में अब उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिये हैं। इनमें से नौ कालेज उच्च दबाव के बायलरों और उपकरणों का डिजाइन निर्माण और उत्पादन, इस्पात संयंत्रों के लिये बड़ी-बड़ी मशीनों, परिवहन इंजीनियरी, औद्योगिक और समुद्री संरचनाओं, समेकित ऊर्जा पद्धतियों इत्यादि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगोन्मुख पाठ्यक्रमों का संचालन भी कर रहे हैं।

छठी योजना अवधि के दौरान, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के विकास में सभी कालेजों में छात्र गतिविधि केन्द्रों के विकास, बेकार उपस्करों को बदलने के साथ-साथ प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण, चुनिन्दा कालेजों में संगणक केन्द्रों की स्थापना और विद्यमान सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया है। आलोच्य वर्ष के दौरान क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों ने अपनी विकासात्मक योजना के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति की है।

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान

1966–67 में स्थापित मद्रास, कलकत्ता, भोपाल और चण्डीगढ़ स्थित ये संस्थान इंजीनियरी और पोलिटैक्निकों के डिप्लोमा और डिग्रीधारी शिक्षकों के लिये दीर्घ-

कालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करते हैं। ये अनेक विषयों और क्षेत्रों में अल्पकालिक कार्यक्रम भी प्रदान करते हैं। ये संस्थान निम्नलिखित कार्य भी करते हैं। (i) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकीय विषयों के अध्यापन के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था; (ii) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा और अनुसंधान तथा इन शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति और ज्ञान के प्रसार की व्यवस्था तथा (iii) सहकारी शिक्षा योजना के अनुसार उद्योगों में व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तकनीकी शिक्षकों का डिप्लोमा अध्ययन पाठ्यक्रम एक शैक्षिक वर्ष का होता है। प्रशिक्षणार्थी संस्थान द्वारा उपलब्ध किये गये माडल्यूज की एक व्यापक सूची में से प्रशिक्षण और अध्ययन के लिये अपनी इच्छानुसार "मायूल्टज" का चयन करते हैं।

यूनेस्को के साथ सरकार द्वारा किये गये करार के अनुसार इन संस्थानों ने शैक्षिक फिल्म निर्माण, राष्ट्रीय परीक्षण सेवा, शिक्षा अनुसंधान, बहुसंचार साधन अध्ययन/शैक्षिक पैकेज आदि जैसी विभिन्न संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया है। ये संस्थान तकनीशियन पाठ्यक्रमों और विस्तार सेवाओं के लिये पाठ्यचर्या विकास का कार्य भी करते हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान संस्थानों ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पोलिटैक्निक शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित अपनी गतिविधियों को तेज किया। इन संस्थानों ने विभिन्न सं० रा० वि० का० परियोजनाओं के कार्यान्वियन में भी महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई।

आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली

1959 में स्थापित इस स्कूल मे वास्तु-कला में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम, भूदृश्य वास्तुकला, आवास, नगर और ग्राम आयोजना, परिवहन आयोजना और भवन इंजीनियरी में मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। दिसम्बर 1979 से इस स्कूल को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अधीन "विश्व विद्यालय समझे जाने वाली संस्था" का दर्जा दे दिया गया है ताकि मानव बस्तियों और पर्यावरण से संबंधित शैक्षिक कार्यक्रमों को और विस्तृत किया जा सके तथा अनुसंधान और विस्तार कार्य को भी प्रोन्नत किया जा सके। विद्यालय ने आलोच्य वर्ष के दौरान पहले की ही तरह अपने उपयोगी कार्यकलापों को जारी रखा।

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई

यह संस्थान औद्योगिक इंजीनियरी और सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये सं० रा० वि० का० की सहायता से 1963 में स्थापित किया गया था। यह संस्थान निम्नलिखित का आयोजन करता है:—(i) व्यापक विकास कार्यक्रम (ii) यूनिट आधारित कार्यक्रम (iii) औद्योगिक इंजीनियरी में उत्तर-स्नातक कार्यक्रम (iv) परामर्शी सेवायें (v) अनुसंधान कार्यक्रम और (vi) सेमिनार और सम्मेलन। संस्थान ने आलोच्य वर्ष के दौरान इन सभी कार्यकलापों/कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से जारी रखा।

राष्ट्रीय ढलाई और गढ़ाई प्रोद्योगिकी संस्थान, रांची

इस संस्थान की स्थापना ढलाई और गढ़ाई उद्योग के लिये अपेक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने के लिये सं० रा० वि० का०/यूनेस्को की सहायता से 1966 में की गई थी। यह संस्थान निम्नलिखित का आयोजन करता है:—(क) अल्पकालिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, दीर्घकालिक उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, उत्तर-स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण (ख) उद्योगों के वरिष्ठ कार्यकारी कार्मिकों का नवीनतम तकनीकों और तरीकों, डिजाइन और विकास में प्रशिक्षण (ग) ढलाई और गढ़ाई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रयुक्त अनुसंधान का आयोजन और (घ) उद्योगों की परामर्शी, प्रलेखन और सूचना सेवाओं के जरिए सेवा। इस संस्था ने आलोच्च वर्ष के दौरान इन सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्यक्रमों का आयोजन किया।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान

अहमदाबाद, बंगलौर और कलकत्ता स्थित ये तीन प्रबन्ध संस्थान क्रमश: 1962, 1972 और 1961 में स्थापित किये गए थे। इनका उद्देश्य है प्रबन्धकीय जीविका के लिये युवा पुरुष और महिलाओं को प्रशिक्षण देना, प्रबन्ध तकनीकों में अनुसंधान करना

ग्रौर प्रबन्ध व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत ग्रध्यापकों के विकास के लिये सुविधायें प्रदान करना। इन संस्थानों ने उत्तर स्नातक कार्यक्रमों, शिक्षावृत्ति कार्यक्रमों तथा ग्रन्य ग्रनुसंधान तथा विकास संबंधी कार्यकलापों को सोत्साह जारी रखा। जिस क्षमता को लेकर इन तीन संस्थानों की स्थापना की गई थी उसकी उपलब्धियों पर विचार करते हुए भारत सरकार ने एक समीक्षा समिति का गठन किया है ताकि इन तीनों संस्थानों के कार्य क्षेत्र ग्रौर कार्यकलापों को ग्रौर विस्तृत किया जा सके। इस समिति ने सरकार के विचारार्थ ग्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद

इस कालेज की स्थापना सार्वजनिक ग्रौर प्राइवेट क्षेत्र के उद्योगों ग्रौर भारत सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में 1957 में की गई थी। यह कालेज प्रमुखतः उत्पादन, विपणन, वित्त, कार्मिक, सामग्री प्रबन्ध ग्रौर निवेश ग्रायोजन जैसे कार्यात्मक क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ सामान्य प्रबन्ध संबंधी उत्तर-ग्रनुभव प्रबन्ध विकास कार्यक्रमों पर भी ध्यान केन्द्रित कर रहा है। इस कालेज ने सामान्य प्रबन्ध, कार्यात्मक प्रबन्ध, प्रबन्ध विज्ञान ग्रौर चुनिन्दा राष्ट्रीय क्षेत्रों में 50 से ग्रधिक पाठ्यक्रमों ग्रौर सेमिनारों का ग्रायोजन किया।

शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड

शैक्षिक ग्रर्हता मूल्यांकन बोर्ड, संघ लोक सेवा ग्रायोग के सदस्य की ग्रध्यक्षता में केन्द्रीय सरकार के ग्रधीन पदों ग्रौर सेवाग्रों में भर्ती के लिये डिग्रियों/डिप्लोमाग्रों (भारतीय ग्रौर विदेशी) को मान्यता देने से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार को सलाह देता है। वर्ष 1981 के दौरान इस बोर्ड की एक बैठक हुई।

उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान कार्य का विकास

भारत सरकार, इंजीनियरी ग्रौर प्रौद्योगिकी के उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों ग्रौर ग्रनुसंधान कार्य के विकास की योजना के ग्रन्तर्गत एक सतत योजना के रूप में 13 राज्य सरकारों ग्रौर 14 निजी संस्थाग्रों को उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों के विकास के लिये सीधे सहायता दे रही है।

डा० वाई० नायुदम्मा की ग्रध्यक्षता में स्थापित इंजीनियरी ग्रौर प्रौद्योगिकी उत्तर-स्नातक शिक्षा ग्रौर ग्रनुसंधान संबंधी उच्च ग्रधिकार प्राप्त समीक्षा समिति ने जून, 1980 में ग्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने ग्रन्य बातों के साथ-साथ उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन ग्रौर संचालन, नए-नए क्षेत्रों के निर्धारण, सहायता के मानदण्डों में संशोधन, संकाय सुधार इत्यादि की सिफारिश की है। इस समिति की सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों की ग्रधिकार सम्पन्न समिति द्वारा विचार किया जा चुका है। इस ग्रधिकार सम्पन्न समिति ने कुछ मामूली संशोधनों के साथ उक्त समीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने की सिफारिश सरकार से की थी। ग्रालोच्य वर्ष के दौरान उस ग्रधिकार सम्पन्न समिति के ग्रन्तिम सुझाव ग्रौर सिफारिशों पर कार्यान्वयन के लिये कार्यवाही की गई।

प्रबन्ध शिक्षा

प्रबन्ध पाठ्यक्रमों के ग्रायोजन के लिये निर्धारित स्वीकृत संस्थाग्रों को ग्रनुमोदित मानदण्डों के ग्रनुसार सहायता दी गई। संबंधित संस्थाग्रों ने ग्रालोच्य ग्रवधि के दौरान ग्रच्छा कार्य किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजनाएं

इंजीनियरी ग्रौर प्रौद्योगिकी शिक्षा संबंधी विश्वविद्यालय केन्द्रों/विभागों ने समेकन ग्रौर ग्राधुनिकीकरण की दिशा में ग्रपने प्रयासों को जारी रखा। पहले से चल रही विकास परियोजनाग्रों के कार्यान्वयन के लिये विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग द्वारा ग्रावश्यक ग्रनुदान मुक्त किए गए।

अध्याय 5

छात्रवृत्तियां

मंत्रालय द्वारा कई छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनमें वे छात्रवृत्तियां भी शामिल हैं जो अन्य देशों द्वारा दी जाती हैं, ताकि भारतीय छात्रों को समान शैक्षिक अवसर दिये जायें और उच्चतर तथा विशिष्ट शिक्षा की सुविधायें भी प्रदान की जा सकें। मंत्रालय अन्य देशों के नागरिकों को भी पारस्परिक आधार पर अथवा अन्य आधारों पर छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। महत्वपूर्ण योजनाओं के सम्बंध में एक रिपोर्ट नीचे दी गई है:

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाएं

इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शैक्षिक सुविधायें प्रदान करना है। इन योजनाओं की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां

इस योजना के अन्तर्गत, छात्रवृत्तियां योग्यता-एवं-साधनों के आधार पर दी जाती हैं। यह योजना राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। छात्रवृत्तियों की संख्या जो 1980-81 में 23,000 थी, 1981-82 में बढ़ाकर 24,000 कर दी गई है। निम्नलिखित विवरण से पता चलता है कि छात्रवृत्ति की दरें एक जुलाई, 1981 से बढ़ाई गई हैं:

छात्रवृत्तियों की दरें

	1980-81		जुलाई, 1981 से	
	दिवा छात्र	छात्रावास में रहने वाले छात्र	दिवा छात्र	छात्रावास में रहने वाले छात्र
	रु०	रु०	रु०	रु०
1. पूर्व विश्वविद्यालय और आई० ए०/आई० एस० सी०/3- वर्षीय बी० ए०/ बी० एससी०/बी० काम० आदि पाठ्यक्रमों का प्रथम वर्ष	50	75	60	100
2. बी० ए०/बी० एससी०/ बी० काम०/(दूसरा तथा तीसरा वर्ष) पाठ्यक्रम	75	110	90	140
3. बी० ई०/बी० टेक०/ एम० बी० बी० एस०/ एलएल० बी०/बी० एड०/डिप्लोमा पाठ्यक्रम/ बी० कृषि . .	100	125	120	170
4. एम० ए०/एम० एस-सी०/एल एल० एम०/ एम० एड० . .	100	125	120	170

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां

इस योजना के अन्तर्गत 1981–82 में 20,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं हैं। छात्रवृत्तियां योग्यता-एवं-साधनों के आधार पर दी जाती हैं। यह योजना राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के जरिए कार्यान्वित की जाती है।

स्वीकृत रिहायशी स्कूलों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां

इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। 11–12 आयु वर्ग वाले ऐसे बच्चे, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 6,000 रु० से अधिक नहीं है, छात्रवृत्तियों के लिये पात्र हैं। ये छात्रवृत्तियां माध्यमिक शिक्षा स्तर तक के बच्चों के लिये हैं जिसमें शिक्षा का +2 स्तर भी शामिल हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां

छात्रवृत्तियों की संख्या 1980–81 में 22,500 थी जो 1981–82 में 26,000 तक बढ़ा दी गई है। इन छात्रवृत्तियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(क) साधारण श्रेणियों के लिये	प्रति समुदाय विकास खण्ड के लिये तीन छात्रवृत्तियां (3 × 5,000)	— 15,000
(ख) भूमिहीन श्रमिकों के बच्चों के लिये	प्रति समुदाय विकास खण्ड के लिये एक छात्रवृत्ति (1 × 5,000)	— 5,000
(ग) अनुसूचित जातियों के लिये	प्रति समुदाय विकास खण्ड के लिये एक छात्रवृत्ति (1 × 5,000)	— 5,000
(घ) अनुसूचित जनजातियों के लिए	प्रति जनजातीय समुदाय खण्ड के लिए दो छात्रवृत्तियां (2 × 500)	— 1,000
	जोड़	26,000

यह योजना राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। छात्रवृत्ति की दरें 1 जुलाई, 1981 से बढ़ाई गई हैं, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:

(क) छात्रावासों में रहने वाले छात्र	100/- रुपये प्रति मास
(ख) दिवा छात्र (कक्षा XI तथा XII)	60/- रुपये प्रति मास
(ग) दिवा छात्र (कक्षा VII/VIII से X)	शिक्षा शुल्क सहित 30/- रु० प्रति मास जहां लिया जाता हो।

पहले, ये दरें निम्नलिखित थीं:

(क) चुनिन्दा स्कूलों में अध्ययन करने वाले छात्र:	
(i) छात्रावास अथवा अनुमोदित आवास गृहों (बोर्डिंगों) में रह रहे छात्र	1000/- रु० प्रति वर्ष—दस महीनों के लिये 100/- रुपये प्रति मास
(ii) दिवा छात्र	500/- रुपये प्रति वर्ष—दस महीनों के लिये 50/- रु० प्रति मास
(ख) अपनी पसंद के स्कूलों में अध्ययन कर रहे छात्र:	
(i) उन स्कूलों में अध्ययन कर रहे छात्र जहां शिक्षा शुल्क लिया जाता है	250/- रु० प्रति वर्ष—दस महीनों के लिये 25/- रु० प्रति मास
(ii) उन स्कूलों में अध्ययन कर रहे छात्र जहां शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता है।	150/- रु० प्रति वर्ष—दस महीनों के लिये 15/- रु० प्रति मास

हिन्दी में उत्तर—मैट्रिक अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां

इस योजना के अन्तर्गत उत्तर-मैट्रिक अध्ययन के लिये छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं बशर्ते कि इस पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में हिन्दी का अध्ययन किया जाता हो। वर्ष 1981-82 में इस योजना के अन्तर्गत 2,500 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। यह योजना "सहायक अनुदान योजना" के रूप में 1979-80 से राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा चलाई जा रही है।

संस्कृत के अतिरिक्त अरबी और फारसी जैसी अन्य भाषाओं के अध्ययन में कार्यरत परम्परागत संस्थाओं से अध्ययन करके निकले व्यक्तियों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां

इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 20 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। वर्ष 1980-81 में इस छात्रवृत्ति के लिये 18 अभ्यर्थियों को चुना गया।

विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां

इस योजना के अन्तर्गत 1981-82 में छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिये 37 अभ्यार्थियों को चुना गया है। ये छात्रवृत्तियां नौसैनिक वास्तुकला में उत्तर-स्नातक तथा मानविकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पीएच० डी० और पोस्ट डाक्टोरल अध्ययन के लिये उपलब्ध हैं। इस योजना के अन्तर्गत केवल वे उम्मीदवार ही छात्रवृत्ति के लिये पात्र हैं जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से प्रति मास आय 1,000/- रु० से कम है।

सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 180 छात्रवृत्तियां अफ्रीकी, एशियाई और अन्य चुनिन्दा देशों के राष्ट्रिकों को भारत में उच्च शिक्षा की सुविधायें देने के लिये दी जाती हैं। यह योजना भारत और अन्य विकासशील देशों के बीच मैत्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिये तैयार की गई है। छात्रवृत्तियां, कृषि, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, औषधि, फार्मेसी, कला, मानविकी और बुनियादी विज्ञानों में अवर-स्नातक तथा उत्तर-स्नातक स्तरों पर प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 1981 में अवर-स्नातक स्तर पर अनुरक्षण भत्ता बढ़ाकर 400/- रु० प्रतिमास से 500/- रु० प्रतिमास तथा उत्तर-स्नातक स्तर पर 500/- रु० प्रतिमास से 600/- रु० प्रतिमास कर दिया गया है।

बंगला देश राष्ट्रकों के लिए छात्रवृत्तियां/शिक्षा–वृत्तियां

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार प्रत्येक वर्ष बंगलादेश के राष्ट्रिकों को इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, कृषि, औषधि, चलचित्रण, पत्रकारिता, शिक्षा प्रबन्ध, खेलों, नृत्य और संगीत जैसे कुछ विशिष्ट विषयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर भारत में अध्ययन के लिये 100 छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं। अनुरक्षण भत्ता 1 अप्रैल, 1981 से बढ़ा कर स्नातक स्तर पर 400/- रु० प्रति मास से 500/- रु० प्रतिमास तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 500/- रु० प्रतिमास से 600/- रु० प्रतिमास कर दिया गया है।

विदेशी छात्रों के लिए विशेष अंग्रेजी पाठ्यक्रम

इस योजना के अन्तर्गत ऐसे चुने हुए विदेशी छात्रों के लिये जो अंग्रेजी में दक्ष नहीं हैं, प्रत्येक वर्ष अप्रैल से जून तक क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थान, चंडीगढ़ में विशेष अंग्रेजी पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाती है। वर्ष 1981-82 के दौरान सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्तियों के लिये जार्डन, कुवैत, ईरान और दक्षिण यमन जैसे देशों से चुने गए 15 छात्रों ने इस पाठ्यक्रम का लाभ उठाया।

भारत में अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां

भारत ने वर्ष 1981-82 के द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के लिये निम्नलिखित देशों को 175 छात्रवृत्तियों की पेशकश की :

सेनेगल, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, आस्ट्रेलिया, सोवियत रूस, फिलिपाइन्स, बेल्जियम, नार्वे, ईराक, मिस्र का अरब गणतन्त्र, पोलैण्ड, तुर्की, चेकोस्लोवाकिया, मैक्सिको, अफगानिस्तान, यूनान, सोमालिया, इटली, युगोस्लाविया, सीरिया,

यमन लोकतांत्रिक गणराज्य, हंगरी, मंगोलिया, वियतनाम, रोमानिया, बलगारिया, तूनीशिया, क्यूबा, पुर्तगाल, मलेशिया, कटार बहारेन, बर्मा और तुर्की।

पच्चीस छात्रवृत्तियां आस्ट्रेलिया, अर्जेन्टाइना, ब्राजील, चिलि, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैण्ड्स्, नार्वे, पनामा, पारुगे, पीरू, स्पेन, स्वीडन, स्विटजरलैण्ड, उरुग्वे और वेनजूएला से आने वाले छात्रों को पारस्परिक योजनाओं के अन्तर्गत दी गई।

छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत, भारत सरकार यात्रा सुविधायें देती है तथा अवर-स्नातक को 500/- रु० मासिक की शिक्षावृत्ति व उत्तर-स्नातक छात्रों को 600/- रु० प्रतिमास की शिक्षावृत्ति देती है। विदेशी छात्रों को यथासंभव छात्रावास सुविधायें भी दी जाती हैं।

विदेशों को जाने वाले भारतीय छात्रों के संबंध में, विदेशी सरकारें उनकी यात्रा तथा रखरखाव भत्ते का भुगतान करती हैं। तथापि, जहां विदेशी सरकारों द्वारा छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत यात्रा सुविधा प्रदान नहीं की जाती वहां उन छात्रों को जिनकी वार्षिक वित्तीय आय 12,000/- रु० से कम है, भारत सरकार यात्रा सुविधा देती है।

राष्ट्रमंडलीय शिक्षावृत्ति/छात्रवृत्ति योजना/राष्ट्रमंडलीय शिक्षा योजना

इन योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित देशों से आये छात्रों को 50 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई: आस्ट्रेलिया, बारबोडुस, कनाडा, साइप्रस, बोटसवाना, फिजी, घाना, कीनिया, लोसेथों, मलेशिया, मारिशस, नाइजीरिया, न्यूजीलैण्ड, श्रीलंका, सिरेलोन, सी शेल्स स्वाजी लैण्ड, सेन्ट लूसिया, ग्रेनाडा, डोमिनिमिया, तनजानिया, टोंगा, नाओरा, मलावी पापुआ न्यू गिनी और पश्चिमी समोआ, ट्रिनिडाड और टोबागो, यूनाइटिड किंगडम, यूगांडा और जाम्बिया को छोड़कर अन्य दक्षिण प्रशान्त द्वीप समूह।

राष्ट्रमंडलीय सहयोग योजना—वरिष्ठ शिक्षाविदों/शिक्षा प्रशासकों का भ्रमण

प्रोफेसर मोहम्मद मोनीरुज्जमन ने सितम्बर–अक्तूबर, 1981 के दौरान भारत का भ्रमण किया। उन्होंने विभिन्न संस्थाओं/विश्वविद्यालयों का निरीक्षण किया तथा दिल्ली, बम्बई, बंगलौर, भुवनेश्वर तथा कलकत्ता में महत्वपूर्ण उच्चाधिकारियों से मुलाकात की।

मारिशस सरकार के शिक्षा सचिव श्री आई पुरंग ने भी भारत का भ्रमण किया तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों/शिक्षा संस्थाओं का दौरा किया।

कोलम्बो योजना—तकनीकी सहयोग योजना

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित देशों से आये विद्वानों को स्थान देने के लिए सहायता की पेशकश की गई:—अफगानिस्तान, बर्मा, बंगलादेश, भटान, फिजी, ईरान, इन्डोनेशिया, लाओस, मलेशिया, माल्दीप, नेपाल, फिलिपाइन्स, पपुआ न्यू गिनी, कोरिया, श्रीलंका, सिंगापुर और थाईलैण्ड।

विशेष राष्ट्रमंडलीय अफ्रीकी सहायता योजना

विशेष राष्ट्रमंडलीय अफ्रीकी सहायता योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित देशों के विद्वानों को सहायता की पेशकश की गई—बोत्सवाना, जाम्बिया, घाना, लेसोथो, मालावी, मोरिशस, नाइजीरिया, सीरि-लीओन, तनजानिया, यूगांडा, स्वाजीलैण्ड, सीशैलज, जाम्बिया और जिम्बावे।

डा. उम्मीलकर कंबुल छात्रवृत्ति

इस योजना के अन्तर्गत एक छात्रवृत्ति देने की पेशकश की गई है। छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा एक अफ्रीकी राष्ट्रिक को दी जाती है।

डा. एन्थूरिन बेवन स्मारक शिक्षावृत्ति

इस योजना के अन्तर्गत यू. के. को एक छात्रवृत्ति की पेशकश की गई है। यह योजना वर्ष 1964 में लंदन स्थित भारतीय हाई कमीशन के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी।

आंशिक वित्तीय सहायता योजना

इस योजना के अन्तर्गत सेमिनारों/सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिये विदेशों में जाने वाले उन भारतीय छात्रों/शिक्षाविदों को ऋण के रूप में 6000/- रु० तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिन्होंने अन्य स्रोतों से छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता तो पहले ही प्राप्त कर ली है परन्तु उनके पास धन की कमी है।

आलोच्य अवधि के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत 3 शिक्षाविदों को सहायता दी गई।

पुस्तक संवर्द्धन और कापीराइट

पुस्तकें शिक्षा का एक अनिवार्य साधन हैं। पुस्तक संवर्द्धन के लिए मंत्रालय द्वारा सस्ते मूल्यों पर अच्छे साहित्य के निर्माण, लेखकों को प्रोत्साहन देने तथा पढ़ने की आदत को लोकप्रिय बनाने के संबंध में कदम उठाए गए हैं। इस संबंध में शुरू किये गये कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा अगले पैराग्राफों में दिया गया है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना सस्ते मूल्यों पर अच्छी पठन सामग्री प्रकाशित करने और ऐसी सामग्री के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने तथा लोगों में पुस्तक अभिरुचि जागृत करने के उद्देश्य से, सन् 1957 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। अपने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये न्यास भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में, सुविचारित पुस्तक मालाओं के रूप में अच्छी-अच्छी पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है और इसके साथ-साथ पुस्तक मेलों (देश तथा विदेश दोनों में), प्रदर्शनियों, सेमिनारों और संगोष्ठियों इत्यादि का आयोजन तथा इनमें भाग लेता रहा है। इसके अतिरिक्त, न्यास द्वारा छात्रों को भारतीय लेखकों द्वारा अंग्रेजी में लिखित पुस्तकें सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिये विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के सहायता प्राप्त प्रकाशन की एक योजना भी संचालित की जा रही है।

प्रकाशन कार्यक्रम

न्यास कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक मालाओं के अन्तर्गत जो पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है उनमें से कुछ हैं: भारत-भूमि तथा लोग, राष्ट्रीय जीवनियां, यंग इंडिया लायब्रेरी, भारत की लोक-कथाएं, लोकप्रिय विज्ञान तथा आज का विश्व।

अपनी स्थापना से लेकर तथा मार्च 1981 तक, न्यास ने इन पुस्तक मालाओं के अन्तर्गत, 1043 पुस्तकें (331 अंग्रेजी में तथा 712 भारतीय भाषाओं में) प्रकाशित की थी। 1980-81 के दौरान, न्यास का प्रस्ताव 48 पुस्तकों के प्रकाशन का है जिनमें से नवम्बर, 1981 के अन्त तक 15 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं।

इन पुस्तक-मालाओं के अतिरिक्त, न्यास के पास, राष्ट्रीय एकता की प्रोन्नति के लिये "आदान-प्रदान" और "नेहरू बाल पुस्तकालय" नामक दो प्रमुख प्रकाशन कार्यक्रम हैं। अपनी आदान-प्रदान माला के अन्तर्गत, न्यास ने अब तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में 531 पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें से 16 पुस्तकें अप्रैल-नवम्बर, 1981 के दौरान प्रकाशित की गई थीं तथा मार्च, 1982 तक 18 और पुस्तकों के प्रकाशन का प्रस्ताव है। नेहरू बाल पुस्तकालय माला के अन्तर्गत, अब तक 740 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं, जिनमें से अप्रैल-नवम्बर, 1981 के दौरान 34 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं तथा मार्च, 1982 तक 28 और पुस्तकों के प्रकाशन की संभावना है।

एशियाई खेलों पर एक विशेष प्रकाशन भी, दिल्ली में हो रहे एशियाई खेलों के लिये, समय पर प्रकाशित करने की योजना है।

ग्राम्य प्रकाशन

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पठन-सामग्री के प्रकाशन की अपनी योजना (1980 में शुरू की गई) के अनुसरण में, न्यास की दूसरी प्रायोगिक परियोजना, उड़ीसा राज्य सरकार के सहयोग से जुलाई, 1981 में पुरी जिले में शुरू की गई थी। इसमें उस क्षेत्र के ग्रामीण लोगों के लिये पठन-सामग्री के वास्ते विषय चुनने के लिये मौके पर सर्वे-

क्षण करना, तथा पाण्डुलिपियों व चित्रों पर विचार-विमर्श तथा उन्हें अंतिम रूप देने के लिये लेखकों, चित्रकारों और शिक्षकों के वास्ते, कंतिलों, खंड़ापाड़ा ब्लाक में एक कार्यशाला का आयोजन भी शामिल है। तैयार की गई पाण्डुलिपियों को न्यास द्वारा पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

न्यास द्वारा जुलाई, 1980 में गुजरात में पहली परियोजना को शुरू किये जाने के फलस्वरूप, न्यास ने ग्रामीण लोगों के लिये उपयुक्त पठन-सामग्री को शामिल करते हुए सात प्रकाशनों का प्रकाशन कार्य अपने हाथ में लिया है। इन्हें इस वर्ष के दौरान प्रकाशित किया जाएगा।

विश्वविद्यालय-स्तरीय पुस्तकों का सहायता-प्राप्त प्रकाशन

इस योजना का मुख्य उद्देश्य, जिसे न्यास 1970 से कार्यान्वित कर रहा है, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के छात्रों को उचित मूल्यों पर मानक पुस्तकें उपलब्ध कराना है। इस योजना के शुरू होने से (मार्च, 1981 तक) न्यास द्वारा जिन पुस्तकों के लिये सहायता दी गई उनकी कुल संख्या 385 है। अप्रैल-नवम्बर, 1981 के दौरान 23 पुस्तकों के लिये सहायता दी गई।

पुस्तक मेले

न्यास द्वारा राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर पुस्तक मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है। न्यास ने अब तक भारत के महत्वपूर्ण महानगरों में दस राष्ट्रीय पुस्तक मेले तथा 95 क्षेत्रीय पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की हैं। 1980-81 के दौरान, न्यास ने क्षेत्रीय स्तर पर पुस्तक समारोहों के आयोजन का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। मार्च, 1981 तक दो समारोह आयोजित किये गये थे तथा अप्रैल-मई, 1981 के दौरान कोचीन (केरल) में तीसरा समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कोचीन में, मलयालम में ग्रामीण प्रकाशन, पर एक सेमिनार भी आयोजित किया गया।

विश्व पुस्तक मेले

पुस्तक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने तथा पत्र-पत्रिकाओं समेत पुस्तकों के निर्यात को प्रोन्नत करने के लिये, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास दो वर्षों में एक बार विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करता है। अभी तक चार विश्व पुस्तक मेले आयोजित किये जा चुके हैं।

पांचवां विश्व पुस्तक मेला 5 से 15 फरवरी, 1982 तक नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 420 से अधिक भारतीय प्रकाशक तथा 22 देशों के 50 से अधिक विदेशी प्रकाशकों के भाग लेने की आशा है। इस मेले का उद्घाटन 4 फरवरी, 1982 को प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा किया जाएगा। मेले के दौरान अनेक सेमिनार, कार्यशालायें, संगोष्ठियां और सम्मेलनों के आयोजन का प्रस्ताव है। इनमें "कम कीमत पर सबके लिये पुस्तकें" विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन भी शामिल है।

न्यास, 1982 में अपनी रजत जयंती मनाएगा। इस अवसर पर, 1982 के लिये प्रकाशन, प्रचार तथा संवर्द्धन का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम में, भारत में मुद्रण तथा प्रकाशन के इतिहास का प्रकाशन, भारतीय साहित्य पर एक पुस्तिका तथा राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह मनाना भी शामिल हैं।

विश्वविद्यालय-स्तरीय सस्ती पुस्तकों का प्रकाशन और विदेशी पुस्तकों का प्रकाशन

भारतीय विश्वविद्यालयों के छात्रों को मानक विश्वविद्यालय पुस्तकें और विदेशी मूल की संदर्भ सामग्री सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, मंत्रालय द्वारा यू० के० (इंगलिश लैंगवेज बुक सोसायटी सीरीज 1960 से), अमरीका (भारत-अमरीका संयुक्त मानक ग्रंथ कार्यक्रम–1961 से) और सोवियत रूस (भारत-रूस संयुक्त पाठ्य-पुस्तक कार्यक्रम–1965 से) की सरकारों के सहयोग से तीन कार्यक्रम चलाए

जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल करने के लिये पुस्तकों के नवीनतम संस्करणों पर विचार किया जाता है और उन का मूल्यांकन, यह देखने के लिये उपयुक्त विशेषज्ञ एजेंसियों और विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है कि पुस्तकें भारतीय छात्रों के लिये उपयुक्त हैं अथवा नहीं और क्या भारतीय लेखकों के द्वारा इनके समकक्ष स्तर की कोई पुस्तकें उपलब्ध तो नहीं हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक लगभग 715 ब्रिटिश, 1620 अमरीकी तथा 395 रूसी पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं।

विश्वविद्यालय-स्तर की पुस्तकों, अध्यापन साधन तथा सामग्री, विशेषकर प्रकृति-विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में, के अनुवाद तथा प्रकाशन के लिये इसी प्रकार के भारत-जर्मन जनवादी गणतंत्र कार्यक्रम विकसित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इस संबंध में, दो सदस्यों के एक जर्मन जनवादी गणतंत्र शिष्टमंडल ने विचार-विमर्श के लिये 10 से 18 नवम्बर, 1981 तक नई दिल्ली का दौरा किया।

अनुवाद अधिकारों की प्राप्ति

भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय-स्तर की पुस्तकें प्रकाशित करने के अपने कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त विदेशी पुस्तकों के अनुवाद भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किये जा रहे हैं। राज्य सरकारों द्वारा चुनी गई पुस्तकों के संबंध में विदेशी कापीराइट मालिकों से अनुवाद-अधिकार प्राप्त करने के काम को सुकर और समन्वित करने के लिये, राज्य सरकारों की ओर से कापीराइट लाइसेंसों के बारे में बातचीत केन्द्र द्वारा की जाती है। अब तक अमरीकी, ब्रिटिश तथा अन्य विदेशी प्रकाशकों के साथ अनुवाद अधिकारों के लिये 1461 करार किये जा चुके हैं।

पुस्तक विकास

पुस्तक विकास को प्रोत्साहित करने के लिये मंत्रालय, लेखकों के व्यावसायिक संघों, प्रकाशकों तथा पुस्तक उद्योग से संबंधित संगठनों से निरंतर संपर्क बनाये रखता है। यह मंत्रालय, भारतीय लेखक गिल्ड को अपने राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिये प्रतिवर्ष काफी राशि देता आ रहा है। इसी प्रकार, भारत अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, मंत्रालय से वित्तीय सहायता के साथ, लेखकों विशेषकर युवा लेखकों तथा सम्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिये, कार्यशालायें आयोजित करता रहा है। मंत्रालय की सहायता से, भारत अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र द्वारा मार्च, 1982 में "लघु कथा लेखन" पर अफ्रीकी-एशियाई लेखकों के लिये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। पुस्तक उद्योग कार्मिकों के लिये कार्यशालायें तथा सेमिनार और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिये प्रकाशक संघों को भी सहायता दी जाती है।

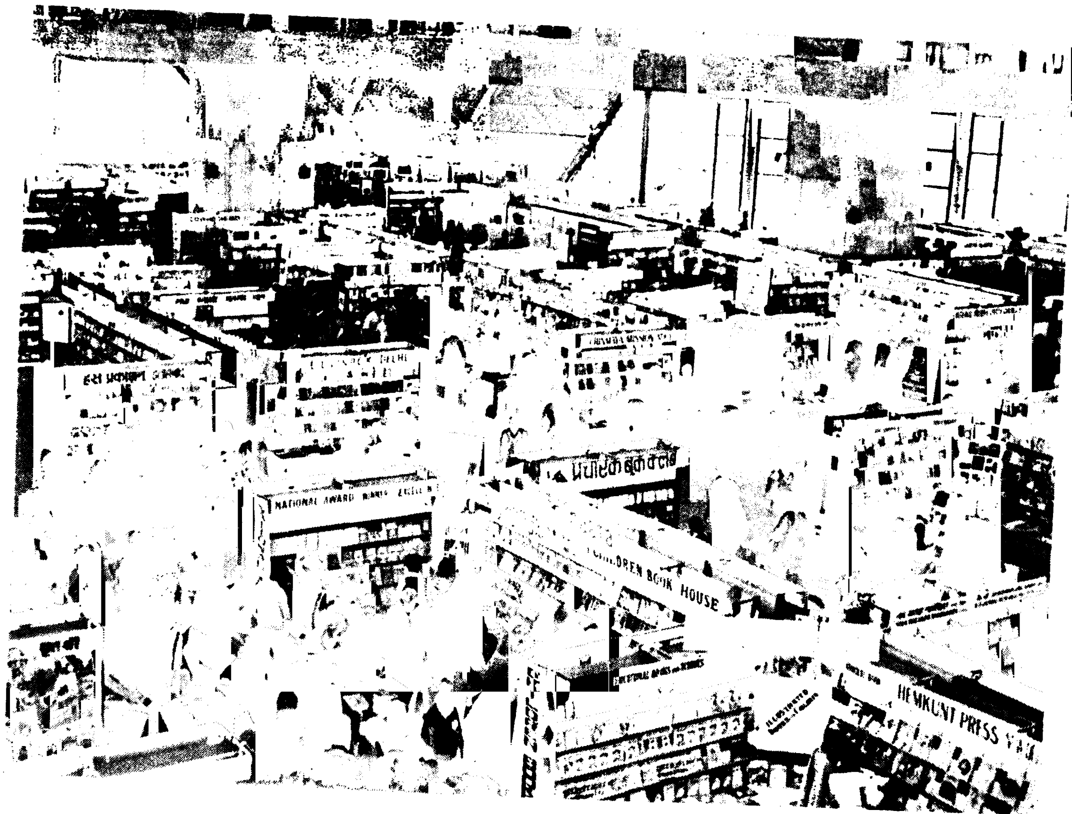
भारत-रूस सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत, लेखकों के एक तीन सदस्यों वाले शिष्टमंडल ने 14 से 28 दिसम्बर, 1981 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने बहुत से लेखकों, सम्पादकों, अनुवादकों, प्रकाशकों तथा व्यावसायिक संगठनों के साथ रचनात्मक बैठकें कीं तथा विचारों का आदान-प्रदान किया।

पुस्तकों का आयात तथा निर्यात

पुस्तक आयात नीति, 1981-82

1981-82 के दौरान, उदार आयात नीति को जारी रखा गया और खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और भाषाओं को सीखने के लिये रिकार्डों के आयात की अनुमति दी गई। इस सुविधा के साथ यह शर्त थी कि यदि पुस्तक की 1000 से अधिक प्रतियों को आयात करने का प्रस्ताव है तो इस मंत्रालय की अनुमति आवश्यक होगी। ऐसी पुस्तकों के संबंध में जिनके भारतीय पुनर्मुद्रण उपलब्ध हैं, विदेशी संस्करणों के आयात की अनुमति नहीं दी गई।

वे पुस्तक विक्रेता जिनकी कुल बिक्री 3 लाख रुपये या इससे अधिक रही हो, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाली पुस्तकों को छोड़कर अन्य पुस्तकों के लिये, अपनी कुल बिक्री के 10% के आधार पर आयात लाइसेंस के लिये आवेदन करने के हकदार थे। इसके अतिरिक्त, मान्यता प्राप्त स्कूलों, कालेजों तथा पुस्तकालयों को यह



नई दिल्ली में हुए पांचवें पुस्तक मेले में प्रदर्शित पुस्तकें

छूट दी गई थी कि वे प्रति संस्था 25,000 रुपये के हिसाब से ऐसी वस्तुओं के आयात के लिये लाइसेंस हेतु आवेदन दे सकते हैं जिनके लिये लाइसेंस की आवश्यकता है। उनको ऐसी पुस्तकों के बाद के संस्करण आयात करने की भी छूट दी गई जिनके भारतीय पुनर्मुद्रण उपलब्ध हैं।

पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं के डाक-पार्सलों को आयातकर्ता द्वारा आयात लाइसेंस प्रस्तुत किये बिना छुड़ाने की रियायत वर्ष 1981–82 के दौरान जारी रही।

पुस्तक निर्यात संवर्धन संबन्धी कार्यकलाप

भारत विश्व के दस मुख्य पुस्तक प्रकाशन देशों में से एक है तथा अंग्रेजी पुस्तकों के प्रकाशन में तीसरा बड़ा देश है। विदेश में भारतीय पुस्तकों के प्रोत्साहन तथा अनुवाद/पुनर्मुद्रण अधिकारों की बिक्री और विदेशों से छपाई का काम प्राप्त करने के उद्देश्य से, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेने और भारतीय पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनियां आयोजित करने के माध्यम से विदेशों में अपनी पुस्तकों का प्रचार करने, बाजार का अध्ययन तथा सटीक सूची और प्रचार पुस्तिकाओं इत्यादि द्वारा व्यापारिक प्रचार के संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं।

वर्ष 1981-82 में भारत ने, बैंकाक, अबुधाबी, सिंगापुर, मास्को, फ्रेंकफर्ट, बेलग्रेड, अक्करा, मनीला तथा काहिरा में हुए अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लिया।

विदेशों में भारतीय दूतावासों की सहायता से नाइजीरिया तथा हांगकांग में भारतीय पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं। थाईलैण्ड, केन्या, आस्ट्रेलिया और नेपाल में भी विशेष प्रदर्शनियों के आयोजन का प्रस्ताव है।

पुस्तक निर्यात के संवर्द्धन के लिये किये गये प्रयत्नों के परिणामस्वरूप वर्ष 1980-81 में भारत का पुस्तक निर्यात लगभग 8 करोड़ रुपये होगा।

राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय शैक्षिक संसाधन केन्द्र

इस केन्द्र की स्थापना 1972 में, (i) विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का देश में ही प्रकाशन करने और भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिये सूचना तथा अनुसंधान केन्द्र के रूप में कार्य करने, और (ii) पुस्तकों के लिये एक सार्थक आयात नीति तैयार करने के लिये देश में आयात की जाने वाली पुस्तकों एवं अन्य पठन सामग्री की किस्मों के आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने के उद्देश्य से की गई थी। इस प्रयोजन के लिये केन्द्र देश में 1965 से लेकर अब तक विभिन्न विषयों पर सभी भाषाओं में प्रकाशित हुई विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें एकत्र कर रहा है। यह केन्द्र, विश्वविद्यालीय स्तरीय स्वदेशी पुस्तकों के प्रकाशन और उपयोग के विभिन्न पहलुओं पर नमूना-सर्वेक्षण करता है। स्वदेशी पुस्तकों की उपलब्धता के प्रचार की दृष्टि से यह केन्द्र विभिन्न विश्वविद्यालयों इत्यादि में चुनी हुई पुस्तकों की प्रदर्शनियां आयोजित करता है। केन्द्र, विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के राष्ट्रीय सूची-पत्र और लेखकों तथा प्रकाशकों की रुचि के विषयों से संबंधित ग्रंथ सूचियों को अद्यतन रखने के लिये समय-समय पर पूरक सामग्री प्रकाशित करता है।

इस वर्ष के दौरान केन्द्र ने, जनवरी-सितम्बर, 1981 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के लिये पूरक सामग्री का एक समेकित अंक प्रकाशित किया। केन्द्र ने एन० ई० आर० सी० न्यूजलेटर 1980-81, "पुस्तक उद्योग एवं व्यापार संदर्भिका" का एक अंक तथा "कम कीमत वाले प्रकाशनों और मूल पुस्तकों का सटिप्पण सूचीपत्र" भी प्रकाशित किया।

कापीराइट

सन् 1958 से मंत्रालय में एक कापीराइट कार्यालय कार्य कर रहा है। इसका मुख्य कार्य है उन रचनाओं का पंजीकरण करना जिनमें कापीराइट विद्यमान है ताकि

9—920Edu/81

संबंध में काम किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों में से लगभग आधे छात्रों ने वर्ष 1980-81 के दौरान आयोजित विशेष शिविर कार्यक्रमों में भाग लिया।

इस वर्ष "पर्यावरण-विकास के लिये युवक" नामक एक नया कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना में जोड़ा गया है ताकि छात्रों को उन पर्यावरण समस्याओं के स्वरूप और परिणामों के संबंध में जानकारी दी जा सके जिनका मानव आज सामना कर रहा है, और उन उपायों के संबंध में भी जानकारी दी जा सके जो पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिये आवश्यक हैं। इस कार्यक्रम से संबंधित कुछेक कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:—

(i) जोहड़ों से खरपतवार की निराई दूर करना;

(ii) सफाई, पाटा फेरने, बाड़ लगाने, गड्ढे खोदने और खाद डालने जैसे रोपण कार्य;

(iii) पहाड़ी की चोटियों और सामुदायिक स्थानों पर वृक्षारोपण;

(iv) सोखाई गड्ढों और कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण;

(v) पार्कों का निर्माण;

(vi) पर्यावरण सफाई;

(vii) शिक्षा-वातावरण की समस्याओं के संबंध में छात्रों, अध्यापकों और समाज के सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न करना।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय सेवा योजना को लगाने के संबंध में इस समय सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। परिवार कल्याण, प्रेरणा शिविरों, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों—सार्वजनिक सहयोग के संबंध में घर-घर जाकर ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा देने और उनके ज्ञान को बढ़ाने जैसे कार्यक्रम प्रारंभिक स्तरों पर कुछ चुने हुए कालेजों के रा० से० यो० एककों द्वारा कार्यान्वित किये जा सकते हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सहयोग से प्रशिक्षण और पुनश्चर्या केन्द्रों द्वारा रा० से० यो० के कार्यक्रम अधिकारियों के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिये कदम उठाए गए हैं।

राज्य तथा विश्वविद्यालय स्तरों पर समन्वय बनाये रखने और विभिन्न रा० से० यो० एककों के कार्यक्रमों के समन्वय के लिये, चार क्षेत्रीय केन्द्रों और ग्यारह क्षेत्रीय केन्द्रों ने इस वर्ष के दौरान अपना-अपना काम जारी रखा।

राष्ट्रीय सेवा कर्मी योजना

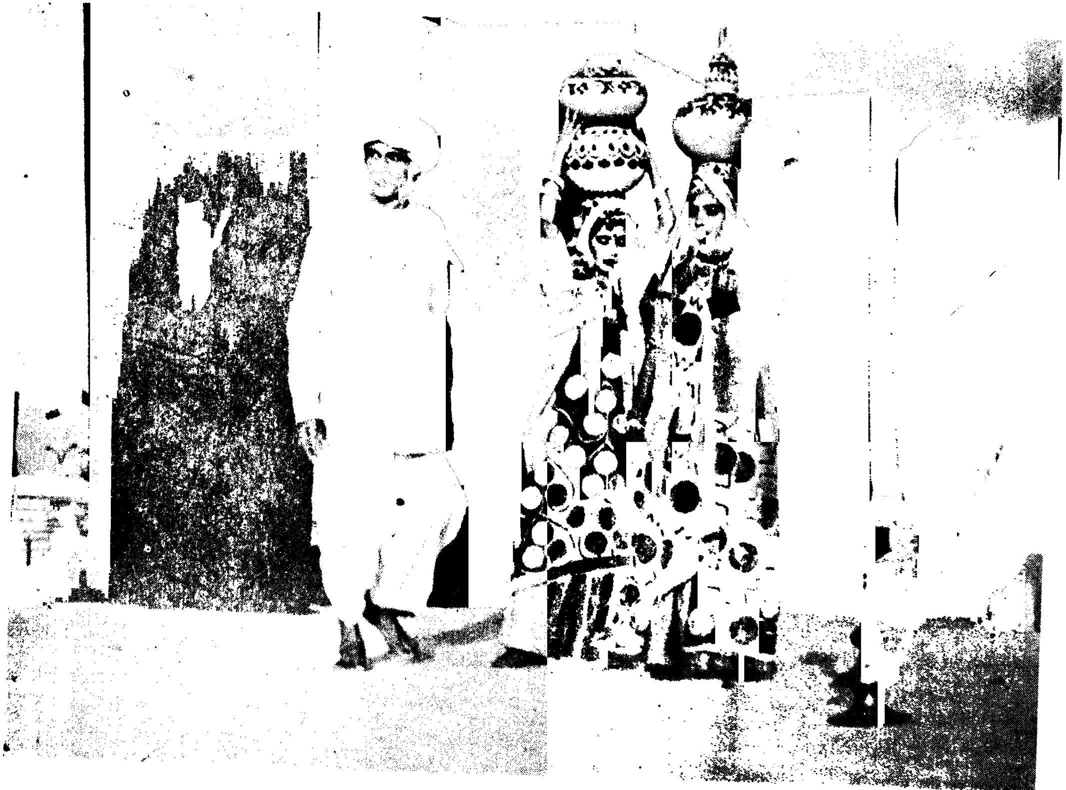
राष्ट्रीय सेवा कर्मी योजना को समीक्षाधीन अवधि के दौरान जारी रखा गया। इस योजना का उद्देश्य है छात्रों, आमतौर पर उन छात्रों को जिन्होंने अपनी प्रथम डिग्री पूरी कर ली है एक-दो वर्ष की थोड़ी सी अवधि के लिये पूर्णकालिक आधार पर राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में शामिल होने के अवसर उपलब्ध करना। इस वर्ष मुख्यत: नेहरू युवक केन्द्रों के माध्यम से लगभग 400 सेवाकर्मियों को काम पर लगाया गया। प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों के अलावा, उनकी सेवाओं का उपयोग युवक क्लबों की स्थापना, कार्य शिविरों के आयोजन, युवक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने आदि जैसे नेहरू युवक केन्द्रों के सतत कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में किया जा रहा है। सेवाकर्मियों के वजीफे की दर जून, 1981 में 175 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमास और यात्रा भत्ते की दर 25 रु० प्रति मास से बढ़ाकर 50 रु० प्रतिमास कर दी गई है।

नेहरू युवक केन्द्र

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिसकी परिकल्पना शुरू में की गई थी यह है कि गैर-छात्र युवकों, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों को ग्रामीण छात्रों के विकास की प्रक्रिया में अग्रणी के रूप में कार्य योग्य बनाना और आत्म-निर्भरता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास जैसे राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत उद्देश्यों को लोकप्रिय बनाने के काम में लगाना। इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये नेहरू युवक केन्द्रों से अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ यह कार्यकलाप आयो-



''राष्ट्र पुनर्निर्माण और युवक'' रा. से. यो. कर्मी कार्य करते हुए



नेहरु युवक केन्द्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम नई दिल्ली में हुई प्रदर्शनी-एवं सांस्कृतिक सम्मेलन

जित करने की आशा की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा कार्य शिविरों जैसे समाज सेवा शिविर नौजवानों को सामूहिक रूप से शामिल करने के लिये खेल कार्यकलापों का विकास, स्वरोजगार के उद्देश्य से व्यावसायिक प्रशिक्षण, युवक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और युवक क्लबों की प्रोन्नति तथा स्थापना। इन कार्यकलापों में 6,00,000 से अधिक गैर-छात्र ग्रामीण युवकों ने भाग लिया या इनसे लाभ उठाया। ऐसे कार्यक्रमों और कार्यकलापों में गैर-छात्र युवकों को शामिल करने के लिये पहले भी कदम उठाए गए हैं जिनसे वे जहां तक संभव हो सके कार्यात्मक रूप से कार्यकुशल आर्थिक, रूप से उत्पादक और सामाजिक रूप से उपयोगी बन सकें। नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा लगभग 4900 चेतना संघ/प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी स्थापित किये गये और आशा है कि इनसे लगभग 1,46,000 ग्रामीण युवकों को स्व अध्ययन के लिये अक्षरज्ञान और अंकज्ञान प्राप्त होगा और वे अपनी कार्यात्मिक क्षमताओं का विकास कर सकेंगे तथा उन्हें अपनी वर्तमान सामाजिक स्थिति और उसे बेहतर बनाने की संभावनाओं का भी ज्ञान हो सकेगा। ये क्षेत्र न तो सम्पूर्ण ही हैं और न ही अनन्य। जैसे-जैसे ये केन्द्र समाज में युवकों के बीच काम करेंगे कि नई आवश्यकतायें सामने आयेंगी और इनके लिये नए कार्यक्रम तैयार करने होंगे।

ग्रामीण गैर-छात्र युवकों में राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ाने और इस योजना के आरम्भ से नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा किये गये काम के कुछ पहलुओं को दिखाने के उद्देश्य से नेहरू युवक केन्द्रों का एक राष्ट्र स्तरीय सांस्कृतिक सम्मेलन एवं-प्रदर्शनी 14 से 16 नवम्बर 1981 तक दिल्ली में आयोजित की गई। इस सम्मेलन में आयोजित कार्यकलापों में परम्परागत ग्रामीण लोक नृत्य, परम्परागत वेशभूषा/विशभूषा परेड और कला तथा दस्तकारी प्रदर्शनी आदि शामिल थे। देश के 192 नेहरू युवक केन्द्रों के लगभग 1600 युवकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। गैर-छात्र युवकों के लिए यह अपनी किस्म का प्रथम तथा अनूठा आयोजन था।

इस समय तक देश के 255 जिलों में नेहरू यवक केन्द्र मंजूर किये जा चुके हैं जिनमें से 192 केन्द्रों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। शेष 63 नेहरू युवक केन्द्र शीघ्र ही कार्य शुरू कर देंगे। आशा है कि वित्तीय वर्ष 1981–82 के अन्त तक स्वीकृत केन्द्रों की संख्या बढ़कर 285 हो जायेगी। छठी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक देश के सभी जिलों में एक-एक नेहरू युवक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

युवकों के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेन्सियों को वित्तीय सहायता

यह योजना इन स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता देने के लिये तैयार की गई है जो युवकों को विकास कार्यकलापों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कार्यकलापों में शामिल करते हैं। इस योजना में स्वतः रोजगार के लिये नेतृत्व प्रशिक्षण और कार्य केन्द्रों की स्थापना जैसे युवक कार्यक्रमों में स्वैच्छिक एजेसिन्यों के सहयोग को महत्व दिया गया है। वर्ष 1981–82 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 25 स्वैच्छिक एजेन्सियों को सहायता दी गई।

साहसिक कार्यों की प्रोन्नति

इस योजना का उद्देश्य है युवकों में साहसिक कार्य करने, जोखिम उठाने, सहकारी टीम कार्य, चुनौती पूर्ण परिस्थितियों का सामना करने को सुलभ और सजीव क्षमता तथा सहनशीलता को बढ़ावा देना। पर्वतारोहण, लम्बी पद यात्रा, पदयात्रा सूचना सामग्री एकत्र करने के लिये खोज, जंगलों, समुद्रों, पर्वतों, मरुस्थलों में वनस्पति और जीव जन्तुओं का अध्ययन, तलहटी, तटीय जलयात्रा बेड़ा प्रदर्शनी तैराकी साइकल चालन आदि जैसे कार्यकलापों के लिये इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसे कार्यकलापों को सुन्दर बनाने के लिये संस्थाओं की स्थापनाओं उनके विकास के लिये भी सहायता दी जाती है। वर्ष 1981–82 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत युवकों/स्वैच्छिक एजेन्सियों के 75 दलों की सहायता की गई।

स्काउटिंग तथा गाइडिंग

स्काउटिंग तथा गाइडिंग नामक अन्तर्राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य है लड़के तथा लड़कियों के चरित्र का विकास करना जिससे कि उनमें वफादारी, देशभक्ति और

दूसरों के प्रति विचारवान होने की भावना भर कर उन्हें अच्छा नागरिक बनाया जा सके। यह अभियान सन्तुलित शारीरिक तथा मानसिक विकास को भी बढ़ावा देता है तथा समाज सेवा की प्रेरणा देता है। शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय दलों के प्रशिक्षण, रैलियों, जम्बूरियों आदि के आयोजन के लिये आयोजन तथा प्रशासनिक अनुदानों तथा सहायक अनुदान के रूप में भारत स्काउट और गाइड तथा अखिल भारतीय बाल स्काउट संघ को सहायता देकर इस कार्यकलाप को प्रोत्साहन देता है।

राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम

भारत राष्ट्र मंडल युवा कार्यक्रमों में भाग ले रहा है जिसका उद्देश्य है युवकों को अपने-अपने देश के विकास में भाग लेने और राष्ट्रमंडलीय देशों के बीच और अधिक सहयोग और सूझ-बूझ को बढ़ावा देने के लिये मंच प्रदान करना। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च अध्ययन के लिये भारत, जाम्बिया और गुयाना में तीन क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्रीय केन्द्र चण्डीगढ़ में स्थापित किया गया है जिसके लिये भारत ने मेज़बान देश के नाते भवन तथा मूल भौतिक सुविधायें प्रदान की हैं। भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के लिये खर्च के अपने हिस्से के रूप में 6.00 लाख रुपये का वार्षिक योगदान दिया जा रहा है।

युवा शिष्टमंडलों का अंतर्राष्ट्रीय विनिमय

इस योजना का उद्देश्य है विभिन्न देशों के युवकों में संचार के माध्यमों को सुदृढ़ बनाना और अन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ तथा सद्भावना को बढ़ावा देना। वर्ष 1981–82 के दौरान, भारत में कार्यान्वित किये जा रहे युवक कार्यक्रमों का अध्ययन करने के उद्देश्य से एक तीन सदस्यीय सोवियत युवक शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया। इसी प्रयोजन के लिये एक दो सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल द्वारा शीघ्र ही सोवियत रूस का भ्रमण किये जाने की आशा है।

राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन

इस योजना द्वारा देश के विभिन्न भागों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परम्परा की बेहतर सूझ-बूझ प्राप्त करने के उद्देश्य से सीमावर्ती राज्यों में रहने तथा कार्य करने वाले युवकों को सांस्कृतिक भिन्नता वाले अन्य राज्यों का दौरा करने की सुविधाएं प्रदान कर राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित किया जाता है। इस तरह इन राज्यों के युवक सीमावर्ती राज्यों की यात्रायें करते हैं और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों और परिस्थितियों में रहने वाले लोगों की समस्याओं, सामाजिक रीतिरिवाजों का ज्ञान होता है। शिविरों, संगोष्ठियों आदि के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में कार्यरत स्वैच्छिक एजेन्सियों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। वर्ष 1981–82 के दौरान आठ राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित किये गये। राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए इस कार्यक्रम को कुछ नये आयाम दिये गये हैं। प्रेरणा देने वाली पुस्तकों के चयन और छात्रों में उनके वितरण विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा विभिन्न प्रदर्शनियों, सेमिनारों और सम्मेलनों के आयोजन जैसे कार्यकलापों को जोड़ कर इस योजना को संशोधित किया गया है।

"शिक्षा" और "संस्कृति" संबंधी प्रदर्शनी

देश के विभिन्न भागों के युवकों में राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करने के उद्देश्य से, ताकि वे भारतीय संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम, उत्कृष्टता तथा मूल्यों को जीवन में धारण करने तथा शिक्षा, कला, संस्कृति, कृषि, उद्योग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे अद्यतन विकास के संबंध में शिक्षा और जानकारी प्राप्त कर सके। युवकों द्वारा राष्ट्रीय विकास के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये योगदान और कार्यकलापों को उजागर करते हुए और मान्यता देते हुए तथा युवकों में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ को बढ़ाने के लिये "शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी प्रदर्शनी" नामक एक नई योजना वर्ष 1982–83 के दौरान कार्यान्वयन हेतु तैयार कर ली गई है। इस योजना में लोक नृत्य तथा लोक गीत, चित्रकला, कला तथा दस्तकारी जैसे शिक्षा और संस्कृति विषयों की प्रदर्शनी पुस्तकों की यूनेस्को प्रदर्शनी "बढ़ते युवक" (यूथ आन दि मार्च) संबंधी प्रदर्शनी तथा किसी अन्य राष्ट्रीय और/अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रदर्शनियों के आयोजन की परिकल्पना की गई है।

अध्याय 8

शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद

खेल नीति तथा कार्यक्रम

सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खेल नीति का अभी अनुमोदन किया जाना है। इसकी सिफारिश अखिल भारतीय खेल परिषद् द्वारा की गई है और यह राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल संघों आदि के परामर्श से मंत्रालय के विचाराधीन है। इसका अनुमोदन किए जाने तक शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद की उन्नति से संबंधित भारत सरकार के कार्यक्रम का कार्यान्वयन इस वर्ष के दौरान 1968 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित दिशा निर्देशों के आधार पर जारी रखा गया। केन्द्रीय सरकार के इस वर्तमान कार्यक्रम के दो प्रमुख उद्देश्य हैं--शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद संबंधी अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान कार्यक्रमों में भाग लेना तथा इसके साथ-साथ भाग लेने को व्यापक बनाना और क्षेत्र में देश के परम्परागत और देशी खेलों को बढ़ावा देना। शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद संबंधी कार्यक्रमों को तैयार करते समय एक ओर तो उत्कृष्टता तथा बेहतरीन प्रदर्शन की दृष्टि से प्रतियोगी खेलों के पूरक स्वरूप और दूसरी ओर शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद के कार्यक्रमों को व्यापक आधार प्रदान करने का ध्यान रखा गया है।

इस वर्ष के दौरान, केन्द्रीय स्तर पर कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :--

अखिल भारतीय खेल परिषद्

अखिल भारतीय खेल परिषद् की स्थापना भारत सरकार द्वारा खेलकूद की उन्नति से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए की गई है। पिछली बार इसका पुनर्गठन जुलाई, 1978 में, फील्ड मार्शल एस० एच० एफ० जे० मानिकशा की अध्यक्षता में तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। परिषद् की तीन वर्ष की यह अवधि 20 जुलाई, 1981 को समाप्त हो गई। परिषद् के पुनर्गठन पर अभी सरकार विचार कर रही है। पुनर्गठन किए जाने तक वर्तमान परिषद् की अवधि को तीन महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्ष 1981 के दौरान परिषद् की दो और इसकी कार्यकारी समिति की तीन बैठकें हुई।

राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान सोसाइटी

राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान सोसायटी की स्थापना सन् 1965 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में दोनों राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थानों, अर्थात् नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर, के अनुरक्षण तथा प्रशासन और साथ ही राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजनाओं के माध्यम से देश में खेल-कूद के स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए की गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सचिव, डा० अमरीक सिंह की अध्यक्षता में इस सोसायटी ने अपना काम जारी रखा। इस सोसायटी में शारीरिक शिक्षा तथा योग की उन्नति से संबंधित मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर सलाह देने का काम भी किया।

राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान सोसायटी का पुनर्गठन पिछली बार जून, 1979 में तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। इस वर्ष के दौरान सोसायटी की चार बैठकें हुईं और इसकी स्थायी समितियों की बैठकें भी, सोसायटी द्वारा इन्हें सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए हुईं।

क. शारीरिक शिक्षा तथा योग

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर

यह कालेज, भारत सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद के क्षेत्र में स्थापित दो राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है। इसका प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं के लिए उच्च कोटि के शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। वर्ष के दौरान इस कालेज ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अपना प्रमुख कार्य जारी रखा। सन् 1957 में स्थापित यह कालेज, वर्ष 1981-82 को, रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है। अपनी स्थापना से लेकर अब तक इस कालेज ने शारीरिक शिक्षा में 1475 स्नातक तथा 472 स्नातकोत्तर तैयार किए हैं।

शैक्षिक सत्र 1981-82 में कालेज के नियमित शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में 114 छात्रों ने दाखिला लिया जिससे कालेज के छात्रों की कुल संख्या 74 छात्राओं सहित 370 हो गई है। इस कार्यक्रम के अतिरिक्त इस कालेज द्वारा शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद के क्षेत्र में सेवारत कार्मिकों के लिए विस्तार सेवाओं तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन जारी रहा। इसके अलावा इस कालेज ने केन्द्रीय सरकार की ओर से राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम, शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद संबंधी प्रकाशित साहित्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता जैसे केन्द्रीय कार्यक्रमों का एक एजेंसी के रूप में कार्यान्वियन जारी रखा।

अपने विस्तार सेवा कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, विशेषत: अपने रजत जयंती समारोह के सन्दर्भ में इस वर्ष के दौरान कालेज द्वारा आयोजित कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप हैं :—

(i) मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए शारीरिक शिक्षा में दो अभिविन्यास पाठ्यक्रम।

(ii) कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिए शारीरिक शिक्षा संबंधी चौथी क्षेत्रीय कार्यशाला।

(iii) नवें एशियाई खेलों की तैयारी के लिए जूनियर लड़कियों के वास्ते बेडमिंटन प्रशिक्षण शिविर।

(iv) रजत जयंती अंतर-विश्वविद्यालय बास्केटबाल टूर्नामेंट।

(v) "विश्वविद्यालय युवकों की शारीरिक स्वस्थता" विषय पर वि० अनु० आयोग सेमिनार।

(vi) "विकलांगों के लिए खेलकूद का विकास" विषय पर अखिल भारतीय सेमिनार।

(vii) रजत जयंती अंतर विश्वविद्यालय वालीबाल (महिला) और बास्केटबाल (पुरुष) टूर्नामेंट।

(viii) शिक्षा निदेशकों और खेलकूद तथा युवा कल्याण निदेशकों के लिए "स्कूल जाने वाले तथा स्कूल न जाने वाले युवाओं की शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद संबंधी समस्याओं" विषय पर अखिल भारतीय सेमिनार।

(ix) शारीरिक शिक्षा कालेजों के प्रिंसिपलों, और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शारीरिक शिक्षा, शिक्षक संघ, के सदस्यों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन।

राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम

यह योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा लोगों में शारीरिक स्वस्थता की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने और उनमें शारीरिक स्वस्थता तथा उपलब्धि के उच्च स्तरों के संबंध में उत्साह पैदा करने के लिए 1959 में शुरु की गई थी। इस वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों और अन्य चुनी हुई एजेंसियों के सहयोग से इस योजना को जारी रखा गया। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर ने योजना के कार्यान्वयन के लिए एक केन्द्रीय एजेंसी के रूप में कार्य जारी रखा।

पिछले वर्ष के निष्पादन की समीक्षा करने और चालू वर्ष के लिए प्रस्ताव तैयार करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित राज्य संपर्क अधिकारियों का 22वां अखिल भारतीय सेमिनार पचमढ़ी में आयोजित किया गया। तदनुसार, 1981-82 के दौरान इस कार्यक्रम को वर्तमान पद्धति के आधार पर, 20 लाख लोगों द्वारा भाग लिए जाने के लक्ष्य को लेकर कार्यान्वित किया गया।

शारीरिक स्वस्थता संबंधी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 21वीं अखिल भारतीय प्रतियोगिता फरवरी 1982 में ग्वालियर में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया।

योग की प्रोन्नति

यह योजना, मंत्रालय के शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद संबंधी विकास कार्यक्रम का एक भाग है। इस वर्ष के दौरान वर्तमान पद्धति के आधार पर इसका कार्यान्वयन जारी रहा। कैवल्यधाम श्रीमन माधव योग मंदिर समिति, लोनावाला (पुणे) को, उसके अनुरक्षण, और योग के क्षेत्र में उसके अनुसंधान और/अथवा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यकलापों के लिए विकासात्मक खर्च के लिए सहायता जारी रही।

इस समिति के कार्यकरण का मूल्यांकन करने और आगामी वर्षों के दौरान उसके प्रक्षेपित विकास के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक समीक्षा समिति स्थापित की गई थी। इसकी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इन सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ समिति के अनुसंधान और/अथवा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने की सिफारिश शामिल है।

शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को अनुदान

यह योजना 1979-80 से एक स्वतंत्र योजना के रूप में चल रही है। इसके अंतर्गत, सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार की शारीरिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से, इन संस्थाओं में भौतिक सुविधाओं का सुधार करने के लिए व्यायामशालाओं, और तरणतालों के निर्माण, खेल मैदानों के विकास और पुस्तकालय के लिए पुस्तकें तथा खेल सामग्री की खरीद जैसी विशिष्ट परियोजनाओं के खर्च के 50 प्रतिशत को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता प्रत्येक परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुदानों की सीमा तक ही दी जाती है। इस वर्ष के दौरान, इस योजना को राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान सोसायटी के परामर्श से जारी रखा गया। राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थान सोसायटी की सिफारिशों के आधार पर, इस योजना के स्वरूप तथा क्षेत्र को अधिक व्यापक और उसके कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता की इसकी वर्तमान पद्धति में संशोधन का मामला मंत्रालय के विचाराधीन है।

ख. खेल-कूद

नेता जी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला और राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना

सन् 1961 में भारत सरकार द्वारा स्थापित नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला और बंगलौर स्थित इसके दक्षिणी केन्द्र (1975 में स्थापित) को विभिन्न खेलों के उच्च कोटि के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने और केन्द्रीय सरकार की ओर से, एक एजेंसी के तौर पर, राज्य खेल परिषदों, राज्य सरकारों तथा नेहरू युवक केन्द्रों के सहयोग से चलाए जा रहे देश भर में फैले क्षेत्रीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रों के जरिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना को कार्यान्वित करने का काम सौंपा गया है। संस्थान ने विभिन्न खेलों में नियमित तथा संक्षिप्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करना जारी रखा। शैक्षिक सत्र 1981-82 के लिए संस्थान ने, 16 खेलों के नियमित पाठ्यक्रमों में 25 विदेशी प्रशिक्षार्थियों सहित 369 प्रशिक्षार्थी—प्रशिक्षकों को दाखिल किया। सन् 1961 में अपनी स्थापना से लेकर अब तक संस्थान ने विभिन्न खेलों में 5162 प्रशिक्षक तैयार किए हैं जिनमें से 130 प्रशिक्षक विदेशों के हैं।

10—920Edu/81

संस्थान की राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत देश-भर में स्थित 23 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, राज्य खेल परिषदों/राज्य सरकारों के सहयोग से काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत संस्थान में इस समय 650 प्रशिक्षक संस्वीकृत हैं जिनमें से 584 प्रशिक्षक कार्य कर रहे हैं। इनमें से अनेक अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय चैम्पियन हैं।

अपने नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा संस्थान ने शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय की ओर से, एजेंसी के तौर पर, राष्ट्रीय महिला खेल समारोह, अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं, खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना संबंधी केन्द्रीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जारी रखा।

आगामी नवें एशियाई खेलों के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में संस्थान को इन खेलों में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय टीमों के प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के दौरान तथा खेल प्रतियोगिताओं में उपयोग के लिए खेल उपस्कर आयात करने का काम सौंपा गया है। संस्थान ने इन खेलों के लिए भारतीय टीमों को तैयार करने के लिए विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाएं भी मांगी हैं। यह संस्थान इन खेलों के लिए भारत की तैयारी से संबंधित विभिन्न मामलों में एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति को तकनीकी सहायता भी देता आ रहा है।

इस वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप इस प्रकार हैं:—

(i) विशेष रूप से नवें एशियाई खेलों के लिए टीमें तैयार करने हेतु 120 राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर।

(ii) तैराकी तथा कुश्ती के भारतीय प्रशिक्षक के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक सोलिडेरिटी पाठ्यक्रम।

(iii) एशियाई कुश्ती क्लिनिक।

सरकार द्वारा 2.5 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से संस्थान के बंगलौर स्थित दक्षिणी केन्द्र के लिए नए परिसर के निर्माण का अनुमोदन हो जाने के परिणामस्वरूप नए परिसर का निर्माण कार्य औपचारिक रूप से शुरू किया जा रहा है। आशा है कि कलकत्ता स्थित संस्थान का पूर्वी केन्द्र भी शीघ्र ही काम शुरू कर देगा।

खेलों की प्रोन्नति के लिए राज्य खेल परिषदों को अनुदान

अखिल भारतीय खेल परिषद् के परामर्श से और उसकी सिफारिश पर, स्वीकृत पद्धति तथा परिषद् द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष के दौरान राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की राज्य खेल परिषदों को निम्नलिखित सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी गई:—

(i) राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन,

(ii) विद्यमान ग्रामीण खेल केन्द्रों का अनुरक्षण और नए केन्द्रों की स्थापना;

(iii) खेल उपस्कर की खरीद के लिए वित्तीय सहायता;

(iv) खेल मैदानों का विकास;

(v) स्टेडियमों का निर्माण; और

(vi) तैरने के तालाबों का निर्माण।

राष्ट्रीय खेल संगठन

यह योजना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य कालेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के खेल स्तरों में सुधार करना तथा प्रतिभावान खिलाड़ियों की अपने-अपने खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सहायता करना है। कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में व्यायामशालाओं के निर्माण, खेल-मैदानों

के विकास आदि के लिए वित्तीय सहायता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से दी जाती है। कालेज तथा विश्वविद्यालयों के छात्रों के बीच प्रशिक्षण-एवं-खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का काम भारतीय विश्वविद्यालय संघ को सौंपा गया है। इसी प्रकार, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के माध्यम से कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के उत्कृष्ट पुरुष/महिला खिलाड़ियों को 1200 रुपये प्रतिवर्ष प्रति छात्र की दर से 100 वार्षिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं।

राष्ट्रीय खेल महासंघों/संघों को अनुदान

राष्ट्रीय खेल महासंघ/संघ स्वायत्त निकाय हैं जो सामान्य रूप से खेलों की उन्नति और विशेष रूप से उनके प्रतियोगी पक्ष को बेहतर बनाने में कार्यरत हैं। इस वर्ष के दौरान खेल महासंघों/संघों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता जारी रही, यह प्रयोजन हैं: (i) राष्ट्रीय खेल महासंघों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए टीमें विदेश भेजने हेतु यात्रा-व्यय अनुदान; (ii) राष्ट्रीय टीमों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए तैयार करने के प्रयोजन से राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन; (iii) वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन; (iv) विदेशों की खेल टीमों का स्वागत और भारतीय टीमों को विदेश भेजना।

अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं

ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों को बड़ी संख्या में देश के प्रमुख खेलों में सम्मिलित करने और इसके जरिए प्रतिभावान् खिलाड़ियों का पता लगाने तथा उन्हें प्रशिक्षण देने के दोहरे उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने 1970-71 में ग्रामीण खेल प्रतियोगिता संबंधी एक देश-व्यापी कार्यक्रम शुरू किया था। ब्लाक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के लगभग 15 लाख ग्रामीण युवा अब प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। यह कार्यक्रम, भारत सरकार की ओर से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान द्वारा, एजेंसी आधार पर, चलाया जा रहा है।

1981-82 के दौरान 12वीं अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता निम्नलिखित उप-वर्गों में आयोजित की गई :—

खेल	स्थान तथा तारीख
1. तैराकी	कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) 9 से 11 मई, 1981
2. एथलेटिक्स, हाकी तथा बास्केटबाल	श्रीनगर (जम्मू तथा काश्मीर) 1 से 5 अक्तूबर, 1981
3. कबड्डी, खो-खो, कुश्ती तथा तीरंदाजी	अमृतसर, (पंजाब) 29 दिसम्बर, 1981 से 1 जनवरी, 1982
4. फुटबाल, वालीबाल और जिम्नास्टिक्स	नेदिकेरी (कर्नाटक) 16 से 19 जनवरी, 1982

राष्ट्रीय महिला खेल समारोह

वर्ष, 1975 में सर्वप्रथम आयोजित राष्ट्रीय महिला खेल समारोह अब देश के खेल कार्यक्रम की एक प्रमुख वार्षिक घटना बन गया है। यह कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान द्वारा एजेंसी आधार पर आयोजित किया जाता है। 7वां राष्ट्रीय महिला खेल समारोह आन्ध्र प्रदेश राज्य खेल परिषद् के सहयोग से नवम्बर, 1981 में हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में आयोजित किया गया। इस समारोह में 20 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की 1440 महिलाओं ने 11 खेलों में भाग लिया। ये खेल हैं: एथलेटिक्स, बास्केटबाल, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक्स, हाकी, खो-खो, कबड्डी, लान-टैनिस, तैराकी, टेबल टेनिस और वालीबाल। ओवरआल चैंपियन ट्राफी पंजाब ने जीती।

खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियां

स्कूल स्तर के प्रतिभावान उदीयमान तथा खेलों में रुचि रखने वाले युवा लड़के और लड़कियों को सुविधाएं प्रदान करने, खेलों में उनकी प्रतिभा का विकास करने तथा पढ़ाई के दौरान उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने 1970-71 में खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना आरम्भ की थी। इस योजना के अंतर्गत, प्रतिवर्ष क्रमश: 900 रुपये प्रति छात्रवृत्ति की दर से 400 राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्तियां तथा 600 रुपये प्रति छात्रवृत्ति की दर से 800 राज्य स्तर की छात्रवृत्तियां खेलों में दक्ष और राष्ट्रीय/राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आधार पर चुने गए छात्रों को दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, गत वर्षों में प्रदान की गई छात्रवृत्तियों का अगले वर्ष में भी नवीकरण किया जाता है बशर्ते कि छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र अपनी दक्षता को बनाए रखें/उसमें सुधार लाएं। इस वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत, 400 राष्ट्र स्तरीय और 800 राज्य स्तरीय छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इसके अलावा, गत वर्ष प्रदान की गईं 150 राष्ट्र स्तरीय तथा 300 राज्य स्तरीय छात्रवृत्तियों का नवीकरण किए जाने की आशा है।

अर्जुन पुरस्कार

अर्जुन पुरस्कार की यह योजना 1961 से चल रही है। इसके अंतर्गत वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों में विशेष खेल प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार के विजेताओं को अब एक कांस्य पदक, प्रशस्ति-पत्र और दो वर्ष के लिए 200 रुपये प्रतिमास की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है और भारत में होने वाले किसी भी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेल मैच को नि:शुल्क देखने की अनुमति दी जाती है।

अखिल भारतीय खेल परिषद की सिफारिश पर सरकार ने 1980-81 के अर्जुन पुरस्कारों के लिए 13 उत्कृष्ट पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों को चुना है।

अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत द्वारा भाग लेना

(i) ब्रिस्बेन (आस्ट्रेलिया) में 2 से 4 अक्तूबर, 1981 को हुए लघु राष्ट्रमण्डल खेलों में एक 31 सदस्यीय भारतीय दल ने जिसमें 22 खिलाड़ी और 9 अधिकारी शामिल थे, एथेलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और कुश्ती आदि खेलों में भाग लिया। भारतीय दल ने 12 स्वर्ण, 4 रजत तथा 3 कांस्य पदक जीते। (ii) भारतीय स्कूल खेल संघ की एक 18 सदस्यीय स्कूली लड़कों की फुटबाल टीम ने, 20 से 30 जून, 1981 तक जकार्ता (इंडोनेशिया) में हुए दसवें वर्षगांठ, भारतीय स्कूल फुटबाल टूर्नामेंट, 1981 में भाग लिया। (iii) इस वर्ष के दौरान, बहुत सी भारतीय टीमों को विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विभिन्न खेलों में भाग लेने की अनुमति दी गई। इनमें से अनेक टीमों का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा-व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया गया और इन टीमों को खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पहले, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला के माध्यम से सरकार द्वारा विशेष प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की गई।

विदेशों को खेल शिष्टमंडल

(i) जर्मन जिम्नास्टिक्स तथा खेल संघ (डी० आई० एस० बी०) के निमंत्रण पर श्री एस० रामामूर्ति, संयुक्त सचिव, जो कि शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा के प्रभारी हैं, की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय शिष्टमण्डल ने जर्मन जनवादी गणराज्य में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा की पद्धति का अध्ययन करने के लिए 19 से 29 जुलाई, 1981 तक उस देश का दौरा किया।

(ii) भारत-जर्मन संघीय गणतंत्र सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत, निदेशक, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला ने 2 से 16 मई, 1981 तक जर्मन संघीय गणतंत्र का अध्ययन दौरा किया।

खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि

छठी योजना में शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद की केन्द्रीय योजनाओं से संबंधित कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों तथा अखिल भारतीय खेलकूद परिषद द्वारा सिफारिश की गई प्रारूप राष्ट्रीय खेलकूद नीति के अनुसार, भारत सरकार ने, उत्कृष्ट पुरुष

तथा महिला खिलाड़ियों को, जो कि अब खेलों में तो सक्रिय नहीं हैं परन्तु आर्थिक संकट में हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की ही तरह खिलाड़ियों के लिए एक राष्ट्रीय कल्याण निधि स्थापित करने का निर्णय सिद्धांत रूप में ले लिया है। इस निधि के उद्देश्यों में उन पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों का बीमा भी शामिल है जो एशियाई खेलों के लिए प्रशिक्षण के दौरान तथा एशियाई खेलों में भाग लेते हुए अपंग हो जाते हैं। इस योजना के ब्यौरे तथा इस निधि के संचालन के नियमों और विनियमों को सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ग. एशियाई खेल, 1982

नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों का आयोजन

9वें एशियाई खेलों, 1982 की मेजबानी करने के भारत के निर्णय के संदर्भ में, ये खेल, सरकार की वित्तीय सहायता से, दिल्ली में 19 नवम्बर, से 4 दिसम्बर, 1982 तक आयोजित किए जाएंगे। इन एशियाई खेलों के उद्देश्य हैं—एशिया के युवकों में ऐसे शारीरिक और नैतिक गुणों का विकास करना जो एमेच्योर खेलों में उचित प्रतियोगिता से पैदा होते हैं और खेलों के माध्यम से युवकों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और सद्भावना को बढ़ावा देना है।

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय की भूमिका

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, 1982 के एशियाई खेलों के आयोजन के लिए अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करने, उपकरणों के आयात, इत्यादि, तथा भारतीय टीमों/प्रतियोगियों के प्रशिक्षण के लिए, प्रमुख मंत्रालय है।

एशियाई खेलों से संबंधित संचालन समिति

यह सुनिश्चित करने के लिए कि एशियाई खेलों के लिए आवश्यक सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के अनुरूप समय पर उपलब्ध हों और इन खेलों के लिए आवश्यक अन्य प्रबंध भी किए जाएं, सरकार ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित की है। इस समिति को, एशियाई खेलों से संबंधित सभी मामलों पर मंत्रिमण्डल की ओर से निर्णय लेने तथा आवश्यक संस्वीकृतियां, जिसमें खर्च की संस्वीकृतियां भी शामिल हैं, प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

एशियाई खेलों के लिए विशेष आयोजन समिति

एशियाई खेल संघ की नियमावली के अंतर्गत एशियाई खेलों का आयोजन संबंधित देश के सदस्य-संगठन को सौंपा जाता है। भारतीय ओलम्पिक संघ ने सितम्बर, 1980 में, श्री विद्याचरण शुक्ल की अध्यक्षता में एक विशेष आयोजन समिति का गठन किया और इसे 1982 के एशियाई खेलों के आयोजन का कार्य सौंपा। विशेष आयोजन समिति के वर्तमान अध्यक्ष, पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री सरदार बूटा सिंह हैं जो कि एशियाई खेलों के मुख्य समन्वयक भी हैं। इस कार्य में उनकी सहायता एक सेवा-निवृत्त वरिष्ठ प्रशासक श्री के० टी० सतारावाला द्वारा की जा रही है और उन्हें एशियाई खेलों के लिए समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह विशेष आयोजन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। इस समिति के 5 उपाध्यक्ष हैं और एक महासचिव के अधीन एक नियमित पूर्णकालिक सचिवालय है।

एशियाई खेल, 1982 में शामिल खेल

21 खेलों, अर्थात्, एथेलेटिक्स, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक्स, वालीबाल, मुक्केबाजी, टेबिल टेनिस, साईकल चालन, हाकी, लान-टेनिस, निशानेबाजी, तैराकी, भारोत्तोलन कुश्ती, तीरंदाजी, बास्केटबाल, घुड़सवारी, फुटबाल, हैंडबाल, गोल्फ, नौका विहार (याचिंग) और रोइंग के आयोजन का प्रस्ताव है। इनके अतिरिक्त दो प्रदर्शन खेल, अर्थात् कबड्डी और सेपक तकराव (एक मलेशियाई खेल) भी होंगे। इन 21 खेलों में से, 19 दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर तथा दो खेल दिल्ली से बाहर, अर्थात याचिंग बम्बई में और रोइंग जयपुर में आयोजित किए जाएंगे।

विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए निम्नलिखित नए स्टेडियमों का निर्माण किया जा रहा है :—

1. लोधी रोड परिसर में मुख्य एथेलेटिक स्टेडियम, जिसमें 75,000 व्यक्तियों के बैठने की जगह होगी और जिसका निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल एथेलेटिक्स प्रतियोगिताओं, फटबाल मैचों और उद्घाटन तथा समापन समारोहों के लिए किया जाएगा।

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा राजघाट खेल परिसर में इन्डोर स्टेडियम जिसमें 25,000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी और विभाजन की सहायता से इसे दो स्टेडियमों के रूप में बैडमिंटन, जिम्नास्टिक्स और वालीबाल प्रतियोगिताओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

3. नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा तालकटोरा बाग में ओलम्पिक स्तर का एक तरण ताल जिसका इस्तेमाल तैराकी प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा।

4. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा राजघाट खेल परिसर में साईक्लिंग (पुरुष) प्रतियोगिता के लिए साईकल वेलोड्रोम।

5. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तुगलकाबाद किले के नजदीक चांदमारी परिसर जिसका इस्तेमाल निशानेबाजी की प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा।

6. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा हौज खास में लान-टैनिस स्टेडियम जिसका इस्तेमाल टेनिस प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा।

7. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के लिए प्रगति मैदान में एक नया प्रदर्शनी हाल, जिसका इस्तेमाल टेबिल टेनिस तथा मुक्केबाजी की प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्टेडियम को, जिसका इस्तेमाल पुरुषों के हाकी चैम्पियनशिप के आयोजन के लिए किया जाएगा, नवीकरण किया जाएगा तथा इसमें एस्ट्रो टर्फ सिंथेटिक सर्फेस की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त एशियाई खेलों में इस्तेमाल के लिए दिल्ली स्थित 10 मौजूदा स्टेडियमों का नवीकरण किया जाएगा।

स्टेडियमों को पूरा करने के लिए लक्षित तारीख

प्रगति मैदान के प्रदर्शनी हाल को छोड़कर, जो सितम्बर, 1982 तक तैयार हो जाएगा, इन खेलों के लिए सभी स्टेडियमों के निर्माण तथा नवीकरण का कार्य जून, 1982 के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है।

एशियाई खेल गांव

एशियाई खेल गांव, एक संपूर्णतः नई आवासीय बस्ती है जिसमें 853 अपार्टमेंट होंगे, यह एशियाई खेल, 1982 के लगभग 5,000 प्रतियोगियों तथा अधिकारियों के आवास के लिए सिरी फोर्ट क्षेत्र में, व्यापारिक आधार पर बनाई जा रही है।

फलाइ-ओवरों, होटलों का निर्माण, सड़कों को चौड़ा करना तथा शहर की रिंग-रेलवे का विद्युतीकरण

खेलों के स्थानों के अतिरिक्त, सात फ्लाइ-ओवरों के निर्माण, कई एक महत्वपूर्ण सड़कों को चौड़ा करने, शहर की रिंग रेलवे के विद्युतीकरण के कार्यों पर तेजी से कार्य चल रहा है। दस नए होटलों का भी निर्माण हो रहा है। ये परियोजनाएं संबंधित एजेंसियों के सामान्य विकास कार्य का एक भाग है परन्तु समय से कुछ पहले इन्हें इसलिए आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि उनका लाभ खेलों के समय उठाया जा सके। इन पर खर्चा संबंधित एजेंसियों के योजनागत विनिधानों से किया जा रहा है; और आठ होटलों के मामले में खर्च निजी स्रोतों से किया जा रहा है।

कॉस्ट-नियंत्रण

सभी निर्माण कार्यों में कोटि नियंत्रण पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की संहिता तथा अन्य नियमों और अनुदेशों के अंतर्गत जो भी नियंत्रण परीक्षण तथा मानदण्ड अनिवार्य हैं उनका सभी निर्माण कार्यों में सख्ती से, नियमित रूप से तथा बराबर पालन करने का विचार है।

उपकरणों का आयात

नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला को, प्रशिक्षण तथा खेलों के आयोजन दोनों के लिए ही आवश्यक उपकरण जहां तक संभव हो देश के अंदर से और यदि आवश्यक हो तो विदेश से, प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस प्रयोजन के लिए संस्थान को सीमाशुल्क की अदायगी से छूट दे दी गई है।

परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए समन्वय

प्रगति को नियमित करने के लिए बार/पर्ट चार्ट तैयार कर लिए गए हैं। मूल/कमी से बचने के लिए और यदि अनिवार्य रूप से कोई कमी रह जाए तो उसे सुधारने के लिए गहन मानीटरिंग प्रबंध किए गए हैं। उचित समन्वय तथा सभी परियोजनाओं को समय पर तथा कम खर्च से पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए, एशियाई खेलों की संचालन समिति तथा विशेष आयोजन समिति द्वारा अन्योन्य प्रतिनिधिक वाली कई समितियां स्थापित की गई हैं।

विभिन्न खेलों के लिए भारतीय टीमों को तैयार करना तथा प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन

एशियाई खेल, 1982 में भाग लेने के लिए विभिन्न खेलों में भारतीय टीमों की तैयारी के लिए, संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों के परामर्श से व्यापक योजनाएं तैयार की गई हैं। एशियाई खेलों में शामिल खेल प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षकों का एक पैनल भी तैयार किया गया है। खेलों के लिए भारतीय पुरुष/महिला खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए, नवम्बर, 1981 के अन्त तक 105 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया था। कुछेक राष्ट्रीय खेल संघों के अनुरोध पर, एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीमों को तैयार करने के वास्ते दस विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाएं प्राप्त की गई हैं। कुछ और विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

भारतीय टीमों के प्रशिक्षण की प्रगति को मानीटर करना

भारतीय टीमों के प्रशिक्षण की प्रगति को मानीटर करने के लिए, श्रीराम निवास मिर्धा, संसद सदस्य, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन पर नियमित रूप से पाक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान, पटियाला, में एक और समिति का भी गठन किया गया है।

उपहार/उधार स्वरूप उपकरणों की प्राप्ति के बारे में बातचीत करने के लिए विदेशों में भेजे गए चुनिन्दा अधिकारियों के शिष्टमंडल

अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टियों के उपकरण मुफ्त/उधार पर अथवा रियायती आधार पर प्राप्त करने के लिए बातचीत करने हेतु चुनिन्दा अधिकारियों के शिष्टमण्डल विदेशों में भेजे गए थे। ये अधिकारी महंगे उपकरणों को मुफ्त/उधार प्राप्त करने में सफल हुए हैं। जापान की सीको कंपनी, 13 कालमापी (टाइमरज) जिसमें फोटो फिनिश उपकरण भी शामिल हैं और इलेक्ट्रानिक स्कोर बोर्ड मुफ्त/उधार पर देने को राजी हो गई है। इसके अतिरिक्त, उपकरणों की देखभाल संस्थापना, अनुरक्षण तथा संचालन के लिए कंपनी 40-50 विशेषज्ञों का एक दल भी भेजेगी और उनकी यात्रा तथा भारत में उनके ठहरने के दौरान उनके भोजन और आवास का खर्चा भी वहन करेगी। जापान के मेसर्ज योनेक्स ने टेबिल टैनिस और लान-टैनिस के लिए कमीजों तथा रैकटों की सप्लाई का प्रस्ताव किया है। वे 25,000 अमरीकी डालरों, रायल्टी के रूप में भी अदा करेंगे। इन यात्राओं के कारण, कई अन्य आर्थिक लाभ भी संभव हो सके हैं।

प्रचार अभियान

भारत तथा विदेश के लोगों में एशियाई खेलों के लिए प्रचार अभियान 19, नवम्बर, 1981 को आरंभ हुआ। विशेष आयोजन समिति द्वारा तैयार किए गए सूचना-पत्र, विवरणिकाएं, इश्तहार, इत्यादि, भारतीय दूतावासों को भेजे गए। सभी भारतीय खेल संघों तथा राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति को यह प्रचार सामग्री मुहैया की गई है।

एशियाई खेल, 1982 के लिए प्रतीक (एम्बलम) तथा मस्कट

1982 के एशियाई खेलों के लिए प्रतीक (एम्बलम) तथा मस्कट तैयार कर लिया गया है? खेलों का मस्कट नाचता हुआ भारतीय बाल हाथी है जिसके माथे पर खेलों का प्रतीक सूर्य, एक बिंदिया के रूप में है। इस मस्कट का नाम "अप्पू" रखा गया है जिसमें क्रीड़ा की सच्ची भावना झलकती है।

एशियाई खेलों पर खर्चा

1982 के एशियाई खेलों के आयोजन पर किया जाने वाला सरकार द्वारा स्वीकृत खर्चा फिलहाल 54.83 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण, राजघाट खेल परिसर में एक इन्डोर स्टेडियम के निर्माण पर 10.16 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्चा वहन करेगा और नई दिल्ली नगर पालिका, तरण ताल के निर्माण पर 2.75 करोड़ रुपये का खर्चा करेगी। इस खर्च का लगभग 73 प्रतिशत, स्टेडियमों के निर्माण/नवीकरण पर खर्च होगा जो कि देश में खेलों के प्रोत्साहन के लिए स्थायी परिसम्पत्ति का काम देंगे। कुवैत के परमश्रेष्ठ अमीर ने भारत में एशियाई खेलों के लिए एक इन्डोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपये का नकद अनुदान दिया है।

एशियाई खेलों से आमदनी

एशियाई खेलों से निम्नलिखित द्वारा आमदनी होने की संभावना है।

1. टिकटों की बिक्री
2. दूर-दर्शन अधिकार
3. कुछेक उपकरणों को प्रोत्साहन देने के लिए रायल्टी
4. विज्ञापन
5. शुभंकर (मस्कट) तथा शब्दचिन्ह (लोगो) का प्रयोग

विशेष आयोजन समिति ने इन खेलों से 3.90 करोड़ रुपये की आमदनी का अनुमान लगाया है।

भाषाएं

भाषा के क्षेत्र में आयोजित गतिविधियां तथा कार्यक्रम मोटे तौर पर निम्नलिखित रूप से वर्गबद्ध किए जा सकते हैं :—

(क) हिन्दी की प्रोन्नति (संविधान के अनुच्छेद 351 में की गई परिकल्पना के अनुसार) ।

(ख) आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में की गई व्यवस्था के अनुसार)

(ग) अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की प्रोन्नति (शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में की गई व्यवस्था के अनुसार) ।

(घ) संस्कृत तथा अरबी और फारसी जैसी अन्य श्रेण्य भाषाओं की प्रोन्नति ।

मंत्रालय द्वारा सीधे ही कार्यान्वित योजनाओं के अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा स्थापित निम्नलिखित संस्थाओं/संगठनों ने भाषाओं के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वियन जारी रखा :—

1. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली ।
2. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली ।
3. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा ।
4. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ।
5. केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद ।
6. तरक्की-ए-उर्दू ब्यूरो, नई दिल्ली ।

क. हिन्दी की प्रोन्नति

मंत्रालय ने अपनी निम्नलिखित योजनाओं द्वारा अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करना जारी रखा—

(i) अहिन्दी भाषी राज्यों को अपने स्कूलों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता; (ii) हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए सहायता; (iii) मैट्रिक के बाद हिन्दी के अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियां; (iv) हिन्दी कक्षाओं के संचालन और पुस्तकालयों तथा वाचनालयों के अनुरक्षण के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता; (v) हिन्दी के शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों के आयोजन से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन और विस्तार; (vi) विभिन्न संगठनों को हिन्दी की पुस्तकें प्रदान करना; और (vii) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा के माध्यम से हिन्दी शिक्षण प्रणाली विज्ञान में अनुसंधान का आयोजन ।

अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति

इस योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 1981-82 के लिए हिन्दी के विकास और प्रचार के वास्ते अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के हिन्दी शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को 50 प्रतिशत की हिस्से-

11—920Edu/81

दारी के आधार पर केन्द्रीय सहायता देने की व्यवस्था है। इस योजना के लिए 33 लाख रुपये की योजनागत व्यवस्था की गई है और विभिन्न राज्य सरकारों को अब तक 18,25,750/- रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में कुछ लाख रुपये और दिए जाने की आशा है ।

अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालजों की स्थापना

अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज खोलने की इस केन्द्रीय योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज खोलने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करती है। यह सहायता छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि तक जारी रहेगी। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 10 लाख रुपये (योजनागत) का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 69,051/- रुपये का अनुदान मुक्त किया जा चुका है।

स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता मांगने वाले संगठनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इनमें से कुछ संगठन केन्द्रीय सहायता से इतने बड़े बन गए हैं कि वे एक साथ ही अनेक राज्यों में काम कर रहे हैं। गत वर्षों में जबकि अनुदान सामान्यत: हिन्दी कक्षाएं चलाने, हिन्दी टंकण और आशुलिपि कक्षाओं के संचालन, पुस्तकालय तथा वाचनालयों की स्थापना आदि के लिए ही मांगे जाते थे, अब काफी संगठनों से शिक्षकों के प्रशिक्षण, हिन्दी पत्रिकाओं के प्रकाशन, हिन्दी परीक्षाओं के संचालन, पुरस्कार प्रदान करने तथा हिन्दी में उच्च कार्य करने के लिए भी ये अनुदान मांगे जा रहे हैं। इस प्रकार अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी की पर्याप्त प्रगति हो रही है ।

वर्ष 1981-82 के दौरान 97 से अधिक संगठनों को 27 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है ।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

उच्च, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के काम को सुकर बनाने तथा हिन्दी का संपर्क भाषा के रूप में प्रसार और विकास करने के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। निदेशालय को सौंपे गए कार्य निम्नलिखित हैं:—

(i) हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना और इसे लोकप्रिय बनाना;

(ii) हिन्दी भाषा और इसकी लिपि में बुनियादी अनुसंधान; और

(iii) हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में द्विभाषिक, त्रिभाषी और बहुभाषी कोशों/शब्द संग्रहों, वार्तालाप संदर्शिकाओं का निर्माण ।

1981-82 के दौरान इन योजनाओं की प्रगति इस प्रकार रही:—

पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा हिन्दी शिक्षण

देश तथा विदेशों में रह रहे विदेशियों सहित अहिन्दी भाषी भारतीयों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के एक विशेष वर्ग, सांविधिक संस्थाओं तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों और केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों को हिन्दी पढ़ाने के लिए अंग्रेजी, तमिल, मलयालम और बंगला के माध्यम से पांच पाठ्यक्रम, अर्थात प्रवेश, परिचय, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ इस वर्ष जारी रहे। इन पाठयक्रमों में विदेश स्थित छात्रों सहित कुल 10,400 छात्रों को दाखिला दिया गया। भारतीय छात्रों से 30/- रु० प्रतिवर्ष और विदेशी छात्रों से 416.50 रु० प्रतिवर्ष शुल्क लिया जाता है। पाठों में महायता देने और मौखिक अध्यापन तथा छात्रों से सीधे संपर्क की कमी को

पूरा करने के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 16 केन्द्र में व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए।

चार द्विभाषी वार्तालाप संदर्शिकाओं तथा तीन स्व-अध्ययन पुस्तकों की पाण्डुलिपियां मुद्रणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, अब तक तमिल मलयालम और बंगला भाषाओं में 200 लिंगवा रिकार्डस तैयार किए जा चुके हैं।

विस्तार कार्यक्रम

ये कार्यक्रम अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी की प्रौन्नति के लिए कार्यान्वित किए जाते हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान, अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के नव-हिन्दी लेखकों की 18 कार्यशालाएं आयोजित की गईं। दिसम्बर, 1981 तक अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के 34 हिन्दी छात्रों ने प्रायोजित दौरों में भाग लिया और मार्च, 1982 के अंत तक इतने ही अन्य छात्रों द्वारा ऐसी यात्राओं में भाग लिए जाने की आशा है। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के उत्तर-स्नातक हिन्दी अनुसंधान छात्रों को 350/- रु० प्रति छात्र के हिसाब से 20 वजीफे देने की सिफारिश की गई और 1981-82 के अंत तक हिन्दी प्रोफेसरों के व्याख्यान दौरे भी पूरे हो जाने की आशा है।

हिन्दी पुस्तकों का वितरण तथा प्रदर्शनियां

भारतीय इतिहास, संस्कृति और साहित्य से संबंधित हिन्दी पुस्तकों को निःशुल्क वितरण तथा देश और विदेशों में विभिन्न स्थानों पर आवधिक प्रदर्शनियों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया। इस वर्ष के दौरान लगभग चार लाख रु० मूल्य की पुस्तकें खरीद कर वितररित की गई।

शब्दकोश तथा वार्तालाप संदर्शिकाओं का निर्माण

मानविकी विषयों में द्विभाषी, त्रिभाषी, बहुभाषी तथा पारिभाषिक शब्दकोशों के निर्माण और विश्वकोश—सदृश पद्धति पर पाठ्य (रीडिंग्स) तैयार करने से संबंधित परियोजना जारी रही। नौ द्विभाषी शब्दकोश मुद्रण के लिए तैयार हैं और दस त्रिभाषी कोशों की पाण्डुलिपियां निदेशालय में प्राप्त हो गई हैं। मानविकी में शेष 12 परिभाषिक शब्दकोशों पर कार्य जारी रहा। भारतीय भाषा कोश नामक एक बहुभाषा कोश के निर्माण की परियोजना जिसमें 5000 हिन्दी शब्दों तथा 2500 मुहावरों के समतुल्य 13 भारतीय भाषाओं में देवनागरी में दिए गए हैं, पूरी हो गई है। विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए मानविकी विषयों में विश्वकोश सदृश पद्धति पर 5 पाठ्य (रीडिंग्स) प्रकाशित किए गए तथा 1984-85 तक ऐसे ही 6 और पाठ्यों की पाण्डुलिपियों को पूरा करने का प्रस्ताव है।

जर्मन-हिन्दी और हिन्दी-जर्मन शब्दकोशों का कार्य जारी रहा। 45,000 प्रविष्टियों में से 42,000 तैयार कर ली गई हैं और 13,000 को अंतिम रूप दिया गया। हिन्दी-जर्मन शब्दकोश के मामले में सभी प्रविष्टियां विशेषज्ञों को भेजी जा चुकी हैं और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत और जर्मन जनवादी गणतंत्र के बीच उपर्युक्त परियोजना में कार्यरत विशेषज्ञों के प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान हुआ। जहां तक हिन्दी-चैक और चैक-हिन्दी शब्दकोशों का संबंध है 15,000 प्रविष्टियों में से 14,000 का 1981-82 के अंत तक अनुवाद पूरा कर दिया गया।

हिन्दी-रूसी, रूसी-हिन्दी; हिन्दी-चैक, चैक-हिन्दी; और हिन्दी-हंगेरियन तथा हंगेरियन-हिन्दी की वार्तालाप संदर्शिकाएं तैयार करने के काम में उल्लेखनीय प्रगति हुई।

प्रकाशन

प्रकाशकों के सहयोग की योजना के अंतर्गत 6 पाण्डुलिपियां तैयार की गई और 2 पारिभाषिक शब्दकोश प्रकाशित किए गए। "भाषा" त्रैमासिक के 4 अंकों, वर्ष

1978 की "वार्षिकी" के एक अंक तथा 'कूरियर' के हिन्दी अनुवाद "यूनेस्को दूत" के 12 अंकों सहित तीस प्रकाशन निकाले गए।

सिन्धी में मानक साहित्य का निर्माण

1975 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य सिंधी छात्रों के लाभ के लिए सिंधी में शिक्षाप्रद पुस्तकें प्रकाशित करना है। सिंधी सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन; नव-सिंधी लेखकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन; साहित्यिक कृतियों पर पुरस्कार प्रदान करने और चुनिंदा उत्कृष्ट पुस्तकों की खरीद तथा उनके निःशुल्क वितरण जैसे कार्यकलाप सिंधी भाषा और साहित्य की प्रोन्नति के लिए आयोजित किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत 2 पुस्तकें प्रकाशित की गई और 7 पुस्तकें मुद्रण के लिए भेजी गई तथा 12 और पाण्डुलिपियां मुद्रण के लिए तैयार की गईं।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर 6 नवम्बर, 1980 से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय से अलग कर दिया गया है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग को सौंपे गए कार्य निम्नलिखित हैं:—

आयोग, भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली तैयार करेगा; भारतीय भाषाओं में संदर्भ सामग्री तैयार करेगा; भारतीय भाषाओं में उपलब्ध शब्दावली का सर्वेक्षण, समीक्षा तथा संग्रह करेगा और अखिल-भारतीय शब्दावली तैयार करेगा; क्षेत्रीय स्तरों पर भाषा निकायों की स्थापना को बढ़ावा देगा; और पारिभाषिक शब्द-कोशों तथा शब्दसंग्रहों का निर्माण और प्रकाशन करेगा।

चल रहे कार्यक्रम और उनकी उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:—

पारिभाषिक शब्दकोश

विभिन्न विषयों में शब्दावली तैयार कर लेने के बाद यह महसूस किया गया कि संकल्पनाओं को बोधगम्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि परिभाषाओं के माध्यम से उन्हें स्पष्ट किया जाए। तदनुसार, बुनियादी विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों, मानविकी, चिकित्सा विज्ञानों, औषध विज्ञान, कृषि, तथा इंजीनियरी की सिविल, इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल शाखाओं के विभिन्न विषयों में पारिभाषिक शब्दकोशों को तैयार करने का काम जारी रहा। विभिन्न बुनियादी विज्ञानों के शब्दकोशों से संबंधित परिभाषाओं के समन्वय तथा समेकन का कार्य भी शुरू किया गया।

विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का प्रकाशन

कृषि, इंजीनियरी (पालिटेक्निक सहित), पशु-चिकित्सा विज्ञान, वनविद्या, चिकित्सा विज्ञान (नर्सिंग और अर्ध मेडिकल सहित) और फार्मासियूटिकल विज्ञान के विषयों में पुस्तकें प्रकाशित करने का कार्यक्रम जारी रहा। इस समय, उपरोक्त विषयों में पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य सीधे ही आयोग द्वारा किया जाता है। यद्यपि बुनियादी विज्ञानों/मानव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न विषयों में पुस्तक निर्माण का कार्य ग्रंथ अकादमियों और विश्वविद्यालय सैलों के माध्यम से किया जा रहा है। सात पुस्तकें प्रकाशित की गईं और 64 प्रकाशन के लिए भेजी गईं। पुस्तकों में अनुवाद और मूल लेखन दोनों ही शामिल हैं।

कापीराइट की प्राप्ति

हिन्दी व अन्य भारतीय भाषाओं में विदेशी पुस्तकों के अनुवाद के लिए लगभग 20 पुस्तकों के अनुवाद अधिकारों के संबंध में बातचीत चल रही है और लगभग 12 पुस्तकों की कापीराइट अवधि बढ़वाई गई।

शब्दावली

शेष शब्दावली कार्य के अंतर्गत केवल उन विषयों के शब्दों के हिन्दी पर्याय तैयार किए गए जिनके अभी तक पर्याय तैयार नहीं हुए थे, जैसे कि पशु-चिकित्सा विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि।

समय के साथ-साथ, संपूर्ण शब्दावली के संशोधन, समन्वय तथा सरलीकरण की आवश्यकता है ताकि इसे एक खण्ड के रूप में प्रकाशित किया जा सके। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं।

हिन्दी अंग्रेजी शब्दकोश

अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्यायों के प्रकाशन के साथ-साथ, क्योंकि अधिकाधिक लोग इनका प्रयोग करते हैं, हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोश तैयार करना भी आवश्यक हो गया है। बुनियादी विज्ञान से संबंधित एक ऐसा हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोश प्रकाशित किया गया है। मानव-विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तथा प्रयुक्त विज्ञानों में भी हिन्दी अंग्रेजी शब्दकोश क्रमशः प्रकाशन और तैयारी के स्तरों पर हैं।

अखिल भारतीय शब्दावली

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के सामने अब एक कार्य यह भी है कि हिन्दी की शब्दावली की भारत की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किए गए शब्दों से तुलना की जाए और उसका समन्वय किया जाए जिससे कि इसका समन्वय हो सके और एक ऐसी शब्दावली तैयार करने की संभावना का पता लगाया जा सके जिसे एक मानक अखिल भारतीय शब्दावली के रूप में सारे देश में समान रूप से प्रयोग किया जा सके। राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्डों का सहयोग मांगा गया। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार की गई शब्दावली की विभिन्न विषय-एककों द्वारा एकत्र किया जा रहा है और उसका प्रलेखन किया जा रहा है और उस पर देश के अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में बुलाए गए सेमिनारों में कार्रवाई की जा रही है। आरंभ में, विभिन्न विषयों से संबंधित मूल शब्दों की सूचियां तैयार की जाती हैं और इस प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय पर्याय एकत्र किए जाते हैं। इस संबंध में, त्रिवेन्द्रम, मैसूर और कलकत्ता में बैठकें और अखिल भारतीय सेमिनार आयोजित किए गए, शब्दों पर चर्चा की गई और वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित तथा चिकित्सा विज्ञानों में संबंधित अखिल भारतीय शब्दावली का चयन किया गया।

केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल आगरा

केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा, जो कि एक स्वायत्त निकाय है, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान का प्रबंध और पर्यवेक्षण कार्य करने के लिए, मंत्रालय द्वारा सन् 1961 में स्थापित किया गया था। यह संस्थान हिन्दी के शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्था के रूप में कार्य कर रहा है (विशेष रूप से द्वितीय भाषा/विदेशी भाषा के रूप में)। संस्थान का मुख्य कार्यालय आगरा में है और दिल्ली, हैदराबाद और गोहाटी में इसकी शाखाएं हैं।

अध्यापन और प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 1981-82 के दौरान संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 340 भारतीयों और विदेशियों को दाखिल किया गया। संस्थान, 15 नियमित पूर्णकालिक पाठ्यक्रम आयोजित करता है जिनमें हिन्दी शिक्षण निष्णात (एम० एड० के समकक्ष) और प्रायोगिक हिन्दी भाषा विज्ञान में उत्तर एम० ए० डिप्लोमा तथा उच्च डिप्लोमा व "अनुवाद में डिप्लोमा" शामिल है। पत्राचार द्वारा पारंगत पाठ्यक्रम भी इस वर्ष से आरंभ किया गया है और 179 प्रशिक्षणार्थियों ने इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है।

संस्थान, अल्पावधि वाले पुनश्चर्या एवं उपचारी पाठ्यक्रम आयोजित करता है जिनमें अहिन्दी भाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण कालेजों और उच्चतर माध्य-

मिक स्कूलों में कार्यरत हिन्दी अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रम शामिल है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत इस वर्ष 514 अध्यापक प्रशिक्षित किए गए।

हिन्दी शिक्षण प्रणाली में अनुसंधान और सामग्री का निर्माण

संस्थान, विभिन्न स्तरों पर हिन्दी शिक्षण और प्रशिक्षण की तकनीकों के विकास के लिए अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करता है। वर्ष 1981-82 के दौरान, संस्थान ने मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर 25 पाठ्यपुस्तकें तैयार कीं।

प्रकाशन

इस वर्ष संस्थान के सात नए प्रकाशन, अनुसंधान पत्रिका "गवेषण" के खण्ड 34-35 और बुलेटिन के अंक 45-48 प्रकाशित किए गए।

विस्तार सेवा कार्यक्रम

वर्ष 1981-82 के दौरान, शिक्षण स्टाफ के 14 सदस्यों को व्याख्यानों, सेमिनारों और चर्चाओं में भाग लेने के लिए विभिन्न स्थानों पर भेजा गया।

अखिल भारतीय प्रतियोगिताएं

अहिन्दी भाषी व्यक्तियों द्वारा मूल हिन्दी लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थान प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय हिन्दी निबंध प्रतियोगिता आयोजित करता है। संस्थान प्रतिवर्ष अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के हिन्दी शिक्षण प्रशिक्षण कालेजों के शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों के लिए दो वर्गों में अखिल भारतीय हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन करता है।

संस्थान ने प्रेम चन्द शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रेमचन्द की रचनाओं के शैली विज्ञान पहलुओं पर एक सेमिनार का आयोजन किया। लगभग 28 साहित्यकारों और विद्वानों ने सेमिनार में अपने निबंध प्रस्तुत किए। सेमिनार की कार्यवाही शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी।

भाषा परीक्षण और मूल्यांकन पर (दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी के विशेष संदर्भ में) एक सेमिनार एवं कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें 40 व्यक्तियों ने निबंध प्रस्तुत किए और कार्यशाला सत्रों में काम किया। सेमिनार की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में संस्थान ने दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी की मानक परीक्षाएं तैयार करने का कार्य आरंभ किया है।

संस्थान ने हिन्दी के वैज्ञानिक रजिस्टरों की प्रकृति और विकास से संबंधित एक अनुसंधान परियोजना आरंभ की है। अखिल भारतीय हिन्दी, अर्थात क्षेत्रीय स्तर के रूप में हिन्दी की प्रकृति और भाषाई विशेषताओं के निर्धारण के संबंध में भी कार्य आरंभ किया गया है।

संस्थान के छः अध्यापकों को पी० एच० डी० डिग्रियां प्रदान की गईं और 5 ने पी० एच० डी० के लिए अपने शोध निबंध प्रस्तुत कर दिए हैं।

पुस्तकालय

संस्थान के पुस्तकालय में 1800 नई पुस्तकें शामिल की गईं। पुस्तकालय में इस समय लगभग 25000 पुस्तकें हैं और इस समय 134 पत्रिकाएं मंगाई जाती हैं।

ख. आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति

हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का प्रकाशन।

विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न विषयों की शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं को शीघ्र अपनाने को सुकर बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय स्तर की

पुस्तकों के प्रकाशन का कार्यक्रम 1968-69 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1 दिसम्बर, 1981 तक 5493 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। जिनमें से 1378 से अधिक अनुवाद हैं। काफी पुस्तकें प्रकाशन के विभिन्न चरणों पर हैं।

कोर पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रम

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सहयोग से औषध के संबंध में कोर पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं। औषध में चार कोर पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। कटिबंधीय चर्म विज्ञान की रंगीन एटलस, जिसका कार्य पिछले वर्ष आरंभ किया गया था, चालू वर्ष में पूरा व प्रकाशित हो जाने की आशा है। शल्यचिकित्सा, शरीर विज्ञान (खण्ड-1), जीव रसायन और तांत्रिक-शल्य चिकित्सा (खण्ड 1 तथा 2) की चार पाठ्यपुस्तकें पूरी हो गई हैं तथा औषध पर 7 और पुस्तकें तैयार की जा रही हैं।

मूल मानक पुस्तकों के लेखकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

यह योजना भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की मूल मानक कृतियां लिखने वाले भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। 18 पुस्तकों के संबंध में राष्ट्रीय पुरस्कारों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं और प्रत्येक लेखक को 10000/- रु० का पुरस्कार दिया गया है। तथापि, यह योजना स्थगित कर दी गई है।

क्षेत्रीय भाषाओं की प्रोन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठनों और शैक्षिक संस्थानों को सहायता

इस योजना के अंतर्गत, भारतीय भाषाओं के प्रसार और विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों/शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना को छठी योजना अवधि के दौरान जारी रखा जा रहा है। यह योजना बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है क्योंकि इससे न केवल सम्बंधित संस्थाओं का सहयोग प्राप्त होता है अपितु इससे भारतीय भाषाओं के प्रसार और विकास में लगी संस्थाओं को सहायता भी मिलती है। शब्द 'भारतीय भाषाओं' में हिन्दी और संस्कृत को छोड़कर सभी भाषाएं शामिल हैं, जैसा कि संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित है और भारत में प्रयोग की जाने वाली अन्य मान्यता-प्राप्त भाषाएं (जनजातीय भाषाओं सहित) शामिल हैं।

उर्दू की पुस्तकों का प्रकाशन

तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड की स्थापना, उर्दू में शैक्षिक साहित्य के निर्माण के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए 1969 में की गई थी और शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। वर्ष 1981 में नए बोर्ड में फिर से नामांकन किया गया। इस बोर्ड को सन् 1977 में शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में घोषित किया गया और हाल ही में इसे स्थाई दर्जा दे दिया गया है।

बोर्ड के मार्गदर्शन में 330 पुस्तकें (रा० शै० अनु० तथा प्रशिक्षण परिषद की 71 पुस्तकों सहित) तैयार और प्रकाशित की गई जिनमें विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें, लोकप्रिय विज्ञान, बाल साहित्य, सामान्य पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें शामिल हैं। 600 से अधिक पुस्तकें अनुवाद और मूल लेखन के विभिन्न चरणों पर हैं। पांच खण्डों वाला अंग्रेजी-उर्दू शब्दकोश प्रेस में है और 12 खण्ड वाला विश्वकोश भी प्रेस को शीघ्र ही भेज दिया जाएगा। कुल 1.2 लाख तकनीकी शब्दों को अंतिम रूप दिया गया है और 18 विषयों के संबंध में कार्य चल रहा है।

दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, भोपाल, बंगलौर, पटना और श्रीनगर में स्थित सात सुलेखन केन्द्रों के अलावा, वर्ष 1981-82 में छः नए केन्द्र खोलने का निर्णय किया गया है। ये केन्द्र इलाहाबाद, नागपुर, मद्रास, पटियाला, जयपुर और लखनऊ में होंगे।

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर के अधीन उर्दू अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए सोलन और पटियाला स्थित केन्द्रों ने उर्दू में 539 माध्यमिक स्कूल अध्यापकों को प्रशिक्षित किया है। चालू वर्ष के दौरान 101 अध्यापक—56 पटियाला में और 45 सोलन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

उर्दू में एक अनुसंधान पत्रिका भी आरंभ करने का प्रस्ताव है। उर्दू सहित सभी भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति के कार्य में लगे स्वैच्छिक संगठनों और शैक्षिक संस्थाओं को भी वित्तीय सहायता दी जाती है। आलोच्य वर्ष के दौरान प्रकाशन लागत का 50 प्रतिशत अंश पूरा करने के लिए प्रकाशन सहायता के रूप में 2500/- रु० की राशि मंजूर की गई। इसके अतिरिक्त 49595/- रु० की लागत से उर्दू की 1900 पुस्तकें खरीदी गई हैं।

8.9 लाख रु० की उर्दू पुस्तकें बेची गई हैं।

सिंधी पुस्तकों का निर्माण

1975 में आरंभ की गई इस योजना का उद्देश्य है सिन्धी छात्रों के लाभार्थ सिन्धी में शिक्षाप्रद पुस्तकें प्रकाशित करना। इस योजना के अन्तर्गत दो संदर्भ कृतियां अर्थात सिन्धी-अंग्रेजी शब्दकोश और सिन्धी व्याकरण मुद्रित की जा चकी हैं। पांच बाल पुस्तकों (बाल पुस्तक न्यास द्वारा प्रकाशित) का सिंधी में अनुवाद तथा मुद्रण किया गया है। ये हैं:—मोहनजोदड़ो के चमत्कार, सरीजुप्ना की कहानी, हमारे पड़ौसी, ऐतिहासिक कहानियां तथा हिमालय की खतरनाक यात्रा।

इसके अतिरिक्त सात पांडुलिपियां प्रैस के लिए तैयार हैं और कई अन्य पुस्तकों के निर्माण का कार्य प्रगति कर रहा है।

वर्ष 1981-82 से सिन्धी लेखकों को दिए जाने वाले नकद पुरस्कारों की राशि 1500/- रुपये से बढ़ाकर 2,500/- रु० कर दी गई है। 5 पुरस्कार दिए जाएंगे। विभिन्न सिन्धी शैक्षिक संस्थाओं/पुस्तकालयों में निशुल्क वितरण के लिए सिन्धी पुस्तकों की थोक खरीद की एक नई योजना तैयार की गई है। उदयपुर में, सिन्धी भाषा के अध्यापकों के लिए एक लेखक कार्यशाला के आयोजन का भी निर्णय किया गया है। बम्बई विश्वविद्यालय में, सिन्धी भाषा तथा साहित्य पर एक सेमिनार भी आयोजित होने वाला है।

मानविकी तथा विज्ञान दोनों वर्गों के लिए अलग-अलग विशेषज्ञ नामिकाएं बनाई गई हैं और पारिभाषिक शब्दावली के अनुवाद का कार्य शुरु कर दिया गया है।

आदिवासी तथा सीमान्त भाषाएं

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर

तीन ध्वन्यात्मक रीडरों (मिज़ो, सिक्किम भूटिया और कर्बी) तथा दो व्याकरणों (शिना और कर्बी) के अन्तिम मसौदे, मार्च, 1982 तक तैयार कर लिए जाएंगे। निम्नलिखित भाषाओं (अपाटनी, मिशमी, ब्रोक्शट, दोर्ली और कर्बी) के शब्दकोशों का कार्य आगे बढ़ रहा है। कुरुख तथा मुंदरी के स्कूल प्राइमर पूरे किए गए। अरुणाचल प्रदेश के लोक साहित्य का अन्तिम मसौदा तैयार कर लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के "सामाजिक भाषा वैज्ञानिक सर्वेक्षण," "कुरुख में उप-भाषा सीमाओं" तथा "संथाली में उप-भाषा सीमाओं" की रिपोर्टें पूरी कर ली गई। "तिब्बती-बर्मी भाषा विज्ञान" की ग्रंथ-सूची का अन्तिम मसौदा तैयार कर लिया गया। जन-जातीय सेल के अधिकारियों के भाषा वैज्ञानिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (4 सप्ताह) तथा क्षेत्र कार्य-कर्ताओं के लिए मानवजाति विज्ञान तथा भाषा-विज्ञान की प्रासंगिकता पाठ्यक्रम (2 सप्ताह) आयोजित किए गए। मैसूर में तिब्बती-बर्मी भाषा-विज्ञान पर एक सम्मेलन तथा साक्षरता अध्यापकों के लिए चंगलाग में प्रौढ़ साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम (सेवा-कालीन प्रशिक्षण) का आयोजन किया गया। थडौ-कुकी तथा तंगकुलल में कक्षा II तथा IV के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए मणिपुर के लेखकों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वर्ष नई परियोजनाओं के रूप में, II और III कक्षाओं की अंग्रेजी तथा हिन्दी साक्षरता प्राइमर, अरुणाचल प्रदेश तथा क्षेत्र कार्य के लिए एक संदर्शिका का कार्य आरंभ किया गया। राज्य की 4 जनजातीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए संस्थान ने मणिपुर सरकार को अपनी सुविज्ञता प्रदान की।

सामाजिक-भाषा विज्ञान

(I) मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के अधिकांश जनजातीय जनसंख्या वाले 14 जिलों में (अन्तर-भाषाई संचार के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा) सदरी का प्रायोगिक सर्वेक्षण तथा (II) केरल में कोणकनी बोलने वालों के अभिसरण का भाषाई अध्ययन, भाषा अभिवृत्ति तथा अनुरक्षण संबंधी रिपोर्ट पूरी की गई। छः और परियोजनाओं की अन्तिम रिपोर्ट मार्च, 1982 तक तैयार हो जायेंगी।

(I) बंगलौर सामाजिक-भाषा वैज्ञानिक परियोजना :

(क) बंगलौर के तामिल वासियों के बीच भाषा अनुरक्षण, भाषा अभिवृत्ति तथा स्थानान्तरण

(II) बंगलौर के तमिल वासियों के बीच भाषा का अभिसरण तथा भिन्नता (III) अन्तरीय संचार संबंधी पारस्परिक प्रभाव कुछ पहलू : बंगलौर के एक उद्योग में संचार संबंधी अध्ययन", का कार्य भी आगे बढ़ रहा है।

सामग्री प्रक्षेपण

"कन्नड़ स्तर 1 के छात्रों के लिए हाई स्कूल स्तर का एक संस्कृत रीडर" और "भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य की एक ग्रंथ-सूची" तैयार की गई। "सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रचार तथा सूचना सामग्रियों में प्रयुक्त भाषा की रिपोर्ट (कन्नड़)"

"प्रौढ़ साक्षरों तथा निरक्षरों में हेमीस्फैरिक प्रधानता", "दो भाषाओं का एक साथ—अधिग्रहण" और "विधि तथा प्रशासन में भाषा (कन्नड़) का मूल्यांकन" संबंधी रिपोर्टें तैयार कर ली गईं। "पढ़ने में असमर्थताओं के पहल" संबंधी एक परियोजना रिपोर्ट पूरी की गई। मलयालम रीडर तथा गुजराती रीडर भी पूरे कर लिए गए और समीक्षा के लिए विशेषज्ञों को भेज दिए गए। तमिलनाडु के कक्षा IX के तमिल अध्यापकों तथा केरल के कक्षा IX के मलयालम अध्यापकों के रेडियो-एवं-पत्राचार पाठ्यक्रमों को पूरा कर लिया गया। पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा गैर-तमिलों के लिए तमिल का दूसरा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा कर लिया गया। पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से तमिल के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में समस्त भारत से 305 छात्रों को दाखिला दिया गया है। जुलाई ,1981 में कर्नाटक के आई० ए० एस०/आई० पी० एस० परिवीक्षार्थियों के लिए एक चार सप्ताहीय कन्नड़ पाठ्यक्रम (आवश्यकता आधारित) आयोजित किया गया।

क्षेत्रीय भाषा केन्द्र

मैसूर, भुवनेश्वर, पटियाला, पूना तथा सोलन स्थित प्रादेशिक भाषा केन्द्रों द्वारा 13 भाषाओं में 15 राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के 337 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। 13 राज्यों तथा 2 संघ शासित क्षेत्रों के 350 अध्यापक 13 भाषाओं में उपरोक्त केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 7 भाषा वर्गों के भूतपूर्व-अध्यापक प्रशिक्षार्थियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाए गए। अक्तूबर, 1981 में, 3 भाषा वर्गों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय एकता शिवरों का आयोजन किया गया। कर्नाटक के आई० ए० एस०/आई० पी० एस० परिवीक्षार्थियों के लिए एक चार सप्ताहीय कन्नड़ पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया।

मानचित्रकारी

जनजातियों के बीच भाषाई विविधता तथा भाषाई संस्कृति-संक्रमण संबंधी सारणी, तथा 25 जिलों के लिए कुल ज़िला जनसंख्या के अनुपातों सहित भाषा बोलने वालों तथा भाषा सम्मिश्रणों की सारणी पूरी की गई। 15 पाण्डुलिपियों पर कार्य किया गया, दो पुस्तकों का पुनर्मुद्रण किया गया तथा दो पुस्तकें प्रकाशित की गईं। दस पाण्डुलिपियों पर कार्य चल रहा है।

2—920Edu/81

सेमिनार/सम्मेलन

मैसूर में, 9 से 13 अगस्त, 1981 तक "महिला, भाषा और विकास" विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें भारत के अतिरिक्त, अमरीका, नेपाल, और तनजानियां के विद्वानों ने भाग लिया।

पुस्तकालय

जून से दिसम्बर, 1981 तक, 3,735 पुस्तकें अर्जित की गईं, 86 पत्रिकाओं का ग्राहक बना गया तथा 10 बाह्य व्यक्तियों को सदस्य बनाया गया।

ग. अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की प्रोन्नति

केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद :

केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद, एक उच्च अध्ययन का (समझे जाने वाला विश्वविद्यालय) संस्थान है और यह विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता है। यह संस्थान देश में अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के शिक्षण को सुधारने के लिए तथा माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की शैक्षिक संस्थाओं के लिए इस क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन कार्मिक प्रदान करने के लिए पथ प्रदर्शक प्रयत्न कर रहा है। इस वर्ष के दौरान, इस संस्थान ने अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के क्षेत्र में, विशिष्ट अध्यापक शिक्षा, अनुसंधान, शिक्षण सामग्री निर्माण तथा विस्तार सेवाओं के लिए एक सुदृढ़ राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में सेवा करने के उद्देश्य से अपने कार्यकलाप जारी रखे।

यह संस्थान अंग्रेजी शिक्षण तथा अंग्रेजी अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम एम०लिट० और पी०एच०डी० पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसके अतिरिक्त यह संस्थान, अंग्रेजी के शिक्षण में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र और डिप्लोमा के लिए पत्राचार एवं सम्पर्क पाठ्यक्रम भी आयोजित करता आ रहा है। इस वर्ष के दौरान, 71 उम्मीदवारों ने अंग्रेजी के शिक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा 180 उम्मीदवारों ने अंग्रेजी शिक्षण में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा किया। इसी प्रकार, अरबी, फ्रेंच, जर्मन तथा रूसी विभागों द्वारा प्रारम्भिक प्रवीणता पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा, एम०लिट० और पी०एच०डी० पाठ्यक्रमों तथा पत्राचार के माध्यम से फ्रेंच, जर्मन और रूसी में एम०ए० पाठ्यक्रमों को जारी रखा गया।

इस संस्थान ने, अंग्रेजी में अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के आयोजन में आन्ध्र प्रदेश तथा जम्मू और काश्मीर सरकार को सहयोग दिया। यह संस्थान, क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थान, बंगलौर को उसके प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मूल्यांकन परियोजना में भी सहयोग दे रहा है।

सामग्री निर्माण विभाग ने अप्रैल, 1981 में, भारत में अंग्रेजी भाषा शिक्षण (ई०एल०टी०) में हाल ही के नव परिवर्तनों के संबंध में एक सेमिनार आयोजित किया। लखनऊ और शिलांग स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा भी पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों तथा सेमिनारों का आयोजन किया गया। संस्थान में दिसम्बर, 1981 से फरवरी, 1982 के दौरान, जम्मू तथा काश्मीर, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 58 अध्यापकों के लिए एक संसाधन कार्मिक पाठ्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं तथा उनके साहित्य के शिक्षण, बेहतर पाठ्यचर्याओं, शिक्षा/शैक्षणिक सामग्रियों और मूल्यांकन पद्धतियों के लिए उपयुक्त प्रणालियों के विकास के लिए सामग्री निर्माण के उद्देश्य से अनुसंधान चलता रहा। संस्थान ने पाठ्य-पुस्तकों, कार्य पुस्तकों तथा शिक्षक संदर्शिकाओं जैसी समेकित शिक्षण सामग्री के निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य जारी रखा, जिस में टेप की हुई सहायक सामग्री भी शामिल हैं।

इस वर्ष के दौरान बहुत सी पुस्तकें, जिनमें अनुपूरक रीडर भी शामिल हैं, प्रकाशित की गईं। माध्यमिक स्कूल अध्यापक कार्यक्रम के अन्तर्गत, समस्त भारत के आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा अंग्रेजी "(इंगलिश बाई एयर)" नामक 38 कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

1 दिसम्बर, 1981 से 33 वियतनामी विद्वानों/अधिकारियों के लिए अंग्रेजी के 2 विशेष पाठ्यक्रम भी संस्थान में आयोजित किए जा रहे हैं। भारत आस्ट्रेलिया सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत फरवरी, 1982 के दौरान हैदराबाद स्थित संस्थान में आस्ट्रेलियाई साहित्य के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित किया जाएगा।

संस्कृत तथा अरबी और फारसी जैसी प्राचीन भाषाओं की प्रोन्नति

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

तिरुपति, दिल्ली, इलाहाबाद, पुरी, जम्मू और गुरुवायूर में संस्थान के तत्वावधान में 6 केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ चल रहे हैं। इन विद्यापीठों में 6 पारंपरिक अध्ययनों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 2,000 छात्र पढ़ रहे हैं। इस वर्ष के दौरान जिन 46 प्रकाशनों पर कार्य शुरू किया गया था उनमें से 15 प्रकाशन निकल चुके हैं। इसके अतिरिक्त, संस्थान द्वारा संस्कृत पाण्डुलिपियों के सर्वेक्षण, अधिग्रहण, परिरक्षण और प्रकाशन तथा प्रलेखन केन्द्र, और संस्कृत सूचना पंजी नामक 3 नई योजनाओं का कार्यान्वयन भी शुरू कर दिया गया है।

विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले, विद्यापीठों के लगभग 1000 छात्रों को छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं। लगभग 400 छात्रों को छात्रावास की सुविधाएं भी दी गई हैं। संस्थान की आगामी परीक्षाओं में 2500 से अधिक विद्यार्थियों के बैठने की आशा है। संस्थान अंग्रेजी और हिन्दी के माध्यम से एक पत्राचार पाठ्यक्रम चला रहा है और 625 विद्यार्थी जिनमें विदेशी विद्यार्थी भी हैं, इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं के लगभग 200 छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। देश भर के शास्त्री और आचार्य के विद्यार्थियों को लगभग 500 छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं। मैट्रिकोत्तर स्तर पर संस्कृत का अध्ययन करने वाले 1200 विद्यार्थी संस्थान की छात्रवृत्तियों का लाभ उठा रहे हैं।

स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता

इस योजना के अंतर्गत देश भर के 600 से अधिक पारंपरिक संस्कृत शिक्षण संस्थानों, गुरुकुलों और वेद पाठशालाओं को 35 लाख रुपये की राशि दी जा रही है। ये अनुदान मुख्यतः शिक्षकों को और अधिक वेतन देने, और सुयोग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए हैं। ये अनुदान पुस्तकालयों को सुदृढ़ करने और इन पारंपरिक संस्कृत संस्थानों में और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए भी दिए जाते हैं।

ऐतिहासिक सिद्धांतों पर आधारित कोश का प्रकाशन

अनुसंधान छात्रों को प्राचीन और कठिन संस्कृत पाठों की व्याख्या में सहायता देने के लिए दक्कन कालेज, पूना को ऐतिहासिक सिद्धांतों पर आधारित एक कोश तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ये कार्य सतत रूप से आगे बढ़ रहा है और इस कोश का प्रथम खण्ड (3 भाग) और दूसरा खण्ड (भाग 1 और 2) निकाले जा चुके हैं।

आदर्श संस्कृत पाठशालाएं

कुल स्वीकृत आवर्ती खर्च के 95% तक विशेष वित्तीय सहायता देने की योजना के अंतर्गत पारंपरिक संस्कृत शिक्षण संस्थानों में से कुछ ऐसी संस्थाओं को चुना गया है जिनकी प्रगति निरंतर अच्छी रही है और जिन्होंने शिक्षण के उच्च स्तरों को बनाए रखा है। इस वर्ष के दौरान 8 आदर्श पाठशालाओं की वर्तमान सूची में 2 और संस्थाएं जुड़ गई हैं।

संस्कृत की प्रोन्नति के लिए केन्द्रीय योजनाएं

इस योजना के अंतर्गत, अभावग्रस्त संस्कृत विद्वानों को 3,600 रु० प्रति वर्ष तक की सहायता दी जाती है। और यदि उनको कुछ आय हो रही हो तो उस की राशि इस राशि में से कम कर दी जाती है। चालू वर्ष में, समूचे देश के 1300 विद्वान यह सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

संस्कृत साहित्य का निर्माण

नए संस्कृत साहित्य के निर्माण तथा प्राचीन साहित्य के परिरक्षण के लिए संस्कृत पत्रिकाओं के प्रकाशन, दुलर्भ संस्कृत पांडुलिपियों के आलोचनात्मक संस्करणों के मुद्रण, दुलर्भ संस्कृत ग्रंथों के मुद्रण, संस्कृत भाषा तथा साहित्य की कृतियों के प्रकाशन के लिए विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं, संगठनों तथा व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जाती है कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं :

(क) अखिल भारतीय काशी राज न्यास द्वारा पुराणों का अनुवाद तथा आलोचनात्मक संस्करणों का निर्माण तथा प्रकाशन;

(ख) धर्म कोष मंडल, वई द्वारा धर्मकोष;

(ग) संस्कृत कालेज, कलकत्ता द्वारा पाली की परियोजना;

(घ) वैदिक संशोधन मंडल, पूना द्वारा वेद पाठों के आलोचनात्मक संस्करणों का प्रकाशन।

संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों के लिए अखिल भारतीय वकतृत्व प्रतियोगिता।

संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों की 20वीं अखिल भारतीय वक्तृत्व प्रतियोगिता तथा 12वां अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन जनवरी, 1982 में होगा। देश के विभिन्न भागों के वेद पंडितों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सभी भाग लेने वालों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और नकद पुरस्कार तथा मानदेय दिया जाता है। वेद पाठ की मौखिक परंपरा के परिरक्षण की योजना के अंतर्गत चार तैत्रीय यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद की मध्यानदिन शाखा तथा कण्व शाखा और ऋगवेद —प्रत्येक के एक-एक विद्वान को 500/-500 रुपये मासिक तथा इनमें से प्रत्येक के दो-दो छात्रों को 100 रुपये का मासिक वजीफा दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जून, 1981 से कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा के दो और वैदिक विद्वानों को जिनके अंतर्गत दो-दो छात्र हैं मानदेय और वजीफा दिया जा रहा है।

संस्कृत, अरबी और फारसी विद्वानों को धन सहित मान पत्र

इस योजना के अंतर्गत 1981 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अरबी तथा फारसी के दो-दो विद्वानों तथा 10 विख्यात संस्कृत विद्वानों को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में आजीवन 5,000 रुपये का वार्षिक अनुदान तथा दुशाला अलंकरण समारोह में दिया जाता है। इस समय कुल 116 विद्वान यह पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं।

शास्त्रों का गहन अध्ययन प्रदान करवाने के लिए संस्कृत के वरिष्ठ विख्यात विद्वानों की सेवाओं का उपयोग

1981-82 के दौरान समूचे देश के अनुसंधान केन्द्रों तथा कुछ महत्वपूर्ण स्वैच्छिक संस्कृत शिक्षण संस्थाओं तथा आदर्श संस्कृत पाठशालाओं में अनुसंधान, अनुसंधान

प्रणाली बिज्ञान तथा कठिन पाठों के गहन अध्ययन में वरिष्ठ छात्रों तथा स्टाफ के कनिष्ठ सदस्यों को मार्गदर्शन देने के लिए इस योजना के अंतर्गत लगभग 50 विख्यात विद्वानों का चयन किया गया।

पांचवां विश्व संस्कृत सम्मेलन

पांचवां विश्व संस्कृत सम्मेलन' अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अध्ययन संस्थान तथा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के तत्वावधान में वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय के परिसर में 21 से 26 अक्तूबर, 1981 तक हुआ। इस सम्मेलन में लगभग 200 विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

स्वैच्छिक अरबी तथा फारसी संगठनों को आर्थिक सहायता

अन्य प्राचीन भाषाओं में जिन पर भारत सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, अरबी तथा फारसी अपने सांस्कृतिक पक्ष के कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन दोनों भाषाओं के विकास तथा प्रचार के उद्देश्य से 150 से अधिक संस्थाओं (मदरसों) तथा अन्य पारंपरिक स्वरूप वाली अरबी तथा फारसी संस्थाओं को सात लाख रुपये की राशि दी जा रही है।

अध्याय 10

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग

भारत और यूनेस्को के बीच सहयोग

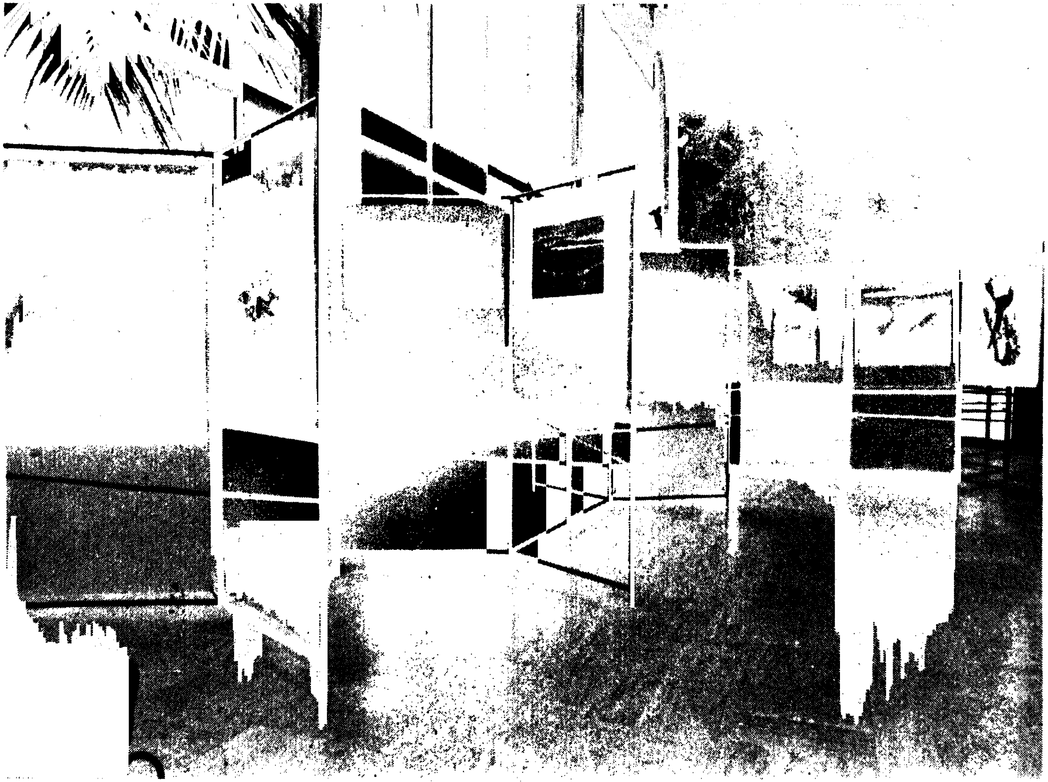
भारत, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है जो यूनेस्को के नाम से अधिक विख्यात है और जिसकी स्थापना पेरिस में मुख्यालय के साथ नवम्बर 1946 में की गई थी। आलोच्य वर्ष के दौरान भारत ने यूनेस्को से सम्बन्धित मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा।

अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का 38वां अधिवेशन

10 से 19 नवम्बर, 1981 तक जेनेवा में यूनेस्को द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के 38वें अधिवेशन में श्रीमती शीला कौल, शिक्षा और समाज कल्याण राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च अधिकार प्राप्त शिष्ट मण्डल ने भाग लिया जिसमें श्रीमती अन्ना आर०मल्होत्रा, सचिव, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय; श्री एम० रसगोत्रा, फ्रांस में भारत के राजदूत और यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि; प्रो० सी० एस० झा, शिक्षा सलाहकार (तकनीकी), और श्री एस० सत्यम, संयुक्त सचिव, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, सदस्यों के रूप में सम्मिलित थे। इस सम्मेलन में विश्वव्यापी समस्याओं की जांच और उत्पन्न चुनौतियों तथा शिक्षा के लिए उत्तरदायी उन सदस्य राज्यों के बारे में विशेष रूप से विचार-विमर्श हुआ जिन्हें इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए कार्यवाही करनी है। सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों में शिक्षा में मुख्य प्रवृत्तियों की समीक्षा की गई, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान हुआ, शैक्षिक अनुसंधान में शैक्षिक समस्याओं तथा प्राथमिकताओं पर विचार किया गया तथा शिक्षा व उत्पादक कार्य के बीच अन्तर क्रिया की पद्धतियों की समीक्षा की गई। शिक्षा मंत्री, श्रीमती शीला कौल ने 11 नवम्बर, 1981 को सम्मेलन के सम्पूर्ण सत्र को सम्बोधित किया। अपने अभिभाषण में उन्होंने विकास की समस्या और एक मूल्य पद्धति को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका पर बल दिया और समानता, एकता व परस्पर सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित एक न्यायोचित विश्व आर्थिक व्यवस्था को विकास के लिए यूनेस्को कार्यक्रम के प्रति अपना पूरा सहयोग देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया। श्रीमती अन्ना आर० मल्होत्रा, प्रो० सी० एस० झा और श्री एस० सत्यम ने सम्मेलन द्वारा स्थापित किए गए दो आयोगों की बैठकों में हुए विस्तृत विचार-विमर्शों में गहरी रुचि ली। आयोग की बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान भारतीय शिष्ट मण्डल के सदस्यों द्वारा दिए गए अनेक सुझावों को अपने सम्मेलन द्वारा अपने समापन सत्र में स्वीकार किया गया। श्री सत्यम ने अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो द्वारा किए गए कार्य के मूल्यांकन दल की बैठक में भी भाग लिया, जिसमें भारत को एक सदस्य के रूप में चुना गया है तथा अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो के कार्यकलापों में भावी अनुस्थापन के प्रति उल्लेखनीय योग दिया।

यूनेस्को का कार्यकारी बोर्ड

यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में भारतीय सदस्य श्री टी०एन० कौल ने वर्ष के दौरान हुई कार्यकारी बोर्ड और विशेष समिति की बैठकों में भाग लिया। कार्यकारी बोर्ड की बैठक में श्री एम० रसगोत्रा, फ्रांस में भारत के राजदूत और यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि, श्री जी०वी० राव, यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी शिष्टमण्डल के अवैतनिक सलाहकार और श्री इमाम रहमान, यूनेस्को के लिए भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि, जिन्होंने नवम्बर, 1981 के अन्त में पेरिस में यह पद सम्भाला था, द्वारा उनकी सहायता की गई। आलोच्य वर्ष के दौरान कार्यकारी बोर्ड



यूनेस्को चल प्रदर्शनी ''चीनी चित्रकारियों'' का प्रदर्शन

की बैठकों में विस्तृत विचार-विमर्श के लिए कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं, 1984-89 तक यूनेस्को की द्वितीय मध्यावधि योजना तैयार करने, निरक्षरता के उन्मूलन, और तीसरे विश्व के देशों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास व प्रसार से सम्बन्धित थी।

संचार साधन के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

श्री जी० पार्थसारथी ने, जिन्हें सितम्बर-अक्टूबर, 1980 में बेलग्रेड में हुए महा-सम्मेलन के 21 वें अधिवेशन में संचार साधनों के विकास के लिए यूनेस्को कार्यक्रम हेतु अन्तर-राजकीय परिषद् में भारत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था, 15 से 22 जून, 1981 तक पेरिस में हुई परिषद् की पहली बैठक में भाग लिया। इस बैठक में श्री जे०के० भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, ने उनकी सहायता की। इस बैठक में, यूनेस्को के संचार विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित वित्त और संसाधनों की उपयुक्त पद्धति खोजने के प्रश्न पर विचार किया गया और एक और सदस्य राज्यों और दूसरी ओर यूनेस्को के बीच पारस्परिक परामर्श और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सुझावों की जांच की गई। परिषद् की दूसरी बैठक 18 से 25 जनवरी, 1982 तक। मेक्सिको में होनी निश्चित हुई है। इस बैठक में भी श्री जी० पार्थसारथी और जे० के० भट्टाचार्य भाग लेंगे।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस

प्रो०सी०एस० झा, शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ने अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में, जिसका आयोजन 23 नवम्बर से 22 दिसम्बर, 1981 तक पैरिस में यूनेस्को द्वारा किया गया था, भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। यूनेस्को ने, प्रो० रईस अहमद, भौतिक विज्ञान विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भी इस कांग्रेस में यूनेस्को के खर्च पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। डा० कृष्णा सार्ने, रसायन शास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय को भी यूनेस्को द्वारा एक प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। डा० सार्ने, भारत में रसायन शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को-सहायता प्राप्त परियोजना के प्रभारी हैं। प्रो० रईस अहमद और डा० कृष्णा सार्ने दोनों ने इस बैठक में भी भाग लिया।

प्रो० रईस अहमद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। केवल भारत को यह सम्मान प्राप्त हुआ। प्रो० रईस अहमद का चुनाव इस तथ्य द्वारा मुकर हो गया कि वह उस भारतीय शिष्टमण्डल के एक सदस्य थे जिसने वियना में आयोजित संयुक्त-राष्ट्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन में भाग लिया था।

कांग्रेस के चर्चित अनेक विषयों के सम्बन्ध में भारतीय शिष्टमण्डल द्वारा दिए गए अनेक सुझावों को जिनपर कांग्रेस में चर्चा हुई, स्वीकार किया गया। इस सम्बन्ध में भारतीय शिष्टमण्डल द्वारा किए गए और कांग्रेस द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित प्रस्ताव उल्लेखनीय हैं :—

(1) यूनेस्को को, सामान्य शिक्षा पद्धति के अन्दर प्रौद्योगिकी शिक्षण की संकल्पना को स्पष्ट करना चाहिए और अन्तर्जात विकास के प्रयोजनार्थ इसका किस प्रकार उपयोग किया जाए, उसे भी स्पष्ट करना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह भी सुझाव दिया जाता है कि प्राइमरी और माध्यमिक स्तरों पर समेकित विज्ञान शिक्षण की दृष्टि से प्रौद्योगिकीय घटक को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(2) प्रत्येक देश में कम-से-कम एक केन्द्र होना चाहिए जिसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षण के क्षेत्र में विचारों और सूचना के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना होगा तथा इसके साथ-साथ वैज्ञानिक सोसायटियों, राष्ट्रीय अध्यापक संघों और अन्य उपयुक्त राष्ट्रीय संस्थाओं को इन नवीन विचारों और इस कांग्रेस के निष्कर्षों के परिचालन में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए।

(3) यूनेस्को को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकीय शिक्षा को सुधारने के लिए अपने क्षेत्रीय सेमिनारों की संख्या बढ़ानी चाहिए और उन्हें सुदृढ़ बनाना चाहिए और यूनेस्को द्वारा आयोजित शिक्षा मंत्रियों के क्षेत्रीय सम्मेलनों में शिक्षा के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय घटकों को प्रधानता दी जानी चाहिए।

शान्ति, आपसी सद्भावना और मानव अधिकारों के सम्मान के लिए युवा लोगों की शिक्षा में महिलाओं की भूमिका के संबंध में यूनेस्को बैठक

भारत ने 7 से 11 दिसम्बर, 1981 तक नई दिल्ली में शान्ति, आपसी सद्भावना और मानव अधिकारों के सम्मान के लिए युवा लोगों की शिक्षा में महिलाओं की भूमिका के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की एक अन्तर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित करने में यूनेस्को का सहयोग दिया। इस बैठक के आयोजन की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सम्भाली थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्ष डा० (श्रीमती) माधुरी शाह को इस बैठक का अध्यक्ष चुना गया था। इस बैठक का उद्घाटन भारत की प्रधान मंत्री ने किया था। शिक्षा और समाज कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती शीला कौल ने समापन भाषण दिया था। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के 20 से अधिक देशों के व्यक्तियों ने इस बैठक में भाग लिया। इसके अतिरिक्त यनेस्को ने सं०रा० संगठनों और अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के प्रेक्षकों को भी आमंत्रित किया था।

अपने उद्घाटन भाषण में प्रधान मंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि इस बैठक में केवल "अधिकारों" की अपेक्षा "जिम्मेदारी" पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने उस भूमिका के सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिए जो महिलाएं न केवल माताओं और अध्यापिकाओं के रूप में बल्कि समाज के सदस्यों के रूप में भी युवा लोगों की शिक्षा में निभा सकती हैं। प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए सुझावों का विभिन्न देशों से आए व्यक्तियों ने बार-बार उल्लेख किया और बैठक में की गई मुख्य सिफारिशें उन सुझावों पर ही आधारित थीं।

यूनेस्को के लिए अंशदान

1981-83 की अवधि के लिए यूनेस्को बजट में भारत सरकार का अंशदान, जिस से सितम्बर-अक्तूबर 1980 में हुए पिछले महासम्मेलन में स्वीकार किया गया था, यूनेस्को के कुल बजट का 0.59 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इस अवधि के दौरान भारत का अंशदान 3,525,132 अमरीकी डालर बैठता है। यूनेस्को के अंशदान की नियमित रूप से एक क्रमबद्ध ढंग से अदायगी की जा रही है।

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का नया स्वरूप और गठन

यूनेस्को के कार्यक्रम के क्षेत्र और विषय-वस्तु में तेजी से हो रहे विस्तार को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यूनेस्को के लिए राष्ट्रीय आयोगों के उस चार्टर की व्यवस्थाओं के विशेष संदर्भ में, जिसे अक्तूबर-नवम्बर, 1978 में पेरिस में हुए यूनेस्को के महा सम्मेलन द्वारा स्वीकार किया गया था, यूनेस्को के वर्तमान विधान की समीक्षा की। इस चार्टर में उन व्यापक उद्देश्यों और कार्यों की परिकल्पना की गई है जिन्हें प्रत्येक राष्ट्रीय आयोग द्वारा किया जा सकता है। सरकार ने, यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग का 24 नवम्बर, 1981 से पुनर्गठन करने का निश्चय किया। आयोग के कार्यों का निम्नलिखितों को शामिल करने के उद्देश्य से विस्तार किया गया है :—

(क) भारत के लोगों के बीच यूनेस्को के उद्देश्यों और प्रयोजनों की समझ-बूझ को बढ़ाना;

(ख) भारत सरकार और शिक्षा-विज्ञान तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के कार्य से सम्बन्धित संस्थाओं के बीच सम्पर्क एजेन्सी के रूप में एक कार्य करना;

(ग) सरकारी विभागों, संगठनों और यूनेस्को की सक्षमता के अन्तर्गत आने वाले प्रश्नों से सम्बन्धित संस्था के साथ सहयोग करना;

(घ) यूनेस्को कार्यक्रम तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में राष्ट्रीय, राजकीय और गैर-राजकीय संस्थाओं तथा अन्य विभिन्न संस्थाओं व व्यक्तियों द्वारा

भाग लेने के सहयोग को प्रोत्साहित करना ताकि यूनेस्को के लिए आवश्यक बौद्धिक, वैज्ञानिक, कलात्मक अथवा प्रशासनिक सहायता प्राप्त की जा सके;

(ङ) कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से तैयार और कार्यान्वित करके यूनेस्को सक्षमता के क्षेत्रों में क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहन देने में एशिया और प्रशान्त के राष्ट्रीय आयोगों और यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केन्द्रों के साथ सहयोग करना;

(च) यूनेस्को के उद्देश्यों, कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यकलापों के संबंध में जानकारी का प्रसार करना और उनमें लोक रुचि पैदा करने का प्रयास करना; और

(छ) यूनेस्को से सम्बन्धित मामलों में भारत सरकार को सलाह देना। शिक्षा और समाज कल्याण राज्य मंत्री, श्रीमती शीला कौल ने भारतीय राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए नए भारतीय राष्ट्रीय आयोग में 41 अलग-अलग सदस्यों तथा 51 संस्थागत सदस्यों को मनोनीत किया है।

भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाना

भारतीय राष्ट्रीय आयोग को अपने विस्तृत कार्यों और जिम्मेदारियों को यथेष्ट तरीके से पूरा करने के योग्य बनाने की दृष्टि से छठी पंचवर्षीय योजना में 25 लाख रुपये के कुल योजनागत परिव्यय के साथ आयोग के कार्यकलापों को सुदृढ़ बनाने की एक योजना शामिल करने का निर्णय किया गया है। इस परिव्यय में से 6 लाख रुपये का एक प्रावधान 1982-83 के बजट आकलनों में सम्मिलित किया गया है।

यूनेस्को बैठकों तथा अन्य कार्यकलापों में भाग लेना

पिछले वर्षों की भांति भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सचिवालय ने यूनेस्को द्वारा अथवा उसकी ओर से आयोजित राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों के भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को मनोनीत करना, देश में यूनेस्को क्लब अभियान को समन्वित करने में प्रमुख भूमिका निभाना और विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को पत्रिका "कूरियर" के हिन्दी और तमिल संस्करणों को प्रकाशित करना जारी रखा। आयोग के सचिवालय ने यूनेस्को के सन्देश को प्रसारित करने में रुचि रखने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायक-अनुदान संस्वीकृत करना भी जारी रखा।

13—920Edu/81

अध्याय 11

प्रौढ़ शिक्षा

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पुनरीक्षण समिति तथा उच्च अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट पर निर्णय होने तक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1979-80 वाले स्तर पर जारी रहा। इसी बीच, कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना में, 128 करोड़ रु० के परिव्यय के साथ, जिसमें 60 करोड़ रु० केन्द्रीय क्षेत्र में तथा 68 करोड़ रु० राज्य क्षेत्र में शामिल हैं, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में प्रारम्भिक शिक्षा के एक घटक के रूप में शामिल किया गया।

कार्यक्रम को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों, स्वैच्छिक एजेंसियों, विश्वविद्यालयों, कालेजों, नेहरू युवक केन्द्रों आदि जैसी विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता रहा है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा 1-6-1981 को 92,045 केन्द्रों को भारत सरकार की वित्तीय सहायता से अथवा उसके बिना चलाया जा रहा था, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(i)	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम	48,369
(ii)	राज्य सरकार परियोजनाएं	37,352
(ii)	केन्द्रीय सहायता से स्वैच्छिक एजेंसियां	339
(iv)	नेहरु यवक केन्द्र	4,884
(v)	विश्वविद्यालय तथा कालेज	585
(vi)	अन्य	516
	कुल	92,045

वर्ष 1980-81 के दौरान केन्द्रों की संख्या की तुलना में इस थोड़ी सी वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान किसी नई परियोजना को स्वीकृत न किया जाना था।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राज्य मुख्यालय/जिला स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करना

वर्ष के दौरान राज्य स्तर पर तथा 231 जिलों के लिए प्रशासनिक संरचना के सृजन के लिए 17 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 65,24,304 रु० की राशि संस्वीकृत की गई थी।

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं

वर्ष 1981-82 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए जिलों की संख्या 241 थी जिसमें से 133 परियोजनाएं उन जिलों में स्थित थीं जिनमें 1981 की जनगणना के अनुसार साक्षरता स्तर राष्ट्रीय औसत से कम था।

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता

अप्रैल, 1980 से पहले अनुमोदित परियोजनाओं और सरकार द्वारा पहले किए गए वायदों को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को राशि जारी की गई। ऐसे संगठनों की छटनी करने की दृष्टि से जो साम्प्रदायिक प्रवत्ति के थे इस मंत्रालय की सहायक-अनुदान की सूची में सम्मिलित सभी स्वैच्छिक संगठनों के पूर्ववृत की जांच करने के भी निर्देश जारी किए गए।

क्षेत्र कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए 14 राज्य संसाधन केन्द्रों तथा सात मूल्यांकन एजेंसियों को भी वित्तीय सहायता जारी रखी गई।

जामिया मिलिया इस्लामिया को दिल्ली में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए एक संसाधन केन्द्र के रूप में मान्यता दी गई।

राज्य संसाधन केन्द्रों के कामकाज की समीक्षा करने तथा उनके कार्य व निष्पादन में सुधार लाने के तरीकों का सुझाव देने के लिए फरवरी, 1982 में पुणे में राज्य संसाधन केन्द्रों के निदेशकों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

भारत में कालजों तथा विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों/कालेजों को प्रौढ़ शिक्षा और विस्तार तथा सतत शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने के प्रयोजन हेतु निर्धारित मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार सहायता देना जारी रखा। प्रौढ़ शिक्षा तथा विस्तार कार्यक्रमों के लिए सहायता देने की अवधि को दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। सतत शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में, आयोग की सहायता 31 मार्च, 1985 तक उपलब्ध रहेगी। प्रौढ़ शिक्षा तथा विस्तार और सतत शिक्षा संबंधी विद्यमान मार्गदर्शी रूपरेखाओं की समीक्षा करने के लिए कदम उठाए गए हैं। जनसंख्या शिक्षा, जनसमूहों के लिए विज्ञान आदि को शामिल करने के उद्देश्य से विस्तार कार्यकलापों के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए भी आयोग सहमत हो गया है।

नेहरू युवक केन्द्रों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

वर्ष 1980-81 के दौरान, देश के विभिन्न भागों में नेहरू युवक केन्द्रों ने 4884 चेतना संघों/प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की, जिनमें 1,46,219 लोग शामिल थे।

श्रमिक विद्यापीठ

अहमदाबाद, अजमेर, बंगलौर, बम्बई, दिल्ली, गुंटूर, हैदराबाद, इन्दौर, जमशेदपुर तथा नागपुर में श्रमिक विद्यापीठों ने अपना कार्य जारी रखा। कलकत्ता, कानपुर तथा मद्रास स्थित श्रमिक विद्यापीठों को संचालित करने के लिए प्रयास किए गए। सूरत तथा फरीदाबाद के लिए नए श्रमिक विद्यापीठों की स्वीकृति दी गई। विभिन्न वर्गों के श्रमिकों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या पर आधारित श्रमिकों के लिए कई प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजित किया गया।

अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की क्षमता तथा कमियों का अध्ययन करने के लिए, राजस्थान, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में समाज विज्ञान अनुसंधान की विख्यात संस्थाओं के माध्यम से मल्यांकन अध्ययन किए गए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के मूल्यांकन में शामिल प्रणाली विज्ञान संबंधी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए दिसम्बर, 1981 में एक बैठक बुलाई गई। मूल्यांकन एजेंसियों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय व शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया।

इन अध्ययनों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने के वास्ते उपयुक्त उपायों को शुरु करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों, अनुसंधानकर्ताओं, परियोजना मूल्यांककों, राज्य संसाधन केन्द्रों तथा अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ इन अध्ययनों पर अनुवर्ती विचार-विमर्श किया गया।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, प्रौढ शिक्षा निदेशालय द्वारा, जो मंत्रालय तथा राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के एक शैक्षणिक तथा तकनीकी खण्ड के रूप में कार्य करता है, निम्नलिखित मुख्य कार्यकलापों को शुरु किया गया :

पठन-पाठन तथा अनुवर्ती सामग्री

(i) नवसाक्षरों हेतु साहित्य के निर्माण के लिए बाईसवीं राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता आयोजित की गई। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की 54 पाण्डुलिपियों को पुरस्कार दिया गया---जिनमें से 40 विषय सामान्य शिक्षा पर तथा 14 परिवार कल्याण से संबंधित थे।

(ii) एक उर्दू लेखक कार्यशाला में आठ पाण्डुलिपियां तैयार की गई जो कि उर्दू प्रोन्नति ब्यूरों के सहयोग से उर्दू अकादमी, लखनऊ में आयोजित की गई थी।

(iii) गढ़वाल क्षेत्र के नव-साक्षरों के लिए साहित्य तैयार करने के वास्ते नेहरू युवक केन्द्र, देहरादून के सहयोग से देहरादून में एक अन्य लेखक कार्यशाला आयोजित की गई।

(iv) "स्वास्थ्य सुविधाएं आपके दरवाजे पर" और "एक नई जानकारी" नामक दो पुस्तकों को तैयार/सरलीकरण किया गया और मुद्रण के लिए भेजा गया।

(v) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्रौढ़ शिक्षा तथा विस्तार कार्यक्रम एकक तथा जेवियर समाज विज्ञान संस्थान, रांची, बिहार के सहयोग से क्रमशः वाराणसी तथा रांची में लेखकों की दो कार्यशालाओं में विकास से संबंधित योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर 17 पाण्डुलिपियां तैयार की गई।

(vi) "बहनों की पहली किताब"---महिलाओं के लिए उर्दू में प्राइमर तथा "नवां चानन"---पंजाबी में प्राइमर प्रकाशित की गई।

(vii) ग्रामीण प्रौढ़ अध्ययनकर्ताओं के लिए "धरती के लाल" नामक पठन-पाठन सामग्री का एक सैट तैयार किया गया और वह अब मुद्रणाधीन है।

(viii) 1975 से 1980 तक हिन्दी में पुरस्कृत पुस्तकों का एक सटिप्पण सूची-पत्र तैयार किया गया।

प्रोत्साहनवर्धक कार्यकलाप

(i) "एक अज्ञात व्यक्ति की डायरी से" एक कार्टून पुस्तिका सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की गई थी। इसमें एक अनुदेशक के अनुभवों को चित्रित किया गया है जिसके सामने सामान्य प्रारम्भिक बाधाएं आती हैं और आखिरकार अपने मिशन में सफलता प्राप्त करता है।

(ii) प्रो०शि०नि० न्यूजलेटर---एक द्वि---मासिक पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित होती रही।

मातृ तथा शिशु देखभाल पर महिलाओं तथा लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा हेतु यूनिसेफ सहायता प्राप्त परियोजना

मातृ तथा शिशु देखभाल से संबंधित महिलाओं तथा लड़कियों हेतु गैर औपचारिक शिक्षा की एक परियोजना को यूनिसेफ की सहायता से शुरु किया गया था। इस परियोजना में भाग लेने वाली एजेन्सियों को आवश्यक अनुस्थापना प्रदान करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। विभिन्न एजेन्सियों द्वारा तैयार किए गए परियोजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और मातृ तथा शिशु देखभाल से संबंधित सामग्री तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए महिलाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से कुछ महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को प्रयोगात्मक आधार पर शिशु देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

अनुश्रवण, मूल्यांकन, अनुसंधान तथा सांख्यिकी

(i) अनुश्रवण प्रणाली, जो कि देशभर में 1979 से संचालित की जा रही है, को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से राष्ट्रीय सेमिनार-एवं-कार्यशाला में उसकी समीक्षा की गई। वर्ष 1979-80 के लिए मूल्यांकन पर वार्षिक रिपोर्ट तथा जून, सितम्बर, दिसम्बर 1980 तथा मार्च और जून, 1981 को समाप्त होने वाली तिमाहियों की त्रैमासिक रिपोर्टें प्रकाशित की गई।

(ii) विख्यात समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन जारी रहा तथा बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों में जिन परियोजनाओं की समीक्षा की गई इनके संबंध में रिपोर्टें प्रकाशित की गई।

(iii) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की योजना तैयार की गई और "प्रौढ़ शिक्षा में अनुसंधान-प्रस्तावों की मार्गदर्शी रूपरेखाएं" नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई थी। निम्नलिखित तीन प्रस्ताव अनुमोदित किए गए :—

(क) पश्चिमी बंगाल में ग्रामीण समुदायों के लिए होलीस्टिक हैल्थ केयर के शैक्षिक संघटक के संबंध में अनुसंधान कार्रवाई।

(ख) महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा—चार मामले अध्ययनों के माध्यम से एक अनुसंधान आधार विकसित करना।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ों के लिए अंक गणित के पठन-पाठन की प्रणाली तैयार करना।

(iv) साक्षरता सांख्यिकी के विशलेषण के आधार पर, दृश्य सामग्री, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, तैयार की गई :—

—जनसंख्या की अखिल भारतीय साक्षरता स्थिति जिसमें 0-4 आयुवर्ग (1951, 1961, 1971, 1981) शामिल नहीं है।

—साक्षरता दर-1981 के अनुसार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का वर्ग-क्रम।

—प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए अनुश्रवण प्रणाली : कैसे रूपरेखा बनाई जाए।

—देश में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में लिंगवार व जिला-वार साक्षरता दरों को परिकलित किया गया। जिन जिलों में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है वहां अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ प्रौढ़ शिक्षा को जोड़ने के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए चुना गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम/सामग्री

(i) जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों (जि०प्रौ०शि०अ०) के लिए दो अनुस्थापन पाठ्यक्रम तथा एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 72 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(ii) जि०प्रौ०शि० अधि० के लिए 13 दिन का एक क्षेत्र उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 9 राज्यों के 24 अधिकारियों ने भाग लिया।

(iii) साक्षरता भवन, लखनऊ में आयोजित एक कार्यशाला में हिन्दी भाषी राज्यों के अनुदेशकों के प्रशिक्षण के लिए प्रोटो-टाइप सामग्री तैयार की गई।

(iv) प्रौढ़ शिक्षकों तथा जनसंख्या शिक्षा विशेषज्ञों को जनसंख्या शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से एक सेमिनार आयोजित किया गया।

(v) निम्न लागत वाली अध्यापन सामग्री तैयार करने के लिए अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों में निपुणताओं के विकास हेतु "आप इसे कर सकते हैं" नामक एक प्रशिक्षण फिल्म तैयार की गई। इस कार्य में एक यूनेस्को विशेषज्ञ श्री जेम्स ए० बेवरेज ने आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान की।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

विदेशी आगन्तुक

(क) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें भारत में कृषि तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी शामिल हैं, का अध्ययन करने के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा विभाग थाईलैंड से क्षेत्रीय स्तर स्टाफ के एक तीन सदस्यीय दल ने भारत का भ्रमण किया।

(ख) यूनेस्को प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत में उत्तर साक्षरता नीतियों, पद्धतियों तथा सामग्रियों के विकास का अध्ययन करने के लिए भारत के अतिरिक्त बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान तथा थाईलैंड से 5 विशेषज्ञों के एक दल ने भारत का भ्रमण किया।

(ग) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के कामकाज का अध्ययन करने के लिए जर्मन जनवादी गणतन्त्र से एक 2 सदस्यीय प्रतिनिधि-मंडल ने भारत का दौरा किया।

(घ) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रलेखन तथा ग्रन्थसूची संबंधी कार्य का अध्ययन करने के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय बैंकाक के एक प्रलेखन विशेषज्ञ श्री पीटर वान रिजन ने निदेशालय का दौरा किया।

(ङ) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए वियतनाम से एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली, पटना तथा कलकत्ता का भ्रमण किया।

विदेश यात्राएं

(i) अप्रैल 1981 में दो अधिकारियों ने जकार्ता की यात्रा की और शिक्षा पर यूनेस्को क्षेत्रीय सेमिनार में एक संसाधन व्यक्ति/प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।

(ii) एक संयुक्त निदेशक ने अक्तूबर 1981 में यूनेस्को के तत्वावधान में बैंकाक में हुई साक्षरता कार्मिकों के प्रशिक्षण के संबंध में आयोजना प्रशिक्षण वर्ग की बैठक में भाग लिया। उन्होंने अक्तूबर 1981 में यूनेस्को शिक्षा संस्थान हम्बर्ग, पश्चिम जर्मन द्वारा आयोजित "जीवन पर्यन्त शिक्षा के संदर्भ में उत्तर साक्षरता तथा शिक्षा के संबंध में अध्ययन नीतियों के विकास" पर हुई बैठक में भी भाग लिया।

विविध

यूनेस्को साक्षरता कार्यक्रम 1981 के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा/उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए, राज्य सरकारों/राज्य संसाधन केन्द्रों तथा शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने फिलीपाईन्स, इन्डोनेशिया तथा थाईलैंड का दौरा किया।

यूनेस्को के तत्वावधान में, अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए जर्मन प्रतिष्ठान, बॉन, अन्तर्राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद् टोरोन्टो तथा सेवा मन्दिर उदयपुर द्वारा संयुक्त रूप से उदयपुर में जनवरी 1982 में "साक्षरता के लिए अभियान" पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था। भारत सहित 26 देशों के प्रतिनिधियों ने सेमिनार में भाग लिया। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य उन देशों को इकट्ठा करना था जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सामूहिक साक्षरता अभियानों का संचालन किया है तथा जिनकी ऐसे विशाल कार्यक्रम शुरु करने की योजना है ताकि वे अपने पिछले अनुभवों का विश्लेषण कर सकें और भावी योजनाएं तैयार कर सकें।

अध्याय 12

संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा

संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना केन्द्रीय सरकार का विशेष दायित्व है। गोवा, दमन व दीव, पांडिचेरी, अरुणाचल प्रदेश तथा मिज़ोरम क्षेत्रों की अपनी-अपनी विधान सभाएं हैं और वे संघ शासित क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 में निर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग करती है।

इस अध्याय में वर्ष के दौरान प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र में आयोजित शैक्षिक सुविधाओं तथा कार्यकलापों का विवरण दिया गया है।

1. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह

वर्ष 1981-82 के दौरान इस संघ शासित क्षेत्र में 255 शैक्षिक संस्थाएं जिनमें एक सरकारी कालेज, एक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, 16 उच्चतर माध्यमिक स्कूल, 11 हाई स्कूल, 34 मिडिल स्कूल, 179 प्राथमिक स्कूल तथा 13 पूर्व प्राथमिक स्कूल हैं। शासकीय कालेज, पोर्ट ब्लेयर में राजनीति विज्ञान तथा अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। चालू शैक्षणिक सत्र से अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में बी०एड० कक्षाएं भी शुरु की गईं और बी०एड० पाठ्यक्रम के लिए 46 उम्मीदवारों को नामांकित किया गया।

अध्यापक प्रशिक्षण

चालू वर्ष के दौरान, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान को सुदृढ़ किया गया। वर्ष 1981-82 के दौरान, दो जे०बी० टी० पाठ्यक्रम में 49 पूर्व-सेवा प्रशिक्षार्थियों को दाखिल किया गया।

प्रोत्साहन

अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के लिए निकोबार के जनजातीय क्षत्र में 2 पूर्व-प्राथमिक, 28 प्राथमिक, 5 मिडिल, 1 हाई तथा 1 उच्चतर माध्यमिक स्कूल है। दो स्थानों पर छात्रावास सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। स्कूल स्तर पर अनुसूचित जन-जातियों का कुल नामांकन 4,194 था। 16 अनुसूचित जनजाति के छात्र अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रहे थे और एक छात्र बी०एड० प्रशिक्षण पूरा कर रहा था। नानकौरी तहसील के अतिरिक्त, सारे क्षेत्र में 6-11 आयु वर्ग के लड़के लड़कियों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू है। छठी योजना के अन्त तक शत-प्रतिशत नामांकन पूरा करने के लिए और जनजातीय लड़कियों को दाखिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उपचारात्मक अध्यापन योजना जारी है। निशुल्क शिक्षा सीनियर माध्यमिक स्तर तक दी जा रही है। जिन बच्चों के अभिभावकों की वार्षिक आय 4000/— रु० से कम है उन्हें पाठ्यपुस्तकें भी प्रदान की जाती हैं। चार किलोमीटर से ज्यादा दूर स्थित स्कूलों में मिडिल तथा माध्यमिक स्तर के छात्रों को निशुल्क यात्रा रियायत दी जाती है। कक्षा I से VIII तक के बच्चों के लिए मुफ्त मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीण स्कूली बच्चों के लिए समीप के छात्रावासों में छात्रा-वास सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को स्कूल स्तर पर छात्रावास खर्च वहन करने के लिए प्रतिमाह 50 रु० की वृत्तिका दी जाती है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय छात्रों को लेखन सामग्री तथा पाठ्यपुस्तकें भी निशुल्क दी जाती हैं तथा जिन बच्चों के अभिभावकों की वार्षिक आय 2500 रु० से कम होती है उन्हें स्कूल की वर्दी भी मुफ्त दी जाती है। स्थानीय छात्रों को ऐसे विषयों में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। जिनके लिए सरकारी कालेजों में सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

2. अरुणाचल प्रदेश

इस संघ शासित क्षेत्र में 1135 शैक्षिक संस्थाओं में 49 पूर्व प्राथमिक स्कूल, 917 प्राथमिक स्कूल, 120 मिडिल स्कूल, 30 माध्यमिक स्कूल, 17 उच्चतर माध्यमिक स्कूल तथा 2 कालेज हैं। इसके अतिरिक्त 21 शैक्षिक संस्थाओं को संघ शासित प्रशासन द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती थी। पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर दाखिल छात्रों की कुल संख्या 75,135 थी। माध्यमिक शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, 9 मिडिल स्कूलों तथा 4 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को क्रमशः माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक तक स्तरोन्नत किया गया है।

जे०एन० कालेज, पासीघार में इतिहास तथा राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरु किए गए हैं।

प्रोत्साहन

जनजातीय छात्रों के लिए स्कूल स्तर पर शिक्षा निशुल्क है। पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को नियमित रूप से मध्याह्न भोजन दिया जाता है। योजना के अन्तर्गत, लाभान्वित छात्रों की संख्या 12,300 थी। इस समय बनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान में 27 लड़कियां अध्ययन कर रही हैं और उन्हें छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। जनजातीय छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान करना, छात्रावास में रहने वाले छात्रों को मुफ्त राशन तथा स्कूल उपस्कर प्रदान करने जैसी अन्य योजनाएं जारी हैं। इसके अतिरिक्त, छात्रों को वस्त्र भी प्रदान किए गए। राशन वृत्तिका के अन्तर्गत 9865 छात्र लाभान्वित हुए।

प्रौढ़ शिक्षा

चालू वर्ष के दौरान, राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 39 नए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गए।

3. चण्डीगढ़

चण्डीगढ़ संघ शासित क्षेत्र में स्कूली शिक्षा में प्रगति जारी है। अनुसूचित जातियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने तथा इसके साथ-साथ लड़कियों को उपस्थिति छात्रवृत्ति देने की योजना जारी है। 50 प्रतिभा छात्रवृत्तियां प्रदान करने के अतिरिक्त, वर्दियां तथा लेखन सामग्री छात्रों को मुफ्त प्रदान की गईं। पाठ्यपुस्तकें तथा लेखन सामग्री भी छात्रों को मुफ्त प्रदान की गई। मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को परिवहन सुविधाएं प्रदान की गई। राज्य शिक्षा संस्थान ने अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण जारी रखा और स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उपायों की खोज भी जारी रखी।

4. दिल्ली

अतिरिक्त दाखिले को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान 8 नए मिडिल स्कूल खोलकर, 7 स्कूलों को अलग-अलग करके तथा 14 स्कूलों का स्तरोन्नत करके विद्यमान 14,923 अनुभागों में 218 अनुभाग की वृद्धि की गई। इस समय सरकार से सहायता प्राप्त 191 स्कूलों के अलावा, राजधानी की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 696 सरकारी स्कूल हैं।

छात्रों के लिए सुविधाएं

शिक्षा निदेशालय द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को अच्छे अवसरों, प्रोत्साहनों तथा शैक्षिक सहायता की अधिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को निःशुल्क परिवहन योजना के अन्तर्गत 1500 छात्राएं लाभान्वित हुईं। 6000 छात्रों को मुफ्त वर्दी दी गई और 9000 छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकों का लाभ पहुंचा और 1100 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों ने योग्यता छात्रवृत्ति प्राप्त की। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के 1200 छात्रों के लिए विशेष अध्ययन शिविरों की व्यवस्था

की गई। मात्रात्मक सुधार के अतिरिक्त, शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर गुणात्मक सुधार हुआ है। कक्षा I से VIII तक के निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों को पाठ्यपुस्तक ब्यूरो के माध्यम से प्रकाशित करवाया गया और शैक्षणिक सत्र 1981-82 के पहले ही दिन छात्रों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार, शैक्षणिक सत्र के शुरु में संस्थान के माध्यम से छात्रों को रियायती दरों पर पर्याप्त संख्या में कापियां भी उपलब्ध कराई गई। मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में न पढ़ने वाले छात्रों के लिए, सुपर बाजार तथा अन्य सहकारी समितियों के माध्यम से खुले बाजार में बेचने के लिए कापियां जारी की गई।

छात्रवृत्तियां

वर्ष के दौरान, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को जारी रखा गया। अध्यापकों के बच्चों के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त, मिडिल तथा माध्यमिक स्तर पर जूनियर विज्ञान प्रतिभाखोज छात्रवृत्तियों को भी जारी रखा गया।

प्रौढ़ शिक्षा

1300 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ाने के व्यापक प्रयास किए गए। वर्ष 1980-81 में नामांकन 24,974 से वर्ष 1981-82 में 29,415 बढ़ गया है।

प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दृष्टि से 8-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों को जो विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारणों से स्कूल में नियमित रूप से नहीं जा सकते तथा नहीं जाते, अनौपचारिक शिक्षा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयोजन के लिए 525 बच्चों के लाभ के लिए 25 केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

अध्यापक प्रशिक्षण तथा पाठ्यचर्या विकास का कार्यक्रम

राज्य शिक्षा संस्थान में 2000 से अधिक अध्यापकों ने विभिन्न विषयों में लघु अवधि/दीर्घ अवधि/अवस्थापना/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम शुरु किए हैं। इसके अतिरिक्त, संस्थान ने विभिन्न विषयों के अध्यापन तथा शिक्षण तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन में पाठ्यचर्या विकास, संसाधन सामग्री तैयार करने श्रव्य-दृश्य सामग्री को प्रोन्नत करने आदि की अन्य परियोजनाओं को शुरु किया है।

5. गोवा, दमन व दीव

प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों के दाखिले की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस समय सामान्य शिक्षा के लिए 9 कालेज हैं और इसके अतिरिक्त, उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए स्नातकोत्तर केन्द्र भी है। चिकित्सा, औषध निर्माण, इंजीनियरी, ललित कला, विधि तथा अध्यापक प्रशिक्षण में व्यावसायिक कालेज भी हैं। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 98 केन्द्रों का कार्य जारी है।

प्रोत्साहन

इस संघशासित क्षेत्र में कक्षा I से X तक के सभी छात्रों के लिए शिक्षा निशुल्क है। 6-11 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। शौक (हाबी) केन्द्रों की स्थापना की योजना के अन्तर्गत चुने हुए हाई स्कूलों में 10 केन्द्र स्थापित किए गए। इन केन्द्रों में मृत्तिका कार्य, गुड़िया निर्माण, तार की टोकरियां, सिलाई-कटाई और कढ़ाई आदि (लड़कियों के लिए) की सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्रव्य-दृश्य केन्द्र चुनिन्दा स्कूलों में स्थापित किए गए हैं और पठन-पाठन की प्रक्रिया को अधिक आकर्षक प्रभावी एवं व्यापक बनाने के लिए 10000/- रु० तक की सीमा के अंदर प्रत्येक केन्द्र को 16 एम०एम० वाली फिल्म प्रक्षेपक, सलाइडें/फिल्म स्ट्रिप्स प्रक्षेपक आदि दिए गए हैं।

शैक्षिक दौरों के लिए अनुदान योजना के अन्तर्गत प्रशासन ने शासकीय तथा गैर-शासकीय मान्यता प्राप्त स्कूलों को छात्रों के दलों में शैक्षिक दौरे आयोजित करने के लिए अनुदान प्रदान किए। शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता को बढ़ाने के लिए राज्य शिक्षा संस्थान ने विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए।

14—920Edu/81

6. पांडिचेरी

शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर, 6-11 तथा 12-14 आयु वर्ग में अतिरिक्त दाखिला लक्ष्य 1,15,830 था। माध्यमिक स्तर पर नामांकन 14,350 था। प्रशासन ने औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रणाली के माध्यम से 11-14 आयु वर्ग में शत-प्रतिशत दाखिले का लक्ष्य पहले से ही प्राप्त कर लिया है। वर्ष के दौरान, एक पूर्व-प्राथमिक स्कूल भी स्थापित किया गया।

प्रोत्साहन

नियत नामांकन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कक्षा I से V तक पढ़ने वाले निर्धन 24,352 छात्रों को मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें एवं लेखन सामग्री जैसी प्रोत्साहन योजनाएं जारी रही। स्कूलों में निर्धन बच्चों की उपस्थिति बनाए रखने के लिए कक्षा I से V के बच्चों को मुफ्त वर्दी देने की योजना को जारी रखा गया। इस योजना के अन्तर्गत, 11,556 निर्धन छात्रों को निःशुल्क वर्दी के दो-दो सैट प्रदान किए गए। स्कूलों में निर्धन लड़कियों की उपस्थिति सुधारने के लिए, मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को 20/- रु० प्रति मास की दर से 500 छात्र-वृत्तियां प्रदान की जा रही हैं।

छात्रवृत्तियां

निर्धन और योग्य छात्रों को उच्च अध्ययन जारी रखने में सहायता देने के लिए 150 पांडिचेरी मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, शिक्षकों के बच्चों को 3 राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां, 18 राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां और 18 राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को जारी रखने के लिए प्रतिवर्ष छात्रों को 50 छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है। राजनीतिक पीड़ितों की योजना भी जारी है। कालेजों में छात्र-सहायता कोष योजना भी जारी रखी गई। तमिल में अनुसंधान अध्ययन के लिए 350/- रु० प्रतिमास की शिक्षावृत्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

शारीरिक शिक्षा

सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य है। खेल समारोह, बाल रैली, अन्तर-स्कूल प्रतियोगिताओं, राष्ट्रीय अनुशासन सप्ताह, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियां, क्रीडा सामान प्रदान करना, राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता अभियान प्रशिक्षण योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के खेलों के विकास एवं खेल प्रशिक्षण केन्द्रों की योजनाओं को जारी रखा गया।

7. दादरा और नागर हवेली

इस संघशासित क्षेत्र में 11 पूर्व-प्राथमिक स्कूल, 141 शासकीय प्राथमिक स्कूल, 12 सरकारी मान्यता प्राप्त मिशन प्राथमिक स्कूल तथा 1 गैर मान्यता प्राप्त मिशन प्राथमिक स्कूल है। प्राथमिक स्कूलों (कक्षा I से VIII तक) में कुल नामांकन 15,725 है। इसके अतिरिक्त संघशासित क्षेत्र के विभिन्न भागों में 5 हाई स्कूल हैं। सिलवासा तथा नरोली में उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं। उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कुल नामांकन 1625 है।

प्रोत्साहन

इस संघशासित क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा निःशुल्क है। सभी पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्कूलों में छात्रों को मध्याह्न भोजन मुफ्त दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के छात्रों को पाठ्यपुस्तकें, कापियां, स्लेटें और पेंसिलें निःशुल्क प्रदान करना भी जारी रखा गया है। प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों को निःशुल्क वस्त्र प्रदान किए जाते हैं।

आलोच्य वर्ष के दौरान 118 प्राथमिक स्कूल तथा उच्च स्कूल के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को नियमित उपस्थिति तथा वार्षिक परी-क्षाओं में योग्यता के आधार पर नकद पुरस्कार दिए गए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय के छात्रों के लिए छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस समय 555 लड़के तथा लड़कियां छात्रावासों में रह रहे हैं।

छात्रवृत्तियां

11-17 आयु वर्ग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिभाशाली छात्रों को 500/-रु० प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किए जाते हैं। चूंकि इस संघ शासित क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं अतः पड़ोसी राज्यों में उच्च अध्ययन के लिए 60 छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इस संघ शासित क्षेत्र में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा निम्न आय वर्ग के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों अर्थात् चिकित्सा, इन्जीनियरी, कृषि, पैट्रो-रसायन, औषधनिर्माण और पशु चिकित्सा विज्ञान में अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए, जिनके लिए यहां सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं इस संघ शासित क्षेत्र के छात्रों के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थान आबंटित किए जा रहे हैं।

8. लक्षद्वीप

इस संघ शासित क्षेत्र में 40 शैक्षिक संस्थाओं में एक जूनियर कालेज, 8 हाई स्कूल, 4 सीनियर बेसिक स्कूल, 18 जूनियर बेसिक स्कूल तथा 9 नर्सरी स्कूल हैं। लक्षद्वीप के सभी आबादी वाले द्वीपों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल कक्षाओं में कुल 11,739 छात्र पढ़ रहे हैं।

छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां तथा अन्य सुविधाएं

इस द्वीपसमूह में सभी स्तरों पर शिक्षा निशुल्क है। सभी स्कूली बच्चों को पाठ्यपुस्तक, लेखन सामग्री मुफ्त दी जाती है। नर्सरी, प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों के छात्रों को मध्याह्न भोजन मुफ्त दिया जाता है। हाई स्कूलों तथा कालेजों में छात्रवृत्तियां क्रमश: 30 रु० तथा 75 रु. की दर से दी जाती हैं। इस समय छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं की संख्या 1531 है। सरकारी छात्रावासों में रहने वाले छात्रों का भोजन का खर्च प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है। इस द्वीपसमूह में दो लड़कों के तथा एक लड़कियों का छात्रावास है और इन छात्रावासों में 282 लड़के तथा लड़कियां रह रहे हैं। उच्च अध्ययन के लिए, जिसके लिए इस द्वीपसमूह में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है मुख्य भू-भाग की संस्थाओं में छात्रों के लिए स्थान आरक्षित होते हैं और उच्च अध्ययन के लिए चुने हुए छात्रों को छात्रवृत्तियाँ एक मुश्त अनुदान तथा अन्य शैक्षिक रियायतें प्रशासन द्वारा दी जाती हैं। छात्रों के लिए प्रत्येक वर्ष शैक्षिक दौरे आयोजित किए जाते हैं। व्यावसायिक शिक्षा हाई स्कूलों में प्रदान की जा रही है।

9. मिज़ोरम

प्राथमिक, मिडिल तथा माध्यमिक स्तरों पर नामांकन क्रमशः 83,980, 24,730 तथा 17,332 था। आलोच्य वर्ष के दौरान, दाखिले में काफी बढ़ौतरी हुई। प्राथमिक स्तर पर 94 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए 20 अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए। 2000 से अधिक अध्यापक कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इसके अतिरिक्त विभिन्न अध्यापन विषयों में 130 चुनिन्दा स्कूलों में प्रयोगात्मक आधार पर नई अनुदेशात्मक सामग्री को विकसित किया गया। इस संघ शासित क्षेत्र में अवर स्नातक अध्यापकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए दो अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे हैं।

शैक्षिक सुविधाएं

उच्च शिक्षा के लिए यहां एक विश्वविद्यालय कालेज है जिसका नाम पाछुंगा विश्वविद्यालय कालेज है जो ऐजवल कस्बे में स्थित है। दो नए कालेज अर्थात् हरंगबेना कालेज तथा जिरतिरी महिला कालेज को वर्ष 1981-82 से प्रशासन द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 1981-82 शैक्षणिक सत्र में 60 छात्रों की दाखिला क्षमता वाला एक मिज़ोरम पोलिटेक्निक खोला गया।

अध्याय **13**

सामान्य कार्यकलाप और निकासी गृह कार्य

इस अध्याय में मंत्रालय के मुख्यतः उन कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है जो शिक्षा के क्षेत्र में संघ सरकार के निकासी गृह कार्यों और इसकी समन्वय संबंधी भूमिका के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के साथ कुछ अन्य कार्यक्रम भी हैं जो पिछले अध्यायों में वर्णित कार्यकलापों के स्वरूप से पूरी तरह मेल नहीं खाते।

सामान्य कार्यकलाप

शैक्षिक नीतियों, आयोजना, प्रबन्ध और मूल्यांकन अनुसंधान की परियोजना के लिये सहायता की योजना

इस योजना का उद्देश्य शैक्षिक विकास कार्यक्रमों के निर्माण कार्यान्वयन और मूल्यांकन से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करना है तथा इसके अन्तर्गत संगठनों/संस्थाओं को ऐसे अल्प अवधि वाले कार्रवाई-उन्मुख अध्ययनों के लिए सहायता प्रदान की जाती है जिनका शिक्षा प्रणाली सम्बन्धी नीति, आयोजना और प्रबन्ध पर से सीधा प्रभाव पड़ता है। वर्ष 1981-82 के दौरान कार्यान्वियन के लिए लगभग 13 परियोजनाएं/अनुसंधान अध्ययन स्वीकृत किये गये। विषयों/अनुसंधान अध्ययनों की जांच/स्वीकृति एक संवीक्षा समिति द्वारा की जाती है जिसमें अन्तर-विभागीय अधिकारी शमिल होते हैं।

राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2 जून 1981 को हुआ था।

इस सम्मेलन में मुख्य रूप से वर्ष 1981 के प्रारम्भ में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित छठी योजना के प्रलेख में सम्मिलित शैक्षिक विकास परिप्रेक्ष्यों और कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ।

सम्मेलन में पारित प्रमुख संकल्प हैं :—

(i) इस सम्मेलन में, औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के जरिए 10 वर्ष की अवधि में व्यापक प्रारम्भिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने का समर्थन किया गया। छठी योजना में जोर प्राथमिक स्तर पर दिया जाएगा और अगली योजनाओं में मिडिल स्तर की शिक्षा पर। सम्मेलन में बीच में ही स्कूल छोड़ने वालों की उच्च प्रतिशतता को कम करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

(ii) स्कूल शिक्षा की 10+2 पद्धति के कार्यानन्वयन की समीक्षा करते हुए सम्मेलन में उन सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों से जिन्होंने अभी तक उसे नहीं अपनाया है इस पद्धति को अपनाने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की मांग की गई। +2 स्तर पर व्यावसायीकरण के महत्व पर बल देते हुए सम्मेलन में सर्वेक्षण आयोजित करने, पाठ्यचर्या तैयार करने, पाठ्यक्रम लागू करने और शिक्षक प्रशिक्षण शुरू करने आदि के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम की सिफारिश की गई।

(iii) सम्मेलन में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की 21 अप्रैल, 1981 को हुई पिछली बैठक की सिफारिशों की पुष्टि की गई। इन सिफारिशों में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें ये हैं कि राज्यों में तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार से सम्बन्धित सभी प्रस्ताव जनशक्ति आवश्यकता के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर आधारित होने चाहिए और

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। परिषद् को एक सांविधिक दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव का भी समर्थन किया गया । इसमें सामुदायिक पालिटेक्निकों के कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने और ग्रामीण समस्याओं के समाधान में इंजीनियरी व तकनीकी संस्थाओं के और अधिक सहयोग की भी मांग की गई ।

(iv) इस सम्मेलन में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के 30 मई, 1981 के सम्मेलन की सिफारिशों को स्वीकार किया गया । ये सिफारिशें हैं :—

(क) सभी विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे अवर-स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रमों को और अधिक संगत व सार्थक बनाने के उद्देश्य से पुनर्गठित करें, स्कूल स्तर पर हुए सुधारों के परिणामस्वरूप ऐसा करना स्वाभाविक हो गया है।

(ख) उच्च शिक्षा के समन्वित विकास और विश्वविद्यालयों, वि०अनुदान आयोग और राज्य सरकारों के बीच घनिष्ट सहयोग के लिये प्रत्येक राज्य में एक समन्वयन बोर्ड की स्थापना की जाए ।

(ग) विद्यमान सुविधाओं का अधिकतम उपयोग, विश्वविद्यालयों और कालेजों के कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि, अध्यापकों के लिये एकसमान आचारसंहिता का निर्माण और निर्धारित स्तर तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण सुनिश्चित करना।

(v) राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता और इस संबंध में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा करते हुए सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में पाठ्य-पुस्तकों की राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से शीघ्र समीक्षा करने का आश्वासन दिया ।

शिक्षा विभाग

बजट प्राक्कलन—इस विभाग हेतु 1981-82 और 1982-83 के लिये कुल बजट प्रावधान इस प्रकार है :—

लाख रु०

विवरण	बजट प्राक्कलन 1981-82	संशोधित प्राक्कलन 1981-82	बजट प्राक्कलन 1982-83
1	2	3	4
मांग सं० 25 शिक्षा विभाग वेतन तथा लेखा कार्यालय, आतिथ्य और मनोरंजन सहित विभाग का सचिवालय . .	2,15,37	2,21.97	2,32,76

विवरण	बजट प्राक्कलन 1981-82	संशोधित प्राक्कलन 1981-82	बजट प्राक्कलन 1982-83
मांग सं० 26—सामान्य			
शिक्षा के लिये शिक्षा व्यवस्था, राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (योजनागत) के लिये सहायक अनुदानों की व्यवस्था और छात्रावासों के निर्माण आदि के लिये ऋण की व्यवस्था तथा केन्द्रीय व केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये अन्य शैक्षिक ऋणों सहित विभाग का अन्य राजस्व व्यय . . .	295,51.19	289,78.98	326,03.65
संस्कृति विभाग			
वर्ष 1981-82 और 1982-83 की बजट व्यवस्था निम्नलिखित है :—			
मांग नं० 27			
संस्कृति विभाग . . .	14,80.10	14,80.10	15,66.79
मांग नं० 28			
पुरातत्व	7,56.50	7,56.50	7,99.48

लेखा परीक्षा टिप्पणियां और निरीक्षण रिपोर्ट

मंत्रालय ने बकाया टिप्पणियों और निरीक्षण पैराग्राफों को निपटाने के लिये अपने संगठित प्रयत्न जारी रखे। मार्च 1980 तक की गई 3,316 लेखा परीक्षा टिप्पणियों में से जो 31 अगस्त, 1981 तक बकाया थी और 3,194 निरीक्षण पैराग्राफों में से, जिन्हें वर्ष 1979-80 की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किया गया था, मंत्रालय ने 31 मार्च 1981 तक 6,84 लेखा परीक्षा टिप्पणियों और 708 निरीक्षण पैराग्राफों का निपटान किया। शेष बकाया टिप्पणियों और पैराग्राफों के निपटान के लिये प्रयास जारी हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिये पदों और सेवाओं में आरक्षण से संबंधित आदेशों का पालन

इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि शिक्षा और संस्कृति विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित आरक्षण आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाए, मंत्रालय में एक विशेष सैल विद्यमान है। कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग/अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयुक्त द्वारा अपेक्षित सूचना, अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों से संबंधित मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों से एकत्र की गई। सम्बन्धित प्राधिकारियों को भेजने के लिये इसकी जांच पड़ताल की गई और इसे समेकित किया गया। निम्नलिखित विषयों से संबंधित वार्षिक विवरण, सम्बंधित प्राधिकारियों को भेजना अपेक्षित होता है :—

(i) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों से सम्बन्धित श्रेणी 1 के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये प्रबन्ध।

(ii) पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जानजातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित विवरण।

(iii) प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे गये पदों से सम्बन्धित विवरण।

(iv) पूर्णत: अस्थायी नियुक्तियों के रोस्टर में सम्मिलित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण से सम्बन्धित विवरण।

(v) तदर्थ आधार पर भरे गये पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व।

(vi) मंत्रालय के नियंत्रण में चल रही तकनीकी और अन्य शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के छात्रों को दी गई रियायतें।

(vii) मंत्रालय के नियंत्रण में कार्यरत विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में सम्पर्क अधिकारियों के मनोनयन के सम्बन्ध में एकत्रित सूचना।

(viii) सेवाओं में पदों के अनारक्षण से सम्बन्धित मंत्रालय के नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच।

(ix) केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिक्रमण का विवरण।

(x) पदोन्नति द्वारा भरे गये पदों का विवरण।

(xi) सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व-प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानांतरण द्वारा भरे गये पदों पर नियुक्तियां।

(xii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिये रखे गये रोस्टरों के निरीक्षण की वार्षिक रिपोर्ट।

(xiii) सरकार से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों के अधीन सेवाओं में पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों का प्रतिनिधित्व।

(xiv) शिक्षा विभाग के अधीन सांविधिक निकायों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित रिपोर्ट।।

(xv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की समय पूर्व सेवा-निवृत्ति से संबंधित रिपोर्ट।

(xvi) विभागकीय समितियों/चयन बोर्डों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों को सम्मिलित करने से संबंधित रिपोर्ट।

(xvii) सी० एम० एस०/सी० एस० एस० एस० और सी० एस० सी० एस० में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व। और

(xviii) रियायती स्तरों के आधार पर चुने गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के सेवाकालीन प्रशिक्षण से संबंधित रिपोर्ट।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

मंत्रालय, राजभाषा अधिनियम 1963 और 1976 में उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के पालन और अनुसरण के बारे में सतर्क रहा है। सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की निगरानी और समीक्षा, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रभागों/अनुभागों/एककों तथा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अधीनस्थ और संलग्न कार्यालयों आदि से प्राप्त त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों के जरिए की जाती है।

द्विभाषी नीति के अनुसार, प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अपने सरकारी काम-काज के लिए हिन्दी अथा अंग्रेजी का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, मंत्रालय और इसके अधीन व संलग्न कार्यालयों के सभी अधिकारियों से समय–समय पर अनुरोध किया जाता है कि वे अपने हिन्दी जानने वाले स्टाफ को टिप्पणियाँ और मसौदे लिखने में हिन्दी का और अधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। मंत्रालय के लगभग 73 प्रतिशत अधिकारियों और स्टाफ को हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान है। मंत्रालय के कुल 117 अनुभागों/एककों में से 39 अनुभागों/एककों में नोट लिखने और मसौदे तैयार करने में हिन्दी का आंशिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। इस समय मंत्रालय में 50 हिन्दी टाइपराइटर उपलब्ध हैं।

अब तक इस मंत्रालय के 187 फार्मों और नियम पुस्तिकाओं का हिन्दी में अनुवाद किया जा चुका है।

अधिनियमों और संविधियों के अनुवाद से संबंधित कार्य पूरा हो गया है।

मंत्रालय के हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को हिन्दी में नोट व मसौदे लिखने का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 10 कार्यशालाएं आयोजित की गई।

सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के लिए एक हिन्दी सलाहकार समिति गठित की गई है।

शैक्षिक प्रयोजनों के लिए सफेद मुद्रण कागज की नियंत्रित दरों पर आपूर्ति

राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों को नियंत्रित दरों पर सफेद मुद्रण कागज के आवंटन की योजना आलोच्य वर्ष के दौरान जारी रही। कागज का ~~मूल्य 3500/- रुपये प्रति टन एक समान बना रहा~~। विद्युत की कमी के कारण मिलों द्वारा कागज के कम उत्पादन और रेलवे वैगनों की अनुपलब्धता आदि के कारण राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों को 1981-82 के दौरान केवल 1,44,685 टन कागज ही आवंटित किया जा सका।

नार्वे से कागज का आयात

नार्वे सरकार के साथ द्विपक्षीय करार के अंतर्गत वर्ष 1981-82 के दौरान 2 करोड़ रुपये मूल्य के कागज की पण्य सहायता की आशा है। यह कागज सामान्यत: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा स्कूल पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन के लिए निर्धारित है।

निकासी गृह कार्य

सांख्यिकी

देश की समग्र शैक्षिक सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा करने के उद्देश्य से मंत्रालय, रा० शै० अनु० तथा प्रशि० परि०, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग, राज्यों के शिक्षा विभागों के प्रतिनिधियों और कुछ गैर-सरकारी सदस्यों को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। समिति को सौंपे गए कार्य इस प्रकार हैं :--

(1) शैक्षिक सांख्यिकी के सुधार और सभी स्तरों पर नीति निर्धारण, आयोजना और प्रशासन में उनके उपयोग के लिए एक भावी योजना तैयार करना।

(2) विभिन्न मदों के संबंध में आंकड़े एकत्र करने के लिए एक प्रणाली का सुझाव देना और आंकड़े एकत्र करने में लगी विभिन्न एजेंसियों की भूमिका तय करना, ताकि प्रयत्नों में पुनरावृत्ति से बचा जा सके और संबंधित आंकड़े न्यूनतम संसाधनों से उपलब्ध हो सकें।

(3) मूल स्रोतों से आंकड़े एकत्र करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सारणियों के स्वरूप और विभिन्न स्तरों पर रखे जाने के लिए रिकार्ड का सुझाव देना ताकि सूचना के सुचारु संग्रह में मदद मिल सके।

(4) आंकड़ों की कोटि सुधारने और उन्हें समय पर प्रस्तुत करने के लिए उपाय सुझाना।

(5) केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर अवस्थापना सम्बन्धी परिवर्तन तथा उपरोक्त सुधार लागू करने के उद्देश्य से स्टाफ के लिए मानदण्ड इत्यादि का सुझाव देना।

(6) आंकड़ों के समुचित संकलन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर प्रशिक्षण व अनुस्थापन कार्यक्रम का सुझाव देना।

(7) समिति के सदस्यों द्वारा कुछ राज्यों के व्यक्तिगत दौरों के दौरान कुछ अधिकारियों के साथ हुई चर्चा के आधार पर विद्यमान प्रणाली को सुधारने के लिए अल्पकालिक उपाय सुझाना।

मंत्रालय ने, आयोजना, मानिटरिंग और सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा करने के लिए उच्चस्तरीय समिति में सदस्यों का एक दल कर्नाटक और ~~उत्तर प्रदेश~~ में भेजा। समिति सम्भवतः मार्च, 1982 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

निम्नलिखित अध्ययनों के लिए आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं:---

1. भारत में पत्राचार पाठ्यक्रम।

2. विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक प्रशासन में कार्यरत व्यक्ति/संगठन।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा।

शैक्षिक सांख्यिकी और अन्य सूचना के वार्षिक/आवधिक संग्रह के एक भाग के रूप में वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए:---

1. उच्च शिक्षा संस्थाओं की निदेशिका, 1975-76।
2. भारत में शिक्षा---1976-77 खंड-1
3. भारत के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड---हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा परिणाम, 1977-78
4. चनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी 1979-80
5. भारत में स्कूली अध्यापकों के वेतनमान---1979-80
6. स्कूल शिक्षा से सम्बन्धित चुनिन्दा जानकारी---1979-80

7-13. जिलेवार शैक्षिक सांख्यिकी---1976-77

(i) मेघालय
(ii) सिक्किम
(iii) नागालैंड
(iv) गोआ, दमन तथा दीव
(v) बिहार
(vi) मिजोरम
(vii) मणिपुर

14. भारत की विश्वविद्यालयों में शिक्षा 1968-69।

आयोजना और मानिटरिंग

मंत्रालय के आयोजना और मानिटरिंग एकक ने शिक्षा के क्षेत्र में सभी योजनागत कार्यकलापों के सम्बन्ध में एक निकासीगृह के रूप में अपना कार्य जारी रखा।

वर्ष 1981-82 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिया गया और चालू वर्ष के लिये योजना में शिक्षा के विकास हेतु 422.33 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई (केन्द्रीय क्षेत्र में 107.11 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र में 315.22 करोड़ रु०), 1981-82 में शिक्षा के लिए किया गया योजनागत परिव्यय देश के कुल योजनागत परिव्यय 2.4% बैठता है (केन्द्रीय क्षेत्र में 1.2% और राज्य क्षेत्र में 3.6%) छठी योजना में शिक्षा के लिये कुल परिव्यय के अनुपात में 1981-82 के शिक्षा सम्बन्धी योजनागत परिव्यय का अनुपात 16.73% बैठता है (केन्द्रीय क्षेत्र में 14.58% और राज्य के क्षेत्र में 17.62%)।

वर्ष 1982-83 के लिये शिक्षा मंत्रालय ने 158 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया है तथापि योजना आयोग ने 138 करोड़ रु० का अनुमोदन किया है जो केन्द्रीय क्षेत्र के लिये छठी योजना के कुल परिव्यय का 18 प्रतिशत बैठता है।

अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना और जन-जातीय उपयोजना

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिये मंत्रालय ने वर्ष 1982-83 के वास्ते अनुसूचित जातियों के लिये विशेष संघटक योजना हेतु विभाज्य परिव्यय के 12.4% का और जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों के लिए विभाज्य परिव्यय के 6.1% का प्रस्ताव किया है। मंत्रालय की 1981-82 की योजना में तदनुरूपी प्रतिशत क्रमश: 11.4 और 5.5 था।

वर्तमान वर्ष के दौरान इस एकक द्वारा निम्नलिखित अध्ययन रिपोर्ट निकाली गई :—

1. केन्द्रीय और राज्यों के वार्षिक बजटों—1979-80 से 1981-82 में दिखाये गये शिक्षा पर खर्च का विश्लेषण
2. अनुसूचित जातियों/अनु० जन-जातियों की शिक्षा की प्रगति 1977-78
3. छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) और वार्षिक योजना [1981-82] का विश्लेषण।

प्रकाशन एकक

प्रकाशन एकक ने 1981 के दौरान दो द्विभाषी (अंग्रेजी और हिन्दी प्रकाशनों और दो त्रैमासिक पत्रिकाओं "दि एजूकेशन क्वार्टर्ली" 'इंडियन एजूकेशन एब्सट्रैक्टस' को मिलाकर 29 प्रकाशन निकाले। "दि एजूकेशन क्वार्टर्ली" नाम की पत्रिका अब 33वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। "केन्द्र और राज्यों में शैक्षिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं का एक मासिक सारांश सीमित परिचालन के लिये प्रत्येक महीने अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है।

मंत्रालय ने जनवरी 1981 में जयपुर में हुए राष्ट्रीय पुस्तक मेले और अप्रैल—मई, 1981 में कोचीन में हुए क्षेत्रीय पुस्तक मेले में भाग लिया जिनका आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा किया गया था। मंत्रालय 5 से 15 फरवरी 1982 तक नई दिल्ली में आयोजित किये जाने वाले पांचवें विश्व पुस्तक मेले में भी भाग ले रहा है। इस एकक ने यूनेस्को चल प्रदर्शनियां (i) पेन्टिंगस 1900-1925 (ii) 'चाइनीज पेन्टिंगज' (iii) 'वीमन आफ एशिया' देश में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित की।

हिन्दी प्रकाशन एकक ने इसी अवधि के दौरान दो त्रैमासिक पत्रिकाओं 'शिक्षा विवेचन' और 'संस्कृति' को मिलाकर 25 प्रकाशन निकाले।

छात्र सूचना सेवा एकक

छात्र सूचना सेवा एकक छात्रों के लाभ के लिये देश और विदेश की उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में सूचना का संग्रह संकलन और प्रसारण करता है तथा विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में छात्रों की पूछताछ का उत्तर देता है। आलोच्य वर्ष के दौरान इसने भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा की सुविधाओं से सम्बन्धित 5,608 छात्रों की पूछताछ का जवाब दिया। लगभग 3,970 व्यक्ति इस एकक से सम्बद्ध संदर्भ ग्रंथालय में भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदान किये जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने, कलेन्डरों, पुस्तिकाओं, विवरण पत्रों व अन्य बुलेटिनों को देखने के लिये आये। विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं से प्राप्त नवीनतम कलेण्डरों, पाठ्य विवरणों व अन्य सम्बन्धित साहित्य के रूप में संदर्भ पुस्तकालय में 2,953 पुस्तकें बढ़ी।

वर्ष 1980-81 के दौरान विदेश भेजे गये सरकारी और गैर-सरकारी शिष्ट मंडल/प्रतिनिधिमंडल

पाकिस्तान और बंगला देश से शैक्षिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के विशिष्ट अनुरोधों को इन देशों में स्थित भारतीय मिशनों को भेजा गया । विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों के शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कार्य 1022 व्यक्तियों के लिए किया गया।

प्रतिनिधिमंडलों की संख्या	100
प्रतिनिधिमंडलों/शिष्टमंडलों में शामिल व्यक्तियों की संख्या	175

	रु०	विदेशी मुद्रा
इन पर हुआ कुल खर्च	9,60,598.07	रु० 2,85,587.85 पौंड 2338.12 और 14,100 डालर

संस्कृति विभाग

अंतर्गत चौथा प्राप्तकर्ता पुस्तकालय घोषित किया गया। अन्य तीन पुस्तकालय हैं:--राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता; केन्द्रीय पुस्तकालय, बम्बई और कोन्नेमारा पुस्तकालय, मद्रास ।

संगीत नाटक अकादमी की एक "उल्लेखनीय उपलब्धि---कठपुतली कला के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा नृत्यों की दुर्लभ किस्मों के लिए सहायता देना, गुजरात में डंगी में तथा मणिपुर में जन-जातीय कलाओं के समारोह के आयोजन से संबंधित है । अरिबो पाला, ध्रुपद तथा भरत नाट्यम की परम्परागत शैलियों में प्रमुख समारोहों का आयोजन किया गया । प्रलेखन कार्य में तेजी लाई गई । ललित कला अकादमी ने बहुत सी प्रदर्शनियों का आयोजन किया जिनमें पोलैंड, फ्रांस, क्यूबा, ग्रेट ब्रिटेन तथा यूनेस्को की प्रदर्शनियां शामिल हैं । इसके अतिरिक्त उन छात्रों के 60 चित्रों, रेखाचित्रों तथा मूर्तियों की महत्वपूर्ण प्रदर्शनियां भी शामिल थीं जिनको संस्कृति विभाग द्वारा 1964 से 1977 के बीच दृश्य कलाओं में छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं । अकादमी ने बंगलादेश में एशियाई कला में तथा बुडापेस्ट में 5वीं अन्तर्राष्ट्रीय लघु प्लास्टिक प्रदर्शनी में भाग लिया । अकादमी ने मार्च, 1982 के दौरान 5वीं त्रैवार्षिकी के आयोजन का अपना कार्य भी जारी रखा। साहित्य अकादमी ने, सेमिनारों, प्रकाशनों इत्यादि के अपने सामान्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त, "एशिया में रामायण के विभिन्न रूप : उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक तथा मानवशास्त्रीय महत्व" के विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार, प्रेम चन्द के सम्मान में दो अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार, एक दिल्ली में तथा दूसरा वाराणसी में, आयोजित किए।

छात्रवृत्तियों तथा शिक्षावृत्तियों के क्षेत्र में यह विभाग, प्रतिभाशाली बच्चों, युवकों तथा उत्कृष्ट विद्वानों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सृजनात्मक तथा आलोचनात्मक अध्ययन जारी रखने के लिए अवसर प्रदान करता रहा । अभिनय कलाओं के क्षेत्र में दुर्लभ किस्मों के अध्ययन पर विशेष बल दिया जा रहा है । विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान की गई छात्रवृत्तियां निम्न प्रकार थीं : विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्तियां--75; सांस्कृतिक प्रतिभा छात्रवृत्तियां--100 तथा शिक्षावृत्तियां--15 सीनियर वर्ग में तथा 35 जूनियर वर्ग में ।

बौद्ध और तिब्बती अध्ययन के क्षेत्र में संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना जारी रहा । बौद्ध दर्शन स्कूल, लेह, केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी, सिक्किम तिब्बती-विद्या अनुसंधान संस्थान तथा तिब्बती कृतियों का पुस्तकालय तथा अभिलेखागार, धर्मशाला को बौद्ध परम्पराओं के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता देना जारी रहा ।

राष्ट्रीय संग्रहालय तथा सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने संग्रहालय विज्ञान में पाठ्यक्रमों, तथा संरक्षण के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेखागार संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना जारी रखा । यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न संग्रहालयों, पुस्तकालयों, अभिलेखागारों में रखी सांस्कृतिक सम्पत्ति, वैज्ञानिक रूप से परिरक्षित रहें, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है ।

भारतीय समारोह के लिए कार्यक्रमों तथा विषयों के कार्य में काफी प्रगति हुई है । भारतीय समारोह की सलाहकार समिति की अध्यक्षा श्रीमती पुपुल जयाकर द्वारा 29 दिसम्बर, 1981 को एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया । अध्यक्ष द्वारा आयोजित यह पहला प्रेस सम्मेलन था, जिसने विभिन्न विषयों तथा कार्यक्रमों और ब्रिटेन और भारत में हुई प्रगति का संक्षिप्त विवरण दिया ।

आलोच्य वर्ष के दौरान, केन्या के साथ सांस्कृतिक करार के अतिरिक्त जिस पर फरवरी, 1981 में हस्ताक्षर किए गए थे, घाना, युगांडा तथा जिम्बाबवे के साथ सांस्कृतिक करार किए गए, जिससे उन देशों की कुल संख्या, जिनके साथ सांस्कृतिक करार किए गए हैं, 62 हो गई है । इन में से 35 देशों के साथ नियमित सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया गया है । सांस्कृतिक करारों तथा सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम तैयार करने के लिए, बहुत से देशों को सरकारी शिष्टमंडल भेजे गए ।



हुलास खुदाई – विशाल कुषाण निर्माण

अध्याय

1

पुरातत्व

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई तथा खोज, स्मारकों के परिरक्षण, थल संग्रहालयों के रख-रखाव, पुरावशेषों तथा कला निधियों के परिरक्षण और पुरातत्व विद्यालय के संचालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के अपने कार्यकलाप जारी रखे।

I. खोज तथा खुदाई

खोज

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु के भागों में खोजबीन के दौरान पूर्व पुराप्रस्तर युग से लेकर मध्य काल तक की विभिन्न अवधियों से संबंधित बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन स्थलों का पता चला है।

आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में लेहगमबांद, मेट्टोपाल्ले, नायमपाल्ले में पुराप्रस्तर तथा सूक्ष्मपाषाण स्थल तथा आन्ध्र प्रदेश के ही अनन्तपुर और प्रकाशन जिलों में व्यापक नव प्रस्तर तथा महापाषाण स्थलों का पता चला है। इसी प्रकार कर्नाटक के कोलार जिले में हालेहाल्ली, अल्हाल्ली, अप्पाय्यन आदि में विस्तीर्ण महा पाषाण स्थलों का पता चला है।

इस वर्ष की सर्वाधिक उत्कृष्ट खोज है—पंजाब के भटिंडा जिले के मानसा तालुक में पूर्व-हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के बारह स्थलों की खोज। ये स्थल छोटी मानसा, डंगवाला थेह, अर्रानवाला, डालेवाला II, हिरका I, करमपुरा, लाल्लीवाला–2, लालुवाला, झाड़ियोंवाला अलीकेडा टिब्बा, तासीलुवाला में हैं। इन खोजों से इस बात की और भी पुष्टि हो गई है कि हड़प्पा वालों का संचलन प्रमुखतः घग्गर से शुरू हुआ और इस संस्कृति का प्रसार राजस्थान से शुरू होकर पंजाब और हरियाणा तक हुआ। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के धूले जिले में पांडी, वडें और मेठी में उत्तर हड़प्पा के तीन स्थलों का पता चला।

जिला मोरेना, मध्य प्रदेश मे कायथा मिट्टी के बर्तनों, चित्रित चिकनी मिट्टी बर्तनो तथा काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों वाले छः स्थलों का पता चला।

गुट्टिकोंडा गांव, गुरजाला तालुक, जिला गुंटूर में इक्ष्वाकु युग के एक विस्तीर्ण स्थल का पता लगाया गया है

महत्वपूर्ण खोजों में से बिलाहरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश तारोधावा, कुरुकूला और अवालोटीकेश्वर की बुद्ध की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं।

खुदाई

वर्ष 1981-82 के दौरान फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा, गुफकराल, जिला पुलवामा, जम्मू तथा काश्मीर, हाम्पी, जिला बेलारी, कर्नाटक, हुलास, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, शृंगवेरपुर, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश और रामपुरम, जिला कुरनल, आन्ध्र प्रदेश में खुदाई कार्य किया गया।

इन खुदाइयों से फतेहपुर सीकरी में अकबर के समय की विभिन्न चरणों की सड़कें तथा संरचनाएं, गुफकराल में एक अमृदा सुनियोजित नवप्रस्तर स्तर, हाम्पी में सस्तंभ गलियारे और केन्द्रीय हाल की इमारत सहित व्यापक संरचनात्मक परिसर; हुलास में फर्श सहित हड़प्पा काल का एक चबूतरा और सिंधू लिपि में तीन चिह्नों वाली पक्की मिट्टी

16—920Edu/81

संबंधित पांच संदर्शिकाएं, एपिग्राफिया इंडिया के चार खण्डों (खंड vi, vii, viii और ix) का पुनर्मुद्रण ।

ये प्रकाशन मुद्रण के विभिन्न चरणों में हैं—रत्नागिरि (भाग I) और संस्मरण श्रृंखला में राजेन्द्र चोल के करन्दई शिलालेख; संग्रह शिलालेख इंडीकेरम श्रृंखला में परमार शिलालेखों का दूसरा भाग; वर्ष 1971-72 और वर्ष 1972-73 की भारतीय पुरालेखशास्त्र सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट; 1974—के एपिग्राफिका इंडिका—अरबी और फारसी पूरक; एपिग्राफिका इंडिका के खंड xi का पुनर्मुद्रण ; स्मारकों तथा संग्रहालयों पर तीन संदर्शिकाएं; और रंगीन तथा काले और सफेद सचित्र पोस्टकार्ड सेट ।

वित्तीय वर्ष 1982-83 में ये प्रकाशन निकाले जाएंगे :—भारतीय पुरातत्व (2 अंक), प्राचीन भारत (2 अंक), लोथल खंड II, रत्नागिरि (भाग II), इमेजिज आफ नेपाल, एपिग्राफिका इंडिका (2 अंक), एपिग्राफिका इंडिका—अरबी तथा फारसी पूरक (2 अंक), भारतीय पुरालेख सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट (2 अंक), दक्षिण भारतीय शिलालेख (एक अंक), छः संदर्शिकाएं, काले और सफेद सचित्र पोस्टकार्डों के छः सेट, चालीस रंगीन कार्ड और एपिग्राफिक इंडिका के दो अंकों का पुनर्मुद्रण ।

VI. पुरातत्व विद्यालय

पुरातत्व विद्यालय (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन) एक निदेशक के अधीन कार्य करता है । यह स्कूल पुरातत्व में एक वर्षीय व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है । 1959 में स्कूल की स्थापना से लेकर, चालू वर्ष इसका 23वां सत्र होगा । यह स्कूल सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षार्थियों और देश के तथा पड़ोसी मित्र देशों से या तो कोलम्बो योजना के अन्तर्गत अथवा अन्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आए छात्रों को आकर्षित कर रहा है जिनके लिए मांग आने पर प्रत्येक वर्ष एक स्थान सुरक्षित रखा जाता है । पिछले तीन वर्षों के दौरान नेपाल के एक अधिकारी प्रशिक्षार्थी ने पुरातत्व स्कूल में दाखिला लिया । पिछले वर्ष बंगलादेश से एक प्रशिक्षार्थी ने संरक्षण और खुदाई में अल्पकालीन प्रशिक्षण के लिए स्कूल में दाखिला लिया ।

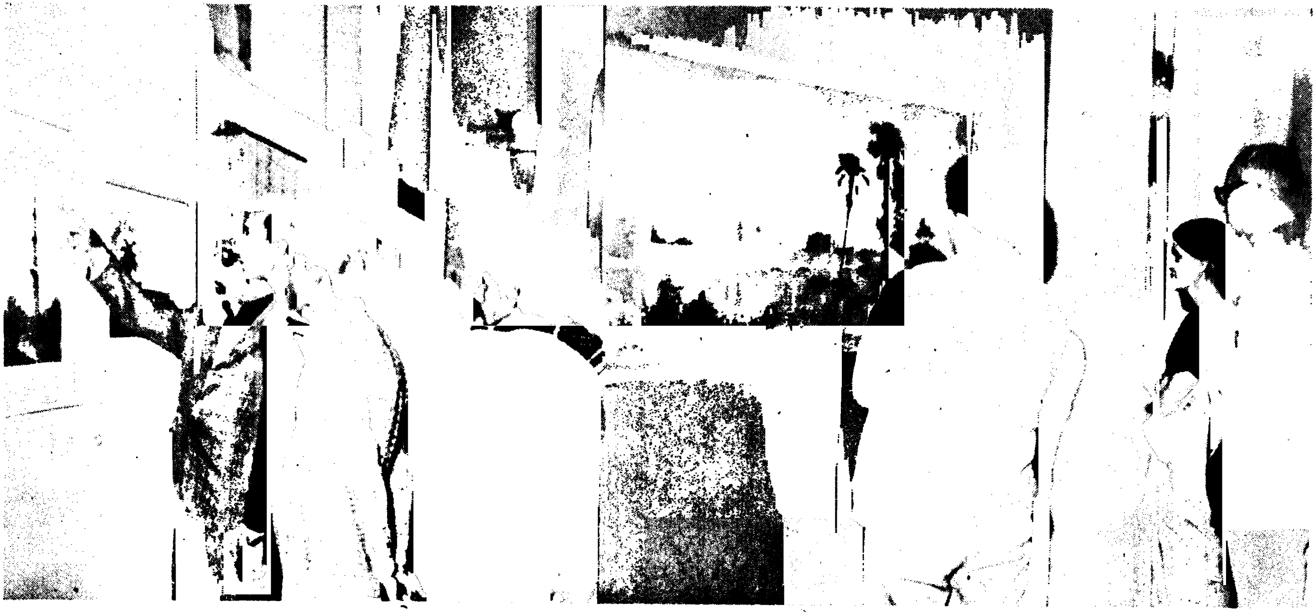
इसके अलावा, प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के विशेष पुनश्चर्या तथा अल्पकालीन गहन पाठ्यक्रम (सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक) भी सर्वेक्षण का एक आवधिक कार्य है और हाल के वर्षों में इन पाठ्यक्रमों का आयोजन कार्य भी पुरातत्व स्कूल ने ही सम्भाल लिया है । आयोजित किए गए विशेष पाठ्यक्रम हैं—1977 में मांडु (मध्य प्रदेश) में एक और दूसरा 1978 में जिन्गी (तमिलनाडु) में । इस वर्ष आमंत्रित सरकारी प्रशिक्षार्थियों में से एक सिक्किम से था । चालू वर्ष के दौरान पुरातत्व स्कूल ने भुवनेश्वर में एक गहन संरक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया ।

इस वर्ष के दौरान कम्पूचिया के तीन पुरातत्वविदों को भी पुरातत्वीय फोटोग्राफी, रासायनिक परिरक्षण और संरक्षण का प्रशिक्षण दिया गया ।

15 अक्तूबर से 15 दिसम्बर, 1981 तक की अवधि के बीच उप-अधीक्षक, पुरातत्वविदों को भी पुरातत्व स्कूल में विभिन्न अनुसंधान, प्रशासन तथा क्षेत्र तकनीकों का विशेष विभागीय प्रशिक्षण दिया गया ।

ऐसे स्मारकों, स्थलों अथवा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के संरक्षण के लिए, जिनकी सुरक्षा भारतीय पुरातत्व विभागों द्वारा नहीं की जाती है, संस्थाओं/निकायों को वित्तीय सहायता की योजना

100 वर्ष से कम पुराने स्मारकों के परिरक्षण के लिए वित्तीय सहायता की यह योजना व्यापक प्रचार और स्वैच्छिक संगठनों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए विभिन्न राज्य तथा संघशासित क्षेत्रों की सरकारों के ध्यान में ला दी गई है । राज्य/संघशासित क्षेत्रों की सरकारों से सभी संगठनों के प्रस्तावों का संकलन करने और उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिए उनके प्रस्तावों को विचारार्थ भेजने का अनुरोध किया गया है ।



नेहरू स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली में ''आफ दि कन्ट्री'' प्रदर्शनी में दर्शकगण

संग्रहालय

संग्रहालय, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, तकनीकी, औद्योगिक और अन्य प्रकार की सामग्री को क्षय होने से बचाने के भण्डारों तथा उन्हें इतिहास और शिक्षा के श्रव्य-दृश्य साधनों के लिए अभिलेखों के रूप में आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के साधन के रूप में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। संग्रहालयों के विकास को उनकी सभी शाखाओं के विकास सहित महत्वपूर्ण समझा जाता है क्योंकि एक ओर वे राष्ट्रीय एकता को तथा दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ को बढ़ावा देते हैं।

भारतीय संविधान में संग्रहालयों की स्थापना तथा अनुरक्षण की मुख्य जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण संग्रहालय स्थापित किए हैं और अपनी वित्तीय योजनाओं के जरिए निजी संग्रहालयों, विश्वविद्यालय संग्रहालयों इत्यादि के विकास के लिए धन देती है। सरकारी और निजी संग्रहालयों के मौजूदा संग्रह के प्रलेखन, अद्यतन वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करके संग्रहों के परिरक्षण तथा संग्रह की सूची प्रकाशित करने पर अधिक जोर दिया गया है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए संस्कृति विभाग, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध पुरावशेषों को रखने के लिए संग्रहालय भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा।

भारतीय कला और पुरातत्व के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता तथा सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद की स्थापना की है। समकालीन इतिहास और कला के क्षेत्र में विक्टोरिया मेमोरियल हाल, कलकत्ता, राष्ट्रीय आधुनिक कलावीथी, नई दिल्ली तथा नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय जैसे तीन संग्रहालय हैं जिनका वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वर्ष के दौरान संग्रहालयों द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त रूप से आगामी पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है :—

(1) भारतीय कला और परातत्व संग्रहालय

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली

संग्रहालय के मुख्य कार्यकलाप अधिग्रहण, प्रदर्शनियों, परिरक्षण तथा शिक्षा के क्षेत्र में हैं।

अधिग्रहण :—11-12वीं शताब्दी ईसवी सन् की पश्चिमी चालुक्य युग से संबंधित उमा माहेश्वर की कांस्य मूर्ति काश्मीर के इतिहास से संबंधित लघुचित्र तथा फारसी और अरबी की पांडुलिपियां गाडयानो के 32 सोने के सिक्के, प्राचीन और मध्ययुगीन कर्नाटक के पैगोडा और पानम (सभी बहुत दुर्लभ), लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की ताम्बे की प्लेट, सुंग की एक सुन्दर कांस्य मूर्ति, 9वीं शताब्दी ईसवी सन के काश्मीर से संबंधित गुप्त काल के बाद की महिषावर्धनी तथा विष्णु वैकुण्ठ की कांस्य मूर्ति।

प्रदर्शनियां : निम्नलिखित विशेष प्रदर्शनियां आयोजित की गई :—

1. रामायण, जिसमें राष्ट्रीय संग्रहालय के संग्रह के लघुचित्र दर्शाए गए हैं।
2. "थ्रेसियन आर्ट ट्रेजर्स फ्राम बल्गारिया" की विशेष प्रदर्शनी थ्रेसियन कला और संस्कृति पर एक अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा आयोजित की गई थी जिसमें भारतीय और बल्गारिया विद्वानों ने भाग लिया।

(ख) संग्रहालय के संग्रह में संग्रहीत एक सौ आग्नेय शस्त्रों की विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई है। उनकी पहचान समयावधि तथा अन्य आंकड़ों को अभिलेखबद्ध कर लिया गया है।

(ग) वस्त्र कला वीथी और यूरोपीय कांस्य वीथी की कला वस्तुओं के अलग-अलग लेबल तैयार कर लिए गए हैं।

शैक्षिक कार्यकलाप :—इस समयावधि में दो अस्थायी प्रदर्शनियां आयोजित की गई। दो व्याख्यान तथा 6 कलावीथी वार्ताएं आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त 'विकलांगों के लिए संग्रहालय सेवा' विषय पर एक सेमिनार 25 अप्रैल, 1981 को आयोजित किया गया। स्कूल दौरे की योजना के अंतर्गत 69 छात्रों ने संग्रहालय का भ्रमण किया। संग्रहालय देखने के लिए उन्हें प्रारंभिक परिचय तथा अन्य सहायता प्रदान की गई, दर्शकों के लिए कला तथा संस्कृति पर फिल्मों का प्रदर्शन समय-समय पर किया गया।

हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के विभिन्न स्कूलों, कालेजों तथा संस्थानों में सालारजंग संग्रहालय के नए प्रदर्शन, फोटोग्राफों तथा प्रतिकृतियों के साथ चलती-फिरती प्रदर्शनी गाड़ी को भेजा गया।

अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के अवसर पर संग्रहालय को विशेष रूप से 10 जुलाई, 1981 (शुक्रवार साप्ताहिक छुट्टी का दिन) को 603 विकलांग व्यक्तियों के लिए खोला गया उन्हें निःशुल्क प्रवेश दिया गया। भारतीय मूर्ति कला की प्लास्टिक मूर्तियां तथा प्रतिकृतियों को नेत्रहीनों के लिए विशेष तरह से रखा गया और इन्हें छूकर उनकी कला को अनुभूत करने की अनुमति दी गई।

अन्य कार्यकलाप : द्विवार्षिक अनुसंधान पत्रिका के खण्ड XIII तथा XIV प्रकाशित किए गए। कांस्य मूर्तिकला में 15 दिन का अभ्यास प्रदर्शन पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवधि में विभिन्न श्रेणियों के 656 कला चित्रों की मरम्मत आदि का कार्य पूरा किया गया। इस अवधि में तैल चित्रों का भी उपचार किया गया।

निजी संग्रहालयों को वित्तीय सहायता की योजना

निजी संग्रहालयों की वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थानों, सोसायटियों, न्यासों, कालेजों, विश्वविद्यालयों, नगर निगमों आदि द्वारा चलाए जाने वाले संग्रहालयों को वित्तीय सहायता दी जाती है, वित्तीय सहायता कलाचित्रों, उपस्करों, पुस्तकालयों के लिए प्रकाशन और पुस्तकों की खरीद के लिए दी जाती है. संग्रहालयों को, अपने संग्रहों के कला चित्रों के प्रलेखन को पूरा करने के लिए भी योजना के अन्तर्गत सहायता दी जाती है।

विश्वविद्यालयीय प्रणाली के अन्तर्गत बहुत से महत्वपूर्ण संग्रहालयों को, उनके संकलनों के प्रलेखन तथा पुस्तकें प्रकाशित करने के कार्य में सहायता की गई है। ये संग्रहालय हैं, भारत कला भवन, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, कौसम्बी संग्रहालय तथा आसुतोष संग्रहालय कलकत्ता विश्वविद्यालय। पिछले कई वर्षों से यह सहायता पश्चिम भारत के एक मुख्य संग्रहालय, अर्थात् प्रिंस आफ वेल्ज संग्रहालय को प्रकाशनों, वीथियों के पुनर्गठन एवं उपस्करों के लिए दी जाती रही है।

संस्कृति विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष एक संग्रहालय शिविर आयोजित किया जाता है जिसमें भाग लेने के लिए निजी संग्रहालयों से लोगों को आमंत्रित किया जाता है। शिविर में भाग लेने वालों को प्रलेखन, प्रकाशन तथा संरक्षण के क्षेत्रों में अन्य संग्रहालयों में किए जा रहे कार्य की जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अगला संग्रहालय शिविर, जनवरी, 1982 के दौरान त्रिवेन्द्रम में आयोजित करना निश्चित हुआ है और इसका विषय होगा : "विवरणात्मक पुस्तक सूची तथा प्रलेखन का प्रकाशन"।



थ्रैशियन कला निधियों की विशेष प्रदर्शनी – एक अम्फोरा – रिटन गोल्ड, पेनाग्युरिस्ते – पुरतत्वीय संग्रहालय, प्लोवदिव

(II) समकालीन इतिहास एवं कला संग्रहालय

विक्टोरिया मैमोरियल हाल, कलकत्ता

विक्टोरिया मैमोरियल हाल, को 18वीं और 19वीं शताब्दी के एक युग संग्रहालय के रूप में पुर्नगठित करने के कार्य में तेजी लाने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जिसमें निर्माण तथा आवास मंत्रालय के मुख्य वास्तुकार, संस्कृति विभाग तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक-एक प्रतिनिधि शामिल है।

संग्रहालय में, वर्ष के दौरान, आधुनिक भारतीय इतिहास और संस्कृति संबंधी लोकप्रिय अभिभाषण तथा पुरातन तैल चित्रों इत्यादि के पुनरूद्धार जैसे कार्यकलाप चलते रहे। विक्टोरिया मैमोरियल हाल की वीथियों के उद्घाटन की हीरक जयन्ती के एक भाग के रूप में हाल के कला संकलनों से संबंधित "अप दि कन्टरी" नामक एक विशेष प्रदर्शनी का, नवम्बर-दिसम्बर, 1981 में, नेहरू स्मारक संग्रहालय के सहयोग से आयोजन किया गया। "नई दिल्ली का विकास" पर ब्रिटिश परिषद् के सहयोग से एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय आधुनिक कला विथी, नई दिल्ली

राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी ने उच्च कोटि की कला कृतियां प्राप्त करके अपने संग्रह को समृद्ध बनाने का प्रयास जारी रखा और आलोच्य अवधि के दौरान 105 कलाकृतियां इसके संग्रह में और जोड़ी गई। ललित कला अकादमी द्वारा चौथी त्रैवार्षिकी भारत से क्रय की गई 26 कलाकृतियां सतत ऋण पर, प्राप्त हुई हैं। इस समय शान्ति निकेतन में प्रदर्शित स्वर्गीय रामकिंकर वैज द्वारा निर्मित "सन्थाल फैमिली" नामक एक विशाल मूर्ति की कांस्य प्रतिमा तैयार करने से संबंधित परियोजना प्रारंभ की गई है। इस परियोजना के अगले वर्ष पूरा हो जाने की संभावना है।

इस कला का क्रमिक विकास दर्शाने वाला और 52 ग्राफ प्रदर्शित करने वाला एक ग्राफिक विंग इस वीथी की पौड़ियों के आस-पास खोल दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय खण्ड का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है और इस खण्ड के लिए विभिन्न देशों की 147 कला-कृतियों को प्रदर्शित करने वाली 8 वीथियों की व्यवस्था की गई है।

आलोच्य वर्ष के दौरान देशभर के विभिन्न स्कूलों और कालेजों के लगभग 2000 विद्यार्थियों और 304 शिक्षकों ने वीथी देखी और उन्हें दौरे कराए गए। प्रत्येक रविवार प्रातः 11 बजे सर्वसाधारण के लिए पूरे वर्ष नियमित रूप से कला फिल्में दिखाई गई। वीथी में संग्रहीत कला फिल्में भी स्कूली बच्चों व अन्य व्यक्तियों को दिखाई जाती हैं। वर्ष के दौरान वीथी में 60 फिल्म शो दिखाए गए।

प्रयोगशाला में 77 चित्र उपचार के लिए प्राप्त हुए वीथी ने नन्दलाल बोस द्वारा रचित "राधा का विरह" और के० एन० मजूमदार द्वारा रचित "रामलीला" नामक प्रकाशन प्रकाशित किए। आठ और प्रतिकृतियां प्रकाशन की प्रक्रिया में हैं। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी द्वारा रविन्द्र नाथ टैगोर की 85 कृतियों की एक विशेष प्रदर्शनी संकलित की गई। इनमें से 60 कृतियां रविन्द्र भवन, विश्व भारती, शान्तिनिकेतन से उधार ली गई थीं। प्रदर्शनी का कार्यक्रम इस प्रकार था :

(i) बल्गारिया—सोफिया
(ii) सोवियत रूस—मास्को और लेनिनग्राड
(iii) पूर्वी जर्मनी—बर्लिन
(iv) चेकोस्लोवाकिया—प्राग

प्रदर्शनी में भाग लेने वाले संस्कृति विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदर्शनी बहुत सफल रही। राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी के फोटोग्राफर श्री पी० के० राय को इस प्रदर्शनी के साथ विशेषज्ञ के रूप में भेजा गया था।

वीथी में प्रदर्शों की एक विशेष प्रदर्शन का प्रबन्ध किया जा रहा है।

17——920Edu/81

नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली

नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1966 में एक व्यक्तिगत संग्रहालय और पुस्तकालय बनाने के उद्देश्य से की गई थी जिसमें (आधुनिक भारत के इतिहास और देश में समकालीन विकास से संबंधित प्रकाशित प्रबंध) सरकारी प्रकाशन और आवधिक साहित्य संग्रहीत किया जा सके।

पिछले वर्षों की भांति संग्रहालय की लोकप्रियता बनी रही और बड़ा तादाद में लोग इसे देखने आए। "दी रेवूलूशनरी मुवमेन्ट इन इन्डिया—1924–31" नामक प्रदर्शनी सर्वसाधारण के लिए 26 मई 1981 को खोली गई। "हिस्टारिकल वियूज आफ अपर इन्डिया इन दि लेट ऐटीन्थ एंड नाईनटीन्थ सैन्चुरीज बाई यूरोपियन आर-टिस्ट्स" नामक एक अन्य प्रदर्शनी सर्वसाधारण के लिए 13 नवम्बर 1981 को खोली गई। यह, विक्टोरिया मैमोरियल हाल कलकत्ता के सहयोग से आयोजित की गई थी।

पुस्तकालय और पुरातत्वीय संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि की गई। पुस्तकालय में लगभग 2430 पुस्तकों की वृद्धि की गई जिससे कुल संख्या बढ़ कर 76,749 हो गई। क्रय के अलावा, प्रधान मंत्री सचिवालय, महा पंजीयक के कार्यालय और लोक सभा सचिवालय से उपहार के रूप में बहुमूल्य प्रकाशन प्राप्त हुए। माइक्रोफिल्म और माक्रोफिशे से संबंधित शोध सामग्री के भण्डार को और समृद्ध किया गया। पुस्तकालय में इस समय 5606 माक्रोफिल्म रोल और 7114 माक्रोफिशे प्लेट हैं जिनका आधुनिक भारत के अध्ययन में रुचि लेने वाले शोध अध्येताओं द्वारा अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। माइक्रोफिल्म पर विदेशों से दुर्लभ अनुसंधान सामग्री प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं।

निजी दस्तावेजों और संस्थागत रिकार्डों के महत्वपूर्ण संग्रहों में, युसुफ महराली, भगवतीचरण बोहरा, डा० मगफूर अहमद अजाजी, रंगीलदास कपाड़िया, अशोक मित्रा, शहीद भगत सिंह, बी० पट्टभी सीतारमैया, ए० सी० एन० नम्बियार, अब्दुल मजीद, दरयाबदी, पंडित खुशीराम शर्मा, रामनन्दन मिश्रा, के० डी० मालवीय, वृहगनन्द, गुरुदास बनर्जी, डा० ताराचन्द, हुमायूं कबीर, के० पी० एस० मेनन, पंडित सुन्दर लाल दवे डा० फतेह चन्द, एम० बी० समरथ और लीलाधर जोशी के कागजात का उल्लेख किया जा सकता है। माइक्रोफिल किए गए महत्वपूर्ण संस्थागत रिकार्डों में, भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद् और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के दस्तावेज विशेष उल्लेखनीय हैं। दस्तावेजों के और अधिक संग्रहों को प्राप्त करने के प्रयत्न जारी हैं।

मौखिक इतिहास परियोजना के अन्तर्गत 17 व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार की 47 बैठकें रिकार्ड की गई। जिनके साथ साक्षात्कार किया गया उनमें कमलाशंकर पंड्या, भोगीलाल गांधी, नीलू लिमये, एम० हैरिस, एम० ए० डांगे, एफ० एम० पिन्टो, पोपटलाल शाह, आर० जी० ककाडे, रामनन्दन मिश्र, जे० आर० साहनी, डा० फतेह चन्द्र और कुलबीर सिंह थे। कुछ साक्षात्कार बड़ौदा, पुणे, बम्बई और लहेरिया सराय (बिहार) में आयोजित किए गए।

आधुनिक भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीयता के बारे में अनेक व्याख्यान आयोजित किए गए। वक्ताओं में, डा० सुधीर चन्द्र, प्रो० बी० पी० दत्त, श्री आई० के० गुजराल, प्रो० ए० के० दामोदरन, डा० अनिता आई० सिंह और श्री बी० सी० ब्लूम-फील्ड शामिल थे। तीन सेमिनार भी आयोजित किए गए। इन व्याख्यानों और सेमिनारों के अतिरिक्त "दार्शनिक सिद्धांत और सामाजिक वास्तविकता" पर 18 से 22 जनवरी 1982 तक एक परिचर्चा आयोजित करने का प्रस्ताव है, जिसमें भारत और विदेशों के विख्यात अध्येताओं के भाग लेने की संभावना है। "मोती लाल नेहरू की चुनिन्दा रचनाएं—लेख और व्याख्यान—1899–1918"—शीर्षक नामक एक ग्रंथ प्रेस को भेज दिया गया और इसके 1982 के बसन्त तक प्रकाशित हो जाने की संभावना है। "भारत की अर्थव्यवस्था समाज और राजनीति के पहलुओं" पर कागजात का संग्रह,

जिसे नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय द्वारा पहले आयोजित की गई एक परिचर्चा में प्रस्तुत किया गया था, प्रकाशन के लिए तैयार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् कलकत्ता

वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से अस्थायी रूप से स्थानान्तरित अपने तीन संघटक एककों सहित, इस विभाग के अधीन कार्य करना जारी रखा। अपने प्रमुख उद्देश्यों में से एक, अर्थात् देश भर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रचार के अनुपालन में, तीनों संग्रहालयों ने, मालदा (पश्चिमी बंगाल), पुरूलिया (पश्चिमी बंगाल) और गुलवर्गा (कर्नाटक) में स्थित तीन जिला विज्ञान केन्द्रों के साथ मिलकर, फिल्म प्रदर्शन, प्रदर्शनियां, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्याख्यान आदि जैसे विशेष कार्यक्रम आयोजित किए।

बिरला औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय, कलकत्ता ने थामस अलवा एडिसन द्वारा अन्वेषित उदीप्त लैंप की शताब्दी मनाने के लिये विद्युत् प्रकाश की शताब्दी पर तथा माइकल फैराडे द्वारा वैद्युत् चुम्बकीय प्ररोचन की खोज की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए माइकल फैराडे तथा "वैद्युत् युग का प्रारंभ" पर एक अन्य प्रदर्शनी आयोजित की। इसने अन्तर्राज्यीय विज्ञान की "अंतरिक्ष", "ट्रामवेज", "पूर्व अफ्रीकी वन्य जीवन", "जनजातीय काष्ठ कार्य", पर प्रदर्शनियां आयोजित की सौर ऊर्जा पर एक फोटोग्राफिक प्रदर्शनी तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तेल खोज के कार्यकलापों को दर्शाने वाली प्रदर्शनी भी आयोजित की। इसने पूर्वी भारत के सभी राज्यों के साथ पूर्वी भारत विज्ञान शिविर तथा 14 जिला स्तरीय विज्ञान मेले भी आयोजित किए। इसने शिक्षकों तथा छात्रों के लिये सेमिनार तथा अनेक लोकप्रिय विज्ञान व्याख्यान भी आयोजित किए। जिला विज्ञान मेलों में 196 स्कूलों से 815 छात्रों ने तथा 662 माडलों और प्रदर्शों के साथ 80 विज्ञान क्लबों ने भाग लिया। पश्चिम बंगाल सरकार के युवक सेवा विभाग के सहयोग से संग्रहालय द्वारा, खंड, जिला तथा राज्य स्तरों पर सेमिनार आयोजित किए गए। 250 खंड सेमिनारों में 1812 छात्रों, 17 जिला विज्ञान सेमिनारों में 592 छात्रों ने तथा राज्य स्तर के सेमिनारों में 9 राज्यों ने भाग लिया। श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र, पटना में "लोकप्रिय विज्ञान" पर अक्तूबर, 1981 में एक नई दीर्घा का उद्घाटन किया गया।

विश्वेश्वरय्य औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय, बंगलौर ने एक वैज्ञानिक मेले का आयोजन किया जिसमें दक्षिण के सभी चारों राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी ने भाग लिया। 250 स्कूलों के 511 छात्रों ने अपने प्रदर्श प्रदर्शित किए। इसमें विख्यात व्यक्ति डा० के० विश्वेश्वरय्य के जीवन तथा कार्यों पर एक बहु-माध्यम—कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। 30 छात्रों को अव्यवसायी रेडियो आपरेटर परीक्षा के लिये प्रशिक्षित किया गया। संग्रहालय द्वारा अप्रैल 1981 में एक ग्रीष्म हाबी केन्द्र तथा एक बहिरंग हाबी केन्द्र का भी आयोजन किया गया जिसमें 200 छात्रों ने इलेक्ट्रानिक्स, शारीरिक विज्ञान, मृत्तिका प्रतिरूपण, वायुयान प्रतिरूपण तथा भौतिकी में प्रशिक्षण प्राप्त किया। अक्तूबर 1981 में हुए शीतकालीन हाबी केन्द्र में 207 छात्रों ने रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, वायुयान प्रतिरूपण, मृत्तिका प्रतिरूपण तथा स्क्रीन मुद्रण पाठ्यक्रमों में भाग लिया। "इलेक्ट्रो-प्लेटिंग" पर औद्योगिक प्रदर्शन कार्यक्रम में 100 छात्रों ने भाग लिया। मुख्यतः स्कूल शिक्षकों विशेषकर गुलबर्गा जिले के इर्द-गिर्द के शिक्षकों के बीच वितरण के लिये संग्रहालय द्वारा कागज दस्तकारी पर एक पुस्तिका तैयार की गई। जुलाई, 1981 में भी कागज दस्तकारी पर एक समाकलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 50 स्त्रियों ने भाग लिया। संग्रहालय द्वारा अगस्त, 1981 में 16 कालेज छात्रों के साथ "वन नाशन तथा परिस्थिति संबंधी असंतुलन" पर एक वैज्ञानिक सेमिनार तथा 60 छात्रों के साथ "भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की विशेष संगतता" पर एक अन्य सेमिनार आयोजित किया गया। इसके साथ ही 92 छात्रों के साथ एक विज्ञान प्रश्नावली कार्यक्रम तथा 97 स्कूलों के छात्रों के साथ दो क्षेत्रीय विज्ञान मेले आयोजित किए गए।

सितम्बर 1981 में, "टैक्नालोजी इन सर्विस ग्राफ डिसएबल" विषय पर एक विशेष प्रदर्शनी ग्रायोजित की गई थी। नेहरू विज्ञान केन्द्र, बम्बई ने "तेजी से विकसित हो रहे संचार के क्षेत्र में रेडियो एमेच्युयर की भूमिका" नामक विषय पर एक एमेच्युयर रेडियो सम्मेलन ग्रायोजित किया जिसमें सम्पूर्ण देश से 200 तथा कुछ विदेशी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। केन्द्र ने मई 1981 में ग्रव्यवसायी रेडियो ग्रापरेटर परीक्षा के लिये कक्षाएं भी शुरू कीं। इसके चल विज्ञान प्रदर्शनी यूनिट ने ग्रपनी "मैन मस्ट मेजर" नामक प्रदर्शनी के साथ विभिन्न जिलों का दौरा किया। नवम्बर 1981 में "यू एण्ड योर एनवारेनमेंट" नामक एक ग्रन्य चल यूनिट इसके बेड़े में शामिल किया गया। डाक खगोल विज्ञान शिविर ग्रायोजित किया गया जिसमें 31 लोगों ने भाग लिया तथा एक टेलिस्कोप निर्माण कार्यक्रम भी ग्रायोजित किया गया जिसमें 13 लोगों ने भाग लिया। एक विज्ञान फिल्मसमारोह ग्रायोजित किया गया जिसमें 12 संस्थाग्रों के 913 छात्रों को लाभ पहुंचा। केन्द्र द्वारा, रुचि रखने वाले 19 छात्रों के साथ एक एरोमाडलिंग कार्यक्रम शुरू किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा एक पुरानी कार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था जिसमें ग्रग्निशमन इंजिन, पुरानी मोटर साईकिल तथा नमूने की कारें प्रदर्शित की गई। केन्द्र ने प्रत्येक शनिवार को ग्रपना ग्राकाश प्रेक्षण कार्यक्रम भी जारी रखा।

एन० सी० एस० एम० मुख्यालय कार्यालय ने विभिन्न राज्यों में जिला विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का कार्य जारी रखा जिसके लिये नागालैण्ड सहित विभिन्न राज्य सरकारों के ग्रधिकारियों के साथ बातचीत की गई थी। पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) ग्रौर गुलबर्ग (कर्नाटक) में निर्माण कार्य में लगातार प्रगति हो रही है ग्रौर बम्बई में निर्माण कार्य पूरा होने वाला है।

हर्ज लैंडस्केप संग्रहालय वरनिजरेड (जी० डी० ग्रार०) के निदेशक डा० हर्टम्ट नेपे ने सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत मई-जून 1981 में एन० सी० एस० एम० संग्रहालय केन्द्रों का दौरा किया। बी० ग्राई० टी० एम० के वरिष्ठ क्यूरेटर श्री एस० के० बागची भारत-ग्रमरिका शिक्षा तथा संस्कृति उप-ग्रायोग के कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत 3½ महीनों के लिये ग्रमेरिका के लिए रवाना हो गए ग्रौर श्री एच० वी० पी० राव क्यूरेटर तथा ग्रार० एम० चक्रवर्ती, परियोजना ग्रधिकारी नेहरू विज्ञान केन्द्र, बम्बई, बी० ग्राई० टी० एम० ने सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत जर्मन जनवादी गणतन्त्र का दौरा किया।

सांस्कृतिक सम्पदा के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ

यह प्रयोगशाला 1976 में एक ग्रधीनस्थ कार्यालय के रूप में स्थापित की गई थी। प्रयोगशाला का कार्यक्षेत्र तकनीकी अध्ययन के ग्रलावा, संरक्षण तकनीकों के सुधार के लिये ग्रनुसंधान हेतु सहायता देना, सांस्कृतिक संस्थाग्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करना ग्रौर संरक्षण साहित्य के संरक्षण तथा प्रलेखन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना भी है।

प्रयोगशाला ने कला कृतियों की संरक्षण पद्धतियों के सुधार तथा तकनीकी ग्रध्ययन से संबंधित ग्रनेक परियोजनाएं शुरू की हैं। जो कार्यक्रम पहले ग्रौपचारिक स्तर पर थे उन्हें 1981-82 के दौरान ठोस रूप दिया गया। प्रयोगशाला में कई विकसित उपस्कर लाए गए हैं जिससे इसकी विश्लेषणात्मक क्षमताएं बढ़ गई हैं। ग्रब इसके पास परिष्कृत उपस्कर हैं जैसे एक्स-रे फ्लूरे सीन स्पेक्ट्रो मीटर, इमिशन स्पेक्टोग्राफ, यू० वी०/वी० ग्राई० एस० स्पेक्ट्रो फोटो मीटर, एक्स-रे डिफरेक्शन, मेटलर्जिकल माइक्रो-स्कोप इत्यादि।

ग्रनुसंधान कार्यक्रम : 1981-82 के दौरान कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए जिनमें (i) फलास्टरों, चित्रों ग्रादि का विश्लेषण (ii) मध्ययुगीन भारत में वस्त्र रंगना; (iii) ताम्र संक्षारण निरोधक; (iv) धातु की वस्तुग्रों से क्लोराईड हटाने के लिए सोडियम एसेटेट ग्रौर सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग; (v) रंग बनाने के संबंध में प्रयोगात्मक कार्य,

(vi) सामग्री के अध्ययन के लिए एक्स-रे डिफरेक्शन का प्रयोग; (vii) बायोडिटिरियोएक्शन के क्षेत्र में अध्ययन ।

महत्वपूर्ण संरक्षण परियोजना : प्रयोगशाला द्वारा जो कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए थे और अब पूरा होने की विभिन्न-स्थितियों में हैं वे इस प्रकार हैं (i) श्रीगंपरा-पुरा खुदाई से तांबे की कला वस्तुएं; (ii) राज्य पुरातत्वीय विभाग, उत्तर प्रदेश से लोहे की कला वस्तुएं; (iii) राज्य संग्रहालय, शिमला से चित्र; (iv) संग्रहालय-विज्ञान विभाग, बड़ौदा विश्वविद्यालय से स्कोल : (v) राज्य संग्रहालय, लखनऊ से वृहत्त वस्त्र चित्रकारी; (vi) राज्य संग्रहालय, लखनऊ से दो तिब्बती टंखाज; (vii) लखनऊ विश्वविद्यालय से मुद्रित पुस्तकें (viii) राज्य संग्रहालय, लखनऊ से अम्ल लेखन; (ix) सरदार वल्लभभाई पटेल संग्रहालय, सूरत से कलमकारी चित्रकला; (x) राज्य संग्रहालय, लखनऊ से वस्त्र के पर्दे लटकाना; (xi) राज्य पुरातत्वीय विभाग, उत्तर प्रदेश से लोहे की कला वस्तुएं; (xii) पुरातत्व विभाग, कर्नाटक से लोहे की कला-वस्तुएं ।

तकनीकी पत्राचार और सलाह : प्रयोगशाला ने अनेक संग्रहालयों और पुरातत्वीय विभागों को उनकी संरक्षण/परिरक्षण संबंधी विभिन्न समस्याओं के लिए सलाह प्रदान की ।

प्रशिक्षण : प्रयोगशाला को यूनेस्को ने दक्षिण पूर्व एशिया के एक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में मान्यता दे दी है । इसने निम्नलिखित दो प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए :

(i) संग्रह के क्यूरेटरों, निदेशकों तथा अन्य प्रभारी अधिकारियों के वास्ते संग्रहालय सामग्री की देख-भाल और रख-रखाव के संबंध में एक सप्ताह की अनुस्थापन कार्यशाला,

(ii) संरक्षण विशेषज्ञता के लिए छः महीनों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिसमें छः व्यक्तियों ने भाग लिया ।

एक 5-दिवसीय राष्ट्रीय संरक्षण तकनीक कार्यशाला भी आयोजित की गई ।

प्रयोगशाला और प्रलेखन : प्रयोगशाला ने लगभग 400 पुस्तकें और 23 पुनर्मुद्रण प्राप्त किए जिसमे इसका संग्रह बढ़कर 3,000 से भी अधिक का हो गया । लगभग 700 कला वस्तुएं प्रयोगशाला मे मरम्मत के लिए प्राप्त हुई जिनके फोटो लिए गए तथा 2000 से अधिक प्रिन्ट तैयार किए गए ।

सम्मेलन/सेमिनार और बैठकें : प्रयोगशाला के तकनीकी स्टाफ ने भारत में अनेक सम्मेलनों/सेमिनारों में भाग लिया । तीन वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी उच्च प्रशिक्षण के लिए विदेश गए । एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परामर्शदाता ने प्रयोगशाला का दौरा किया और अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए और कंजरवेशन वेपर फेज ब्लीच ट्रीटमेन्ट मे नवीन विकासों पर रेखा चित्रकला के लिए मुद्रण तकनीकों, स्याही की जांच और पहचान के लिए तकनीकों, तथा अनेक अन्य विषयों के बारे में सूचना दी । उन्होंने सक्शन टेबल के प्रयोग सहित संरक्षण कार्य के विभिन्न पहलुओं के संबंध में व्यावहारिक प्रदर्शन भी किए । संरक्षण विज्ञान निदेशक, तोक्यो राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिसम्पति अनुसंधान संस्थान, तोक्यो ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रयोगशाला का, प्रयोगशाला द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में तकनीकी सलाह देने के लिए एक महीने की अवधि तक दौरा किया । बल्गारिया गणराज्य के संस्कृति मंत्री के नेतृत्व में एक बल्गारियाई प्रतिनिधि मंडल तथा पोलिटब्यूरो के सदस्यों ने प्रयोगशाला का दौरा किया ।

अध्याय **3**

मानव-विज्ञान और मानव जाति विज्ञान के संस्थान

मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्कृति विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है। यह मानव विज्ञान संबंधी उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान के आयोजन के लिए एक विशेषज्ञ संस्था है। यह भारतीय जनजातियों और दूसरे समुदायों के अध्ययन और सर्वेक्षणों का आयोजन करता है। यह मानव विज्ञान के क्षेत्र की सभी एजेन्सियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निपटान गृह और समन्वय केन्द्र के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया है और इसमें प्राचीनतम पूर्व-ऐतिहासिक समय से लेकर आज तक के मानव और उसके कार्यकलापों से संबंधित कार्य किया जाएगा। इस कार्य में मानव के जैविक और सांस्कृतिक विकास का ध्यान रखा जाएगा और कुल मानव मात्र के परिप्रेक्ष्य में मानव के संबंध में विचार किया जाएगा।

इन संस्थाओं को सलाह देने के लिए दो सलाहकार समितियां गठित की गई हैं।

भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण मानव विज्ञान उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में 1945 में स्थापित किया गया था। यह सर्वेक्षण भारत के लोगों में जैविक और सांस्कृतिक खोज और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राचीन और आधुनिक कंकाल अवशेषों के संग्रह और परिरक्षण में कार्यरत है। यह एक निकासी गृह के रूप में भी कार्य करता है और अनुसंधान कार्यों के परिणामों को प्रकाशित करता है। कलकत्ता में अपने मुख्यालय सहित सर्वेक्षण के शिलांग, कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर, देहरादून, नागपुर, मैसूर और उदयपुर में अनेक क्षेत्रीय कार्यालय और जगदलपुर (मध्य प्रदेश) में इसका उप-क्षेत्रीय कार्यालय है।

शारीरिक मानव विज्ञान

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए :

(i) जीवावशेषों और पाषाण शिल्प-तथ्यों का संग्रह करने के लिए हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों में खोज अध्ययन का आयोजन ;

(ii) नागार्जुनकोंडा और काली बानगान से खोदे गए प्राचीन मानव अवशेषों के जीर्णोद्धार और परिरक्षण की पूर्ति ;

(iii) रांची जिले की खुन्टीटोली के महापाषाण मानव अवशेषों की खुदाई और उनका रसायनिक उपचार ;

(iv) अखिल भारतीय जैव-मानवविज्ञान सर्वेक्षण परियोजना पर कार्य जिसका उद्देश्य है—शारीरिक गठन और दैनिक भोजन की आदतों के संदर्भ में भारतीय जनसंख्या की कोटि का निर्धारण, जनसंख्या के स्वस्थ घटक का अनुपात, संगणता भार में क्षेत्रीय भिन्नता अनेक विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के 351 स्थानों, जिनमें 35100 परिवार शामिल हैं, से नमूने लिए गए।

(v) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से शरीर की ऊंचाई, शरीर के भार, छाती के घेरे, जनांकिकी लक्षणों, अपंगताओं, उत्पत्ति मूलक दोषों, बीमारियों और दैनिक आहार आदतों के संबंध में आंकड़ों का एकत्रीकरण। इस तरह एकत्रित आंकड़ों पर कार्यवाही की जा रही है और उनका सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा रहा है।

(vi) असम और मध्य प्रदेश में उन्नति और विकास के संबंध में अध्ययन का आयोजन। उत्तरी बंगाल और असम में संथाल, उराव और मुण्डा वासियों में उनके शारीरिक गठन पर प्रवास के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्रीय कार्य का आयोजन किया गया। दन्त स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मेघालय के खासी लोगों से एकत्रित की गई। विभिन्न राज्यों में आकृतिमूलक भिन्नताओं में अनुसंधान भी आयोजित किए गए।

(vii) मानव जातीयता, सृजनात्मक अलगाव, बीमारियों और मानसिक विकारों के संबंध में विभिन्न प्रकार की जनसंख्या से लिए गए उंगली और हथेली के चिह्नों का विश्लेषण।

(viii) छाती कैंसर के संबंध में एक जैव-मानव वैज्ञानिक अध्ययन प्रगति पर है।

सांस्कृतिक मानव विज्ञान

1. अखिल भारतीय "मानव जाति: संरचना और परिवर्तन" परियोजना के अन्तर्गत 10 राज्यों से सम्बन्धित 18 मानव जाति वर्गों में क्षेत्र कार्य का आयोजन किया गया था।

2. भारतीय बुनकरों के तकनीकी सांस्कृतिक आधार को स्पष्ट करने के लिए अभी हाल में "भारत में बुनाई" नामक एक नई अखिल भारतीय परियोजना शुरू की गई है। प्रत्येक राज्य से एक-एक समुदाय को लेकर नौ बुनाई समुदायों की जांच पहले ही की जा चुकी है।

3. परिस्थिति विज्ञान, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संगठन और आस्था प्रणाली के संदर्भ में विभिन्न जन जातीय वर्गों के प्रथागत कानूनों पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से सम्पूर्ण भारत में फैली 50 जनजातियों से एकत्र किए गए अनुभवाश्रित आंकड़ों पर आधारित "जनजातीय प्रथागत कानून" परियोजना से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया गया।

4. "भारत में फेर बदल की खेती" पर एक सेमिनार का सितम्बर 1981 में आयोजन किया गया और अतिपूर्ण जलवायु में मानवीय अनुकूलन का अध्ययन करने के लिए जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में क्षेत्र कार्य का आयोजन किया गया। सर्वेक्षण की मनोविज्ञान एकक ने औद्योगिकीकरण के कारण मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व इत्यादि के सांस्कृतिक ह्रास के संबंध में जांच की।

5. अखिल भारतीय भाषाई लक्षण सर्वेक्षण पूरा किया गया और डोला व मुरिया लोक कथाओं का कार्य चल रहा है।

6. कलकत्ता में स्थापित सर्वेक्षण का केन्द्रीय संग्रहालय सितम्बर 1981 में जनता के लिए खोल दिया गया।

शिक्षावृत्ति कार्यक्रम:—सर्वेक्षण, मानव-विज्ञान और सम्बद्ध विषयों की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान करने के लिए अध्येताओं को एक अतिथि शिक्षावृत्ति, दो शिक्षावृत्तियां, 15 वरिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां और 30 कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां प्रदान करता है। इस समय विभिन्न परियोजनाओं पर 8 वरिष्ठ अनुसंधान फैलो और 18 कनिष्ठ अनुसंधान फैलो कार्य कर रहे हैं।

अन्य कार्यकलाप (क) भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसंधान कार्यकर्ताओं के लिए अक्तूबर-नवम्बर, 1981 के दौरान एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया गया ।

(ख) सर्वेक्षण के केन्द्रीय पुस्तकालय ने विभिन्न विषयों पर पांच ग्रंथ-सूचियां तैयार की ।

(ग) सर्वेक्षण के ध्वनि एकक ने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के कुछ लोक संगीत टेपों का सम्पादन किया ।

(घ) गुजरात के डांग समारोह और उत्तर प्रदेश के जौन्सारी लोगों पर एक-एक सिनेफिल्म तैयार/सम्पादित की गई । भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण की बुलेटिन नामक पत्रिका के छ: विनिबन्ध और छ: अंक प्रकाशित किए गए ।

राष्ट्रीय मानव संग्रहालय

1977 में एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में स्थापित राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, मानव और प्रारम्भिक प्राग-ऐतिहासिक समय से उसके कार्यकलापों के संबंध में कार्य करने के लिए बनाया गया था । यह ऐसे विषयों पर कार्य करता है (क) मानव और उसके विभिन्न रूपों का विकास (ख) मानव और संस्कृति (ग) भौतिक संस्कृति, भारतीय एकता और विभिन्नता ।

उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह नया संग्रहालय चेतना बढ़ाने, ऐतिहासिक भावना प्रदान करने और दृष्टिकोण के विकास में योगदान करने, राष्ट्रीय शिक्षा और एकता के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने, भौतिक संस्कृति, कला और शिल्प के तेजी से नष्ट हो रहे पहलुओं के बचाव और परिरक्षण करने का कार्य करेगा ताकि देश में नए संग्रहालय आन्दोलन का जन्म हो सके और साथ ही वैसे ही संग्रहालय अथवा विशिष्ट वीथियों को स्थापित करने के लिए परामर्श की व्यवस्था हो सके; तथा यह प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के एक मुख्य केन्द्र के रूप में कार्य कर सकें, और समकालीन सांस्कृतिक संदर्भ में मानव द्वारा प्रयोग की गई भौतिक वस्तुओं को आने वाली पीढ़ियों के लिये संग्रहीत और परिरक्षित रख सकें । यह न केवल भौतिक संस्कृति और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संग्रहालय शिल्प और विभिन्न प्रकार की अनुसंधान सुविधाओं की ही व्यवस्था करेगा बल्कि अपने पर्यावरण के संदर्भ में मानव के समेकित अध्ययन में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करेगा । भोपाल के संग्रहालय स्थल में स्थित चित्रित पूर्व-ऐतिहासिक गुफाओं की सम्पूर्ण श्रृंखलाओं के परिरक्षण और उनकी प्रदर्शनी के आयोजन के लिए 1981 के दौरान कार्य शुरू किया गया । शिला कला का व्यापक अध्ययन और पुन: निर्माण कार्य शुरू किया गया है । पूर्व-ऐतिहासिक शिला कला के पहलुओं के सम्बन्ध में भी एक अन्तरंग प्रदर्शनी संग्रहालय के दर्शकों को समझाने के लिए स्थल पर ही प्रस्तुत की गई है । महाराष्ट्र की वार्ले और कटकारी जन-जातियों के दो सांकेतिक आदमकद आवासों का निर्माण भी किया गया है जिन्हें भौतिक संस्कृति की वस्तुओं से सुसज्जित किया गया है ताकि बाह्य परिसर को जनजातीय आवास के घटकों से समृद्ध किया जा सके । कार्य, नमूनों के प्रलेखन और संग्रह के लिए उत्तर प्रदेश के जोंसारी और थारस, मध्य प्रदेश के मेरिया और बेगा, गुजरात के रथवा और चौधरि और बिहार के संथालों में मानव विज्ञान संबंधी कार्य किया गया था ।

संग्रहालय के सदस्यों ने भारतीय संग्रहालय संघ की वार्षिक कान्फ्रेंस और मानव जाति विज्ञान और लोक कला सोसायटी तथा भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा आयोजित कांफ्रेंसों में भाग लिया

अध्याय **4**

अभिलेखागार और अभिलेख

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के केन्द्रीय पुस्तकालयों, पुस्तक वितरण अधिनियम, और दुलर्भ पांडुलिपियों के प्रकाशन से संबंधित कार्य संस्कृति विभाग को सौंपा गया है। केन्द्रीय सरकार सम्पूर्ण देश की पुस्तकालय पद्धति के लिए कोई कानून नहीं बना सकती क्योंकि "पुस्तकालय" नामक विषय राज्य सूची में शामिल है। केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित पुस्तकालय और केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के पुस्तकालय ही आते हैं। तथापि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करने और राष्ट्रीय, राज्य और अन्य पुस्तकालयों के समन्वित विकास को प्रोत्साहित करने में पहल कर रही है। इस प्रकार के समेकित विकास के लिए केन्द्रीय और राज्य पंच वर्षीय योजनाओं में व्यवस्था की जाती है। केन्द्रीय सरकार पुस्तकें, फर्नीचर और उपस्करों की खरीद तथा भवन निर्माण जैसे कुछ स्वीकृत प्रयोजनों के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थित पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता भी देती है।

पांडुलिपियां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये उस योगदान के प्रमुख भण्डार हैं जो हमारे पूर्वजों ने धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, साहित्य, इतिहास, औषध और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में किया है। ये भारत के अतीत के पुनर्निर्माण के मूल स्रोत हैं।

संस्कृति विभाग ने पान्डुलिपियों के परिरक्षण, सूचीकरण, ग्रंथ सूची, निर्माण, मूल्यांकन, प्रकाशन इत्यादि के लिए स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों और विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना शुरू की है। संस्कृति विभाग ने संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के अन्तर्गत रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर और खुदा बक्स ओरिएन्टल पब्लिक लायब्रेरी, पटना को भी अपने अधिकार में ले लिया है। इनमें अरबी, फारसी और उर्दू पांडुलिपियों के समृद्ध संग्रह है। इसके अतिरिक्त उन संग्रहालयों, पुस्तकालयों और अन्य संस्थाओं में जो केन्द्रीय और भी राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं, पांडुलिपियों की उचित देख-रेख भी की जा रही है।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार सरकारी अभिलेखों और देश की अन्य अभिलेख सामग्री का सबसे बड़ा भंडार है। यह किसी भी सार्वजनिक कार्यालय अथवा संगठन अथवा ऐतिहासिक महत्व के सार्वजनिक अभिलेखों को प्राप्त करता है। यह बहुमूल्य प्रलेखों और अभिलेखों के समुचित अनुरक्षण और संरक्षण के लिए विभिन्न राज्य अभिलेखागारों को सलाह और सहायता भी देता है और अध्येताओं के लिए अनुसंधान सुविधाओं की व्यवस्था भी करता है। यह अपने पुरातत्वीय प्रशिक्षण विद्यालय के माध्यम से अभिलेखागार संबंधी प्रशिक्षण भी देता है।

प्राप्तियां :

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार

(क) प्राप्तियों में विभिन्न राज्य विधानमण्डलों द्वारा पारित और भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत बिलों की 43 प्रतियां और शिक्षा मंत्रालय (1935—55) की 356 फाइलें शामिल हैं।

(ख) **निजी कागजात :** अक्तूबर 1981 तक के अधिग्रहणों में थे (1) श्री एम० के० हुक्कु से लाहौर जेल में रहने वाले कुछ आंतकवादियों के हस्ताक्षरों वाला एक

पत्र (2)कामरेड रामचन्द्र क्रांतिकारियों से संबंधित 4 फोटोग्राफ और दो पुस्तक; (3) रिचर्ड कट्टस (श्रीमती) से अलवर के महाराजा, नेपाल के जंग बहादुर और उनकी दो महारानियां और जयपुर के महाराजा के 10 फोटोग्राफ; (4) "संस्मृतियां" पुस्तक के 14 पृष्ठ; (5) श्री फूल चन्द्र जैन से हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लीकन एसोसिएशन से संबंधित 59 जीरोक्स प्रतियां; (6) श्री जयदेव थापर, भगत सिंह के संबंध में लेख और कविताएं वाली मासिक पत्रिका "बलिदान" (उर्दू) के 3 अंकों (1971-73) की फोटो प्रतियां; (7) जनरल के० एम० करिअप्पा (सेवा निवृत) से प्राप्त 270 अतिरिक्त निजीकागजात; (8) राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन के जरिये प्राप्त विभिन्न मूल्यों वाले बैंक/मुद्रा नोटों के छः फोल्डर्स और एक लिफाफा ।

(ग) **माइक्रोफिल्में :** (1) "कोर्नवल इस्ट इण्डिया मैन" 1839 में की गई टी० एस हैटपुल के जनरल ग्राफ वौयेज का एक रोल सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया से प्राप्त हुआ ; (2) भारतीय रुचि के अभिलेखों के तीन रोल और 3 माइक्रो-प्रतियां चैकोस्लोवाकिया से प्राप्त हुई; (3) सुभाष चन्द्र बोस के कार्यकलापों से संबंधित 3 रोल्स इण्डिया आफिस लायब्रेरी एण्ड रिकार्ड लन्दन से प्राप्त किए गए; (4) होम मिसेलेनियस श्रृखला के 334 रोल्स यूनिवर्सिटी माइक्रोफिल्म इण्टरनेशनल, मिचीगन, अमरीका से खरीदे गए; (5) फैक्ट्री अभिलेखों (दीनाजपुर, 1774-78), फोर्ट सेन्ट जौर्ज (1655-90) के बीस रोल्स इण्डिया आफिस लायब्रेरी एण्ड रिकार्ड से प्राप्त किए गए; (6) भारत से संबंधित ग्यारह रोल्स जर्मन संघीय गणतंत्र से प्राप्त किए गए ।

अभिलेख और अभिलेखागार प्रबंध

(क) मूल्यांकन —भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कुल 43,894 गैर-समकालीन अभिलेखों का मूल्यांकन किया गया । इनमें से 24,882 फाइलों को स्थायी रिकार्ड के रूप में रखने की सिफारिश की गई ।

(ख) **पुरालेख नीति संकल्प का कार्यान्वयन**

अभिलेखागारों के निदेशक की आठवीं रिपोर्ट (1980-82) का संस्कृति विभाग द्वारा अनुमोदन किया गया और इसे मुद्रण के लिए भेज दिया गया ।

(ग) **अवधारण अनुसूचियां**—नगर विमानन विभाग, गंगा बेसिन रिसोर्सिज आर्गेनाइजेशन, क्षेत्र प्रचार निदेशालय, सी० डी० ए० (अधिकारियों) (एस० सी०) के कार्यालयों और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अवधारणा अनुसूचियों को अन्तिम रूप दिया गया ।

अनसंधान और संदर्भ—810 अध्येताओं को अनुसंधान सुविधाएं मुहैया की गई और सार्वजनिक और निजी एजेन्सियों के 74 खोज संबंधी मामलों को निपटाया गया।

प्रकाशन—फोर्ट विलियम—इण्डिया हाउस कारस्पोंडेंस खण्ड VIII दि इण्डियन आर्काइव्ज खण्ड XXX, सं० 1 और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की वार्षिक रिपोर्ट 1980 का प्रकाशन किया गया ।

खोज सहायक सामग्री :—(क) भोपाल, भोपावाड़, बुन्देलखण्ड और बाघलखण्ड एजेन्सियों से संबंधित 14,968 फाइलों की वर्णनात्मक सूची पूरी की गई; (ख) डा० राजेन्द्र प्रसाद, दादा भाई नौरोजी और जनरल के० एम० करिअप्पा के कागजात जैसी 2607 मदों के संबंध में संदर्भ साधन तैयार किए गए; (ग) परशियन कोरसपोन्डेंस (1796-1800) के कैलेन्डर के खण्ड XII से संबंधित 536 पत्रों का मिलान किया गया। (घ) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की अभिलेख मार्ग दर्शिका के भाग VI और VII का संकलन जारी रखा गया ।

तकनीकी सेवाएं :—(क) प्रतिलिपिकरण—माइक्रोफिल्मों के 1,43,310 फोटो और 13,382 जीरोक्स प्रतियां तैयार की गई; (ख) संरक्षण—15,298 शीटों का

लैमीनेशन, 25,137 शीटों का मुरम्मत, 128 मानचित्रों को फ्रेम में डालने और 593 खण्डों और 102 रजिस्टरों आदि की जिल्दसाजी का कार्य पूरा किया गया ।

प्रदर्शनियां, व्याख्यान और सेमिनार : (क) प्रदर्शनियां :—निम्नलिखित प्रदर्शनियां आयोजित की गई; (1) 15 से 24 अगस्त, 1981 तक प्रतिबंधित देश भक्ति पूर्व कविताएं और इश्तहार प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और केन्द्रीय गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह भी इसे देखने के लिए पधारे । (2) 13 से 17 अक्तूबर, 1981 तक "हमारे अभिलेखागार और हमारे पड़ौसी" । इसका श्री एल० के० झा द्वारा उद्घाटन किया गया । (3) "भारत के राजधानी नगर" का आयोजन भारतीय एतिहासिक अभिलेख आयोग 47वें सत्र के अवसर पर किया गया । **(ख) व्याख्यान** :—निम्नलिखित व्याख्यान दिए गए; (1) कोलम्बिया विश्वविद्यालय, सं० रा० अमेरीका के प्रो० ए० एम्ब्री द्वारा "भारतीय परम्परा के स्रोत" । (2) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली के डा० मुशीरुल हसन द्वारा "मौलाना मोहम्मद अली और कांग्रेस" । (3) अरीजोना विश्वविद्यालय, सं० रा० अमेरिका के डा० आर० एम० ईटन द्वारा "सूफी परम्परा में दस्तार (पगड़ी) का प्रतीकात्मक महत्व" । (ग) **सेमिनार :** राजकीय अभिलेखों का विन्यास" विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार "जिसका आयोजन भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और अन्तर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद के संयुक्त तत्वाधान में 12 से 16 अक्तूबर, 1981 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया । इसमें भाग लेने वाले देश थे अफगानिस्तान, बंगलादेश, वर्मा, ईराक, मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, और श्रीलंका । अन्तर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद के कार्यकारी सचिव, श्री चार्ल्स केकसकेमेती ने भी इस सेमिनार में भाग लिया ।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध :—(1) अभिलेखागार निदेशक ने 3 से 7 सितम्बर, 1981 तक ओस्लो (नार्वे) में हुई अन्तर्राष्ट्रीय अभिलेखागार गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया । 8 से 12 सितम्बर, 1981 तक हेग में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद की कार्यवाही समिति की बैठक में भाग लिया और 6 से 9 अक्तूबर, 1981 तक कोलम्बो में हुई एशियाई इतिहास के स्रोत से संबंधित क्षेत्रीय समन्वय समिति की बैठक में भाग लिया । (2) श्री पी० के० घोष, अभिलेखागारविद् को यूनेस्को सहायता के अन्तर्गत 5 से 31 अक्तूबर, 1981 तक कनाडा सार्वजनिक अभिलेखागार द्वारा आयोजित अभिलेख प्रबंध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिये ओटावा भेजा ।

अभिलेख प्रशिक्षण : :—अभिलेख अध्ययनों के 1980–81 सत्र के एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम का परिणाम घोषित कर दिया गया और 20 अगस्त 1981 से 1981–82 का सत्र आरम्भ हुआ ।

समितियां और सम्मेलन :—(1) निदेशक अभिलेखागार ने फारसी की दुलर्भ पांडुलिपियों की क्रय समिति की बैठक और राष्ट्रीय गाइड समिति की द्वितीय बैठक में भाग लेने के लिये क्रमश : श्रीनगर और पणाजी की यात्रा की (2) भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के 47 वें सत्र का 19–20 मई, 1981 को दिल्ली में आयोजन किया गया । इस सत्र का उद्घाटन केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया और केन्द्रीय शिक्षा और संस्कृति मंत्री ने इसमें अध्यक्षीय अभिभाषण दिया ।

खुदा बक्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना

खुदा बक्श पब्लिक लायब्रेरी जिसके पास मुगल अरबी और फारसी पांडुलिपियों तथा और केन्द्रीय एशियाई चित्रों का एक समृद्धतय संग्रह है जिसमें इस समय 75,000 मुद्रित पुस्तकें, 14,000 पांडुलिपियों और 2,000 चित्र हैं; अब तेजी से अरबी और फारसी अध्ययनों और इस्लाम तथा मध्यकालीन भारतीय अध्ययनों के अपने विशेष क्षेत्रों में ज्ञान **संरक्षण** तथा ज्ञान **प्रसार** का एक केन्द्र बनता जा रहा है । यह पुस्तकालय खुदा बक्श द्वारा 1891 में स्थापित किया गया था और 1970 में भारत सरकार द्वारा इसे अपने नियंत्रण में ले लिया गया था । यह पुस्तकालय इस समय पांच विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है (1) संदर्भ सेवा सुव्यवस्थित है । इस वर्ष की औसत है—

500 प्रश्नों के उत्तर डाक से और 4,000 प्रश्नों के उत्तर मौके पर ही दिए गए (1) तेजी से नष्ट हो रही पांडुलिपि सम्पदा की प्राप्ति के लिए सकेन्द्रित प्रयास जारी है और इस वर्ष 80 पांडुलिपियों का अधिग्रहण किया गया ।(III) पांडुलिपियों आदि का संरक्षण यान्त्रिक, रसायनिक, भौतिक उपचार और जिल्दसाजी जैसी प्रक्रियाओं के जरिये प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है । जिल्दसाजी की प्रक्रिया में हस्त लैमिनशन का कार्य प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है। (IV) पाण्डुलिपियों के वर्णनात्मक सूचीकरण की समय सिद्ध 75 वर्ष प्राचीन परियोजना चल रही है और वर्णनात्मक सूची के 35 वें और 36 वें खण्डों का संकलन इस वर्ष पूरा कर लिया गया है । पहले के 34 खण्डों में से जिनमें से अन्तिम 1980–81 में प्रकाशित हुआ था, दो अलभ्य खण्डों को आवश्यक संवर्धनों और शुद्धियों सहित इस वर्ष पुनर्मुद्रण किया गया है । (V) पुस्तकालय की पाडुलिपियों और दुर्लभ सामग्री को आलोचनात्मक संस्करणों में प्रकाशित किया जा रहा है जिनमें शताब्दी के द्वितीय दशक की सामाजिक-राजनैतिक स्थिति पर विशेष बल देते हुए स्वतंत्रता संग्राम के अविस्मृत प्रलेखों की खोज पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जिस के परिणाम स्वरूप मन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार आए । पंडित मोतीलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय, पंडित किशन प्रसाद कौल, पंडित ब्रज नारायन चकबस्त के अनेक मूल लेखों को कई सौ पृष्ठों में पुन: उद्धृत किया गया है । 1918–20 के दौरान 1917 की सोवियत क्रांति के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया सम्बन्धी बहुमूल्य कागजात को भी पुनर्द्धृत किया गया है । खुदा बक्श पुस्तकालय पाक्षिक पत्रिका के पृष्ठों में विकीर्ण यह और अन्य अनुसंधान सामग्री लगभग एक हजार पृष्ठों की है ।

अन्त में इस विकासशील पुस्तकालय की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिये वर्तमान भवन भी बढ़ाया जा रहा है और इसके लिये दो मंजिलें पहले ही पूरी कर ली गई हैं तीसरी जो अन्तिम है शीघ्र ही पूरी होने वाली है । इस बड़े भवन को पुस्तकालय को सौंपे जाने के बाद संरक्षण प्रयोगशाला और एक अनुसंधान एवं प्रकाशन एकक भी जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा ।

तंजाबूर महाराजा सरेफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय, तंजाबूर

डा० बरनेल के अनुसार तंजाबूर महाराजा सरेफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय सम्भवत: विश्व का उत्कृष्ट एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तकालय है । इसकी स्थापना चोल राजाओं के काल में हुई तथा तदनन्तर विजय नगर साम्राज्य के तंजाबूर नायकों द्वारा इसे पुन: सक्रिय किया गया ।

महाराजा सरेफोजी द्वारा 19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इसका बहुत अधिक विकास किया गया । मद्रास सरकार द्वारा धर्मार्थ दान अधिनियम के अन्तर्गत 5 अक्तूबर, 1918 को इस पुस्तकालय को अपने अधिकार में ले लिया गया तथा इसके प्रबन्ध के लिये एक समिति गठित की गई । इस पुस्तकालय के पास संस्कृत, मराठी, तमिल, तेलगू तथा अन्य भाषाओं की 40,000 पाण्डुलिपियों के संग्रह के अतिरिक्त विभिन्न विषयों की भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं की 23,000 पुस्तकें हैं । सरकार इस पुस्तकालय के सम्पूर्ण विकास के लिए इसे या तो राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने अथवा किसी अन्य तरीके से इस के विकास हेतु सभी सम्भव उपायों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। 1977 में स्थापित समिति की सिफारिशों के अनुसार ही इस समय केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे योजना अनुदान दिए जा रहे हैं ।

रामपुर रजा पुस्तकालय

यह पुस्तकालय भारत के समृद्धतम संग्रहों वाले पुस्तकालयों में से एक है। इसमें 15000 पाण्डुलिपियों, 30 लघु चित्र और पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के रूप में काफी संख्या में दुर्लभ और अलभ्य, सामग्री, है । यह पुस्तकालय अपनी दुर्लभ पाण्डुलिपियों और अध्येताओं की रामपुर में उनके आवास और अध्ययन के दौरान दी जाने वाली सहायता सुविधाओं और आतिथ्य सत्कार के कारण प्राच्य और इस्लामी सम्पूर्ण विद्वत् जगत में प्रसिद्ध है ।

यह पुस्तकालय भारत का एक ऐसा प्रथम पुस्तकालय है जिसने अध्येताओं के लाभ के लिये अपने संग्रह की दुर्लभ सामग्री का प्रकाशन शुरू किया है। प्रकाशन की योजना 1937 में आरम्भ की गई थी। उसी योजना के अन्तर्गत अभी हाल ही में इस पुस्तकालय ने "किताबुल मकतु वाल मौसुल" नाम से विख्यात पवित्र-कुरान की लेखन शैली सम्बन्धित एक प्राचीनतम पांडुलिपि का आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित किया है। यह पुस्तकालय दुर्लभ पाडुलिपियों आदि के संरक्षण की ओर भी ध्यान दे रहा है और साथ ही अरबी और फारसी पाण्डुलिपियों तथा चित्रों की सूचियां भी तैयार कर रहा है। इस पुस्तकालय का सम्पूर्ण वित्त पोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश, सरकार से इसे 48,000 रुपये का वार्षिक अनुदान मिल रहा है। इस पुस्तकालय को 1975 में बनाए गए एक अधिनियम द्वारा "राष्ट्रीय महत्व की संस्था" घोषित किया जा चुका है।

पाण्डुलिपियों का परिरक्षण

पाण्डुलिपियों के परिरक्षण के लिये वित्तीय सहायता की योजना जो 1980–81 में आरम्भ की गई थी आलोच्य वर्ष में भी चलती रही। इस योजना में दुर्लभ पाण्डुलिपियों के सूचीकरण, सम्पादन, परिरक्षण, प्रकाशन आदि के लिए समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों/पुस्तकालयों, संग्रहालयों इत्यादि सहित स्वैच्छिक संगठनों विश्व-विद्यालयों आदि को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है दुर्लभ पांडुलिपियों के रूप में भारत की सांस्कृतिक विरासत का समुचित संरक्षण। 1981–82 के दौरान प्राप्त नए आवेदनों के अलावा उन आवेदनों पर भी विचार किया जा रहा है जिनको कुछ ब्यौरों के अभाव के कारण 1980–81 के दौरान अनुदान नहीं दिए जा सके। इस योजना के अन्तर्गत अनुमत्य अधिकतम अनुदान प्रत्येक अनुमोदित परियोजना के लिये 2.00 लाख रुपये है। केन्द्रीय सरकार का भाग परि-योजना की अनुमोदित लागत के 75 प्रतिशत तक सीमित है (—) अर्थात यह अनुदान 75—25 अनुपात में दिए जा रहे हैं।

पुरालेख, पुरालिपि, विलुप्त भाषाओं प्राचीन लिपियों और मुद्राशास्त्र सहित विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के लिए शिक्षावृत्तियां

यह योजना उन विलुप्त भाषाओं और लिपियों के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिये चालू की गई है जिनकी विशेषज्ञता तेजी से क्षीण होती जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत पुरालेख शास्त्र, पुरालिपिशास्त्र, विलुप्त भाषाओं, प्राचीन लिपियों, मुद्राशास्त्र आदि में उच्च अध्ययन/अनुसंधान के लिये प्रत्येक वर्ष 10 अध्येताओं को 2 वर्ष की अवधि तक 600 रुपए मासिक की शिक्षा वृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता

एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता की स्थापना 1784 में की गई थी इसका उद्देश्य है एशिया के इतिहास पुरावस्तुओं, कलाओं, विज्ञान और साहित्य में खोज बीन करना। यह संस्थान भारत में सभी पुस्तकालयों और वैज्ञानिक गतिविधियों का प्रधान केन्द्र और अन्य सभी एशियाटिक सोसायटियों का संरक्षक साबित हुआ है। भारत विद्या सम्बन्धी उन सभी विशेष मामलों में, जो अधिकांशत: सांस्कृतिक और सामाजिक हैं, अनुसंधान करना ही इसका घोषित लक्ष्य है। इस सोसायटी को पश्चिम बंगाल सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर सहायता दी जा रही है।

अध्याय 5

तिब्बती, बौद्ध और अन्य ऐतिहासिक अध्ययनों की संस्थाएं

शताब्दियों पहले, भारतीय विद्वानों ने हिमालय के पास तिब्बत की कठिन यात्रा की ओर वे अपने साथ भारतीय दर्शन शास्त्र और विचारधारा ले गए। तिब्बती विचारधारा और संस्कृति की उत्पत्ति इस पारस्परिक प्रभाव के परिणामस्वरूप ही हुई।

लगभग दो दशाब्दियों पहले इस महान परम्परा की कड़ी में कितने ही लोग तिब्बत से भारत आए। श्री जवाहर लाल नेहरू की पहल पर भारत वर्ष में कई बौद्ध संस्थाएं आरम्भ की गई। इनमें बौद्ध दर्शन स्कूल, लेह और केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ ऐसी ही संस्थाएं हैं जिनका पूर्ण वित्त पोषण इस विभाग द्वारा किया जाता है। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य तिब्बती संस्कृति और परम्परा का परिरक्षण करना और आधुनिक विश्वविद्यालय के जरिए प्राचीन और परम्परागत विषयों में शिक्षा देना तथा तिब्बती अध्ययन में अनुसंधान करना है। इसके अतिरिक्त, सरकार सिक्किम तिब्बती विद्या अनुसंधान संस्थान, गंगटोक और तिब्बती कार्य और अभिलेखागार पुस्तकालय को अनुदान देती है।

बौद्ध दर्शन स्कूल, लेह

बौद्ध दर्शन स्कूल, लेह की स्थापना सन् 1959 में लद्दाख के छात्रों को आधुनिक विषयों के अध्ययन सहित मठ पद्धति के आधार पर शास्त्रीय तथा आधुनिक बौद्ध अध्ययनों से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान करने के लिये की गई थी। यह स्कूल सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध हैं और छात्रों को महाविद्यालय के पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री आदि जैसे पाठ्यक्रमों के लिये तैयार करता है और इसके छात्रों की स्वीकृत संख्या 150 है। स्कूल का विस्तार बौद्ध अध्ययन संस्थान के रूप में शीघ्र किया जा रहा है और इसका नाम केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान लेह रखा जा रहा है।

केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी

तिब्बती अध्ययन संस्थान की स्थापना वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के एक घटक के रूप में वाराणसी में की गई थी। यह 1977 में पूर्ण रूप से स्वायत्त संगठन बन गया और इसका नया नाम केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान रखा गया। संस्थान ने प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रकाशन का एक कार्यक्रम तैयार किया है जो तिब्बती दाय, विशेष रूप से, भारतीय दाय के ज्ञान को, जो संस्कृत तथा पाली के साथ-साथ समाप्त हो रहा था परन्तु जिसका तिब्बत में परिरक्षण किया गया था; प्रकाश में लाएगा। संस्थान तिब्बती-बौद्ध दर्शन और अध्ययनों पर बल देते हुए छात्रों को पूर्व-मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री, आचार्य आदि डिग्रियों के लिए तैयार करता है। एक भवन कम्पलैक्स निर्माणाधीन है जिसमें संस्थान के लिए भवन, छात्रों के लिए छात्रावास और स्टाफ क्वाटर्स शामिल हैं।

सिक्किम तिब्बती विद्या अनुसंधान संस्थान गंगटोक

संस्थान सिक्किम सरकार का एक स्वायत्त संगठन है और इसकी स्थापना तिब्बती विज्ञान में अनुसंधान और अध्ययन के लिए की गई है। संस्थान ने "चौस" (धर्म के लिये तिब्बत) और प्रतिमा-विज्ञान, औषधि फलित ज्योतिष इतिहास आदि जैसे सम्बद्ध विषयों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। संस्थान वर्ष 1982 में रजत-जयंती मनाएगी।

तिब्बती कार्य विद्या अनुसंधान पुस्तकालय गंगटोक

इस पुस्तकालय का उद्देश्य विस्तृत संदर्भ सेवा प्रदान करने के लिये तिब्बती पुस्तकें और पांडुलिपियां प्राप्त करना तथा उन्हें सुरक्षित रखना और तिब्बती स्रोत सामग्री आदि से सम्बन्धित पूछताछों के लिए संदर्भ केन्द्र के रूप में कार्य करना है। इसमें तिब्बती पाण्डुलिपियों, चित्रों तथा वास्तुकलाओं का अच्छा संग्रह है। पुस्तकालय एक

पंजीकृत स्वैच्छिक सोसायटी के रूप में कार्य कर रहा है और इसका प्रबन्ध इसके अध्यक्ष महा महिम दलाई लामा द्वारा किया जाता है ।

इस परिषद के कार्य निम्नलिखित हैं

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली

(क) इतिहास के वस्तुपरक और वैज्ञानिक लेखन को आगे बढ़ाना (ख) समय-समय पर ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करना और उन उपेक्षित अथवा नए क्षेत्रों का संकेत देना जिनमें अनुसंधान को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, (ग) ऐतिहासिक अनुसंधान कार्यक्रमों को प्रायोजित करना और ऐतिहासिक अनुसंधान में कार्यरत संस्थाओं और संगठनों की सहायता करना, (घ) ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रोन्नति और उपयोगिता के लिये सेमिनार आयोजित करना, प्रायोजित करना और सहायता देना (ङ) उच्च स्तर के ऐतिहासिक अनुसंधान प्रकाशनों की प्रोन्नति करना और स्रोत सामग्री के संकलन और प्रकाशन का कार्य करना ।

वर्ष 1981–82 के दौरान, परिषद ने 10 अनुसंधान परियोजनाएं, 16 शिक्षावृत्तियां, 40 अध्ययन/यात्रा/फुटकर अनुदानों, विदेशों का भ्रमण करने के लिये 6 अनुदानों, प्रकाशनों के लिये 8 आर्थिक सहायता प्रस्ताव और इतिहासकारों के 13 व्यावसायिक संगठनों को सहायता मंजूर की। पिछले वर्षों में मंजूर किए गए 7 अनुसंधान कार्यों की अन्तिम रिपोर्टें प्राप्त की गई । स्रोतों के 4 खण्डों का कार्य पूरा किया गया और पाण्डुलिपियां प्राप्त की गई जबकि अन्य खण्डों का कार्य चल रहा है । परिषद ने, 22 से 24 अक्तूबर, 1981 तक शिमला में "पश्चिमी हिमालय" के विशेष संदर्भ में "हिमालय प्रदेश क्षेत्रीय इतिहास" से सम्बन्धित एक सेमिनार प्रायोजित किया ।

भारतीय मुद्राशास्त्र : डी० डी० कोस्मबी के लेखों का संकलन प्रकाशित किया गया । परिषद को द्विवार्षिक पत्रिका भारतीय ऐतिहासिक समीक्षा का खण्ड VI, अंक 1–2 छप रही है। "स्वतंत्रता की ओर" और "प्रजा मंडल आन्दोलन" परियोजना से सम्बन्धित खण्डों के लिये सामग्री का संचयन जारी है। "स्वतंत्रता संग्राम में राज्य विधान मंडलों की भूमिका" परियोजना के अन्तर्गत तैयार किए गए खण्डों के सम्पादन का कार्य भी जारी रहा; ऐसे ही दो खण्ड डा० (श्रीमती सत्य एम० राय द्वारा सम्पादित "विधान मंडल नीति का अध्ययन और पंजाब में स्वतंत्रता संग्राम :1887–1947" और प्रो० गौतम चट्टोपाध्याय द्वारा सम्पादित बंगाल चुनाव नीति और स्वतंत्रता संग्राम, 1962–1947" प्रेस को भेजे गए । "तमिलनाडु और केरल के शिलालेखों की स्थलाकृति संबंधी सूची" के खण्ड 1 का मुद्रण कार्य भी शुरू किया गया ।

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई और पुस्तकों तथा दुर्लभ पाण्डुलिपियों की माइक्रोफिल्मों/फोटो प्रतियों से परिषद के पुस्तकालय प्रलेखन केन्द्र को सुदृढ़ किया गया ।

अध्याय 6

पुस्तकालय

पुस्तकालय हमारे इतिहास तथा संस्कृति के रक्षक हैं । पुस्तकालय प्रणाली का विकास अनौपचारिक शिक्षा तथा सतत शिक्षा की योजना का महत्वपूर्ण अंग है । संवैधानिक रूप से पुस्तकालयों का विषय राज्य सूची में है। केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा स्थापित पुस्तकालय ही केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के स्वैच्छिक सहयोग को प्राप्त करने के लिये पहल करती है तथा राष्ट्रीय और राज्य पुस्तकालय पद्धतियों के समन्वित विकास को बढ़ावा देती है । ऐसे एकीकृत विकास के लिये केन्द्रीय तथा राज्यीय पंचवर्षीय योजनाओं में धन की व्यवस्था की जाती है ।

केन्द्रीय पुस्तकालयों, राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालयों तथा पुस्तक वितरण अधिनियम से सम्बन्धित कार्य संस्कृति विभाग को सौंपा गया है। पुस्तकालयों के समग्र विकास पर नजर रखने के लिये इस विभाग में एक अलग पुस्तकालय अनुभाग बनाया गया था। राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालयों के विकास तथा अनुरक्षण के अलावा केन्द्रीय सरकार पूरे देश में, स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्रायोजित पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता दे रही है । शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय पूर्ण वित्तीय सहायता देकर देश में सार्वजनिक पुस्तकालय अभियान में बहुत रुचि ले रहा है । राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, भारतीय पुस्तकालय संघ, भारतीय विशिष्ट पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र संघ, भारत सरकार पुस्तकाध्यक्ष संघ आदि कुछ अग्रणी व्यावसायिक संस्थायें हैं जिनके पुस्तकालय अभियान कार्यक्रमों को सहायता तथा प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

सरकार ने पुस्तक वितरण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी को चौथे प्राप्तकर्त्ता पुस्तकालय के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

भारत के प्राप्तकर्त्ता पुस्तकालयों में से एक पुस्तकालय होने के नाते राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता, पुस्तक वितरण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत भारत में प्रकाशित होने वाले प्रलेखों तथा प्रकाशनों की एक-एक प्रति प्राप्त करता है। यह पुस्तकालय दक्षिण-एशियाई पुस्तकालयों में से एक भंडार पुस्तकालय भी है, और इसलिये संयुक्त राष्ट्र तथा इसकी एजेंसियों द्वारा प्रकाशित होने वाले प्रलेखों तथा दस्तावेजों को समय-समय पर प्राप्त करता है । पिछले वर्षों की भांति यह पुस्तकालय अब भी पूरे विश्व के 50 देशों की 144 संस्थाओं के साथ उपहार तथा विनिमय कार्यक्रम का उपयोग ऐसी आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के लिये करता है जो सामान्य पुस्तक व्यापार माध्यम से सहज उपलब्ध नहीं होती । यह पुस्तकालय सूचना प्रसारण के उद्देश्य से अपने ग्रंथों की सूचियों तथा तालिकाएं भी प्रकाशित करता है। पुस्तकालय के विस्तार कार्य- क्रम के अन्तर्गत एक आफसेट मुद्रण मशीन तथा धूमन प्रकोष्ठ पुस्तकालय में स्थापित किये गये हैं ।

क. संचय

1. पुस्तक	16,59,319
2. भारतीय पत्रिकाएं	14,937
3. विदेशी पत्रिकाएं	820
4. भारतीय राजकीय प्रलेख	3,44,750

5.	विदेशी राजकीय प्रलेख	3,52,270
6.	मानचित्र तथा प्रिन्टस	73,527
7.	पांडुलिपियां	2,023

अधिग्रहण

1.	पुस्तक वितरण अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त की गई पुस्तकें	5,79,046
2.	उपहार तथा आदान प्रदान के रूप में प्राप्त की गयी पुस्तकें	3,58,016
3.	खरीदी गयीं पुस्तकें	9,926 (शीर्षक)

केन्द्रीय पुस्तकालय, बम्बई

पुस्तक तथा समाचार पत्र वितरण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत यह पुस्तकालय उन चार पुस्तकालयों में से एक है जिसे भारत में प्रकाशित होने वाली पुस्तकों तथा समाचार पत्रों को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है । इस पुस्तकालय को महाराष्ट्र सरकार तथा केन्द्रीय सरकार की सहायता प्राप्त है । पुस्तक वितरण अधिनियम अनुभाग पर केन्द्रीय सरकार का अंशदान आवर्ती व्यय का 50% तथा अनावर्ती व्यय के दो तिहाई तक सीमित होता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार इस पुस्तकालय के विकास के लिये अनुदान प्रदान करती रही है । अनुदान, राज्य सरकार की सिफारिशों पर ही दिए जाते हैं ।

केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता

राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में स्थित केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय मुख्यत : निम्नलिखित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये जिम्मेदार है : (i) भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूंची का विक्रय, मुद्रण, संपादन तथा संकलन । पुस्तक वितरण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय में प्राप्त अंग्रेजी तथा प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रचलित भारतीय प्रकाशनों की प्रविष्टियों वाली यह मासिक/वार्षिक ग्रंथ सूची है, (ii) एक राष्ट्रीय पुस्तक आदान-प्रदान केन्द्र के रूप में पुस्तक आदान-प्रदान एकक की स्थापना करना तथा (iii) इंडैक्स इंडायना का विक्रय मुद्रण सम्पादन तथा संकलन । यह प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रचलित पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले लेखों की एक त्रैमासिक अनुक्रमणिका है ।

पुस्तक आदान-प्रदान परियोजना धन तथा स्थान के अभाव के कारण शुरु नहीं की जा सकी । अन्य दो परियोजनाओं के सम्बन्ध में 1981-82 के दौरान 3-10-81 तक के क्रियाकलाप नीचे हैं ।

भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची

वर्ष के दौरान अक्तूबर, 1980 तक की अवधि के भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के दो मासिक अंक (रोमन लिपि) (जून तथा जुलाई, 1977) प्रकाशित किये गये ।

ग्रंथ सूची कम से कम संभव समय में अद्यतन बनाने के लिये भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची 1978 तथा 1979 के केवल वार्षिक अंक प्रकाशित करने का निर्णय किया गया है । ज्योंही भारत सरकार मुद्रणालय ग्रंथ सूची को अद्यतन प्रकाशित करने के योग्य हो जायेंगे, इसे पुनः हर महीने निकाला जायेगा ।

भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के वार्षिक खण्डों की स्थिति नीचे दी गयी है :—

1976 का वार्षिक खण्ड प्रकाशित हो चुका है । 1968-1977 तथा 1978 का वार्षिक खण्ड मुद्रणालय में है । 1979 का वार्षिक खण्ड तैयार हो रहा है । इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की एक भाषा पूलिका (फैसिक्यूल) (तमिल) खण्ड-1 1968-74 प्रकाशित हो चुका है ।

19—920Edu/81

निम्नलिखित भाषा ग्रंथ सूचियां (भाषा लिपियों का ध्यान किये बिना) मुद्रणालय में है :—

असमी	1962–70
हिन्दी	1971
गुजराती	1962–71
मलयालम	1971–80
मराठी	1970
संस्कृत	1968–77

इंडेक्स इंडायना :—छः भारतीय भाषाओं अर्थात् बंगला, हिन्दी, गुजराती, मराठी मलयालम, तथा तमिल की पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों को शामिल करते हुए इंडेक्स इंडायना अक्तूबर–दिसम्बर, 1977 का त्रैमासिक अंक मुद्रणाधीन है ।

प्रकाशनों का विक्रय :—इस पुस्तकालय के प्रकाशनों का विक्रय पुस्तकालय द्वारा ही किया जाता है । 31 अक्तूबर, 1981 की स्थिति के अनुसार 35060 रुपये की विदेशी मुद्रा सहित प्रकाशनों के बिक्री से कुल 55,160 रुपये की राशि प्राप्त हुई ।

भारत संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रगामी प्रयोग :—केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सरकारी आदेशों के क्रियान्वयन के लिये एक राजभाषा क्रियान्वयन समिति स्थापित की गयी है। इस वर्ष के दौरान, इसकी कुल मिलाकर चार बैठकें हुईं। समिति की सिफारिश के अनुसार केवल हिन्दी के काम के लिये हिन्दी सहायक का एक पद बनाया गया है । पद अभी भरा जाना है । दो कर्मचारियों को प्रवीण कक्षा के लिये तथा एक लिपिक को हिन्दी टंकण पाठ्यक्रम के लिये भेजा गया है ।

भारतीय विश्व कार्य परिषद् पुस्तकालय, नई दिल्ली

इस पुस्तकालय का काम अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों तथा क्षेत्र अध्ययनों के लिये अनुसंधान सुविधायें प्रदान करना है इसके पास अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर समाचार कतरनों, पत्रिकाओं, प्रलेखों तथा पुस्तकों का स [illegible] संग्रह है । इसके पास (लघु) माइक्रो फिल्मों तथा मानचित्रों का अच्छा संग्रह है । इ[illegible] के संग्रह में 1,05,300 पुम्नकें तथा प्रनेख, 16,75,000 समाचार कनरनें तथा 11,200 माईक्रोफिल्में हैं । अब यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सरकार छठी योजना अवधि के दौरान 2 लाख रुपये की वार्षिक राशि प्रदान करके पुस्तकालय के वार्षिक घाटे को पूरा करेगी । इसी प्रकार, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् भी पुस्तकालय को 2 लाख रुपय का वार्षिक अनुदान देगी ।

दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी, दिल्ली

दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी, अक्तूबर, 1951 में अपनी स्थापना से ही संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के नागरिकों को निःशुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान करती आ रही है, अब यह एक महानगरीय पब्लिक लायब्रेरी तन्त्र का रूप ले चुकी है और इसमें केन्द्रीय पुस्तकालय की 4 शाखायें, 20 उप शाखायें, अंधे व्यक्तियों के लिये एक ब्रेल विभाग संग्रह तथा 5 सचल पुस्तकालयों सहित सचल सेवा केन्द्रों का एक जाल है ।

नरेला स्थित भूतपूर्व वल्लभभाई पटेल लायब्रेरी ने, जिसे दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष ही अपने नियंत्रण में लिया गया था, अपूर्व सफलता प्राप्त की है। मार्च 1981 के अन्त तक इसकी सदस्य संख्या 1,908 रही तथा हर रोज जारी की गई पुस्तकों की संख्या 20 से बढ़कर 317 तक पहुंच गई है ।

आलोच्य वर्ष के दौरान पुराने सचिवालय की उप-शाखा की सेवाओं के बेहतर उपयोग के लिये इसे जुलाई, 1981 से, प्रायोगिक आधार पर अंशकालिक पुस्तकालय के स्थान पर पूर्णकालिक पुस्तकालय बना दिया गया है ।

इससे प्रत्याशित लाभांश हुआ तथा उप-शाखा की सदस्यता जुलाई, 1980 में 786 से बढ़कर मार्च 31, 1981 तक 1193 हो गई । इसी प्रकार हर दिन दी जाने वाली पुस्तकों की संख्या औसतन 127 से बढ़कर 216 हो गई ।

भंडार में 52,000 पुस्तकें बढ़ीं । वर्ष के अन्त में इस पुस्तकालय की पुस्तकों की कुल संख्या 6,42,078 थी जिसमें 3,46,391 पुस्तकें हिन्दी में, अंग्रेजी में 1,97,066, उर्दू में 69,666, पंजाबी में 25,279 तथा 3,676 पुस्तकें बंगला में थीं ।

आलोच्य अवधि के दौरान 51620 प्रौढ़ों तथा 7,156 बच्चों ने सांस्कृतिक क्रियाकलापों अर्थात् व्याख्यान वार्त्ताओं, नाटकों, फिल्म प्रदर्शनों तथा दूरदर्शन देखने आदि में भाग लिया। पुस्तकालय ने भाषण देने, अभिनय करने, संगीत तथा साहित्यिक निबन्धों की प्रतियोगिताओं का प्रबन्ध भी किया। इस पुस्तकालय के पंजीकृत सदस्यों की संख्या 99,359 थी (53,742 प्रौढ़ तथा 45,617 बच्चे)। इस वर्ष घर में पढ़ने के लिये दी गई पुस्तकों की संख्या 26,04,367 थी । इस पुस्तकालय के पास 2945 ग्रामोफोन रिकार्ड थे और सदस्यों की संख्या 305 थी । इसने इस वर्ष घर में सुनने के लिये सदस्यों को 33,915 ग्रामोफोन रिकार्ड जारी किये ।

राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता

यह प्रतिष्ठान सारे देश में पुस्तकालय सेवाओं के प्रोत्साहन तथा लोगों के बीच अध्ययन में रुचि के विकास के लिये कार्य कर रहा है । यह राज्य तथा संघशासित क्षेत्रों की सरकारों के सहयोग से , विशेषकर गैर-महानगरीय क्षेत्रों में विद्यमान पुस्तकालयों की सहायता करता है तथा नये पुस्तकालयों की स्थापना को प्रोत्साहन देता है । सभी प्रकार के सार्वजनिक पुस्तकालय इस प्रतिष्ठान के सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाते हैं ।

सहायता मुख्यतः निम्नलिखित के लिये विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत दी जाती है :—

(1) पुस्तक अध्ययन तथा दृश्य सामग्री के पर्याप्त भंडार तयार करना
(2) ग्रामीण पुस्तक संग्रह केन्द्रों तथा सचल पुस्तकालय सेवाओं का विकास
(3) अप्राप्य तथा दुर्लभ पुस्तकों तथा पत्रिकाओं और दुर्लभ पांडुलिपिओं का परिरक्षण तथा जिल्दसाजी
(4) पुस्तकालय कार्यशालाओं, सेमिनारों, तथा पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन
(5) पुस्तकों का संग्रहण ।

1980–81 के दौरान इस प्रतिष्ठान ने विभिन्न स्तरों के 5000 पुस्तकालयों को सहायता प्रदान की और इस प्रकार अपने अस्तित्व के 9 वर्षों की अवधि में यह पुस्तकालय 14,000 पुस्तकालयों को सहायता पहुंचा चुका है ।

इस वर्ष 37.11 लाख रुपये की सहायता दी गई और इस तरह गत 9 वर्षों में दी गई सहायता की राशि 2.44 करोड़ रुपये हो गई ।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पुस्तकालयों को दी गई सहायता के अतिरिक्त इस प्रतिष्ठान ने विभिन्न संवर्धन सम्बन्धी क्रियाकलापों का भी आयोजन किया अर्थात् पुस्तकालय कानून का प्रचार, प्रौढ़ शिक्षा तथा पुस्तकालय सेवा के बीच सम्बन्ध की भावना का प्रचार तथा संस्था के दो प्रधान उद्देश्यों अर्थात् राष्ट्रीय पुस्तकालय पद्धति तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति को प्रतिपादित करने के उद्देश्य से लाइब्रेरियनशिप के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यानों की व्यवस्था करना ।

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, नई दिल्ली

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय परिसर ने आलोच्य वर्ष के दौरान सरकारी संस्थाओं, पंजीकृत सदस्यों, जन साधारण तथा अध्येताओं को अनुसंधान, संदर्भ तथा ऋण सुविधायें प्रदान करना जारी रखा ।

इस पुस्तकालय ने 4130 नये सदस्य बनाये । पुस्तक संग्रह में अंग्रेजी, हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की 10,894 नयी पुस्तकें जोड़ी गईं । इसके अतिरिक्त सरकारी प्रलेखों तथा/रिपोर्टों के लगभग 7,000 खण्ड प्राप्त हुए । इस पुस्तकालय में चन्दे, उपहार तथा आदान-प्रदान समझौते के जरिये विभिन्न भाषाओं में नियमित रूप से 898 प्रच-लित पत्रिकाएं तथा 40 दैनिक समाचारपत्र प्राप्त होते हैं । इस वर्ष के दौरान सदस्यों को 1,93,266 पुस्तकें उधार दी गईं ।

इस वर्ष के दौरान शिक्षा सम्बन्धी साहित्य के दो व्यापक सर्वेक्षण पूरे किये गये : (1) भारत में तकनीकी शिक्षा का विकास (2) भारत में शिक्षा का माध्यम। इस पुस्तकालय ने अन्य क्षेत्रीय भाषाओं तथा हिन्दी में अनुवाद के उद्देश्य से भारतीय इतिहास तथा पुरातत्व, कला तथा वास्तुकला, धर्म तथा दर्शन आदि की सहायक पुस्तकों के चयन में भी सहायता प्रदान की है ।

केन्द्रीय शिक्षा विधान परियोजना के अन्तर्गत यह पुस्तकालय 1947 से लेकर देश में केन्द्रीय सरकार तथा इसके साथ-साथ राज्य सरकारों व संघशासित क्षेत्रों द्वारा पास किये गये शिक्षा से संबंधित विस्तृत विधायी कानूनों की एक सूची तैयार कर रहा है । यह जानकारी अन्ततः संगणक में दे दी जाएगी । यह कार्य आधा पूरा हो चुका है ।

इस पुस्तकालय ने 8 से 16 मई, 1981 तक रवीन्द्र नाथ टैगोर के 120वें जन्म समारोह पर एक पुस्तक प्रदर्शनी तथा 31 जुलाई, 1981 को मुंशी प्रेम चन्द के 101वें जन्म समारोह के उपलक्ष में पुस्तक प्रदर्शनी सहित साहित्यिक वार्ता का आयोजन किया । अहिन्दी भाषी व्यक्तियों द्वारा लिखी गयी हिन्दी पुस्तकों की एक अन्य प्रदर्शनी फरवरी में आयोजित की जा रही है ।

पुस्तकालय ने सीरियल रिकार्ड को संगणकबद्ध करने का कार्य शुरू किया है । यह कार्य आगे बढ़ रहा है ।

सार्वजनिक पुस्तकालयों/पाण्डुलिपि पुस्तकालय के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक शैक्षिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता

इस योजना के अन्तर्गत उन स्वैच्छिक शैक्षिक संस्थाओं को बराबर बराबर के आधार पर आर्थिक सहायता दी जाती है जिन्होंने सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किये हैं तथा जो पंजीकृत संस्थाओं अथवा न्यासों के रूप में कार्य करती हैं । यह सहायता पुस्तक, फर्नीचर तथा सामान खरीदने, तथा नये भवनों के निर्माण के लिये, अथवा वर्तमान भवनों के विस्तार के लिये प्रदान की जाती है जो अधिकतम 50,000 रुपये तक होती है । अब तक लगभग 80 संस्थाओं के प्रार्थना पत्र प्राप्त हो चुके हैं । इस योजना के अन्तर्गत अनुदान प्रति वर्ष विभाग द्वारा गठित अनुदान समिति की सिफा-रिशों के आधार पर दिये जाते हैं ।

अध्याय 7

अकादमियां और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

साहित्यिक, अभिनय और रूपंकर कलाओं आदि जैसी रचनात्मक कलाओं के परिरक्षण, प्रोत्साहन और विकास के उद्देश्य से भारत सरकार ने तीन राष्ट्रीय अकादमियां, अर्थात् संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं। इन संगठनों द्वारा इस वर्ष के दौरान किए गए मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:—

साहित्य अकादमी

साहित्य अकादमी के मुख्य कार्यलाप हैं: अनुवादकों के जरिए भाषा साहित्य को लोकप्रिय बनाना, अपने प्रकाशन कार्यक्रम के माध्यम से साहित्यिक उत्कृष्ठता वाली उत्तम पुस्तकों को साहित्यिक पुरस्कार, सम्मान, साहित्यिक प्रवृत्तियों का मूल्यांकन और अपनी विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रयोगों को सहायता देना, अपने सेमिनार के जरिए साहित्यिक चर्चा तथा विचार-विमर्श के लिए मंच प्रदान करना, विभिन्न कार्यशालाओं यात्रा अनुदानों और अन्य योजनाओं के जरिए युवा पीढ़ी के लेखकों को प्रोत्साहन देना। अकादमी इस समय 22 मान्यता-प्राप्त भाषाओं के 1000 से अधिक लेखकों की सहायता से भारतीय साहित्य के एक विस्तृत विश्वकोश का संकलन कर रही है।

आलोच्य वर्ष के दौरान अकादमी ने तीन सेमिनार आयोजित किए: (1) एशिया में रामायण की भिन्नताएं, उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और मानव-विज्ञान संबंधी महत्व नामक विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय रामायण सेमिनार और (2) मुंशी प्रेम चन्द की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके सम्मान में दो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार एक दिल्ली में और दूसरा वाराणसी में, जिसका विषय था "प्रेम चन्द और भारतीय कथा साहित्य में भारतीयता की समस्या"। "प्रेम चन्द और भारतीय कथा साहित्य में यथार्थवाद की समस्या" विषय पर प्रेम चन्द जन्म शताब्दी समारोहों के अवसर पर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में तीन क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किए गए। दो और राष्ट्रीय सेमिनार चण्डीगढ़ में आयोजित किए गए, एक पंजाबी संत कवि सैयद बुल्लेशाह के सम्मान में जिसका विषय था "मध्यकालीन भारतीय साहित्य में सूफीवाद और भक्ति काव्य" और दूसरा सेमिनार महान पंजाबी विचारक पूरन सिंह की जन्म शताब्दी के अवसर पर जिसका विषय था "प्राक आधुनिक भारतीय काव्य में राष्ट्रीय चेतना की खोज"।

अकादमी ने "भारतीय साहित्य के निर्माता" नामक अपनी पुस्तक माला के अन्तर्गत अनेक नई पुस्तकें प्रकाशित कीं और इनके तथा पूर्व प्रकाशित निबन्धों के अनुवाद प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित किए। 1981-82 में साठ प्रकाशन निकल जाने की आशा है।

इस अवधि के दौरान "इंडियन लिट्रेचर" (अंग्रेजी पत्रिका) के छः अंक और समकालीन भारतीय साहित्य (हिन्दी पत्रिका) के चार अंक भी प्रकाशित किए गए।

संगीत नाटक अकादमी

इस अकादमी ने परंपरागत और समकालीन कला का परिरक्षण और उसके प्रसार को प्रोत्साहित करना जारी रखा। कठपुतली कला के परिरक्षण और प्रसार के क्षेत्र में प्रशिक्षार्थी कठपुतली के तीन परंपरागत स्वरूपों अर्थात् कर्नाटक और केरल के शैडो थियेटर, उड़ीसा के स्ट्रिंग कठपुतली और पश्चिम बंगाल के राड कठपुतली कला में अपना-अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे। उड़ीसा की ग्लोव कठपुतली

कला में भी प्रशिक्षण आरम्भ कर दिया गया है। अकादमी ने नवम्बर, 1981 के दौरान कठपुतली थियेटर के लिए एक समारोह भी आयोजित किया।

दुर्लभ स्वरूपों के परिरक्षण और प्रसार के क्षेत्र में छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए निम्नलिखित स्वरूपों का सम्पोषण किया जा रहा है :—

1. कूडियात्तम
2. ध्रूपद
3. सारंगी
4. रावनचामा
5. अरीबापाला
6. भौना, अंकीयानात और दियोधनी।

जनजातीय संस्कृति के विकास के क्षेत्र में गुजरात सरकार और भारतीय राष्ट्रीय थियेटर, बंबई के सहयोग से आहवा (गुजरात) में 11 से 14 अप्रैल, 1981 तक डांगी की जनजातीय कलाओं का एक समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में डांगी क्षेत्र के सभी परंपरागत कला स्वरूपों की प्रदर्शनी सेमिनार और प्रदर्शन शामिल था। 25-26 मई, 1981 के दौरान आवंगरखुल (मणिपुर) में इन्स्टीट्यूट आफ पीपल्स एक्शन, मणिपुर के सहयोग से एक जनजातीय महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में "रोंगमई" और "मारैंग", "ताराओ", "मीतई" और "कूकी" जातियों के संगीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए। अकादमी का नागालैण्ड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में इसी प्रकार के जनजातीय कार्यक्रम आयोजित करने का विचार है।

राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के लिए अकादमी ने "सांस्कृतिक दलों के अंतर्राज्य विनिमय" की योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जारी रखा। "युवा थियेटर कर्मियों की सहायता" नामक योजना के अन्तर्गत अकादमी ने विभिन्न भाषा थियेटर क्षेत्रों से संबंधित 9 थियेटर कर्मियों को शिक्षावृत्तियां प्रदान कीं। अकादमी ने नाट्य संघ-थियेटर केन्द्र, बंगलौर के सहयोग से 3 से 10 दिसम्बर, 1981 तक बंगलौर में राष्ट्रीय स्तर की एक कार्यशाला का भी आयोजन किया। अकादमी ने आलोच्य वर्ष के दौरान "उन गुरुओं के अधीन जिन्होंने परंपरागत कला निष्पादन के दुर्लभ और लुप्तप्रायः स्वरूपों में उत्कृष्टता प्राप्त की है शिक्षावृत्तियों की योजना" में निष्पादन कला के निम्नलिखित स्वरूपों को भी शामिल किया :—

(1) मोहनोत्तम
(2) नांगियार कूत्थ
(3) औरैयर सेवई
(4) हिमाचल प्रदेश की लोक ताल।

गुरुओं और प्रशिक्षणार्थियों को इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है।

अकादमी ने प्रलेखन और प्रसारण के अपने व्यापक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कला के विभिन्न स्वरूपों से संबंधित टेप संगीत, फोटोग्राफ और रंगीन पारदर्शी चित्र अपने अभिलेखागार में बढ़ाना जारी रखा।

अकादमी ने एम० बी० धोंड कृत "इवोलूशन आफ ख्याल" और "मधु स्वामी दीक्षित संग्रह" नामक प्रकाशन निकाले। "सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान" नामक अपनी योजना के अंतर्गत अकादमी ने 212 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाओं और राज्य अकादमियों को 8.37 लाख रुपए के अनुदान संस्वीकृत किए।

ललित कला अकादमी

ललित कला अकादमी के कार्यकलापों में प्रदर्शनियों का आयोजन, कला पुस्तकों पत्रिकाओं बहुरंगीन पुनर्मुद्रणों का प्रकाशन, कलाकारों के शिविरों का आयोजन शिक्षावृति समारोह, व्याख्यान इत्यादि आते हैं। इस वर्ष के दौरान अकादमी ने नवम्बर, 1981 तक निम्नलिखित प्रदर्शनियां आयोजित की :—

क. प्रदर्शनियां

1. पोलिश पोस्टरों की दो प्रदर्शनियां, दूसरा पोस्टर विशेष रूप से एशिया प्रशान्त संग्रहालय, वारसों के लिए बनाया गया था।
2. "पेरिसियन्स" पेरिस के जीवन को चित्रित करने वाले फोटोग्राफ।
3. अकादमी के संग्रह से ली गई सचल प्रदर्शनी सं० 13.
4. गढ़ी में बनाई गई 74 छपाइयों की प्रदर्शनी।
5. चित्रकला प्रदर्शनी।
6. दक्षिणी क्षेत्र II की कला प्रवृत्तियों की प्रदर्शनी।
7. भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान प्रगति मैदान की कला वीथी में चित्रकारी, आरेखन और मूर्तियों की प्रदर्शनी।
8. विनोद बिहारी मुखर्जी स्मारक प्रदर्शनी।
9. चीनी चित्रकला की यूनेस्को सचल प्रदर्शनी।
10. क्यूबा की कला की प्रदर्शनी।
11. केन मेहार्ग और बौब लिन्ने कृत × 3 नामक 55 ब्रिटिश पोस्टरों की प्रदर्शनी।
12. राष्ट्रीय प्रदर्शनी 1981 (मद्रास, बंगलौर और हैदराबाद) में चुनी 31 चित्रकलाओं, 19 आरेखों और 14 मूर्तियों की एक प्रदर्शनी।
13. 1964—1977 के बीच संस्कृति विभाग द्वारा छात्रवृत्तिधारी छात्रों द्वारा कृत दृश्य कलाओं के 60 चित्र, 19 आरेख और 14 मूर्तियों की प्रदर्शनी।
14. एशिया के कटोरों की प्रदर्शनी।
15. प्राचीर चित्रकला बंबई की प्रतिकृति प्रतियों की प्रदर्शनी।

अकादमी ने विदेशों में निम्नलिखित प्रदर्शनियों में भाग लिया (1) एशियाई कला बंगलादेश 1981 और (2) पांचवीं अन्तर्राष्ट्रीय लघु प्लास्टिक प्रदर्शनी (बुदापेस्ट)।

ख. शिविर

केन मेहार्ग और बोब लिन्ने (ब्रिटेन) और प्रो० ग्रेब्रोवस्की (पोलैण्ड) द्वारा दिल्ली में पोस्टर कार्यशालाएं आयोजित की गई।

ग. 1981-82 के दौरान चौबीस नए प्रकाशन निकाले गए हैं/निकाले जायेंगे।

घ. शिक्षावृत्तियां

निम्नलिखित नए फैलो चुने गए हैं :—

1. प्रो० सांखो चौधरी
2. प्रो० प्रदोस दास गुप्ता
3. प्रो० एस० धनपाल
4. प्रो० के० एस० कुलकर्णी
5. डा० एम० एस० रणधावा।

1981-82 की शेष अवधि के दौरान अकादमी का निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित करने का विचार है, अर्थात् (1) विश्व समकालीन कला की पांचवीं त्रै-वार्षिकी जिसमें लगभग 50 देश भाग लेंगे; (2) कला मेला; (3) राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 1982; और (4) श्री जे० गोएंका के संग्रह से लघु चित्रकारियों की प्रदशनी।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय निष्पादन कार्यों के रूप में व्यवहारिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए कलाओं में प्रशिक्षण प्रदान करता है। अध्यापन, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों के अलावा इसमें 85 छात्र हैं। शैक्षिक प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में छात्र कक्षा के छात्रों में से एक के निर्देशन में नाटक प्रस्तुत करते हैं। छात्रों द्वारा "डैथ इन इंस्टालमेंट्स" "माईनर री" (ला-म्यूजिक का एक संगीतीय अनुरूप), "मोमेंट फेल्स", इत्यादि जैसे 10 नाटक प्रस्तुत किए गए। छात्रों द्वारा पन्द्रह और नाटक प्रस्तुत करने का विचार है। छात्र अतिथि थियेटर विशेषज्ञों के निर्देशन में भी नाटक प्रस्तुत करते हैं। श्री एम० के० रैना, श्री रणजीत कपूर, श्री आर० पी० सेन गुप्ता और श्री भानु भारती के निर्देशन में एक-एक नाटक रंगमंच पर खेले गए। विख्यात थियेटर विभूतियों के निर्देशन में 10 और नाटक प्रस्तुत करने का विद्यालय का प्रस्ताव है।

स्कूल के अन्य कार्यकलाप, संग्रह कंपनी, बाल थियेटर कार्यशाला और देश के विभिन्न स्थानों पर गहन थियेटर कार्यशालाओं के आयोजन जैसे अन्य विस्तार कार्य-क्रमों के माध्यम से सम्पन्न होते हैं। स्कूल की संग्रह कंपनी ने तीन नाटकों का निर्माण किया है और 20 प्रदर्शन किए हैं। कंपनी का आगामी महीनों के दौरान 5 और नाटकों का मंचन करने का विचार है। बाल-थियेटर कार्यशाला के एक भाग के रूप में 8 से 14 आयु वर्ग के बच्चे स्कूल में नाटक का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अपने प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में बच्चे तीन नाटक तैयार करेंगे। स्कूल प्रत्येक वर्ष ऐसे स्थानों पर जहां थियेटर के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं,एक ग्रहण थियेटर कार्यशाला का आयोजन करता है। ऐसी एक कार्यशाला का बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा के सहयोग से रांची में आयोजन किया गया। कला के परंपरागत स्वरूपों पर प्रकाश डालने के लिए स्कूल एक स्थानीय वर्ग के सहयोग से प्रति वर्ष उस विशेष क्षेत्र में प्रचलित कला की शैली और स्वरूपों के संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन करता है। स्कूल जनवरी, 1982 में गण महोत्सव में भाग लेगा जिसमें दक्षिण भारतीय कला के परंपरागत स्वरूपों पर प्रकाश डाला जायेगा। स्कूल के छात्र यक्षगान शैली में दो विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में "कृष्ण अर्जुन युद्ध" नामक नाटक तैयार करेंगे।

अध्याय 8

संस्कृति का संवर्धन और प्रसार

(i) संवर्धन और प्रसार

सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र

सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना 1979 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी और इसका वित्त पोषण पूर्णत: भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस केन्द्र ने, 1970 से दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही, कालेज तथा स्कूल छात्रों के बीच संस्कृति के प्रचार की योजना को अपने हाथ में लिया है।

इस केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य मोटे तौर से यह है कि भारत की क्षेत्रीय संस्कृतियों के अनेकत्व के बारे में छात्रों के बीच ज्ञान तथा जागरूकता पैदा करके तथा पाठ्यक्रम विषयों के साथ इस ज्ञान को समेकित करके शैक्षिक पद्धति को पुन: सजीव रूप देना। उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यह केन्द्र, देश के विभिन्न भागों के प्राथमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के सेवारत अध्यापकों के लाभ के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:—

1. कलाओं की कदरदानी सम्बन्धी अनुस्थापना पाठ्यक्रम।
2. प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।
3. भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर कार्यशालाएं/सेमिनार।
4. शिक्षा के लिए कठपुतली-कला का पाठ्यक्रम।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, केन्द्र ने दो से छ: सप्ताह तक की अवधि के नई दिल्ली (8), चण्डीगढ़ (2), उदयपुर (2), बंगलौर (1), मद्रास (1), गोवा (1), बड़ौदा (1), हैदराबाद (1) तथा त्रिचूर (1) में 18 अनुस्थापना/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, साहित्य, नृत्य, संगीत, थियेटर, लोक-कला, दस्तकारी, इत्यादि के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति के विकास में अन्तर्निहित मूलभूत सिद्धांतों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए तैयार किए गए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान, व्याख्यान-प्रदर्शन, कला स्वरूपों का व्यावहारिक प्रशिक्षण, सेमिनार तथा विचार-विमर्श इत्यादि शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली, में शिक्षा के लिए कठपुतली-कला के सम्बन्ध में चार पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए।

अध्यापकों को दिए गए प्रशिक्षण के उद्देश्यों को पूरी तरह प्राप्त करने तथा स्कूली बच्चों के बीच संस्कृति के ज्ञान तथा कदर को विकसित करने के लिए, उन संस्थाओं को जहां से अध्यापक ने अनुस्थापना/पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किया है, शैक्षिक किट दिया जाता है जिसमें श्रव्यदृश्य सामग्री भी शामिल होती है। वर्ष 1981-82 के दौरान, इन संस्थाओं में बांटने के लिए 300 शैक्षिक किटें तैयार किए जाने का अनुमान है। इस केन्द्र ने "न्यूज़लेटर" नामक अपनी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन जारी रखा। यह पत्रिका विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रशिक्षित अध्यापकों के बीच, शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी विचारों के आदान-प्रदान हेतु एक मंच का काम करती है। इस केन्द्र ने कलाओं से संबंधित पथ-प्रदर्शक-पुस्तकों के निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया है।

20—920Edu/81

देश के विभिन्न क्षेत्रों की कला तथा संस्कृति सम्बन्धी फिल्मों के निर्माण से सम्बन्धित कार्य को तेज किया गया। ये फिल्में 20-25 मिनटों की अवधि की होंगी तथा इनका उद्देश्य होगा देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित कुछ परंपराओं को प्रलेखबद्ध करना। प्लास्टिक तथा अभिनय कलाओं से संबंधित श्रव्य-दृश्य संसाधनों को एकत्र करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक तथा गोवा के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के भ्रमणों का आयोजन भी किया गया।

स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत, मुख्यतः नृत्य, नाटक, संगीत, ललित कलाओं, भारत-विद्या, साहित्य संबंधी सांस्कृतिक क्षेत्रों में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों, जिनमें स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं, निगमों द्वारा संचालित संगठन भी शामिल हैं अनुदान दिए जाते हैं, परन्तु यह अनुदान धार्मिक संस्थाओं और केन्द्रीय राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों, नगरपालिकाओं, स्कूलों और विश्वविद्यालयों को नहीं दिए जाते। निर्माण प्रयोजनों तथा उपस्करों की खरीद के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

नृत्य, नाटक और थियेटर मण्डलियों को वित्तीय सहायता

प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र की विख्यात संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत, ऐसी राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय महत्व की सुस्थापित संस्थाओं को, जो प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपने-अपने कला क्षेत्रों में राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र बन सकें।

विशिष्ट प्रकार की प्रदर्शन-कलाओं के लिए व्यावसायिक दलों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत, अनुमोदित परियोजनाओं के लिए नाट्य थियेटरों, दलों, संगीत मण्डलियों, आरकेस्ट्रा यूनिटों, बाल थियेटरों, कठपुतली थियेटरों, एकल कलाकारों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारत समारोह

भारत सरकार तथा ब्रिटिश सरकार मार्च से नवम्बर, 1982 तक ब्रिटेन में भारत समारोह आयोजित करने जा रही है। प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा ग्रेट ब्रिटेन की प्रधान मंत्री, आर० टी० माननीया मार्ग्रेट थैचर, इस समारोह की दो संरक्षक होंगी। इस समारोह का उद्घाटन रायल फेस्टिवल हाल में संगीत समारोह के साथ 22 मार्च, 1982 को होगा। दो प्रमुख प्रदर्शनियां उद्घाटन समारोहों का एक भाग होंगी। हैवर्ड गेलरी में प्राचीन कला की प्रदर्शनी तथा साइन्स म्युजियम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रदर्शनी। भारत का अतीत दर्शाने वाली मुख्य प्रदर्शनी, हेवर्ड गैलरी, विक्टोरिया और अल्बर्ट म्युजियम तथा ब्रिटिश म्युजियम में आयोजित होगी। इस समारोह में लोक तथा प्राचीन कलाओं में भारत के परंपरागत कौशलों में सातत्य के चित्रण के माध्यम से आधुनिक भारत के स्वरूप, विविधता तथा कला गुणों को दर्शाने का प्रयत्न किया जाएगा तथा इसमें दस्तकारी और हथकरघा के बहुत से पक्ष दिखाए जाएंगे जिनमें कार्यरत कारीगर तथा भारत की प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां, समकालीन फिल्में, पुस्तकें, रेखाचित्र, फोटोग्राफी इत्यादि भी शामिल हैं। भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा सम्बन्धी एक प्रदर्शनी का आयोजन साइन्स म्युजियम में किया जायेगा। समकालीन भारतीय कला पर एक प्रदर्शनी रायल अकादमी आफ आर्ट में आयोजित की जायेगी। टाटे गैलरी में समकालीन कला की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा भारतीय पुस्तकों, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा फोटोग्राफस (5 प्रतिष्ठित ब्रिटिश तथा 5 भारतीय) डिजाइनर्स पर तथा फोटोग्राफरों पर प्रदर्शनियां भी आयोजित की जायेंगी।

प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रमों की भी योजना बनाई जा रही है ताकि ग्रेट ब्रिटेन के बच्चों को भारत के अतीत की समृद्ध विरासत तथा प्रगतिशील समकालीन भारत के बारे में जानकारी मिल सके।

आयोजित की जा रही प्रदर्शनियों की सूची निम्नलिखित है:--

(1) हवर्ड गैलरी	भारतीय चित्रकला तथा मूर्तिकला 2000 वर्ष मार्च 25--जून 13, 1982
(2) साइन्स म्युजियम	भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा वसन्त 1982
(3) विक्टोरिया और अल्बर्ट म्युजियम	मुगल भारत में दरबारी जीवन अप्रैल 21--अगस्त 22, 1982
(4) बैथनल ग्रीन म्युजियम *आफ चाइल्डहुड*	*भारतीय ताश-म्यूजियम के संग्रह से*
(5) दि ब्रिटिश लाइब्रेरी	भारत में पुस्तक कला अप्रैल, 16--अगस्त, 1982 में समाप्त हो रही है
(6) म्युजियम आफ मैनकाइण्ड	वासना--एक भारतीय गांव की आन्तरिक झांकी अप्रैल 2--सितम्बर, 1982
(7) ब्रिटिश म्युजियम	प्राचीन भारत में गांव से शहर तक अप्रैल, 10 --सितम्बर, 1982
(8) कामनवेल्थ इंस्टीट्यूट	(क) श्रीनगर--भारतीय वेशभूषा का एक शानदार प्रदर्शन फरवरी 3--अप्रैल 18, 1982 (ख) भारतीय औद्योगिक डिजाइन तथा रेखाचित्र-- अप्रैल 13--मई, 23 1982 (ग) भारत और ब्रिटेन मई 31--अगस्त 15, 1982 (घ) भारतीय पुस्तकें शरत 1982 (राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित की जाएंगी)
(9) दी टाटे गैलरी	आधुनिक भारतीय कलाकार वसन्त, 1982
(10) सर्पेन्टाइन गैलरी	जीवन्त कलाएं मई 8--13, 1982
(11) फोटोग्राफर्स गैलरी	भारतीय--यहां और वहां भारतीय फोटोग्राफी का इतिहास जनवरी 22--फरवरी, 1982 समाप्ति तक
(12) बारबिकन सेन्टर	अदिति: रचना समारोह जुलाई, 1982
(13) रायल कालेज आफ आर्टस	विश्वकर्मण, एक वस्त्र प्रदर्शनी शरत, 1982
(14) रायल अकादमी आफ आर्टस	भारत की समकालीन कलाएं सितम्बर--अक्तूबर, 1982
(15) लिटरटल्ल सर्कल फोएर नेशनल थिएटर	भारत पर एक नजर--फोटोग्राफी की एक प्रदर्शनी मई 31--जुलाई, 3, 1982

(II) प्रशिक्षण तथा अनुसंधान योजनाएं

सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृति योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य 10–14 आयु वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाना और विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा का विकास करने के लिए उन्हें छात्रवृत्तियां प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 100 नयी छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं जिनमें से 25 छात्रवृत्तियां परम्परागत परिवारों से सम्बन्धित बच्चों के लिए आरक्षित हैं। ये छात्रवृत्तियां 20 वर्ष की आयु अथवा प्रथम डिग्री स्तर तक की शिक्षा पूरी होने तक, जो भी पहले हो, प्रदान की जाती हैं।

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के युवा कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्तियां

इस योजना के अन्तर्गत उत्कृष्ट कोटि के युवा कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला, पुस्तक-चित्रण और डिजाइन आदि के क्षेत्रों में, भारत में ही उच्च प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। 350 रुपये प्रति मास मूल्य की ये छात्रवृत्तियां दो वर्ष की अवधि के लिए 18—28 वर्ष की आयु वर्ग के कलाकारों को दी जाती हैं, और असाधारण मामलों में इन्हें दो वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1980-81 से इन छात्रवत्तियों की संख्या बढ़ाकर प्रति वर्ष 75 कर दी गई है।

प्रदर्शन, साहित्यक तथा रूपकर कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों को शिक्षावृत्तियां प्रदान करना

यह योजना, साहित्यिक, रूपकर और प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में 25–65 वर्ष की आयु-वर्ग के उत्कृष्ट कलाकारों को अति उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने अथवा व्यक्तिगत रचनात्मक प्रयास करने अथवा हमारे कुछ परम्परागत कला स्वरूपों को पुनर्जीवित करने के लिए बुनियादी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, क्रमश: 1000/- रुपये प्रति वर्ष तथा 500/- रुपये प्रति वर्ष की 15 सीनियर तथा 35 जूनियर शिक्षावृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

साहित्य, कला और जीवन के अन्य ऐसे ही क्षेत्रों में विख्यात व्यक्तियों को जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हों, वित्तीय सहायता

इस योजना के अन्तर्गत, साहित्य कलाओं आदि के क्षेत्र में विख्यात ऐसे व्यक्तियों को, जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे हों और जिनकी आयु 58 वर्ष से अधिक हो तथा विशेष मामलों में उनके आश्रितों को जो बेसहारा हो गए हों, वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अधीन अनुमत्य अधिकतम भत्ता 200/- रुपये प्रति माह है। सामान्यत: राज्य सरकारें इस पर होने वाले खर्च का एक तिहाई वहन करती हैं लेकिन संघशासित क्षेत्रों और विशेष मामलों में, पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है। तथापि, निधियों की कमी के कारण फिलहाल केवल पुराने मामलों का ही नवीकरण किया जा रहा है।

अध्याय 9

स्मारक

गांधी दर्शन समिति, नई दिल्ली

गांधी दर्शन प्रदर्शनी, दृश्य प्रदर्शी, प्रदर्शनियों, सेमिनारों, सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रपिता के जीवन और कृतित्व का प्रचार करने के उद्देश्य से 1969 में स्थापित की गई थी। इसके अलावा यह निम्नलिखित मण्डपों का रख रखाव और संचालन करती है:—

1. मेरा जीवन और मेरा संदेश
2. मेरे सपनों का भारत
3. सत्याग्रह दर्शन
4. सत्य ही ईश्वर है।
5. भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम

कला तथा प्रदर्शनी

वर्ष 1981-82 के दौरान, गांधी जी और दर्शन से संबंधित विभिन्न विषयों पर दस प्रदर्शनियों को क्षतिग्रस्त तथा अस्पष्ट के स्थान पर नए फोटो लगवाकर पुनः नया रूप दिया गया। गांधी दर्शन समिति के कला तथा प्रदर्शनी एकक ने "सोवियत संघ के मित्र" नामक उद्घाटन समारोह के अवसर पर कांस्टीट्यूशन क्लब में आमंत्रण पर एक छोटी सी परन्तु सुन्दर प्रदर्शनी का आयोजन किया। समिति ने कला कालेज, नई दिल्ली तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस ने "गांधी जी के सपनों का भारत" विषय पर मौके पर ही कला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। 2 अक्तूबर, 1981 को गांधी जयन्ती के अवसर पर आई० एम० डी० मण्डप में फोटोग्राफों, चित्रों, चार्टों, माडलों तथा गांधीजी के सपने के भारत के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाले गांधी जी के चुनिन्दा वक्तव्यों वाली एक विशेष प्रदर्शनी आम जनता के लिए लगाई गई।

स्कूल कार्यक्रम में गांधी

पिछले वर्षों की भांति, इस बार भी वर्ष 1980-81 के दौरान गांधी जी पर हुई सामान्य ज्ञान परीक्षा के आधार पर नामांकित "गांधी पूतों" को गान्धी जी के निवास स्थान सेवाग्राम में एक शैक्षिक एवं प्रशिक्षण दौरे पर ले जाया गया। गांधी दर्शन के 4 कार्यकर्ताओं तथा अध्यापकों के संरक्षण में 65 छात्रों (लड़के तथा लड़कियां) का यह दल आश्रम में 6 दिन तक रहा। दिल्ली में वापसी से पूर्व, इस दल को पवनार आश्रम ले जाया गया और आचार्य विनोबा जी से उनकी विशेष भेंट कराई गई।

युवक प्रशिक्षण केन्द्र

गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों तथा श्रम महत्व को छात्रों को समझाने के उद्देश्य से दिल्ली विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के निकट सहयोग से गांधी दर्शन परिसर में शिविरों का आयोजन किया गया। लगभग 250 छात्रों ने इन शिविरों में भाग लिया।

राष्ट्रीय एकता तथा साम्प्रदायिक सद्भावना सम्बन्धी सेमिनार

राष्ट्रीय एकता तथा साम्प्रदायिक सद्भावना सम्बन्धी सेमिनार 30 तथा 31 जनवरी और 1 फरवरी 1982 को हो रहा है।

डा. जाकिर हुसैन, स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली

यह संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय की देखरेख में कार्य कर रहा है।

अध्याय 10

शताब्दियां और जयंतियां

हिजरी (इस्लामी कलेंडर वर्ष) की 1400वीं वर्षगांठ

भारत के उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित सलाहकार समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1981-82 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया :

(i) 1–2 मई, 1981 को विज्ञान भवन में एक अन्तर्राष्ट्रीय किरात (पवित्र कुरान का पाठ) प्रतियोगिता आयोजित की गई। 1 मई, 1981 को विदेश मंत्री ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। भारत के अलावा 12 अन्य देशों ने इसमें भाग लिया। ये देश हैं, मलेशिया, थाईलैण्ड, बंगलादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, जोरडन सीरिया, लीबिया और तुर्की।

(ii) भारत के राष्ट्रपति द्वारा 26 अक्तूबर, 1981 को राष्ट्रीय संग्रहालय में भारत की इस्लामी विरासत संबंधी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इसमें प्रदर्शित वस्तुएं भारत के विभिन्न संग्रहालयों, पुस्तकालयों तथा संस्थाओं से एकत्र की गई थीं और उनमें पाण्डु-लिपियां, सुलेख, लघुचित्र, रत्न तथा जवाहरात आदि शामिल थे।

(iii) भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय ने भारत इस्लामी सांस्कृतिक केन्द्र के लिए लोधी रोड संस्थागत क्षेत्र में एक भूखण्ड आबंटित किया है।

(iv) सुप्रसिद्ध निर्माता श्री एम० एस० सथ्यू को "भारत की इस्लामी विरासत" पर एक फिल्म बनाने का काम सौंपा गया है।

जय प्रकाश नारायण स्मारक समिति

भारत की प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में जय प्रकाश नारायण स्मारक समिति की पहली बैठक 29 जन, 1981 को नई दिल्ली में हुई।

सुब्रमण्य भारती शताब्दी समारोह

सुब्रमण्य भारती शताब्दी समारोह संबंधी कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिए श्री कमलापति त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक अखिल भारतीय समिति का गठन किया गया है। श्री त्रिपाठी जी की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद समिति के सदस्य मनोनीत किए जाएंगे।

अन्य कार्यक्रम

अबु-अली-इब्न-अब्दुलाह-इब्न-सिना की 1000वीं जयंती, चन्दनजी चतुर्वेदी, फखरुद्दीन अली अहमद, फैज अहमद फैज आदि के शताब्दी/जयंती समारोहों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

सांस्कृतिक संबंध

सांस्कृतिक करार/सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम

भारत और विश्व के अनेक देशों के बीच काफी समय से चले आ रहे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संबंधों, मैत्री और सूझबूझ को, पुन: नया रूप एवं जीवन देने तथा उन्हें और सुदढ़ बनाने के उद्देश्य से यह मंत्रालय द्विपक्षीय सांस्कृतिक करारों तथा विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार और भारत की छवि को उजागर करने वाले अन्य कार्यक्रमों द्वारा सक्रिय रूप से सांस्कृतिक सहयोग की नीति का पालन कर रहा है। सहयोग के क्षेत्र केवल कलाओं तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि उनमें कला और संस्कृति, शिक्षा (विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित शैक्षिक कार्यकलापों सहित), चिकित्सा, कृषि, फिल्में, जन संचार साधन और खेलकूद आदि भी शामिल हैं।

जबकि सांस्कृतिक करारों से सहयोग के लिए सामान्य आधार उपलब्ध होता है, वहां सांस्कृतिक करारों के उपबन्धों को लागू करने और संस्थागत सहयोग तथा विशेषज्ञों के प्रशिक्षण आदि सहित, प्रोफेसरों, विशेषज्ञों, विद्वानों, कलाकारों लेखकों, कलाप्रदर्शन दलों, खेल टीमों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक तथा जन सूचना/रेडियो और टी० वी० कार्यक्रमों जैसे विनिमय संबंधी विशिष्ट तथा ठोस कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए समय-समय पर सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। ये कार्यक्रम 2-3 वर्षों की निश्चित अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं और समय समय पर इनका नवीकरण किया जाता है। हाल ही में संस्थागत संबंधों विशेषकर उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच संबंधों के विकास को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं।

आलोच्य वर्ष के दौरान, फरवरी 1981 में केन्या के साथ किए गए सांस्कृतिक करार के अलावा घाना और उगांडा तथा जिम्बाबे के साथ सांस्कृतिक करार किए गए जिससे, उन देशों की कुल संख्या जिनसे भारत ने अब तक सांस्कृतिक करार किए हैं, बढ़कर 62 हो गई है। इनमें से 35 देशों के साथ नियमित सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम तैयार कर लिए गए हैं। जिन देशों के साथ अभी तक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, उन देशों के साथ परस्पर सहमति से तदर्थ आधार पर द्विपक्षीय सांस्कृतिक कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं।

ऐसे भी कुछ देश हैं जिनके साथ सांस्कृतिक करार तो नहीं किए गए हैं परन्तु जिनसे अन्यथा निकट तथा मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। ऐसे मामलों में, छात्रवृत्तियों की पेशकश, कला प्रदर्शन दलों के दौरों आदि जैसे विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विनियमों के संबंध में विचार किया जाता है और राजनयिक माध्यमों से उन्हें स्वीकृत किया जाता है।

सांस्कृतिक शिष्टमंडल

जबकि विभिन्न सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत कला प्रदर्शन तथा अन्य शिष्टमंडलों (बाहर जाने वाले और बाहर से आने वाले) और प्रदर्शनियों से संबंधित काम सूचना और प्रसारण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय आदि जैसे मंत्रालयों/एजेंसियों को सौंपा गया है वहां इस मंत्रालय का संबंध राजकीय शिष्टमंडलों तथा अन्य ऐसे दौरों से है, जो सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने और

सांस्कृतिक करारों तथा सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों को तैयार करने/उनके संबंध में बातचीत करने सहित नीति संबंधी विचार-विमर्श करने के लिए भारत आते हैं। जर्मन जनवादी गणराज्य, हंगरी और कोरिया जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के आमंत्रण पर शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री के नेतृत्व में इन देशों में गए सरकारी शिष्टमंडलों के अलावा इस मंत्रालय ने द्विपक्षीय सांस्कृतिक करारों तथा सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए सरकारी शिष्टमंडलों को कोरिया जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, कोरिया गणराज्य, केन्या, क्यूबा और मैक्सिको भेजा। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने के लिए सीरियाई अरब गणराज्य, बहरीन, यमन लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य, जापान और पुर्तगाल के राजकीय शिष्टमंडल भारत आए। इसके अतिरिक्त, शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री के आमंत्रण पर बल्गारियाई लोकतांत्रिक गणराज्य की मंत्री परिषद् के उपाध्यक्ष ने भारत का भी दौरा किया।

पुस्तकों तथा कला वस्तुओं की भेंट और निबंध प्रतियोगिताएं

विदेशों में भारतीय जीवन और संस्कृति की बेहतर जानकारी देने की दिशा में पुस्तकें, कला वस्तुएं और निबन्ध प्रतियोगिताएं एक सशक्त माध्यम हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखकर मंत्रालय ने, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् को विदेशी सरकारों, संगठनों, पुस्तकालयों और व्यक्तियों को पुस्तकें तथा कला वस्तुएं उपहार स्वरूप देने और भारतीय मिशनों के जरिए विदेशों में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए निधियां प्रदान करना जारी रखा। बल्गारिया को ताज का संगमरमर का एक नमूना भेंट स्वरूप दिया गया।

भारत-अन्य देश मित्रता सोसायटियों को सहायता

भारत-अन्य देश मित्रता सोसायटियां, विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार और एक दूसरे के सांस्कृतिक मूल्यों को समझने-सोचने के लिए लाभप्रद अवसर प्रदान करती हैं। ये सोसायटियां भारतीय कलाकारों द्वारा कला प्रदर्शन सहित व्याख्यान, समारोह तथा भारत संबंधी प्रदर्शनियों जैसे सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन करती हैं। इनमें से कुछ सोसायटियां छोटे-छोटे पुस्तकालय तथा वाचनालय भी चलाती हैं। मंत्रालय इन सोसायटियों को संबंधित मिशनों की सिफारिश पर वित्तीय सहायता देता है। इस वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम को जारी रखा गया।

इन सोसायटियों की सहायता के अलावा, कुछ चुनिन्दा भारतीय मिशनों को भारतीय मूल के स्थानीय लोगों [के] बीच सांस्कृतिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दिए गए।

विभिन्न अध्यायों में वर्णित मदों का वित्तीय आबंटन

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	मद	योजनागत/ योजनेतर	बजट प्राक्कलन 1981-82 मूल	बजट प्राक्कलन 1981-82 संशोधित	बजट प्राक्कलन 1982-83
1	2	3	4	5	6
	स्कूल शिक्षा	**शिक्षा विभाग**			
1.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन . .	योजनेतर	2243.37	2085.63	2506.06
2.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल . .	-वही-	98.10	95.27	105.22
3.	बाल भवन	-वही-	22.00	19.86	22.66
		योजनागत	5.00	5.00	10.00
4	शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार . .	योजनेतर	2.60	2.96	3.15
5.	राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान .	-वही-	1.00	1.00	कुछ नहीं
6.	केन्द्रीय विद्यालयों और आवासीय स्कूलों में एन० सी० सी० जूनियर डिवीजन	-वही-	3.50	3.50	3.50
7.	रक्षा कार्मिकों को शैक्षिक रियायतें .	-वही-	1.00	1.50	1.50
8.	स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम	-वही-	1.00	0.01	1.00
9.	(क) शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम .	योजनागत	38.00	41.80	193.00
	(ख) इन्सैट सैल और विशेषज्ञ संस्थाओं की सहायता	-वही-	95.00	3.20	7.00
10.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्	योजनागत	175.00	175.00	275.00
		योजनेतर	546.80	574.32	628.70
11.	प्रारम्भिक आयु वर्ग के बच्चों की गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए कागज .	योजनागत	520.00	520.00	565.00
12.	9-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा . . .	योजनागत	380.00	380.00	500.00
13.	शिशु-शिक्षा-स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता	-वही-	15.00	1.00	15.00
14.	जनसंख्या शिक्षा परियोजना . .	-वही-	150.00	100.00	150.00
15.	स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने की योजना .	योजनेतर	0.13	0.13	0.26
		योजनागत	6.00	6.00	3.00
	उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान				
1.	विश्व विद्यालय अनुदान आयोग .	योजनागत	4000.00	4000.00	4700.00
		योजनेतर	6190.25	6290.78	6768.42
2.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ . .	योजनागत	12.00	1.97	5.50
		योजनेतर	1.40	1.40	1.45
3.	डा० जाकिर हुसैन कालेज, दिल्ली .	योजनागत	10.00	10.00	5.00
		योजनेतर	1.90	1.90	1.95
4.	उच्च अध्ययन संस्थान . .	योजनागत	13.00	13.00	5.00
		योजनेतर	9.00	9.00	9.50
5.	पंजाब विश्वविद्यालय को ऋण . .	योजनागत	20.00	20.00	20.00
6.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली	योजनागत	70.00	80.00	100.00
		योजनेतर	123.00	121.00	128.00

1	2	3	4	5	6
7.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	योजनागत	10.00	10.00	10.00
		योजनेतर	19.63	20.73	22.00
8.	व्यावसायिक संगठनों को सहायता	योजनागत	5.00	5.00	5.00
9.	भारतीय दर्शनशास्त्र परिषद्	योजनागत	5.00	5.00	15.00
10.	[illegible] संस्थान	योजनेतर	16.00	16.00	16.00
11.	विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापकों के वेतनमानों का संशोधन	योजनेतर	500.00	500.00	250.00
12.	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर	योजनेतर	0.17	0.30	1.00
13.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला	योजनेतर	35.00	20.00	35.00
14.	राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	योजनागत	22.00	22.00	40.00
		योजनेतर	21.45	22.31	23.00
	तकनीकी शिक्षा				
1.	कोटि सुधार कार्यक्रम (सीधे केन्द्रीय सहायता तथा सामुदायिक पालिटेक्निक)	योजनागत	145.00	145.00	150.00
		योजनेतर	75.00	60.48	75.00
2.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम	योजनागत	70.00	44.00	148.35
		योजनेतर	160.86	161.20	162.35
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	योजनागत	800.00	800.00	750.00
		योजनेतर	2323.08	2427.09	2581.40
4.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज	योजनागत	245.00	245.00	250.00
		योजनेतर	514.90	540.00	572.00
5.	उत्तर स्नातक पाठ्यक्रम और अनुसंधान विकास	योजनागत	80.00	80.00	80.00
		योजनेतर	150.00	118.80	150.00
6.	केन्द्रीय संस्थान (तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान बम्बई, राष्ट्रीय गढ़ाई और ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची)	योजनागत	125.00	111.01	125.00
		योजनेतर	236.49	244.42	265.90
7.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान	योजनागत	200.00	200.00	200.00
		योजनेतर	248.56	263.40	276.72
8.	प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद	योजनेतर	2.50	2.50	2.50
9.	प्रबन्ध शिक्षा	योजनागत	15.00	15.00	15.00
10.	वि० वि० अ० आ० योजना	योजनागत	600.00	600.00	660.00
11.	नई योजनाएं	योजनागत	316.00	363.00	889.00
	छात्रवृत्तियां				
1.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	योजनागत	199.00	199.00	242.00
2.	(क) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	योजनेतर	400.00	400.00	400.00
	(ख) लावसूल ऋणों और अग्रिम को बट्टे खाते में डालना	योजनेतर	6.00	6.00	8.00
	(ग) 1974 से पहले के समेकित ऋण में से की गई वसूलियों में से राज्य सरकार का 50% हिस्सा	योजनेतर	16.00	16.00	16.00
3.	अनुमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां	योजनेतर	80.00	90.00	100.00

1	2	3	4	5	6
4	ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां .	योजनागत	130.00	130.00	182.00
5.	हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति अनुदान . . .	योजनेतर	33.00	33.00	33.00
6.	संस्कृत को छोड़कर अन्य प्राचीन भाषाओं अर्थात् अरबी और फारसी के अध्ययन में लगी परम्परागत संस्थाओं में निकलने वाले छात्रों को शोध छात्रवृत्तियां .	योजनागत	1.00	1.00	1.00
7	विदेशों में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां . . .	योजनेतर	75.00	75.00	80.00
8.	सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना .	योजनेतर	41.00	50.00	50.00
9.	बंगलादेश के राष्ट्रिकों के लिए छात्रवृत्तियां . . .	योजनेतर	12.00	21.60	--
10.	विदेशी छात्रों के लिए विशेष अंग्रेजी पाठ्यक्रम . . .	योजनेतर	00.10	00.10	00.10
11.	भारत में अध्ययन के लिए विदेशियों के लिए छात्रवृत्तियां . . .	योजनेतर	22.00	24.00	24.00
12.	विदेशों में जाने वाले भारतीय छात्र .	योजनेतर	9.50	9.50	9.50
13.	आंशिक वित्तीय सहायता (ऋण) योजना .	योजनेतर	0.40	0.40	0.40

पुस्तक प्रोन्नति तथा कापीराइट

1.	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास				
	(क) सामान्य कार्यकलाप और विश्व पुस्तक मेला .	योजनेतर	26.90	30.34	32.91
		योजनागत	30.00	27.10	23.80
	(ख) आदान-प्रदान .	योजनागत	6.00	6.00	6.00
	(ग) नेहरू बाल पुस्तकालय .	योजनागत	12.00	12.00	13.00
	(घ) वि० विद्यालय स्तरीय पुस्तकों के सहायता प्राप्त प्रकाशन की योजना	योजनागत	20.00	18.00	20.00
	(ङ) नेहरू भवन .	योजनागत	6.75	6.75	12.00
2	विश्वविद्यालय स्तरीय विदेशी मूल की पुस्तकों के सस्ते संस्करण .	योजनागत	1.50	0.70	1.00
3.	राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड .	योजनागत	1.75	1.75	3.20
4	पुस्तक निर्यात संवर्धन कार्यकलाप .	योजनागत	6.00	6.00	6.00
5.	राजाराम मोहन राय राष्ट्रीय शैक्षिक संसाधन केन्द्र :—कार्यालय खर्चे .	योजनागत	1.00	1.00	1.85
6.	साहित्यिक और कलात्मक कृतियों की रक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय यूनियन का अंशदान .	योजनेतर	5.75	7.75	6.84
7.	कापीराइट बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता .	योजनेतर	0.20	0.20	0.20
8.	कापीराइट बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को मानदेय .	योजनेतर	0.35	0.32	0.40
9.	विशेष कागज कार्डों, स्टील अलमारियों आदि की खरीद . . .	योजनेतर	0.20	0.10	0.20

1	2	3	4	5	6
	युवक सेवाएं				
1.	राष्ट्रीय सेवा योजना	योजनागत	60.00	60.00	90.00
		योजनेतर	258.54	248.71	259.27
2.	राष्ट्रीय सेवा कर्मी योजना	योजनागत	10.00	1.00	8.00
		योजनेतर	15.00	12.50	15.00
3.	नेहरू युवक केन्द्र	योजनागत	60.00	60.00	85.00
		योजनेतर	110.60	112.50	115.87
4.	युवकों के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	योजनागत	17.00	7.00	12.00
5.	साहस का विकास	योजनागत	12.00	7.00	15.00
		योजनेतर	3.00	4.00	4.50
6.	स्काउटिंग और गाइडिंग	योजनागत	5.00	5.00	6.00
		योजनेतर	3.50	3.50	3.50
7.	राष्ट्रीय मंडल युवक कार्यक्रम	योजनागत	1.50	0.50	0.50
		योजनेतर	6.00	6.00	6.00
8.	युवक प्रतिनिधि मण्डलों का अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय	योजनागत	2.50	2.00	3.00
9.	राष्ट्रीय एकता की प्रोन्नति	योजनागत	3.00	3.00	10.00
10.	शिक्षा तथा संस्कृति से संबंधित प्रदर्शनियां	योजनागत	--	--	10.00
	शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद				
1.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर	योजनागत	12.00	11.10	16.00
		योजनेतर	21.00	23.69	23.60
2.	राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम	योजनेतर	4.21	3.50	4.46
3.	योग का प्रसार	योजनागत	10.00	6.00	10.00
		योजनेतर	5.65	5.65	5.85
4.	नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला तथा राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना	योजनागत	79.00	80.00	112.00
		योजनेतर	101.00	107.38	110.97
5.	खेलों की प्रोन्नति के लिए राज्य खेल परिषदों को अनुदान	योजनागत	60.00	60.00	60.00
6.	राष्ट्रीय खेल संघों को अनुदान	योजनागत	50.00	65.00	60.00
		योजनेतर	12.50	13.50	15.00
7.	अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता	योजनेतर	10.00	7.00	10.00
8.	महिला खेलों की प्रोन्नति	योजनागत	2.00	2.00	4.00
		योजनेतर	6.00	4.00	6.00
9.	खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियां	योजनेतर	12.50	12.50	12.50
10.	राष्ट्रीय खेल संगठन	योजनागत	25.00	25.00	25.00
11.	शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं को अनुदान	योजनागत	4.00	4.00	5.00
12.	राष्ट्रीय खेल परिसर	योजनेतर	1.00	--	--
13.	अर्जुन पुरस्कार	योजनेतर	1.00	1.00	0.91
14.	सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत खेल/शारीरिक शिक्षा दलों/विशेषज्ञों का आदान-प्रदान	योजनागत	4.00	4.00	5.00
15.	राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण कोष	योजनेतर	--	--	1.0
16.	एशियाई खेल	योजनागत	3124.00	3115.00	2261.00

1	2	3	4	5	6
भाषाएं					
1.	गैर-हिन्दी भाषी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति	योजनागत	33	33	27
2.	हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना	योजनागत	10	10	10
3.	स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को सहायता	योजनागत	22.00	22.00	35.00
		योजनेतर	11.00	11.00	11.00
4.	गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी लेखकों को पुरस्कार	योजनागत	0.40	0.40	0.40
5.	केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा	योजनागत	30.00	25.50	30.00
		योजनेतर	37.50	37.00	40.17
6.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	योजनागत	11.00	11.11	16.36
		योजनेतर	45.95	47.41	48.65
7.	हिन्दी में पत्राचार पाठ्यक्रम	योजनागत	9.00	9.00	9.00
8.	विदेशों में हिन्दी का प्रसार	योजनागत	8.00	8.00	8.00
		योजनेतर	4.79	4.79	4.79
9.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय पुस्तकालय	योजनागत	0.30	0.30	0.40
10.	उर्दू में पुस्तकों का प्रकाशन	योजनागत	13.70	13.62	23.65
		योजनेतर	9.20	8.60	8.41
11.	सिन्धी में पुस्तकों का प्रकाशन	योजनागत	3.50	4.00	6.00
		योजनेतर	3.00	3.00	3.00
12.	कोर पुस्तकों का प्रकाशन	योजनागत	5.20	5.20	5.60
		योजनेतर	15.08	15.68	16.15
13.	विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन	योजनागत	120.00	50.00	70.00
14.	वै० तथा त० श० आ० के माध्यम से पुस्तक प्रकाशन कार्य के लिए वित्त पोषण	योजनागत	8.00	7.85	8.00
15.	हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में मूल मानक कृतियों के लेखकों को राष्ट्रीय पुरस्कार	योजनागत	3.00	1.80	3.00
16.	हिंदी को छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	योजनागत	5.05	5.50	5.50
17.	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर	योजनागत	17.20	16.35	15.00
		योजनेतर	24.75	24.75	25.50
18.	क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	योजनागत	13.00	11.29	10.00
		योजनेतर	48.13	47.47	49.14
19.	हिन्दी संस्कृत और मातृभाषा को छोड़कर अन्य भारतीय भाषाओं की पुस्तकों/पांडुलिपियों के लिए पुरस्कार योजना	योजनागत	0.75	0.75	0.75
20.	अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता की योजना	योजनागत	--	--	5.00
21.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	योजनागत	55.00	47.72	65.00
		योजनेतर	62.58	58.49	66.60
22.	मैट्रिकोत्तर छात्रों, शास्त्रीय और आचार्य पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियां और अनुसंधान छात्रवृत्तियां	योजनेतर	9.50	9.50	9.50
23.	स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता	योजनागत	35.00	35.00	40.00
24.	आदर्श संस्कृत पाठशालाएं	योजनागत	13.50	13.50	18.00
		योजनेतर	2.00	2.00	2.00

1	2	3	4	5	6
25.	संस्कृत शब्दकोश विभाग, दक्कन कालेज, पूना को सहायक अनुदान	योजनागत	1.00	1.00	1.00
		योजनेतर	6.25	6.50	6.70
26.	स्वैच्छिक अरबी/फारसी संगठनों को वित्तीय सहायता	योजनागत	7.00	7.00	10.00
27.	संस्कृत शिक्षा का विकास	योजनागत	35.00	35.00	38.00
28.	(i) संस्कृत साहित्य का प्रकाशन (ii) संस्कृत पुस्तकों की खरीद (iii) संस्कृत पाण्डुलिपियों का प्रकाशन	योजनागत	6.00	8.50	7.00
29.	संस्कृत की प्रोन्नति के लिए अन्य योजनाएं (i) अखिल भारतीय वक्तृत्व प्रतियोगिता (ii) वैदिक सम्मेलन (iii) वैदिक पाठ परम्परा का परिरक्षण	योजनागत	1.50	1.50	2.00
30.	संस्कृत, अरबी और फारसी विद्वानों को आर्थिक अनुदान सहित सम्मानार्थ प्रमाण-पत्र	योजनेतर	6·00	6·30	6·00
31.	शास्त्रों का गहन शिक्षण प्रदान करने के लिए वरिष्ठ विख्यात संस्कृत विद्वानों की सेवाओं का उपयोग	योजनागत	4.00	2.50	6.00
	यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग				
1.	यूनेस्को कूरियर के हिन्दी और तामिल संस्करणों के प्रकाशन पर व्यय	योजनेतर	6.10	6.10	6.10
2.	यूनेस्को की प्रलेखन एवं वितरण तथा अन्य योजनाएं	योजनेतर	0.50	0.50	0.50
3.	यूनेस्को के साथ सहयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कार्यक्रमों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान	योजनेतर	0.36	0.36	0.36
4.	यूनेस्को को अंशदान	योजनेतर	152.27	103.00	160.95
5.	यूनेस्को से संबंधित योजनाओं के लिए आतिथ्य तथा जलपान	योजनेतर	0.10	0.10	0.10
6.	विदेशों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल और शिष्टमण्डल	योजनेतर	1.00	2.50	2.50
7.	भा० रा० आयोग के पुस्तकालय का पुनर्गठन	योजनागत	2.00	1.00	2.50
8.	बैठकों/सम्मेलनों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन	योजनागत	2.50	1.25	2.50
9.	यूनेस्को के कार्यक्रमों और कार्यकलापों में लगे स्वैच्छिक संगठनों को सुदृढ़ करना	योजनागत	1.00	0.50	0.50
10.	11-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए पुस्तकें	योजनागत	--	--	0.50
	प्रौढ़ शिक्षा				
1.	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं	योजनागत	650.00	641.20	1200.00
		योजनेतर	130.00	95.13	130.00
2.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	योजनागत	10.00	10.00	25.00
	(मुद्रणालय सहित)	योजनेतर	22.85	22.75	23.17
3.	प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता	योजनागत	120.00	120.00	75.00
4.	राज्य तथा जिला स्तरों पर प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ करना	योजनागत	100.00	100.00	110.00
5.	श्रमिक विद्यापीठ	योजनागत	20.00	12.00	15.00
		योजनेतर	20.38	14.98	21.29

1	2	3	4	5	6
1.	शैक्षिक नीतियों, आयोजना, प्रबन्ध और मूल्यांकन संबंधी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता	योजनागत	10.00	7.00	7.50
2.	प्रकाशन	योजनेतर	8.00	8.06	8.00
	संस्कृति विभाग				
1.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	योजनागत	75.00	65.74	88.00
		योजनेतर	681.50	690.76	711.48
2.	स्मारकों आदि के परिरक्षण के लिए संस्थाओं/निकायों को वित्तीय सहायता देने की योजना	योजनागत	2.50	2.00	2.50
3.	राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली	योजनागत	32.00	32.00	30.00
		योजनेतर	50.00	50.00	51.50
4.	भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता	योजनागत	8.00	8.00	8.00
		योजनेतर	28.50	29.64	30.53
5.	सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद	योजनागत	13.00	11.00	13.00
		योजनेतर	14.89	14.89	15.51
6.	विक्टोरिया स्मारक हाल, कलकत्ता	योजनागत	45.00	22.50	20.00
		योजनेतर	10.16	10.56	10.88
7.	राष्ट्रीय आधुनिक कलावीथी, नई दिल्ली	योजनागत	20.00	20.00	20.00
		योजनेतर	9.06	9.42	9.70
8.	नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली	योजनागत	8.50	5.45	29.15
		योजनेतर	36.08	37.03	38.14
9.	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता	योजनागत	100.00	100.00	90.00
		योजनेतर	64.88	71.60	73.74
10.	राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला	योजनागत	22.00	14.00	16.00
11.	भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण	योजनागत	9.00	1.75	4.00
		योजनेतर	82.30	87.30	90.50
12.	राष्ट्रीय मानव संग्रहालय	योजनागत	30.00	15.00	12.00
13.	भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार	योजनागत	45.00	40.66	40.00
		योजनेतर	43.76	52.56	56.53
14.	खुदाबख्श ओरियन्टल पुस्तकालय, पटना	योजनागत	10.05	18.05	13.00
		योजनेतर	4.00	4.00	4.12
15.	टी०एम०एम०एम०एस० पुस्तकालय, तंजावूर	योजनागत	3.80	3.25	5.00
16.	रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर	योजनागत	2.50	2.50	3.00
17.	पाण्डुलिपियों का परिरक्षण	योजनागत	20.00	15.00	20.00
18.	पुरालेख सहित विभिन्न विषयों तथा क्षेत्रों के लिए शिक्षावृत्तियां	योजनागत	1.00	0.20	2.00
19.	एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता	योजनेतर	2.10	3.56	3.96
20.	बौद्ध दर्शन स्कूल, लेह	योजनागत	13.00	13.00	7.00
		योजनेतर	8.67	9.02	9.29
21.	केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी	योजनागत	40.00	52.00	70.00
		योजनेतर	14.15	14.72	15.16
22.	सिक्किम तिब्बती विद्या अनुसंधान संस्थान, गंगटोक	योजनेतर	1.00	2.00	2.00

1	2	3	4	5	6
23.	तिब्बती कृतियों का पुस्तकालय तथा अभिलेखागार, धर्मशाला . . .	योजनागत	5.00	3.98	4.00
24.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद .	योजनागत	10.00	8.00	15.00
		योजनेतर	20.80	23.98	31.90
25.	राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता . .	योजनागत	40.00	30.00	30.00
		योजनेतर	72.50	75.45	77.33
26.	केन्द्रीय पुस्तकालय, बम्बई . .	योजनागत	2.75	2.00	2.75
		योजनेतर	3.00	2.76	3.00
27.	केन्द्रीय सदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता .	योजनागत	10.00	10.00	10.00
		योजनेतर	9.00	8.60	8.85
28.	भारतीय विश्व कार्य परिषद पुस्तकालय, नई दिल्ली	योजनागत	2.00	2.00	2.00
29.	दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय, दिल्ली .	योजनागत	11.00	11.00	13.00
		योजनेतर	31.50	34.56	33.68
30	केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय . .	योजनागत	6.40	4.88	8.00
		योजनेतर	1.25	1.30	1.34
31.	राजा राम मोहन राय पुस्तकालय, प्रतिष्ठान	योजनागत	22.50	22.50	23.00
		योजनेतर	3.95	3.95	4.20
32.	सार्वजनिक/पाण्डुलिपि पुस्तकालयों का संचालन करने वाले स्वैच्छिक शैक्षिक संगठनों को वित्तीय सहायता . . .	योजनागत	12.00	12.00	12.00
33.	साहित्य अकादमी . .	योजनागत	13.00	13.00	17.00
		योजनेतर	22.73	22.43	23.10
34.	संगीत नाटक अकादमी	योजनागत	35.00	34.72	37.40
		योजनेतर	37.94	36.30	37.70
35.	ललित कला अकादमी . .	योजनागत	26.00	26.00	22.50
		योजनेतर	32.88	33.83	27.60
36.	राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय . .	योजनागत	24.00	20.60	25.00
		योजनेतर	25.55	25.55	26.30
37.	सांस्कृतिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र .	योजनागत	28.00	28.00	28.00
		योजनेतर	10.64	10.84	11.40
38.	स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को भवन अनुदान	योजनागत	10.00	10.00	10.00
39.	नृत्य, नाटक तथा थियेटर दलों को वित्तीय सहायता	योजनागत	25.00	25.00	25.00
		योजनेतर	4.80	4.80	4.80
40.	भारतीय समारोह . .	योजनागत	10.00	39.65	35.00
		योजनेतर	2.00	2.00	2.00
41.	सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना .	योजनागत	5.00	3.00	6.00
		योजनेतर	4.50	3.75	3.75
42.	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में कार्यरत युवा कार्यकर्ताओं को छात्रवृत्तियां . .	योजनागत	5.00	33.50	6.50
		योजनेतर	3.06	2.50	3.06
43.	प्रदर्शन, साहित्यिक और प्लास्टिक कलाओं के क्षेत्रों में कार्यरत उत्कृष्ट कलाकारों की शिक्षावृत्तियां . . .	योजनागत	7.00	6.00	7.70
		योजनेतर	3.50	2.60	2.87

1	2	3	4	5	6
44.	साहित्य, कला तथा जीवन के ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में विख्यात व्यक्तियों को, जो विपन्नावस्था में हों, वित्तीय सहायता देने की योजना	योजनागत	--	--	5.00
		योजनेतर	3.40	3.01	3.40
45.	गांधी दर्शन समिति	योजनागत	5.00	1.00	1.00
		योजनेतर	15.59	12.44	16.00
46.	डा० जाकिर हुसैन स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली	योजनेतर	0.70	0.70	0.72
47.	शताब्दियां तथा जयन्तियां . . .	योजनागत	30.00	30.00	26.00
48.	सांस्कृतिक संबंध	योजनागत	4.50	2.00	4.50
		योजनेतर	23.40	22.90	21.80

एम०जी०आई०पी०एफ०--920एजूकेशन/81--25-3-82